खण्ड-381, अंक-5
शुक्रवार, 19 आषाढ़, शक संवत् 1909
(10 जुलाई, 1987 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 381 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1987

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–67
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	68–83
बुलन्दशहर के कस्बा औरंगाबाद में सरकारी भूमि पर अनियमित कब्जा करने के आरोप के सम्बन्ध में श्रम मन्त्री द्वारा दिया गया वैयक्तिक स्पष्टीकरण ..	84–95
हाई स्कूल परीक्षा, 1977 के अनुक्रमांक 312421 से सम्बन्धित परीक्षार्थी की जन्म-तिथि में गड़बड़ी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
मछली निकालने हेतु जलाशयों के ठेकों में पेशेवर मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को वरीयता दिलाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
न्याय पंचायत दहोरा कैसरगंज बहराइच के ग्रामों की बाढ़ से सुरक्षा तथा सम्पर्क मार्गों की व्यवस्था की मांग होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
निर्वाचन क्षेत्र गोकुल, मथुरा में नाले-नालियों की जर्जर दशा से जल भराव होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
जनपद बस्ती में फर्जी नसबन्दी की जांच होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
थानाध्यक्ष, थाना फरीदपुर, बरेली के विरुद्ध शिकायत होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
निर्वाचन क्षेत्र बछरावां में तहसील महराजगंज व ब्लाक शिवगढ़ के सम्पर्कमार्ग का पुनः निर्माण होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	99
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	100–102
सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के नगरीय क्षेत्रों में, 90 साला स्वीकृत भवन लीज पट्टों की नजूल भूमि पर बने भवनों के आवासीय तथा अनावासीय प्रयोजनों हेतु, मिश्रित प्रयोग की प्रारम्भ से चली आ रही व्यवस्था बरकरार रखने विषयक याचिका (प्रस्तुत की गयी)	103
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	103–105
उद्योग विभाग से सम्बन्धित अनुदानों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	106–108
वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 4––उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या 5––उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या 6, उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) अनुदान संख्या 7––उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 8––उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) तथा अनुदान संख्या 9––उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत)	109–170
आज की कार्यसूची की मद संख्या 10, 11 तथा 12 को स्थगित किए जाने का अनुरोध	171
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	171
प्रादेशिक सिविल सेवा के अधिकारी श्री बृजेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव की रहस्यमय परिस्थिति में हुई मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	171–173
नत्थियां	174–185

नमूना प्रति

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 10 जुलाई, 1987

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अकबर अहमद डम्पी, श्री	नैनीताल	परमाई लाल, श्री	हरदोई
अकबर हुसैन बाबर, श्री	फैजाबाद	पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
अतर सिंह यादव, श्री	एटा	फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां)	गोण्डा
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	बलवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई	बालेश्वर, श्री	देवरिया
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर
कमल किशन पाण्डेय, श्री	पिथौरागढ़	बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
कान्ती सिंह विसेन, श्रीमती	खीरी	भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
कुदसिया बेगम, श्रीमती	हरदोई	महाराज सिंह, चौधरी	इटावा
कौशिक रमाशंकर, श्री	मुरादाबाद	महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
गया प्रसाद वर्मा, श्री	इटावा	महेन्द्र भाटी, श्री	गाजियाबाद
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव	मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	मोहम्मद अबरार अहमद इंजीनियर, श्री	बदायूं
जमुना प्रसाद बोस, श्री	बांदा	मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां)	मुरादाबाद
जवाहर सिंह यादव, श्री	इलाहाबाद		
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर	रमाकान्त, श्री	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़	रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री	एटा
दूधनाथ, श्री	जौनपुर	राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर	राज किशोर सिंह, श्री	वाराणसी
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नरेश पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं	रामगोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
पद्मा सेठ, श्री	सीतापुर	रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी

राम जनम, श्री	आजमगढ़
रामनन्दिनी वर्मा, श्रीमती	इलाहाबाद
राम पाल वर्मा, श्री	इटावा
राम सजीवन, श्री	सहारनपुर
राम शरण दास, श्री	बांदा
राम सागर, श्री	रायबरेली
रेवती रमण सिंह, कुंवर	आजमगढ़
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	रायबरेली
विजय लक्ष्मी, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
विष्णु देव, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	देहरादून
शारदानन्द अंचल, श्री	उन्नाव
शिव बालक पासी, श्री	आजमगढ़
श्री प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	बलिया
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	बलिया
सुरेन्द्र कपिल, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	एटा
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	बलिया
हफीज भारती, श्री	रायबरेली
हर नारायण सिंह, श्री	
हरेन्द्र सिंह, श्री	
हर्ष वर्धन, श्री	
हीरा सिंह विष्ट, श्री	
हृदय नरायन दीक्षित, श्री	

विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई, 1987 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आशुतोष गृह निर्माण समिति लि0 कृष्णा नगर लखनऊ के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

**1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें आशुतोष गृह निर्माण समिति लि0 कृष्णानगर, लखनऊ में फर्जी सदस्य बनाकर लाखों रुपयों का घोटाला करने, समिति की भूमि में फर्जी रिकार्ड दिखाकर शासन के सांस्कृतिक विभाग से 25 लाख के अनुदान की मांग करने, समिति के पार्क की भूमि में सचिवालय के किसी उच्च अधिकारी की संस्तुति पर बैंक आफ बड़ौदा, निशातगंज, लखनऊ से 4 लाख 20 हजार रुपये का ऋण स्वीकार कराकर मुर्गीबाड़ा बनाने आदि के संबंध में 23 संलग्नकों सहित प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-4-87 माननीय नेता विरोधी दल के पत्र संख्या-1148/ने0वि0द0/वि0स0/87 दिनांक 30-4-87 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ, जिसमें माननीय नेता विरोधी दल ने विषय की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए उस पर किसी मजिस्ट्रेट अथवा विजिलेन्स द्वारा जांच का आग्रह किया था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

जी हां ।

आवास आयुक्त को शिकायतों की प्रारम्भिक जांच कराकर जांच रिपोर्ट भेजने हेतु निर्देशित कर दिया गया है । प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर किसी मजिस्ट्रेट अथवा विजिलेंस द्वारा जांच कराये जाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी के बारे में बड़े गम्भीर आरोपों सहित एक लम्बा शिकायती-पत्र माननीय नेता विरोधी दल के पत्र के साथ शासन को दिया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि जो आपने यह आरोप-पत्र अपने आवास विकास आयुक्त के पास भेजा जो कि उसके रजिस्ट्रर भी होते हैं उन्होंने इसकी जांच का कार्य ए0 के0 सिंह को दे दिया, वे इसकी जांच कर रहे हैं । अभिलेखों से साबित होता है कि ए0 के0 सिंह वहां पर अप्रैल 1986 से नवम्बर 1986 तक प्रशासनिक अधिकारी थे और अधिकांश शिकायतें उनके ही कार्यकाल में हुई थीं । मैं जानना चाहता हूं कि इस जांच को ए0के0 सिंह से कराने के क्या कारण हैं जब कि उस समय वे वहां पर प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके कार्यकाल में शिकायतें हुई ? क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं थी । क्या माननीय मंत्री जी उनसे जांच लेकर रजिस्ट्रार सहकारी समितियों से कराने की कृपा करेंगे या जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था इसकी जांच विजीलेन्स या सी0 आई0 डी0 से करायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस संबंध में मैंने आज ही विकास आयुक्त को निर्देश दिये हैं कि वे जांच जब करायें, पहले अपनी टिप्पणी इस विषय पर भेज दें ताकि दोनों बातें हमारे सामने विस्तार से आ जाएं और यह सुनिश्चित हो सके कि इसकी जांच सी0 आई0 डी0 से या विजीलेन्स से कराना ठीक होगा ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के जो घोटाले हो रहे हैं उसमें अवश्य दूर से कहीं न कहीं से अधिकारियों का हाथ होता है । जैसा कि इस सवाल में ही है कि सचिवालय के किसी उच्च अधिकारी की संस्तुति पर यह घोटाला हो रहा है। विजीलेन्स में देने में आपको क्या दिक्कत है । विभागीय अधिकारी से करायेंगे तो चोर-चोर मौसेरे भाई, जांच निष्पक्ष नहीं हो पायेगी । इस तरह से इनका आपस में खूनी रिश्ता हो गया है कि अधिकारियों को बचाने में असेम्बली को भी बाई-पास करना चाहते हैं । यहां तक स्थिति हो गई है कि असैम्बली की उपेक्षा हो रही है । विजीलेंस भी तो आपके ही मातहत है, इससे जांच कराने में आपको क्या कठिनाई है ? क्या आप विजीलेंस से जांच करायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

श्रीमन्, मैंने पहले भी स्वीकार किया कि क्यों न इसकी जांच विजीलेंस से करा दी जाय । अभी तक हाउसिंग कमिश्नर से जांच कराने की बात है । लेकिन मैंने आज ही यह निर्देश दिये हैं कि वे इस संबंध में दो दिन में अपनी टिप्पणी भेज दें ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस सहकारी समिति के एक सचिव श्री जोशी बना दिये गये थे जिन्होंने सारी जमीन को या उसके कुछ भाग को अपने परिवार के लोगों के नाम कर बाद में उसे बेच दिया है ?

श्री हुकुम सिंह–

यह जो शिकायत की गयी है इसका भी उल्लेख उन आरोपों में है । सभी शिकायतों पर टिप्पणी आवास आयुक्त से मांगी गयी है उसके बाद जांच की जो भी आवश्यकता होगी की जायेगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 25 लाख रु0 सचिवालय के किसी एक वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा सिफारिश करने के बाद समिति के सचिव को दे दिया गया और उसके दुरुपयोग का प्रकरण आपके सामने आया है तो क्या उस संख्या में यह प्रकरण भी आया है कि उन्होंने रुपयों का दुरूपयोग किया है ?

श्री हुकुम सिंह–

यह आरोप भी उसमें है, और भी शिकायतें हैं, उसमें इस का भी साफ तौर से उल्लेख किया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, स्थिति ऐसी बन गयी है कि आरोप बहुत गंभीर हैं अब जिस आरोप का हम नाम लेंगे उसका भी उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे कि जांच कराई जायेगी । तो मैं साफ तौर से जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की भी जांच करायेंगे कि समिति की भूमि में श्री पी0 सी0 जोशी ने अनधिकृत रूप से निर्माण कराया और उसके लिये आवास विकास परिषद् ने उनको दोषी पाया उनको आवास विकास परिषद् ने पत्र सं0 1442 सह0 दिनांक 31-5-86 को निर्माण न करने का आदेश दिया और उसके तत्काल 12 दिन बाद दिनांक 12-6-86 को उन्हीं को सचिव पद पर नियुक्त कर दिया गया । जब कि एक व्यक्ति जो उसका फर्जी सदस्य था और जो दोषी भी पाया गया अवैध निर्माण के लिये उसके बाद उसमें कौन से गुण देखे कि जिनके कारण उनको उस समिति का सचिव नियुक्त कर दिया गया । क्या इस बात की भी जानकारी मंत्री जी को है । क्या वह इस बात का आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि इस पहलू पर भी जांच कराई जायेगी और जिस अधिकारी ने उन्हें सचिव नियुक्त किया उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

जो पत्र सम्मानित नेता विरोधी दल ने उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी के नाम संबोधित पत्रों को संलग्न किया है जिसमें समिति के बहुत से सदस्यों के हस्ताक्षर हैं । इसमें मान्यवर, 17, 18 आरोपों का उल्लेख किया गया है । जिन आरोपों का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है लगभग वह सारे आरोप उस पत्र में हैं । इस सारे प्रकरण की जांच जैसा मैंने कहा हमने आवास आयुक्त से आख्या मांगी है । यह सब संलग्नक फोटोस्टेट कापी जो मिली हैं उनमें विस्तार से आरोपों का उल्लेख किया गया है इस सब पर टिप्पणी मांगी गयी है जब उनकी टिप्पणी आ जायेगी तो उसके बाद निर्णय लिया जायेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो पत्र दिया है उसमें 23 संलग्नक हैं उनमें जो आरोप लगाये गये हैं उनकी जांच का काम पहले सहायक आयुक्त श्री ओंकार यादव को दिया गया था लेकिन जांच की कार्यवाही में हेराफेरी के आरोपों के कारण उनसे यह जांच ले ली गयी और उसके बाद उप आयुक्त श्री दुग्गल से जांच करायी गयी है । तो मैं जानना चाहता हूं कि उनकी जांच रिपोर्ट जो आ गयी है वह क्या है और उसके आधार पर सही सदस्यों की सूची बन गयी होगी तो वह सही सूची बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

किस जांच रिपोर्ट की बात आप कह रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

जो 23 संलग्नक पत्र के साथ लगाये गये हैं उनके आरोपों की जांच का काम श्री ओंकार यादव को दिया गया था और उनकी जांच में शिकायतें आईं तो उनसे जांच लेकर उप आयुक्त श्री दुग्गल को जांच करने को दी गयी जिसमें यह आरोप थे कि फर्जी सदस्य बनाये गये हैं तो उनकी यह जांच रिपोर्ट आ गयी होगी तो सही सदस्यों के क्या नाम हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

जब माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र प्राप्त हुआ तो पहले यह पत्र सहकारिता विभाग को भेज दिया गया क्योंकि उसमें सहकारी समिति होने के कारण कुछ भ्रम रहा और सहकारिता विभाग से आया कि इस हाउसिंग कमिश्नर से संबंधित है । उसमें थोड़ा विलम्ब हो गया है । अभी जो जांच की बात है उसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मांग की गयी थी मजिस्ट्रेट या विजीलेन्स द्वारा जांच कराई जाये, तो यह सारा प्रकरण देने के लिये सहमत हुये कि हाउसिंग कमिश्नर जानकारी तो दे सकते हैं लेकिन वहां से उनके अधिकारी संबंधित रहे हैं, इसलिये उनसे जांच कराने का आशय पूरा नहीं हो पायेगा इसलिये निर्देशित किया है हाउसिंग कमिश्नर को कि आप अपनी केवल आख्या भेज दें ताकि शासन को यह निर्णय लेने में आसानी हो सके कि सी0 आई0 डी द्वारा जांच कराना ठीक रहेगा । जो आरोप लगाये गये हैं इनमें से कई आरोपों के बारे में पहले ही पुलिस में रिपोर्ट, कृष्णा नगर थाने में, दर्ज करा दी गयी । जिनका उल्लेख आपने किया वह प्रकरण अलग है । मुकदमा कायम कर दिया गया है, तफसीश चल रही है । जो जानकारी दी गयी है उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मैं जानना चाहता हूं कि पूरे मामले की जांच गुप्तचर शाखा द्वारा या सदन की कमेटी द्वारा क्या करायेंगे चूंकि मामला गंभीर है ।

श्री अध्यक्ष–

वह तो कह रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं जानकारी चाहता हूं कि क्या मंत्री जी मेरे दो बिन्दुओं पर विजीलेन्स की जांच सौंपेंगे जिनसे हाउसिंग कमिश्नर की रिपोर्ट की जरुरत नहीं है और वे बिन्दु हैं–नं0 6 इस सारे प्रकरण में जो सही 85 मेम्बर्स थे जिनको निकालकर दूसरे फर्जी मेम्बर्स बनाये गये जो एक ही हैन्डराइटिंग से लिखे गये हैं । सांस्कृतिक कार्य विभाग में एक राजपत्रित अधिकारी हैं, मेरी जानकारी के अनुसार वह रिटायर हो गये थे लेकिन फिर उनको इक्सटेंशन दिया गया है, उनकी भूमिका के बारे में क्या जांच करायेंगे ? यदि मंत्री जी को समाधान हो जाता है कि उसने सत्ता का दुरुपयोग करके जो लाखों रुपये का गबन का दोषी है, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 85 मेम्बर्स को निकालकर फर्जी मेम्बर्स बनाये गये हैं इनकी जगह पुराने मेम्बर्स की सूची निकालकर उनको वापरा लेकर, और नन्दा बल्लभ पंत जो समिति के सचिव थे उनसे सचिव का पद छीनकर सहायक आयुक्त के पास चला गया है, इन तत्थों को देखकर, क्या समिति का निर्वाचन कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो पत्र आया है नेता विरोधी दल का जिसमें संलग्नक लगाये गये हैं, उसके पूर्व एक अधिकारी का नाम लिया गया है, ए0 के0 सिंह जब वह इस समिति को देख रहे थे, उनको जानकारी में आया कि जितने सर्टिफिकेट दिये गये हैं, फार्म

जो हैं उनमें उनको संदेह लगा कि वे फर्जी हैं तो हमारे आयुक्त कार्यालय से आदेश हो गये कि फर्जी होने की आशंका है, इसलिये पुलिस में केस दायर कर दिया गया । जो श्री गुप्त जी ने कहा है उस प्रकरण को शामिल करके जांच करायेंगे ।

मान्यवर, जो अधिकारी के बारे में कहा है तो जांच हो जाये उसमें उनकी जो भूमिका आती है उसके अनुरूप कार्यवाही कठोर से कठोर की जायेगी ।

जल संस्थानों को नगर महापालिका और मण्डलीय जल संस्थानों को जल निगम में विलीन करने का निर्णय

**2–श्री बदन सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जल संस्थानों को नगर महापालिकाओं और मण्डलीय जल संस्थानों को जल निगम में विलीन करने का निर्णय सरकार ने ले लिया है ? यदि हां, तो इसका कार्यान्वयन किस विधि से और कब तक हो जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद तथा वाराणसी नगरों के जल संस्थानों को विघटित कर संबंधित नगर महापालिका में विलीन करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया था । उपयुक्त जल संस्थानों को दिनांक 9 जून, 1987 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्तियों द्वारा विघटित कर दिया गया था । किन्तु दिनांक 20 जून, 1987 को विज्ञप्तियों प्रकाशित करके उक्त विघटन को निरस्त कर दिया गया है ।

मण्डलीय जल संस्थानों के उत्तर प्रदेश जल निगम में विलीन करने का कोई निर्णय अभी तक शासन द्वारा नहीं लिया गया है ।

श्री बदन सिंह–

उत्तर प्रदेश में तुगलकी सरकार बैठी हुई है, एक निर्णय के विरुद्ध वह तुरन्त दूसरा निर्णय लेती है । मान्यवर, अपने उत्तर में इन्होंने बताया है कि लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद व आगरा नगरों के जल संस्थानों को विघटित करके संबंधित नगर महापालिकाओं में विलीन करने का निर्णय शासन ने ले लिया था और इसका गजट भी 9 जून, 1987 को असाधारण गजट में प्रकाशित कर दिया गया था, किन्तु फिर ठीक 11 दिन बाद यानी 20 जून को इस निर्णय को निरस्त कर दिया गया, तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन्हें नगर महालिकाओं में विलीन करने का क्या औचित्य था, और फिर तुरन्त बाद ही उस आदेश को निरस्त करने का क्या औचित्य था ?

श्री हुकुम सिंह–

जिन शंकाओं का माननीय सदस्य ने वर्णन किया है, उनका उभरना स्वाभाविक है कि पहले विलय किया, फिर सारी प्रक्रिया समाप्त कर दी गई । विलीन करने का निर्णय इसलिए लिया गया कि जल संस्थानों के कार्यकलाप किसी भी तरह संतोषजनक

प्रतीत नहीं हो रहे थे, करीब 50 लाख रुपया विद्युत परिषद् का उस पर देय था, हर साल संस्थानों को सरकार को रुपया उपलब्ध कराना पड़ता था और जल संस्थानों के कार्य कलापों के बारे में तरह-तरह की शिकायतें जनता आदि से मिलती रहती थीं, तो सरकार ने यह सोचकर कि कार्य में तीव्रता लाई जाए, ठीक किया जाए, निर्णय यह लिया कि इन्हें समाप्त करके केवल टाउंस की नगरमहापालिकाओं में इन्हें बिलीन कर दिया जाय । फिर यह भी आपको जानकारी है कि जैसे ही यह निर्णय लिया कुछ समस्याएं पैदा हो गईं, वह लोग हड़ताल पर चले गये और एक जल का संकट हमारे सामने पैदा हो गया और उसको देखते हुए हमें अपनी पूर्व निर्णय बदलना पड़ा । फिर भी, इसी के साथ हमने सारे प्रकरण पर विचार करने के लिए सेक्रेटरी, एल0 एस0 जी0 ई0 डी0 की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है कि वह इस विषय पर अपनी रिपोर्ट दें कि इसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है ।

श्री मुईद अहमद–

इसमें दो मामले हैं विलय करने के, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, एक तो जलसंस्थानों को नगरमहापालिकाओं में देने की बात है और दूसरे मण्डलीय जल संस्थानों को जल निगम में विलय करने की बात है । जल संस्थानों से ज्यादा नगरमहापालिकाओं की हालत खराब है, इमेज खराब है, उनमें इससे कहीं ज्यादा अनियमितताएं और गड़बड़ियां पाई जाती हैं, तो जो यह निर्णय अब हुआ कि उनका विलय नगरमहापालिकाओं में न किया जाए वह ठीक है । साथ ही यह ठीक है कि जलसंस्थानों के कामों में कमी है, मंडलीय जल संस्थानों की भी हालत खराब है, किन्तु जल निगम की रेपूटेशन उनसे अच्छी है, उनका काम भी अच्छा रहा है, तो मंडलीय जल संस्थानों को जल निगम में विलीन करना आवश्यक हो गया है, किन्तु इस विषय में अभी तक कोई निर्णय शासन द्वारा नहीं लिया गया है, तो क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र निर्णय लेकर मंडलीय जल संस्थानों को जल निगम में विलीन करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

अब समिति गठित कर दी गई है, सारे मामले पर उसमें विचार हो जाएगा ।

श्री मुईद अहमद–

वह तो अलग बात है, जल संस्थानों को जल निगम में विलय की जो बात है वह तो कर लिया जाए ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आजकल पानी की बहुत किल्लत है पानी नहीं मिल पा रहा है, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब शासन ने जल संस्थान को नगर महापालिका में विलय कर दिया फिर कौन सी मजबूरी के कारण जल संस्थान जिसका विलय हो गया था उसको अलग कर दिया गया ?

श्री हुकुम सिंह–

जल संस्थान तो नगरमहापालिका से अलग था ही । मान्यवर 1975 में इसका गठन किया गया अब निर्णय इसमें यह लेना था कि इसको विलय किया जाए या नहीं ? तो हमने इसका विलय तो कर दिया था लेकिन जनहित में फिर इस निर्णय को बदलना पड़ा ?

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, मेरे पूछने का आशय इतना था कि जब शासन ने जल संस्थान का नगर महापालिका में विलय कर दिया और सारे समाचार-पत्रों में यह छप गया, तो कौन सी मजबूरी थी कि विलय के बाद उसको अलग कर दिया ?

श्री हुकुम सिंह–

इससे पहले माननीय सदस्य आगरा ने कहा था और आपने भी पूछा, और मैंने निवेदन भी किया कि जनहित को देखते हुए निर्णय को बदलना पड़ा ।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में जो जल संस्थान काम कर रहे हैं उनका विलीनीकरण करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

कवाल टाउन एरिया में विलय करने का निर्णय लिया गया है बाकी जगहों में विलय का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जल निगम निर्माण का कार्य करता है और जल संस्थान उनको चालू करके पैसा वसूल करने का, तो जल निगम द्वारा जो योजनायें चलाई जा रही हैं उन सारी योजनाओं के खर्च की बैलेन्स शीट तैयार करके नहीं भेजी गई हैं और बैंक ने पैसे देने के लिए यह शर्त रखी कि जो पैसा लेगा वही पैसा देगा, तो मान्यवर, खर्च करने वाला तो जल निगम है और वसूल करने वाला जल संस्थान है, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि श्री ए0 पी0 सिंह की हठ धर्मिला के कारण जल निगम को जल संस्थान में विलय करने का फैसला दिया गया है ?

श्री हुकुम सिंह–

मैंने इसका उत्तर दे दिया कि जल संस्थान के बारे में शिकायतें हो रही थीं । नगरपालिका का एक स्टाफ वसूली का काम करता है और जल संस्थान का एक स्टाफ वसूली का काम करता है तो दोनों ही एक जैसा कार्य करते हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, 12 वर्ष बाद तो घूरे के दिन भी फिर जाते हैं । सरकार ने बारह वर्ष बाद एक निर्णय लिया और मात्र 12 दिन की धमकी-हड़ताल से फैसला बदल दिया गया ? क्या विलीनीकरण करने से यह लोग हड़ताल भी कर सकते हैं ?

तो उसके लिये शासन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की और क्या सरकार इस बात से सहमत है कि सरकार 12 दिन की हड़ताल की बात से झुक गयी और आपने हड़ताल करने वाले कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया कि वह हड़ताल करके निर्णय बदलवा लें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बरार साहब सहमत होंगें कि यह 12 का शब्द ही कुछ ऐसा है कि इससे चिंतित होना पड़ता है । जो कार्यकलाप हमारे सामने आते हैं और जो जानकारी मिलती है उसको देखकर ही निर्णय लिया जाता है । 10 या 12 साल की बात नहीं है । गरमी के दिन थे हड़ताल हो गयी थी और जल आपूर्ति का संकट पैदा हो गया था । उन्होंने भी कुछ बिन्दु उठाये थे तो इन सारी बातों पर विचार करने के लिये एक समिति गठित कर दी गयी है ताकि पूरे प्रकरण पर विचार हो जाय । इसके बाद निर्णय ले लिया जायगा ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जल निगम जो योजनायें निर्मित करता है वह घटिया तरीके से निर्मित की जाती है। यह योजनायें जल संस्थान को हस्तानान्तरित की जाती है । ऐसी भी जानकारी आयी है कि जलनिगम वाले पैसा देकर जलसंस्थान को योजनायें हस्तानांतरित कराते हैं । जब कोई शिकायत योजना में आती है तो जलनिगम वाले कहते हैं कि हमने जल संस्थान को योजना हस्तान्तरित कर दी है और जल संस्थान वाले कहते हैं कि जल निगम ने योजना खराब बनायी है । जल संस्थान के पास स्टाफ नहीं है । ए0 ई0 और ई0 ई0 को 3-4 हजार रुपये भी खर्च करने का पावर नहीं है । जब कोई योजना खराब हो जाती है तो जी0 एम0 तक मामला जाता है जिसमें बहुत देर लगती है । इस बात को देखते हुये अब जो योजनायें बन रही हैं उनमें ज्यादातर रख-रखाव जल निगम कर रहा है तो क्या सरकार जल संस्थान को पूरी तरह से खत्म करके रख-खाव और निर्माण का काम केवल जल निगम के ऊपर डालने पर विचार करेगी या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जल संस्थान तथा जल निगम के कार्यकलापों के बारे में भिन्न-भिन्न राय भिन्न-भिन्न माननीय सदस्यों की होनी स्वाभाविक है । जैसा मैंने निवेदन किया था कि एक समिति गठित कर दी गयी है । सारी बातें जो हैं उन पर विचार करने के बाद हम सही निर्णय पर पहुंच पायेंगे ऐसा मेरा विश्वास है ।

(तारांकित प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर)

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, एक प्रश्न मुझे कर लेने दें ।

श्री अध्यक्ष–

अब नहीं, आप कृपया बैठें । काफी समय हो गया है ।

श्री बदन सिंह–

यह निर्णय जन विरोधी है । मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री बदन सिंह सदन त्याग कर चले गये)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

पिथौरागढ़ जनपद में एक नयी तहसील खोलने की मांग

*1–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में एक नई तहसील खोलने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? इस हेतु क्या विकास खण्ड बेरीनाग के मुख्यालय बेरीनाग में तहसील खोलने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन रखा गया है ? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो वह कौन सी जगह है जहां पर तहसील खोलना प्रस्तावित है और वहां पर तहसील कब तक खोल दी जाएगी ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ में किसी भी स्थान पर तहसील स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में एक नयी तहसील खोलने के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसका प्रस्ताव नहीं है । माननीय मंत्री जी को ज्ञात होगा कि जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड गंगोली हाट तथा बेरीनाग में से किसी एक जगह पर तहसील बनाने की लंबे समय से कार्यवाही चल रही है और अधिकारियों से प्रस्ताव आये थे । पिछले साल मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी और अखबारों में भी यह बात आयी थी कि दूसरी तहसील गंगोली हाट में स्थापित कर दी जायगी। तो इस तरह विकास खंड बेरीनाग और गंगोली हाट की जनता में आपस में फूट और वैमनस्य पैदा हो गया । तो क्या इन प्रश्नों को देखते हुये इन दोनों में से किसी एक जगह पर तहसील स्थापित करने के लिये आपके पास संस्तुति आयी है ? यदि आयी है तो उसका आधार क्या है और कौन से मानकों के आधार पर आपके पास प्रस्ताव आया है ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, समिति द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में किसी भी स्थान पर तहसील स्थापित करने की कोई संस्तुति नहीं हुई है । माननीय सदस्य को यह जानकार खुशी होगी कि समिति ने गंगोलीहाट में एक उप तहसील की स्थापना हेतु संस्तुति जरूर की है । मैंने कहा कि वह मामला विचाराधीन है और उसकी स्थापना पर कार्यवाही हो रही है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तहसील और उप तहसील किसी भी जनपद में स्थापित करने के क्या-क्या मानक हैं और उसके लिए कमेटी को क्या-क्या गाइड लाइन देती है जिस पर यह पुनर्गठन का काम करता है ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, एक पहाड़ी क्षेत्र में जो इसके लिए पटवारी क्षेत्र शामिल किया जाता है । उसमें पिथौरागढ़ में किसी भी स्थान पर कोई भी एरिया नहीं मिल रहा है । आपने कहा पटवारी क्षेत्र के लिए . . .

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा, आप मेरे प्रश्न को नहीं समझे । मैंने यह कहा कि जो आप तहसीलों और उप तहसीलों के निर्माण के लिए कमेटी का गठन करते हैं उनको क्या-क्या गाइड लाइन देते हैं तथा तहसील और उप तहसील स्थापित करने के क्या मानक है, इनको स्पष्ट बताने की कृपा करें ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक नयी तहसील की स्थापना के लिए, सरकार ने पहाड़ी क्षेत्र में 45 पटवारी क्षेत्र का मानक निर्धारित किया है और मैदानी एरिया में तहसील की स्थापना के लिए 110 लेखपाल सर्किल का मानक होता है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर तहसील पुनर्गठन समिति की संस्तुति और उसकी रिपोर्ट मेरे सवाल के जबाब में माननीय मंत्री जी ने दी थी जिसकी सूची मेरे पास है । इस कमेटी का गठन सन् 1982 में राजस्व परिषद् के अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुआ था । तहसील पुनर्गठन समिति ने मैदानी क्षेत्र में 28 स्थानों पर तथा पर्वतीय क्षेत्र में एक स्थान पर तहसील स्थापित करने की संस्तुति की थी तथा 4 स्थानों पर उप तहसीलें स्थापित करने के लिए संस्तुति दी थी, जिसे 12 अप्रैल को कैबिनेट मंत्रि-परिषद् ने पुष्टि किया था । तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि तहसील पुनर्गठन समिति की जहां संस्तूतियां थीं वहां तहसील न स्थापित करके मनमाने तरीके से, संस्तुति की उपेक्षा करके अन्य स्थानों पर तहसीलें स्थापित करने का क्या कारण है जैसे देवरिया जनपद में तमुकुही, गोरखपुर में खजनी तहसील की स्थापना की गयी, जब कि देवरिया जनपद में करया तथा गोरखपुर में चौरी-चौरा की संस्तुति की गयी थी ? माननीय मंत्री जी इसका कारण बताने की कृपा करेंगें तथा कब तक जहां संस्तुति हुई वहां पर तहसीलों का गठन करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, , उपेक्षा का कोई प्रश्न नहीं उठता है । जो समिति ने संस्तुति की है उसमें अभी 14 तहसीलें और 3 उप तहसीलों की स्थापना शेष है । जैसे ही वित्तीय संशाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो जायेगी इनको पूरा कर दिया जायेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरा स्पष्ट आरोप है कि राजनीतिक दुर्भावना से इन्होंने जहां से विपक्षी सदस्य चुनकर आये हैं वहां तहसीलों का गठन नहीं किया और अन्य स्थानों पर कर दिया है इसका क्या कारण है ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, बहुत सारी चीजें जो संस्तुति में आई थी, उसके आधार पर उनकी स्थापना हो गयी । कुछ कारणों से और प्रशासनिक दृष्टिकोण से कुछ कार्य करने पड़ते हैं ।

(व्यवधान)

श्रीमती शशि शर्मा–

मान्यवर, राजस्व परिषद् ने जो तहसील खोलने की संस्तुति की थी उसमें दूरी को सही नहीं दिया। पडरौना जो 10 कि0 मी0 दूर है इसलिए कसया में तहसील खोलना सम्भव नहीं था। (व्यवधान) वह इस दूरी को देखते हुए तमकुही में तहसील बना दिया गया उसमें ट्रेजरी बगैरह खोलने की कब तक व्यवस्था करेंगे और जो नयी तहसील खोली गयी है उसको कब तक पूरे संशोधन देने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, जब तहसील की स्थापना की विधिवत घोषणा हो गयी है । इस संबंध में औपचारिकतायें होनी हैं, जिन औपचारिकताओं की अपेक्षा है, जब वह पूरी हो जायेंगी, इस संबंध में कार्यवाही की जायेगी ।

श्री शेर बहादुर सिंह–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित मैं जानना चाहता हूं कि फैजाबाद जनपद में जलालपुर जो तहसील है तथा तमकुही राज में जो तहसील खोली गई है क्या इसका प्रस्ताव संस्तुत है । यदि संस्तुत है तो क्यों नहीं खोली गई । कब तक खोलने की प्रक्रिया चालू करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

फैजाबाद जनपद में जलालपुर का प्रस्ताव किया गया ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन स्थानों के नाम से तहसीलें खोली गई हैं उनके हेड क्वार्टर वहीं पर रहेंगे और तहसील के भवन नहीं बनाये जायेंगे?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, आपके संज्ञान में है आप जानते हैं । जहां जनपद होता है हेड क्वाटर, भौगोलिक स्थिति, उसकी उपयोगिता को दृष्टि में रखकर तय किया जाता है । इस समय भी उसी हिसाब से भौगोलिक स्थिति, उपयोगिता आदि को दृष्टिगत करते हुए तय करेंगे ?

श्री मैनेजर सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव है उसमें 25 तहसील खोलने का निर्णय लिया गया । बलिया में बैरिया तहसील खोलने का निर्णय हुआ । क्या उसको खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मैंने प्रारम्भ में ही यह निवेदन किया था कि 14 तहसीलें 3 उप तहसीलों की स्थापना की संस्तुति की थी । उनकी स्थापना नहीं हो पाई । वित्तीय संसाधनों की उपयुक्तता पर दृष्टिपात कर लिया जायगा, तत्पश्चात कार्यवाही की जायेंगी ।

श्री दलजीत सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मथुरा जनपद में महा वन में तहसील खोलने का विचार क्या सरकार कर रही है ? इसके लिए मांग को देखते हुए क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री गौरी शंकर–

ऐसा कोई भी विचार मेरे संज्ञान में नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक नीति विषयक तथ्य माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जो इस प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न हुआ । क्या माननीय मंत्री जी बताने कृपा करेंगे कि शासन की ओर से कमेटियों का गठन इसलिए होता है कि वह विस्तार के साथ सभी पहलुओं पर विचार करेगी और अपना प्रतिवेदन देगी । इस कमेटी ने सभी पहलुओं पर विचार करके संस्तुति की कि किन-किन स्थानों पर तहसीलें खोली जाय ? अब वित्तीय संसाधनों का बहाना लेकर उस कमेटी की रिपोर्ट को पीछे कर दिया है। वे कौन से कारण हैं जिनके तहत शासन ने स्वयं फैसला कर लिया कि फलां जगह वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जायेंगे और वहां तहसीलें खोल दी जायेंगी। कमेटी की सिफारिश को कोने में रखकर मंत्रिमंडल ने स्वयं फैसला करके वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध करके अपने हिसाब से कार्यवाही कर ली । इस नीति के बारे में माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं ?

श्री गौरी शंकर–

मैंने पहले ही कहा है कि समिति ने निर्णय किया था उसकी संस्तुतियां थीं उनके अनुसार ही किया गया। समिति की रिपोर्ट आई रिपोर्ट को पूरा करने के लिए वित्तीय साधन नहीं हैं। मंत्रिमंडल ने समिति की सिफारिशों को देखा। उसके लिए वित्त के संबंध में विचार हुआ ....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। मेरा नीति विषयक प्रश्न है। जब समिति ने संस्तुतियां की थीं तो उनको ताक पर रख दिया गया।

श्री गौरी शंकर–

उन संस्तुतियों के अनुरूप ही इन तहसीलों की स्थापना हुई है। वहां जनहित में और प्रशासनिक दृष्टि से जो आवश्यक होता है उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है। ऐसा नहीं है कि उपेक्षा हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

मैं यह देख रहा हूं कि जितनी तहसील खोली जायं उतनी ही कम पड़ती जाय।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि प्रशासनिक दृष्टि और जनहित को ध्यान में रखते हुए तहसील खोलनी पड़ी और उन्होंने वित्तीय संसाधन जुटाकर इसका प्रबन्ध कर लिया तो वे विशेष प्रशासनिक कारण क्या हैं और किन-किन जगह पर सिफारिश के अलावा तहसील खोली है? क्या वह प्रशासनिक परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके आधार पर आपने अभी देहरादून को गढ़वाल मंडल से अलग करने पर विचार किया था और हरिद्वार को जनपद बनाया था और वहां पर अशान्ति का वातावरण उत्पन्न हुआ। क्या आप चाहते हैं कि प्रदेश की जनता इस बात पर विचार करे न कि वहां पर अशान्ति फैल सके तब आप तहसील खोलेंगे?

श्री गौरीशंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, वह आबादी का घनत्व तो मुख्य बिन्दु होता ही है, उसके बाद उनकी जो चिन्ता है उस चिन्तन पर आगे भी विचार हो रहा है। जहां तक आपने प्रशासनिक दृष्टिकोण की बात कही है प्रशासनिक शब्द अपने आप में बहुत व्यापक होता है और इस समय जनहित में उस पर चर्चा करना उचित नहीं होगा।

*2–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

*3–श्री हृदय नरायन दीक्षित तथा श्री अशोक बाजपेई–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

[शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई, 1987 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री कौशिक रमाशंकर–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

प्रदेश में कार्यरत बृहद तापीय एवं जल विद्युत गृहों में विद्युत उत्पादन व्यय

*2–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कार्यरत बृहद तापीय एवं जल विद्युत गृहों में प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन व्यय कितना-कितना आता है? क्या मंत्री जी यह सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे कि उत्पादन व्यय के आधार पर प्रदेश की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर लिया जाय तथा तापीय विद्युत गृहों की परियोजनाओं को प्रारम्भ करने पर तब तक प्रतिबन्ध लगा दिया जाय जब तक कुल उत्पादन का कम से कम दो तिहाई विद्युत उत्पादन जल विद्युत से न होने लग जाय? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)–

वर्ष 1986-87 में अनआडिटेड लेखा के आधार पर बृहद तापीय विद्युत की उत्पादन लागत 63.03 पैसे प्रति यूनिट तथा जल विद्युत की उत्पादन लागत 24.69 पैसे प्रति यूनिट आंकलित की गयी है। निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं पर कार्य की गति बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में विद्युत की मांग और उपलब्धता के बीच के भारी अन्तर के परिप्रेक्ष्य में नये तापीय विद्युत गृहों को प्रारम्भ करने पर प्रतिबन्ध लगाना सम्भव नहीं है।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विद्युत परिषद् के जो तापीय विद्युत गृह हैं और जो जलीय विद्युत गृह हैं इन दोनों के द्वारा पिछले दस वर्षों में या प्रत्येक वर्ष, जो आंकड़े उनके पास उपलब्ध हों, उसके अनुसार बतायें कि जलीय विद्युत परियोजनाओं से अब तक कितना आप लाभ प्राप्त कर चुके हैं और थर्मल की उत्पादन लागत अधिक है, तापीय परियोजनाओं से आपकी परिषद् को कितना घाटा हुआ है और जलीय विद्युत परियोजनाओं से कितना लाभ हुआ है?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, दोनों ही जल विद्युत और तापीय विद्युत के साथ ही हमारा सिस्टम चल रहा है। जल विद्युत से हमारा उत्पादन 1422 मैगावाट है और तापीय विद्युत से 3118 मेगावाट है। जो हमारा प्लान्ट लोड फैक्टर है उसकी मशीनों के रख-रखाव और उनके मेन्टीनेन्स का कार्य हम कर रहे हैं। जहां तक जल विद्युत परियोजना की बात है यह रन आन दि रीवर, नदियों पर है। जो जलाशय है इनको केवल हम जब आवश्यकता होती है, पीक आवर्स में, तभी हम इनको चलाते हैं रिहण्ड में इसमें कई मशीनें हैं 300 मेगावाट और 391 मेगावाट क्षमता की है। दूसरे रामगंगा परियोजना भी है जो मल्टीपर्पज है, सिंचाई के काम भी आती है। यह 198 मेगावाट की है। दूसरा जलाशय माता बोध झांसी में है। इन जलाशयों को केवल हम पीक आवर में लेते हैं और इसके द्वारा विद्युत का उत्पादन करते हैं और जिस समय हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, उस समय का भी फायदा उठाते हुए बिजली उत्पादित कर लेते हैं और रन आन दि रीवर जो नदियों पर बनी होती हैं, वह तो श्रीमन्, जब पानी उपलब्ध होता है, तभी उनसे उत्पादन किया जाता है और मान्यवर, जलीय विद्युत और तापीय विद्युत दोनों एक साथ चलाना पड़ता है क्योंकि इस समय जो हमारी मांग है और जो हमारी उपलब्धता है, इनको देखते हुए श्रीमन्, हमें ऐसा करना पड़ रहा है।

श्री जयदीप सिंह बरार--

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि सेण्ट्रल इलेक्ट्रिक अथारिटी और प्लानिंग कमीशन दोनों ने उत्तर प्रदेश सरकार को समय समय पर यह सिफारिश की है कि दो-तिहाई अर्थात् कम से कम 65 पावर विद्युत उत्पादन हो जाना चाहिए क्या इस बात को देखते हुए हालांकि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जलीय विद्युत और तापीय विद्युत के अलग-अलग खर्चों का एकाउन्ट रख पाना सम्भव नहीं है हालांकि होता यही है जब यह दोनों डैम बनते हैं तो दोनों के वास्तविक खर्चे दिए रहते हैं और उनमें यह भी होता है कि किसमें कितना खर्च होगा और किससे कितना-कितना उत्पादन होगा और उससे लाभ कितना होगा और जब कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं एक दफा अपने भाषण के दौरान कहा था कि हमारी जो जलीय विद्युत परियोजना कार्यरत है, उससे हमें 800 अरब रुपये पहले अंश में अर्जित कर चुके हैं।

श्री सुनील शास्त्री–

जैसा कि माननीय सदस्य ने कह ही दिया कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने किसी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि 800 अरब रुपया जल विद्युत से व सिंचाई आदि से अर्जित कर चुके हैं, यह सही है, लेकिन हम ऐसा कोई विश्लेषण नहीं करते हैं कि तापीय विद्युत का क्या एकाउन्ट है और जलीय विद्युत का अलग एकाउन्ट रखें। विद्युत की आवश्यकता तो हमेशा रहती है इसलिए फर्म पावर किसी एक से नहीं लेते हैं। यहां तो अगर तापीय विद्युत में कोयले की कमी महसूस हुयी तो उसे न रेल से भेजा तो ट्रकों से भेज देंगे। प्रयास हमारा यही रहता है कि वहां पर किसी प्रकार से कोयले की कमी न रहे तो इस स्थिति में हमें उससे लाभ मिल जाता है और टेहरी बांध 2,400 मेगावाट की है लेकिन एक समय में 400 मेगावाट से ज्यादा उत्पादन हमको नहीं मिलेगा क्योंकि 250 मेगावाट की 4 मशीनें हैं। पीक आवर्स में 4 घंटे में एक हजार मेगावाट फर्म पावर हमें जो मिलती है, फर्म पावर हम उसे कहते हैं जो बराबर बिजली मिलती रहे तो इस प्रकार से 24 घंटे में 400 मेगावाट मिलती है और जहां तक लागत की बात है एक करोड़ रु0 में एक मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको फर्म पावर की आवश्यकता होती है तो 400 तापीय परियोजना बनाते हैं और इससे अगर 60 प्लान लोड फैक्टर आ जाता है तो 250 मेगावाट फर्म पावर मिल जाती है तो 900 मेगावाट हमें 2400 मेगावाट के विपरीत फर्म पावर मिलेगी, इसलिए इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने बजट में कहा था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में खारा की योजना है, उसमें 3 मशीनें 24 मेगावाद की लगेंगी, आठवीं पंचवर्षीय योजना में मनेरी भाली में 4 मशीनें 76 मेगावाट की लगनी हैं। श्रीनगर में 6 मशीनें 53.45 मेगावाट की लगनी हैं, लखवाड़ व्यासी में 3 मशीनें 100 मेगावाट की तथा 2 मशीनें 60 मेगावाट की लगनी है और विष्णु प्रयाग में 4 मशीनें 120 मेगावाट की लगनी हैं। तो श्रीमन्, जिस समय बिजली की आवश्यकता हो, जलाशयों में अधिक से अधिक पानी रहे, अधिक से अधिक बिजली का उत्पादन करके सस्ती बिजली पैदा करके एक ऐसा औसत बनाने के लिए कि इक्नामिक वायबिलिटी विद्युत परिषद् की रहे, जिस दर पर बिजली का उत्पादन हो, उस दर पर हम उपभोक्ताओं को पहुंचाना चाहते हैं।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को क्या कठिनाई है, यह बताने में कि तापीय विद्युत के उत्पादन पर क्या व्यय हो रहा है और जल विद्युत के उत्पादन पर क्या व्यय हो रहा है, रिहन्द में जल विद्युत है, तो रिहन्द में जो विद्युत उत्पादन है, उस पर प्रति यूनिट कितना व्यय हो रहा है और इसी हिसाब से ओबरा में जो प्रति यूनिट व्यय हो रहा है, इनको यह बताने में क्या कठिनाई है कि रिहन्द में जल विद्युत उत्पादन में और ओबरा में तापीय विद्युत के उत्पादन की दर में क्या फर्क है?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, मैं अपने उत्तर में पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि तापीय विद्युत पर 63.03 पैसे प्रति यूनिट तथा जल विद्युत पर 24.69 पैसे प्रति यूनिट खर्च आ रहा है।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत लम्बा उत्तर दिया, परन्तु मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहा कि जलीय विद्युत से हर समय स्ट्रेट पावर नहीं मिलती और उसे कम ज्यादा करना पड़ता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस आधार पर यह बताने की कृपा करें कि पिछले पांच वर्षों में जलीय विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता का कितने प्रतिशत विद्युत पैदा हुई और तापीय से कितनी हुई, क्योंकि यह अरबों रुपये का मामला है, क्या ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि जलीय विद्युत वाले खर्चों को देखते हुए जलीय विद्युत से कितनी प्राप्ति हुई और कितना लाभ हुआ और तापीय विद्युत में कितना खर्च हुआ और कितनी प्राप्ति हुई ? क्या भविष्य में इसका अलग-अलग एकाउन्ट रखेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, यह एक अच्छा सुझाव है । दोनों में क्या अन्तर है, इसका पूरा विश्लेषण होने की आवश्यकता है, इस पर विचार कर लेंगे । मैं जल विद्युत की बात कह रहा हूं कि उसका लक्ष्य हम पहले निर्धारित कर लेते हैं, जलाशयों और नदियों के जल स्तर को देखते हुए और उस लक्ष्य का शत प्रतिशत विद्युत उत्पादन हमने पिछले वर्षों में किया।

*3--श्री मयंकर सिंह तथा श्री रिछपाल सिंह बंसल--

[दिनांक 26-6-87 को ता0 प्र0 सं0 2 द्वारा उत्तरित]

*4--श्री महेन्द्र भाटी--

[7 वें बुधवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों की सेवाओं को नियमित करने हेतु हुई बैठक

*5--कर्नल केशरी सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सैनिक कल्याण विभाग में जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के पदों पर गत 11 वर्षों से अस्थायी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के साथ संविदा पर प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियुक्त सेना से विनियोजित इमरजेन्सी/शार्ट सर्विस/पेंशन प्राप्त अधिकारियों की सेवाओं को नियमित करने हेतु दिनांक 13-1-86 को हुई बैठक में उन्होंने आदेश दिया था, तत्पश्चात् 20 अक्टूबर, 1986 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इन अधिकारियों को पेंशन एवं ग्रेच्युटी अनुमन्य करने हेतु उच्च स्तरीय निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

जी हां, कथित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1975 के उपरान्त सैन्य सेवा से पेंशन अप्राप्त विनियोजित अधिकारियों जिनकी नियुक्ति जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारियों के पदों पर प्रसंविदा पर को गयी थी को पेंशन एवं ग्रेच्युटी दिए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाय अतः यह प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

कर्नल केशरी सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जून सन् 84 में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि इन अधिकारियों की सेवाओं का नियमितीकरण कर दिया गया है और यह बात उस समय के अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में छपी थी कि मुख्य मंत्री ने घोषणा की है । इसके बाद भी केन्द्र सरकार ने इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उसने भी संस्तुति की जो सुदृढ़ीकरण के लिए कमेटी बनाई गयी है, उसने भी संस्तुति की । तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने निर्णय लिया था कि इनकी सेवाओं का नियमतीकरण कर दिया जायेगा । अगर यह सही है, तो उसके कार्यान्वयन में विलम्ब क्यों है ? मान्यवर, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी इस प्रदेश के लगभग 15 लाख भू0 पू0 सैनिकों के पुनर्योजन के लिए जिम्मेदार है । 16 हजार भूतपूर्व सैनिक प्रतिवर्ष प्रदेश में और हो जाते हैं, उनके पुनर्योजन के लिए भी वे जिम्मेदार हैं, जो दूसरे के पुनर्योजन के लिए जिम्मेदार है, खुद उनकी सेवा नियमित नहीं है । यह नियमितीकरण की कार्यवाही कब तक सुनिश्चित कर ली जायेगी ? इसके अतिरिक्त मान्यवर, 1986 में उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था, इन अधिकारियों को पेंशन एवं ग्रेच्युटी अनुमन्य करने हेतु निर्णय लिया गया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि उक्त निर्णय के कार्यान्वयन में भी क्या विलम्ब है और इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ? शासन के आदेश इस संबंध में कब तक पारित हो जायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, इस प्रकरण के ऊपर कई वर्षों से बात चल रही है और मैंने अभी निवेदन किया कि इस संबंध में यह मामला शासन के विचाराधीन है । एक बैठक भी हुई थी जिसमें इसके ऊपर यह निर्णय लिया गया था कि सब बातों को देखकर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह बात सही है कि हमारा जो सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासन विभाग है उसमें बड़ी जिम्मेदारी का काम है । जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको हमको रिहेबिलेट करना है । इस विभाग में तीन प्रकार के अधिकारी कार्यरत हैं ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था का प्रश्न प्रश्नों के समय नहीं उठता । मंत्री जी अभी बोल रही हैं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

एक वह हैं जो 1975 से पूर्व जो शार्ट सर्विस कमीशन आफिसर थे, उन्होंने यहां पर कार्य-भार संभाला उनको जो वेतन मिलता है वह है 625-1240 । दूसरे प्रकार का कैडर वह हैं, जो कि सेना से रिटायर्ड जो आफिसर हैं और उनका अभी सेवाकाल बाकी है लेकिन वहां से रिटायर हो चुके हैं । वह हमारे विभाग में भी कार्यरत हैं और सेना में कई वर्षों से अपनी सेवा कर चुके हैं । तीसरे प्रकार के अधिकारी वह हैं जो शार्ट कमिशन आफिसर थे अब हमारे विभाग में वह काम कर रहे हैं । तीनों के जो पे-स्केल वगैरह और जो सर्विस रूल्स हैं, वह सब अलग-अलग हैं । इन्हीं बातों पर विचार हो रहा है कि कैसे इन लोगों के साथ न्याय किया जाय ताकि आगे चलकर कानून के वाइंट आफ व्यू से कोई डिफिकल्टी न हो ।

कर्नल केशरी सिंह–

मान्यवर, हमारे तीन प्रश्नों में से एक का भी उत्तर नहीं आया ।

मैंने यह जानना चाहा था कि क्या तत्कालीन मुख्य मंत्री ने जो निर्णय लिया था, जो अखबारों में भी छपा था, उसका इम्पलीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है ? क्या उनकी सेवाओं की नियमितीकरण की कार्यवाही हो रही है ? अक्टूबर, 1986 में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इन अधिकारियों को पेंशन एवं ग्रेच्युटी अनुमन्य करने हेतु जो निर्णय लिया गया था, उस पर शासन के कब तक आदेश पारित हो जायेंगे, कब तक वह निर्णीत हो जायेगा ?

इन्होंने तीनों में से एक का भी जवाब नहीं दिया, मैं अनुरोध करूंगा कि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दिलवा दें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

आपने जो प्रश्न किये हैं, उसमें पहला प्रश्न है कि अखबारों में इस बात की घोषणा हुई थी, तो अखबारों की बात मुझे इस समय ज्ञात नहीं है कि क्या निकला था । अगर उनकी कटिंग मिल जाय तो देख लूं । दूसरी बात यह थी कि कब तक विचार किया जायेगा, तो इसका उत्तर यह है कि शीघ्र ही कोई न कोई निर्णय करेंगे ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

यह मामला अधिकारियों के नियमितीकरण का जो 1975 से विचाराधीन है, 1987 हो गया, अभी तक इस पर माननीया मंत्री जी ने कोई निर्णय नहीं लिया । समय-समय पर माननीय मुख्य मंत्रियों, माननीय श्री श्रीपति मिश्र ने 16 जून, 1984 को आदेश जारी किये, वर्तमान मुख्य मंत्री माननीय वीर बहादुर सिंह ने 13-1-86 को इन अधिकारियों की बैठक में आश्वासन दिया और आदेश भी जारी किये । सचिव, सैनिक कल्याण परिषद ने 28 मार्च को वित्तीय और कार्मिक विभाग की संस्तुति के अनुसार आदेश बनाकर माननीया मंत्री जी के यहां भेजा है और माननीया मंत्री जी ने इस शासनादेश पर अपना निर्णय न देकर फिर वापस भेज दिया है । इस प्रकार यह मामला 75 से चला आ रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि कितने वर्ष या कितने दिन और लेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी –

मैंने अभी सविनय निवेदन किया कि हम लोग इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं वे सबके साथ न्याय करती हैं, उन्होंने अपनी सौत की जमीन छोड़ी या नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी –

आप अपने घर के लोगों से पूछिये ।

(हंसी)

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीया मंत्री जी ने जो कुछ बताया उस संबंध में एक आश्वासन चाहता हूं । आपने बताया कि इस श्रेणी में आपके पास तीन प्रकार के अधिकारी काम कर रहे हैं । कुछ लोग पिछले 10 साल से संविदा पर काम कर रहे हैं और उससे पहले के नियमित सर्विस पर

काम कर रहे हैं, जिनकी सेवा शर्तें नियमित हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जो पहले से काम कर रहे हैं और कई वर्षों से नियमित काम कर रहे हैं, उनका वेतनमान कम क्यों है और संविदा वालों का अधिक क्यों है ? यह भी आश्वासन चाहता हूं कि जब आप उनका नियमितीकरण करें तो इस बात का ध्यान रखने की कृपा करेंगी कि जो पहले से अधिकारी कार्यरत हैं, उनको वेतनमान में वरिष्ठता में इनसे ऊपर रखा जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मैंने अभी निवेदन किया और माननीय विधायक जी ने जो प्रश्न पूछा, पहले ही निवेदन कर चुकी हूं कि 1975 से पूर्व के अधिकारी एप्वाइंट हुए थे, वे शार्ट कमीशन अफसर थे, उनको जो मिल रहा है ग्रेड वह क्लास-3 से मिलना शुरू हुआ 625 से 1240 तक का ग्रेड और कुछ आफीसर्स उसके पश्चात् संविदा यानी कान्ट्रेक्ट बेसिस पर हुए । चूंकि वे संविदा पर आये थे उनको 1000 से 1900 तक का ग्रेड है, जो "क" श्रेणी में आता है यानी क्लास-1 श्रेणी में आता है । मैं आपको विश्वास दिलाती हूं माननीय सदस्य को कि सबके साथ न्याय किया जायेगा । यह हमारे भू0 पू0 सैनिक हैं, चाहे वे शार्ट सर्विस कमीशन के रहे हों चाहे रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन रहे हों । मान्यवर, 1947 के पूर्व का आजादी के पहले का इतिहास आप भी जानते हैं और यह बात 1947 की बाद की है कि भारत वर्ष के इतिहास में पहली बार हमारे सैनिकों ने विदेशियों को मार भगाया है । पहली बार भारत के इतिहास में किसी भी किसान का, वही किसान जिसके आप बड़े हमदर्द बनते हैं, किसान के कोई खेत का एक जर्रा या गेहूं का एक दाना जलाया नहीं जा सका । इस पवित्र भूमि पर महिलाओं में से किसी के आंचल को कोई छू नहीं सका, इस सबका श्रेय हमारे सैनिकों को है जो बर्फीली पहाड़ों की चोटियों पर, शिव के जटा-जूट में बैठ कर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप पहले बैठें । माननीय मंत्री जी मैं आपसे ही मुखातिब हूं कि यह भू0 पू0 सैनिकों का मामला है, सदन की भावना को देखते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस मामले को आप जल्दी खत्म करायें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी अच्छा ।

आजमगढ़ में पौष्टाहार योजना में व्यापक अनियमितता की जांच

*6–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जनपद में पौष्टाहार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में लगभग 35 लाख रुपए की खिचड़ी आपूर्ति में व्यापक अनियमितता की जांच उप विकास आयुक्त गोरखपुर द्वारा करायी जा रही है ? यदि हां, तो जांच बिन्दु क्या है तथा अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रघुबर दयाल धर्मा–

श्रीमन्, मेरे सवाल को आप देखें कि मेरा एक सीधा सा सवाल है जिसे मैंने 25-4-87 को पूछा था कि क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जनपद में पौष्टाहार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में लगभग 35 लाख रुपए की खिचड़ी आपूर्ति में व्यापक अनियमितता की जांच उप विकास आयुक्त, गोरखपुर द्वारा करायी जा रही है ?

(इस समय 12 बजकर 8 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्रीमन् यह सीधा सवाल है कि गोरखपुर में जो खिचड़ी का आवंटन हुआ उसकी जांच क्या उप विकास आयुक्त, गोरखपुर कर रहे हैं या नहीं । इसका जवाब मंत्री जी दे रही हैं कि "सूचना एकत्र की जा रही है" । मा0 मंत्री जी स्पष्ट बतायें कि इसकी जांच उप विकास आयुक्त कर रहे हैं या नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मैंने सविनय निवेदन किया कि इसकी सूचना एकत्र की जा रही है ।

(मा0 उपाध्यक्ष द्वारा श्री मैनेजर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पाण्डे–

मंत्री जी की कृपा से विभूति सेठ साधन सहकारी समिति, फरेंदा, गोरखपुर में चला गया ।

श्री मैनेजर सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह प्रश्न अप्रैल में किया गया था और यह सीधा सा सवाल था, इसमें सूचना एकत्र की जा रही है, यह कौन सा जवाब है ? अरे, जांच हो रही है या नहीं हो रही है, आप यह बतायें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, इसके बारे में सूचना मांगी जा रही है ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, समय समय पर सत्ता पक्ष के इस प्रकार के रवैये के कारण व्यवधान उत्पन्न होता है । माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे असंतोष होना स्वाभाविक ही है और विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों में आक्रोश उत्पन्न होता है । आप माननीय मंत्री जी को निर्देश दें कि जो प्रश्न किया जाये, उसका उत्तर ठीक से दें । यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आज नहीं तो कल दें और सदन में खेद प्रकट करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

कब तक उत्तर दे देंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना शीघ्रातिशीघ्र एकत्र करके आपको निवेदन कर दूंगी ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, क्या मेरी सूचना को सही मान कर, जो 35 लाख रुपये की खिचड़ी का मामला है, वह समाज कल्याण की बैठक में आया था और आपने कहा था कि यह गड़बड़ी की गयी है । 35 लाख रुपये की खिचड़ी, साधन सहकारी समिति, फरेंदा, गोरखपुर के प्रशासक जो श्री विभूति नारायन सेठ थे, का घोटाला किया है । 35 लाख रुपये का मामला है, और उसमें केवल 80 रुपये का फायदा हुआ है। क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर, सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगी । जो प्रशासक थे, वह नटवर लाल हैं, उन्हीं ने सप्लाई किया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह कह रही हैं कि सूचना की आवश्यकता है ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि क्या माननीया मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर इस पर कार्यवाही करेंगी । मैं कह रहा हूं और सूचना दे रहा हूं कि जो समाज कल्याण की बैठक हुई थी, उसमें माननीया मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि इस में गड़बड़ी हुई है । आप कार्यवाही को निकलवा कर देख लीजिये, अगर सही हो तो क्या कार्यवाही करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अगर ऐसा कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आयेगा, जैसा कि आपने कहा, मान्यवर तो वहां कार्यवाही की जायेगी। ऐसी जबरदस्त कार्यवाही की जायेगी कि आपका चित्त प्रसन्न हो जायेगा और देखते रह जायेंगे।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, इनका विभाग भ्रष्टाचार का घर बना हुआ है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस मामले की सारी जानकारी माननीय मंत्री जी को है। मिथिलेश पान्डे नाम की कर्मचारी वहां पर है, उनके कार्यकाल में 35 लाख रुपये का घोटाला हुआ है और वह आपके पी0 ए0 से सम्बन्धित है, आपके पी0 ए0 के निर्देशानुसार इस तरह का उत्तर माननीय मंत्री जी दे रही हैं। आपके पी0 ए0 के व्यवहार के कारण आपने इस गबन के मामले पर कार्यवाही नहीं की है । आपके पी0 ए0 जो मिश्रा हैं, उनका सम्बन्ध श्रीमती मिथिलेश पान्डे से है। इसलिये उनके निर्देशानुसार यह मामला दबाया जा रहा है। क्या आपको पत्रावली की जानकारी है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में जो भी दोषी अधिकारी होंगे, यदि भ्रष्टाचार किया होगा, कोई गबन किया होगा, तो उसको बक्शने का कोई प्रश्न नहीं उठता है और जितने भी अपने विभाग में भ्रष्टाचार के केसेज आये हैं, उनकी जांच कराकर सबके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की गयी है। इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी लेने का प्रयास बड़े उच्च स्तर पर हो रहा है। यह मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूं।

(व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया बैठें। मैं आपकी ही बात कह रहा हूं। मंत्री जी ने यह कहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है। तो जहां कहीं यह सवाल किया जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है तो उसका 15 दिन में जवाब आना जरूरी है। दूसरे शुक्रवार को इसका जवाब आ जायेगा।

(व्यवधान)

आप सब लोग एक साथ खड़े होकर पूछने लगते हैं। एक-एक करके पूछें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, यह सवाल 25-4-87 को दिया गया था और उसमें यह पूछा गया था कि उप विकास आयुक्त इसकी जांच कर रहे हैं। दूसरा सवाल यह पूछा गया था कि जो आपके पी0 ए0 हैं उनका मिथिलेश पाण्डे से संबंध है। यह वहां पर सेविका थी। उनके कार्यकाल में यह गड़बड़ी हुई है और 35 लाख रुपये का घोटाला हुआ है। उनको तो वहां से हटा दिया और यह मामला प्रकाश में न आये इसलिये इसको दबा दिया। मान्यवर, गरीबों की खिचड़ी को पी0 ए0 खा जाय, यह बहुत दुख की बात है। इस गंभीर मामले को 15 दिन के लिये टाल दिया, इससे और तकलीफ होती है। इसलिये मान्यवर, इस गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप के बारे में जांच के लिये आप एक सदन की कमेटी बनायें। बार-बार मंत्री जी कह देते हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, सूचना एकत्र करने वाले प्रश्न पर 15-15 मिनट लिये जायेंगे तो और प्रश्नों का क्या होगा?

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, वर्मा जी ने जो बात कही है उसमें मिथिलेश पांडे जो इसी विभाग के अधिकारी हैं, उनका वहां से ट्रांसफर हो गया है और वे एटा पहुंच गई हैं। मेरे पास वह पत्र नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें मिश्रा जी ने कहा है कि मैं जिसको चाहूंगा उसका ट्रांसफर कर दूंगा। सरकार का यह कहना है कि जांच हटा ली गई है। इसके लिये आपने कोई औचित्य पूर्ण कारण नहीं बताये हैं। मान्यवर, अगर उनके विभाग द्वारा जांच की जा रही है तो वह जांच निष्पक्ष नहीं हो पायेगी। क्योंकि आपके जो प्राइवेट सेक्रेटरी मिश्रा हैं, उनकी वजह से इसमें निष्पक्ष जांच नहीं हो पायेगी। इस लिये वर्मा जी ने जो बात कही है मैं भी उस पर बल देता हूं। इस पर आप सदन की एक तीन सदस्यीय कमेटी बना दें जो इन सारे तथ्यों की जांच करें। मिश्रा और मिथिलेश पांडे ने मिलकर 35 लाख रुपये का घुटाला किया है। इनके सम्बन्धों के कारण जांच नहीं हो पा रही है। इसलिए इसकी जांच सदन की कमेटी द्वारा कराने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

जैसा नेता विरोधी दल ने कहा, अभी यह सवाल चर्चा में नहीं आया। मंत्री जी ने कहा कि सूचना एकत्र की जा रही है। इसलिए चूंकि चर्चा में यह सवाल नहीं आया है, अभी कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। जहां तक नियमावली का सम्बन्ध है, शांति से सुनें करण 31 में कहा है कि यदि किसी प्रश्न के उत्तर में यह कहा जाय कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो इस उत्तर का आशय यह समझा जायेगा

कि सरकार उस प्रश्न को स्थगित कराना चाहती है और ऐसा स्थगन केवल दो सप्ताह के लिये होगा और अन्तिम माना जायेगा। इसलिए अभी उत्तर आया नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, एक बात सुन लें।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, माननीय मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी श्री मिश्रा से यह मामला संबंधित है।

(व्यवधान)

*7—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

गोरखपुर शहर की श्याम ट्रेडर्स फर्म द्वारा बिजली विभाग के तारों को चोरी से बेचने के संबंध में दर्ज मुकदमा

*8 श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा पहली सितम्बर, 86 को ऊर्जा एवं गृह मंत्री को दी गयी लिखित सूचना पर कि गोरखपुर शहर की श्याम ट्रेडर्स नामक फर्म बिजली विभाग का लाखों रुपया मूल्य का चोरी का तार बेचती है और इस फर्म द्वारा चोरी से उ0 प्र0 रा0 चीनी निगम इकाई, घुघली (गोरखपुर) के सामान्य प्रबंधक, श्री सुदामा प्रसाद श्रीवास्तव को बेचा गया तार 28-8-86 को स्थानीय पुलिस द्वारा मिल परिसर से बरामद किया गया जिसकी कीमत एक लाख रुपये से अधिक बतायी जाती है? यदि हां, तो विद्युत परिषद् का तार चोरी से बेचने वाली फर्म श्याम ट्रेडर्स एवं खरीदने वाले श्री सुदामा प्रसाद एवं मिल के अन्य संबंधित लोगों के विरुद्ध तत्काल मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं? इस कार्य में उदासीनता दिखाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*9—कुंवर रेवती रमण सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

फिरोजाबाद के सदर बाजार चौराहे पर करेंट से एक युवक की मृत्यु पर जांच तथा मृतक की विधवा को सहायता

*10–श्री सत्य प्रकाश विकल—

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि 14 सितम्बर, 86 को आगरा जनपद के फिरोजाबाद नगर के सदर बाजार गंज चौराहे पर ग्यारह हजार वोल्टेज की हाई टेन्शन विद्युत लाइन में करेंट आ जाने से 25 वर्षीय युवक शाहजाद की दर्दनाक मौत हो गयी और क्या यह भी सही है कि इस हाई टेंशन लाइन के पोल के लगाते समय न तो अर्थ के तार डाले गये और न अर्थ किया गया ? यदि हां, तो दोषी विद्युत कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा मृतक की विधवा को क्या सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कुमांऊ मण्डल में कतिपय जातियों को आरक्षण सूची में लेने की मांग

*11–श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि पर्वतीय क्षेत्र के कुमांऊ मण्डल में अनवाल, कोथलिया, बोरा व गन्दर्भ अलग-अलग जातियां आज भी बहुत ही दयनीय जीवन बिता रही है? क्या यह सत्य है कि शासन ने उन जातियों को ला जैसे भोटिया आदि जिनकी ये चाकरी करते थे, को अनुसूचित जाति-घोषित कर दिया है और जो उनके नौकर थे उन्हें आज भी आरक्षण की सुविधा से वंचित रखा गया है? यदि हां, तो क्या शासन अविलम्ब इन अनवाल, कोथलिया, बोरा, गन्दर्भ जाति के लोगों को भी आरक्षण की सूची में लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

भोटिया जाति को अनुसूचित जाति नहीं बल्कि अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है किन्तु अनवाल कथलिया बोरा व गन्दर्भ जातियां अनुसूचित जनजाति घोषित न होने के कारण उन्हें आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है।

किसी जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार केवल भारत सरकार को है।

अतः यह विषय केन्द्र सरकार से संबंधित होने के कारण इन जातियों को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं है।

गीता भवन परमार्थ निकेतन, पौड़ी गढ़वाल के कर्मचारियों को श्रम कानून का लाभ

*12–श्री शारदा प्रताप—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गीता भवन परमार्थ निकेतन, पौड़ी गढ़वाल के कर्मचारी श्रम कानूनों की परिधि में आने के बावजूद भी श्रम कानूनों का लाभ नहीं पा रहे हैं ? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है तथा इतने विलंब से कर्मचारियों को श्रम कानून का लाभ न मिल पाने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और क्या दोषी अधिकारियों को श्रम कानून लागू न करा पाने के संबंध में दण्डित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम मंत्री (श्री सैयद सईदुल हसन) —

गीता भवन परमार्थ निकेतन, पौड़ी गढ़वाल धार्मिक संस्थाएं हैं तथा इनके द्वारा संचालित केवल कुछ ही प्रक्रियाओं में नियोजित कर्मचारी न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की परिधि में आते हैं। उ0 प्र0 दुकान कानून और वाणिज्य अधिष्ठान, 1962, कारखाना अधिनियम, 1948, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 तथा स्थाई आदेश अधिनियम, 1946 के प्राविधान इस प्रतिष्ठान में लागू नही हैं। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत इस प्रतिष्ठान के निरीक्षण वर्ष, 1985 में किये गये तथा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किये जाने के मामलों पर 6 निर्देशवार दायर किये गये और अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख न रखने के उल्लंघन पर सेवायोजकों के विरुद्ध दो प्राभियोजन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के समक्ष दायर किये गये। निरीक्षण के उपरान्त उक्त दोनों संस्थाओं के सेवायोजकों ने अपने कर्मचारियों को वेतन वृद्धि, आवास भत्ता तथा अवकाश आदि की सुविधा आपसी समझौते द्वारा प्रदान कर दी। स्पष्ट है कि श्रम कानूनों का पालन किया जा रहा है तथा कोई विभागीय अधिकारी इस संबंध में दोषी नहीं है। अतः उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

*13—श्री मित्रसेन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*14—श्री बेनी प्रसाद—

[5वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*15—श्री सरदार सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

हवाई अड्डा, खेडिया आगरा हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*16—श्री बदन सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की तहसील आगरा के पथौली व बलहेरा ग्रामों की 935 बीघा कीमती कृषि भूमि हवाई अड्डा खेडिया, आगरा के निर्माण के लिए वर्ष 1985 में अधिगृहीत कर ली गई थी ? यदि हां, तो शासन ने भूस्वामी कृषकों को अभी तक मुआवजा क्यों नहीं दिलवाया है?

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य) —

जनपद आगरा में स्थित ग्राम पथौली, बलेहरा एवं नमला बसुआ में स्थित कुल 859-1-10 बीघा भूमि का अस्थाई अधिग्रहण दिनांक 5-7-1966 के आदेशानुसार रक्षा मंत्रीलय, सरकार के ब्लास्ट मेन्स स्कीम के लिये किया गया था। बाद में, यह भूमि आर0 ए0 आई0 पी0 एक्ट, 1952 के अन्तर्गत स्थाई तौर पर अर्जित कर ली गई थी और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अध्याप्ति संस्थान के प्रतिनिधि मिलेट्री स्टेट आफिसर, आगरा से प्रतिकर निर्धारण के लिये परामर्श किया गया तथा अनुमानित प्रतिकर रु0

20,69,998 (बीस लाख उनहत्तर हजार नौ सौ अट्ठानवे) का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया। रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमानित प्रतिकर की 80 प्रतिशत धनराशि रु0 16,12,800 (सोलह लाख बारह हजार आठ सौ) की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर संबंधित भू-स्वामियों को, प्रपत्र 'एल' पर अनुबन्ध निष्पादित कराये जाने के उपरान्त, वितरित किया गया। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने पूर्व में स्वीकृत 16,12,800 (सोलह लाख बारह हजार आठ सौ) रुपये की धनराशि के स्थान पर, अपने आदेश दिनांक 17-2-76 द्वारा कुल रु0 12,86,700 (बारह लाख छियासी हजार सात सौ) की स्वीकृति प्रदान की। चूंकि भू-स्वामी देय प्रतिकर से संतुष्ट नहीं थे, इसलिये, इस अधिग्रहण के संबंध में अधिनियम के नियमों के प्राविधानों के अनुसार जिला जज, आगरा को अपने वर्तमान कार्यों के अतिरिक्त उक्त भूमि के लिये दिये जाने वाले प्रतिकर और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्हें ऐसा प्रतिकर दिया जायगा का अवधारण करने के लिये मध्यस्थ नियुक्त किया गया।

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत 80 प्रतिशत की धनराशि, जिसका भुगतान कृषकों में किया जा चुका था, के संदर्भ में अन्तिम स्वीकृति कम धनराशि को दिये जाने के कारण ग्राम पथौली के कृषकों की 5,03,815-85 रुपये (पांच लाख तीन हजार आठ सौ पन्द्रह रुपये पचासी पैसे) तथा ग्राम नगला बसुआ के कृषकों का रुपया 56,738-50 पैसे (छप्पन हजार सात सौ अड़तीस रुपये पचास पैसे) का अधिक भुगतान की वसूली करने हेतु प्राप्त संदर्भ जिला जज, आगरा को प्रतिकर के अन्तिम निर्धारण हेतु वर्ष 1980 में प्रेषित कर दिया गया।

अन्तिम प्रतिकर के निर्धारण का मामला जिला जज, आगरा के न्यायालय में अभी भी विचाराधीन है।

*17–डाक्टर बंगाली सिंह–

[दिनांक 26-6-87 को ता0 प्र0 सं0 20 द्वारा उत्तरित]

भारत सरकार से हरिजन एवं समाज कल्याणकारी कार्यों के लिए कतिपय वर्षों में प्राप्त धनराशि

*18–श्री राम नरेश यादव–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार से हरिजन एवं समाज कल्याणकारी कार्यों के लिए वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 के लिए कितना रुपया प्राप्त हुआ था एवं उसमें से कितना रुपया लैप्स हो गया? लैप्स होने का कारण क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

भारत सरकार से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान सहित वर्ष 1984-85 में रु0 4108·51 लाख एवं 1985-86 के लिए 4235·89 लाख रुपया प्राप्त हुआ था इसमें से कोई धनराशि लैप्स नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

*19–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–
[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

ऊर्जा विभाग द्वारा मातृ भाषा में कार्य

*20–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 सरकार द्वारा अपने विभिन्न विभागों में अधिकाधिक कार्य मातृ भाषा में करने पर जोर दिया जाता रहा है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि ऊर्जा विभाग द्वारा आज भी शत प्रतिशत कार्य अंग्रेजी में सम्पन्न कराकर सरकार के स्पष्ट आदेशों के उल्लंघन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां।

ऊर्जा विभाग के अधीनस्थ विद्युत निरीक्षणालय/निगम तथा राज्य विद्युत परिषद् तकनीकी विभाग हैं तथापि इनमें लगभग शत प्रतिशत कार्य हिन्दी में ही सम्पन्न किया जाता है। केवल अपरिहार्य कारण से कुछ तकनीकी कार्य में अंग्रेजी का प्रयोग कार्यहित में किया जाता है। अतः शासन के आदेशों के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

ग्राम फिरोजाबाद, तहसील मुहम्मदाबाद, गाजीपुर में भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का आवंटन

1–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के अन्तर्गत ग्राम सभा फिरोजपुर में भूमिहीनों की संख्या कितनी है? क्या ग्राम सभा की कृषि योग्य भूमि उपलब्ध होते हुए भी भूमिहीनों में आवंटित नहीं की जा रही है और जिन 76 व्यक्तियों में 10-10-8 धुर भूमि वितरित की गयी उन्हें आज तक मौके पर कब्जा दखल नहीं दिलाया गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

ग्राम सभा फिरोजपुर में भूमिहीनों की संख्या–198 थी, जिनमें से 76 व्यक्तियों को 10-10-8 भूमि का आवंटन कर दिया गया है और 76 में से 52 आवंटियों को 7-15-3 भूमि पर कब्जा दिया जा चुका है शेष 24 आवंटियों को कब्जा दिलाया जाना न्यायालय के स्थगन आदेश के अनुपालन में रुक गया है। इसलिए कब्जा दिए जाने की कार्यवाही अपूर्ण है। इसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

ग्राम फिरोजाबाद तहसील मुहम्मदाबाद, गाजीपुर के हरिजन बस्ती में पानी की निकासी

2–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम फिरोजपुर की मध्य हरिजन बस्ती में पानी की निकासी बन्द होने के कारण पूरी बस्ती में पानी भर गया था? इस हरिजन बस्ती में कुल कितने मकानात थे और उनमें से कितने पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से इस वर्ष गिरकर ध्वस्त हो गए? क्या जिलाधिकारी गाजीपुर ने अक्तूबर, 86 में इस ग्राम की स्थिति का निरीक्षण करके पानी की निकासी के सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करने के आदेश दिए थे? यदि हां, तो अब तक क्या व्यवस्था की गयी है?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

जी हां। सितम्बर/अक्तूबर, 1986 में जल जमाव हो गया था।

इस बस्ती में कुल 23 कच्चे व छप्पर के मकान थे। इनमें से 4 पूर्णरूप से तथा 12 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे।

जी हां। गांव के उत्तर स्थित नाली ट्यूबवेल में साइफन बनाकर जल निकासी की स्थाई व्यवस्था करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा सिंचाई विभाग गाजीपुर को दिये गये थे। कार्यपूर्ति की सूचना प्रतीक्षित है।

कादराबाद, भूतपूर्व फौजी कालोनी, विकास क्षेत्र अफजलगढ़, बिजनौर में विद्युत उपकेन्द्र हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही

3–श्री जयदीप सिंह बरार–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 102 के उत्तर के संदर्भ में क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण हो गया है? यदि नहीं, तो अधिग्रहण की कार्यवाही में क्या रुकावट है तथा उसे दूर करने के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण हो गयी तो सब स्टेशन का निर्माण कब प्रारम्भ होगा ?

श्री सुनील शास्त्री–

कादराबाद, भूतपूर्व फौजी कालोनी, विकास क्षेत्र अफजलगढ़, जिला बिजनौर में 1.5 एम0 वी0 ए0, 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण करने हेतु भूमि का अधिग्रहण अभी तक नहीं किया जा सका है । उक्त विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण के लिए सहकारी समिति की जिस भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही थी, उस भूमि पर राजकीय ऋण का बकाया निकलने के कारण अधिग्रहण की कार्यवाही रोकनी पड़ी। विद्युत उपकेन्द्र के लिए दूसरी उपयुक्त भूमि की खोज तत्परता से की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत परिषद् में घाटा तथा बकाया वसूली का प्रस्ताव

4–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् अप्रैल, 1987 के अन्त तक कितने अरब रुपये के घाटे पर चल रहा था? इसी अवधि तक परिषद् पर कितने अरब का सरकारी ऋण बकाया है? इसके अतिरिक्त क्या मंत्री जी सदन को यह भी अवगत करायेंगे कि परिषद् द्वारा विभिन्न विभागों से कितने अरब रुपये की वसूली लम्बित है और उसका कारण क्या है?

श्री सुनील शास्त्री–

राज्य विद्युत परिषद् के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखे अभी अपूर्ण हैं। इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई एक्ट 1948 की धारा 69(4) के अनुसार वार्षिक लेखे 30 सितम्बर तक पूर्ण किए जाने का प्राविधान है। परिषद् का वर्ष 1985-86 के अन्त में (अन्तरिम लेखों के आधार पर कुल घाटा रु0 19.65 अरब था) । ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के फलस्वरूप परिषद् को हुई क्षति की पूर्ति शासन द्वारा किए जाने की दशा में घाटे की राशि 7.60 अरब रुपये रह जायगी।

राज्य विद्युत परिषद् पर वर्ष 1985-86 के अन्त तक राज्य सरकार का 34.44 अरब रुपये का ऋण बकाया था। वर्ष 1986-87 के अन्त में राज्य विद्युत परिषद् का विभिन्न विभागों पर विद्युत विक्रय मूल्य का 80.57 करोड़ बाकी है। जिसका मुख्य कारण संबंधित विभागों की वित्तीय संसाधनों की कमी है।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में लाइन हानियां

5–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि लाइन हानियां 16 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए किन्तु परिषद् में लाइन हानियां 21 प्रतिशत तक हो रही हैं ? यदि हां, तो उसका मुख्य कारण क्या है? क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इसमें सुधार करने हेतु अब तक क्या उपाय किये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद में पारेषण एवं वितरण में वर्ष 1985-86 में 20.57 प्रतिशत की क्षति हुई जो कि राष्ट्रीय औसत के बराबर है। इन लाइन हानियों का मुख्य कारण तकनीकी है। सातवीं योजना के अन्त तक इन हानियों को 18 प्रतिशत के आस-पास लाने के लिए परिषद् प्रयास कर रहीं है। इसके अन्तर्गत नये विद्युत गृहों एवं लाइनों का प्रसार किया जायेगा। 400 के0 वी0 सिस्टम का परिचालन करने के उपरान्त परिषद् में 800 के0 वी0 की पारेषण लाइनों पर कार्य होगा। इसके अतिरिक्त पारेषण एवं वितरण प्रणाली में कैपेसिटर लगाया जाना प्रस्तावित है। विद्युत चोरी को रोकने के लिए भारतीय विद्युत अधिनियम में परिवर्तन कर कड़ी सजा का प्राविधान किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता के अधीन सतर्कता इकाईयों द्वारा अचानक छापों की व्यवस्था की गयी है। बड़े शहरों एवं ग्रामीण अंचलों में लाइन हानियां कम करने के लिए विशेष योजनायें परिषद् द्वारा तैयार की जा रही हैं तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार से वित्तीय साधन उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

6–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

[4थे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 158 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सरजू कैनाल परियोजना, डुमरियागंज, बस्ती हेतु अधिगृहित भूमि का चकबन्दी खर्च

7–श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद में डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत सरजू कैनाल परियोजना के लिए जो भूमि सार्वजनिक कटौती से चकबन्दी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, उन ग्रामों की चकबन्दी का खर्च सरजू कैनाल की तरफ से सरकारी कोष में जमा कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

चकबन्दी योजना के अन्तर्गत डुमरियागंज तहसील में सरजू कैनाल के लिए जो भूमि सार्वजनिक कटौती से उपलब्ध कराई जा रही है, उसके बदले में चकबन्दी का खर्चा सरजू कैनाल विभाग द्वारा नहीं जमा किया जा रहा है। चकबन्दी नियमों तथा अधिनियमों में इस सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं है।

8–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

9–श्री भगौती सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

ग्राम गौसपुर तहसील मुहम्मदाबाद, गाजीपुर के भूमिहीनों में भूमि का आवंटन

10–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम गौसपुर में भूमिहीनों की कुल संख्या कितनी है ? इस ग्राम सभा में गांव समाज की कुल कितनी भूमि है ? क्या इन्हें उक्त भूमि को आवंटित किया गया है ? क्या भूमिहीनों की संख्या को दृष्टि में रखकर सरकार कुछ भूमि खरीदकर अथवा एक्वायर करके भूमिहीनों में वितरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?यदि हां, तो कब तक ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नगत ग्राम में भूमिहीनों की संख्या-94 है । इस गांव सभा में निहित भूमि का क्षेत्रफल 186-13-14 है इसमें से 185-3-3 भूमि आबादी, रास्ता, नदी कोटि आदि है । शेष 1-10-11 कृषि योग्य भूमि 11 व्यक्तियों को आवंटित करके कब्जा दखल दिया जा चुका है । गांव में भूमि उपलब्ध न होने के कारण शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

11–श्री अफजाल अंसारी–

[दिनांक 3-7-87 को अता0 प्र0 सं0 122 द्वारा उत्तरित]

तहसील मुहम्मदाबाद, गाजीपुर में स्वीकृत पावर स्टेशन हेतु भूमि का चुनाव

12–श्री अफजाल अंसारी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद मुख्यालय के लिए एक लाख बत्तीस हजार वोल्ट का पावर स्टेशन स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या स्थान के चुनाव के लिए सर्वे कराया गया ? किन-किन स्थानों का प्रयोजन विचाराधीन है तथा कब तक कार्य प्रारम्भ कराया जायगा ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्न-कर्ता का पत्र मंत्री जी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां ।

जी हां ।

वर्तमान स्थित 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का विस्तार कर, इसी से लगी हुई भूमि पर 132 के0वी0 उपकेन्द्र बनाने का निर्णय लिया गया है । सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1987-88 में इस उपकेन्द्र से सम्बन्धित लाइन का निर्माण प्रारम्भ करने का प्राविधान किया गया है । उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य अगले वर्ष प्रारम्भ करना प्रस्तावित है ।

जी हां । उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम सभा अवधहीं, तहसील मुहम्मदाबाद, गाजीपुर में कृषि योग्य भूमि का आवंटन

13–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा अवधहीं व सुरनी में गांव सभा की आबादी व कृषि योग्य भूमि कितनी-कितनी है ? किन कारणों से भूमिहीनों में भूमि अभी तक वितरित नहीं की जा सकी है ? क्या गांव समाज की भूमि पर जिन व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर रखा है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि उन दोनों ग्राम सभाओं में भूमिहीनों की संख्या कितनी-कितनी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम सभा अवधहीं में सम्मिलित पांच ग्रामों में से अवधहीं चतुर्साल, अवधहीं बसंत तथा चकखलील हरिहरपाल चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है तथा चिलविली मकसूदन व चकहकीम चकबन्दी के बाहर है । चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत आबादी तथा कृषि भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं है । चकबन्दी के बाहर दोनों ग्राम चकहकीम व चिलबिली मकसूदन दोनों ग्राम गैरआबादी है । इन दोनों ग्रामों में कृषि योग्य भूमि मात्र 1-11-0 भूमि उपलब्ध थी जो दो पात्र व्यक्तियों को आवंटित हो चुकी है, इन दोनों ग्रामों में गांव सभा की भूमि पर किसी का अनाधिकार कब्जा नहीं है । पूरी गांव सभा अवधहीं में मात्र व्यक्तियों की संख्या-174 है ।

ग्राम सभा सुरनी में आबादी योग्य 4-14-8 तथा कृषि योग्य 1-5-1 भूमि है । आबादी की 4-5-8 भूमि पहले से ही पात्र व्यक्तियों को आवंटित है । केवल 0-9-0 आबादी भूमि पर 6 व्यक्तियों द्वारा तथा 1-5-1 कृषि भूमि पर अतिक्रमण 3 व्यक्तियों के द्वारा है जिसे खाली करने हेतु धारा-122 बी के अन्तर्गत मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।

स्याना-बुलन्दशहर में तहसील स्थापित करने का प्रस्ताव

14–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रशासन बुलन्दशहर द्वारा स्याना में एक नई तहसील स्थापित करने का प्रस्ताव शासन को हाल में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

ग्राम नया गांव इनायतपुर, जिला गाजियाबाद में हरिजनों को आवंटित भूमि का कब्जा

15–श्री कनक सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम नयागांव इनायतपुर तहसील गढ़ मुक्तेश्वर, जिला गाजियाबाद में हरिजनों को 10 वर्ष पूर्व आवंटित भूमि पर आज तक कब्जा नहीं दिलाया गया? क्या यह सही है कि अधिकारियों एवं जमींदारों की मिलीभगत से मंगादास पुत्र तेजा, लालमन पुत्र काले ग्राम नयागांव इनायतपुर, जिला गाजियाबाद को भी 10 वर्षों से कब्जा नहीं मिला है? क्या सरकार इनको कब्जा न दिलाये जाने की जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम इनायतपुर उर्फ नयागांव, तहसील गढ़मुक्तेश्वर जिला गाजियाबाद में हरिजनों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिला दिया गया है। वर्ष 1982 में गंगादास पुत्र तेजा व लालमन पुत्र काले के पट्टे की भूमि पर क्रमशः लाल सहाय पुत्र दौलत व हुकुम पुत्र रामफल ने अनधिकृत कब्जा कर लिया था, उनसे भूमि खाली कराकर उपरोक्त आवंटी लालमन एवं गंगादास को कब्जा दिला दिया गया है। पुनः अप्रैल, 1987 में माननीय विधायक द्वारा श्री गंगादास के कब्जे के सम्बन्ध में शिकायत करने पर, कब्जे की जांच क्षेत्रीय नायब तरसीलदार द्वारा करायी गयी। जांच आवंटी गंगादास व लालमन आवंटित भूमि पर काबिज पाये गये। उनकी शिकायत पर कि आवंटित भूमि का रकबा कम है, मौके की पैमाइश करके आवंटित भूमि का सीमांकन करा दिया गया। उपरोक्त दोनों आवंटी अपनी आवंटित भूमि पर काबिज हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में सुपरवाइजरों के सलेक्शन ग्रेड

16–श्री कनक सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में कार्यरत हरिजन कल्याण सुपरवाइजरों के सेलेक्शन ग्रेड के लिए शासनादेश संख्या बे0 आ0-2-1360/11 दस-85 सं0 पं0/ता0/82 दिनांक 17 अक्तूबर, 1985 लागू होता है ? यदि हां, तो उक्त शासनादेश के तहत जिला गाजियाबाद में कौन-कौन हरिजन कल्याण सुपरवाइजर लाभान्वित किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं, क्योंकि अन्य शासनादेश संख्या बे0 आ0-2-1450/दस-85-सं0 व्य (सा0)-82 के दिनांक 6-11-85 में निहित निर्देशानुसार ऐसे पद धारकों को जिन्हें द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार दिनांक 1-7-1979 से अथवा तत्पश्चात लिये गये निर्णयों के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड-1 उच्च वेतनमान उपरोक्त शासनादेश दिनांक 17-10-85 के प्रसारण के पूर्व अनुमन्य हो गया है, इन आदेशों द्वारा स्वीकृत सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य नहीं होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी मण्डल के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति

17—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी मण्डल में स्थित सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40 (ख) के अन्तर्गत जितने व्यक्ति सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किये गये हैं उनके नाम एवं योग्यता क्या है? क्या श्रम मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि नियुक्त किये गये उत्तर प्रदेश कारखाना (सुरक्षा अधिकारी) नियमावली, 1984 के अनुसार वेतनमान भत्ते एवं प्रास्थिति दी जा रही है ? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सैयद सईदुल हसन—

इसका विवरण संलग्न है। इसमें कोई भी सुरक्षा अधिकारी निर्धारित अर्हताएं नहीं रखता है। तथापि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, झांसी में नियुक्त श्री बी0 के0 विजय को छोड़कर शेष को उनकी प्रास्थिति के अनुसार वेतन व भत्ते नियुक्ति के दिनांक से मिल रहे हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 174 पर)

18—श्री हर्ष वर्धन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

टाउन एरिया कुंवर गांव, बदायूं में स्वीकृत सब विद्युत स्टेशन का निर्माण

19—मोहम्मद अबरार अहमद इन्जीनियर—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के टाउन एरिया कुंवर गांव में एक सब स्टेशन वर्ष 1986-87 में निर्माण हेतु विद्युत परिषद् द्वारा स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर इसको पूर्ण कराने का कष्ट करेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां, बदायूं जनपद के टाउन एरिया कुवरगांव में 3 एम0 वी0 ए0 37.5/11 के0 वी0 सब-स्टेशन का निर्माण सिद्धान्त रूप से स्वीकृत है। निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए वर्ष 1986-87 में आवश्यक धनराशि स्वीकृत की गयी थी

परन्तु भूमि अधिग्रहण सम्भव नहीं हो सका। वर्ष 1987-88 में पुनः भूमि अधिग्रहण एवं प्रारम्भिक कार्यों के लिए आवश्यक धन का प्राविधान किया जा रहा है। यदि भूमि प्राप्त हो गयी, तो इसी वर्ष निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा, जिसके वर्ष 1988-89 में पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

20–श्री राम सजीवन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

21 से 25–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

गोरखपुर में महिला आई0 टी0 आई0

26–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में महिला आई0 टी0 आई0 प्रशिक्षण केन्द्र कई वर्षों से स्वीकृत है? यदि हां, तो उसे चालू करने में विलम्ब का क्या कारण है? क्या 87-88 में सत्र चालू करने का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सैयद सईदुल हसन–

जी हां, गोरखपुर जनपद में वर्ष 1984-85 में आई0 टी0 आई0 (महिला शाखा) की स्थापना की जा चुकी है और इसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

27–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

फैजाबाद कलक्ट्रेट के कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची

28–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि कर्मचारियों की ज्येष्ठता निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश सं0 2537/1-4/82-695 वी/4/78 राजस्व अनुभाग-4 दिनांक 13-4-82 के आदेशों के क्रियान्वयन में हुए विलम्ब से फैजाबाद कलक्ट्रेट के कर्मचारियों की हुई क्षति के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है? क्या सरकार इस शासनादेश का अविलम्ब अनुपालन सुनिश्चित करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश के क्रियान्वयन में जनपद स्तर पर किसी अधिकारी द्वारा कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः उत्तरदायित्व का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

29–श्री पारस नाथ यादव—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

उन्नाव जनपद के कतिपय विकास खण्डों को प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों के सहायता हेतु धन का आवंटन

30–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या राजस्व मंत्री अपने अद्र्ध शा0 पत्र सं0 61851/86-249/86 राजस्व अनुभाग-10 उ0 प्र0 शासन लखनऊ दिनांक 8 सितम्बर, 1986 के संदर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 86-87 में भीषण वर्षा व प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को अनुमन्य राहत सहायता वितरण करने हेतु कलेक्टर उन्नाव को जो रु0 15.10 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी उससे कितनी-कितनी धनराशि जनपद के विकास खण्ड बीघापुर, सुमेरपुर तथा पुरवा में वितरित की गयी है और उक्त आवंटित धनराशि 15.10 लाख में से कुल कितनी धनराशि आवंटित करने से शेष रही?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद उन्नाव को वर्ष 1986-87 में आवंटित की गई कुल धनराशि रु0 15.10 लाख में से विकास खण्ड बीघापुर में रु0 35,100, सुमेरपुर में रुपये 22,200 तथा पुरवा में रु0 9,500 की धनराशि वितरित की गई और उक्त आवंटित धनराशि रु0 15.10 लाख में से रु0 4,33,840 की धनराशि जनपद की तहसीलों से मांग प्राप्त न होने के कारण आवंटित करने हेतु शेष रही थी।

विकास खण्ड ब्रह्मपुर, गोरखपुर के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण

31–श्रीमती शारदा देवी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर के अन्तर्गत 5 जुलाई, 85 से 20 मार्च, 87 तक किन-किन गांवों का विद्युती-करण किया है? क्या यह सत्य है कि जिन-जिन गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण किया गया है, उन गांव सभाओं में विद्युत पोल व तार गिर गये हैं, क्योंकि किसी भी विद्युत पोल में सीमेण्ट व गिट्टी नहीं डाली गयी? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध जांच कराकर दण्डित करने की कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

प्रश्नगत अवधि में निम्नलिखित ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है :– 1–अभारी, 2–गोपालपुर, 3–जयरामकोल, 4–सधनाटोला बंगला, 5–सधना टोला जोगिया, 6–रोहा, 7–मिश्रवलिया, 8–दउवां, 9–डुमरी बोहावार, 10–भटकुरह, 11–शिकारगढ़, 12–जमऊ, 13–जंगलरसूलपुर, 14–कंथवलिया।

उक्त ग्रामों में विद्युत पोल के गिरने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। विद्युतीकृत किए गए ग्रामों में लगाये गये विद्युत पोलों में आवश्यकतानुसार (प्राविधान के अनुसार) सीमेंट व गिट्टी डाली गयी है। अतः किसी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता।

32–श्री शारदा प्रताप–

[दिनांक 9-7-87 को अता0 प्र0 सं0 87 द्वारा उत्तरित]

33–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

[दिनांक 26-6-87 को अता0 प्रश्न संख्या 17 द्वारा उत्तरित]

ग्राम पुरैना, तहसील खलीलाबाद, बस्ती में आबादी हेतु छूटी भूमि पर अवैध कब्जा

34–श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पुरैना तप्पा उजियार तहसील खलीलाबाद परगना मगहर पूरब में नं0 226 व 225 चकबन्दी में खलिहान तथा आबादी हेतु छूटी थी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रधान ने स्वयं तथा कुछ अन्य लोगों से धन लेकर मकान बनवा दिया है? यदि हां, तो क्या संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करके उक्त भूमि खाली कराने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम पुरैना तप्पा उजियार परगना मगहर पूरब तहसील खलीलाबाद जिला बस्ती में गाटा संख्या 226 का क्षेत्रफल 0-19-2 खलिहान हेतु तथा गाटा सं0 225 का क्षेत्रफल 0-0-6 आबादी हेतु छूटा था।

गाटा संख्या 226 में पश्चिमी और बंजर वाले भाग पर 11 पक्के मकान बने हुये हैं। जांच के दौरान ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे प्रमाणित हों कि प्रधान ने अवैध धन लेकर मकान बनवा दिये है।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा परगनाधिकारी की विधिक राय लेकर भूमि खाली कराने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री नोहर प्रसाद निलंबित हरिजन अधिकारी, गोण्डा के विरुद्ध शिकायत

35–श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के चौथे शुक्रवार के अता0 प्रश्न0 संख्या 75 के उत्तर के संदर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री नोहर प्रसाद के विरुद्ध की गयी विभागीय कार्यवाही में क्या प्रगति हुई?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

विभागीय जांच में श्री नोहर प्रसाद के विरुद्ध लगाये गये सभी आरोप सिद्ध नहीं हुये, अत: उन्हें दोषमुक्त किया गया।

36–श्री अचल सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

37–श्री अचल सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

अमौसी टैक्सटाइल मिल्स लि0, लखनऊ में कार्यरत श्रमिकों की सुविधाएं

38–श्री आर0 एन0 पाठक–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि अमौसी टैक्सटाइल मिल्स लि0 में 600 मजदूर काम करते हैं तथा इन मजदूरों को फैक्ट्री मालिक जब चाहे निकाल देता है और नयी भर्ती कर लेता है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त फैक्ट्री में ई0 पी0 एफ0 मेडिकल व आकस्मिक अवकाश, उपार्जित अवकाश, स्थायीकरण, न्यूनतम वेतन, कैन्टीन की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था आदि सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त फैक्ट्री में कर्मचारियों से जबरदस्ती डबल ओवर टाइम कराकर सिंगिल ओवर टाइम का भुगतान किया जाता है तथा कारखाने में गली और सड़ी हुई रुई सस्ते दामों पर खरीद कर मजदूरों से साफ कराई जाती है और उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई व्यवस्था न होने से उनको टी0 बी0 जैसे रोग का शिकार बनना पड़ता है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सैयद सईदुल हसन–

अमौसी टैक्सटाइल मिल्स लि0, लखनऊ में लगभग 440 श्रमिक नियोजित हैं। सेवायोजन द्वारा मनमाने ढंग से श्रमिकों को निकालने और नई भर्ती किये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्रतिष्ठान में प्राविडेन्ट फण्ड, ई0 एस0 आई0, पेय जल व कैन्टीन की सुविधायें उपलब्ध हैं। प्रतिष्ठान के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन प्राप्त है। अवकाश तथा स्थायीकरण की सुविधा स्थायी आदेश के अनुसार श्रमिकों को उपलब्ध है। ओवर टाइम का पूर्ण भुगतान न करने की बात सही नहीं है। इस संबंध में श्रमिक पक्ष से कोई उपालम्भ प्राप्त नहीं हुआ है। जांच के समय प्रतिष्ठान में ठीक रुई का प्रयोग पाया गया। वर्तमान में एक श्रमिक तपेदिक की बीमारी के आधार पर ई0 एस0 आई0 अवकाश पर हैं।

पावर सब स्टेशन सीतापुरी में आग लगने से क्षति के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

39–श्री मोहम्मद रिजवानुलहक–

क्या सरकार को जानकारी है कि सीतापुरी पावर सब स्टेशन डबल फाटक मुरादाबाद एक विस्फोट के बाद ध्वस्त हो गया और उसमें आग लग गयी जिससे 6 लाख रुपये की क्षति हुई ? यदि हां, तो उसमें आग लगने का क्या कारण था तथा इसमें दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री–

दिनांक 22-4-87 की सायं करीब 4 बजे सीतापुरी बिजलीघर में तकनीकी खराबी आ जाने से नियन्त्रण कक्ष में लगे 11,000 वोल्ट के 9 फीडर पैनल्स जल गये थे। किसी प्रकार की कोई विस्फोट नहीं हुआ था और न ही आग लगने का कारण विस्फोट था। ये फीडर पैनल्स लगभग 20 वर्ष पुराने थे जिनका उपयोग अवधि के पश्चात मूल्य लगभग 4000 रुपये प्रति पैनल्स आंका जा सकता है। इस प्रकार 9 जले हुए पैनल्स की कीमत लगभग 35,000 रुपये थी। अतः यह सही नहीं है कि आग लगने से 6 लाख रुपये की क्षति हुई। मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, बरेली द्वारा जांच कमेटी का गठन किया जा चुका है। जांच कार्यवाही प्रगति पर है। जांच कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

40–श्री राम सजीवन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

41–श्री हर्षवर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

42-43–श्री विष्णु देव––

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

44–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[6ठें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 102 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

उ0 प्र0 सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार

45–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1987 के अंत तक उ0 प्र0 के सेवायोजन कार्यालयों में कितने शिक्षित बेरोजगारों का पंजीकरण हो चुका है और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए शासन की क्या नीति है ? क्या शासन बेरोजगारों की भारी संख्या को देखते हुए रोजगार देने के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद सईदुल हसन–

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों की सक्रिय पंजिका पर दिसम्बर, 1986 के अन्त में कुल 18,97,921 शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत थे । अप्रैल, 1987 तक की सूचना अभी संकलित नही हो पाई है ।

प्रदेश में स्थापित सेवायोजन कार्यालयों द्वारा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सेवायोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के लिये बेरोजगार अभ्यर्थियों को सम्प्रेषण करने के उपरान्त उन्हें सेवा नियोजित कराया जाता है । संवेतन रोजगार की सीमित सम्भावनाओं को देखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को स्वत: रोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है तथा उन्हें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण दिलाकर उन्हें अपने उद्योग-धंधे स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है ।

शासन द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाना संभव नहीं है क्योंकि प्रदेश में स्थापित सेवायोजन कार्यालयों की विभिन्न सेवायोजकों से जितनी रिक्तियां अधिसूचित की जाती हैं, उनके विरुद्ध सेवायोजन कार्यालयों द्वारा सम्प्रेक्षण की कार्यवाही की जाती है । यह विभिन्न विभागों पर निर्भर करता है कि किस विभाग में कितनी रिक्तियां होती हैं ।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अध्यापकों के वेतनमान में विषमता

46–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कला अध्यापकों की एक ही वेतनमान में वर्ष 1972 में प्रथम नियुक्ति होने पर 2 कला अध्यापकों को रु0 450-720 का वेतनमान तथा शेष एक कला अध्यापिका (लखनऊ) को दिनांक 1-7-79 से रु0 400-620 का वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इस असमानता के बने रहने का क्या कारण है ? मंत्री जी उक्त सभी कला अध्यापक, अध्यापिकाओं को समान वेतनमान दिये जाने के आदेश कब तक निर्गत करा देंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा जनपद के कतिपय ग्रामों की पानी टंकियों को शहरी फीडर से बिजली सप्लाई विषयक प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

47–श्री विजय सिंह राणा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में बरौली अहीर और नरीपुरा (टपरा) की पानी की टंकियों को शहरी फ्रीडर से बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में ऊर्जा सचिव को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

आगरा जनपद में बरौली अहीर और टपरा की पानी टंकियों को शहरी फीडर से बिजली दिये जाने के संबंध में माननीय सदस्य का माननीय मुख्य मंत्री जी को संबोधित पत्र दिनांक 17-4-1986 मिला था ।

आगरा में टपरा पेयजल योजना नहीं है, अपितु उसके निकट नरीपुरा पेयजल योजना है । बरौली अहीर तथा नरीपुरा पेयजल योजनाओं के ग्रामीण क्षेत्र में होने की स्थिति में, उनको शहरी फीडर से विद्युत आपूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है ।

दौराला के ग्राम वलिदापुर, मेरठ में चकबन्दी

48–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मेरठ में दौराला के ग्राम वालिदापुर में चकबन्दी कार्य कई वर्ष पूर्व समाप्त हो जाने के बावजूद चकबन्दी विभाग द्वारा तहसील को राजस्व विभाग की भूमि रिकार्ड अब तक न सौंपे जाने के क्या कारल है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

चकबन्दी के पश्चात जनपद मेरठ के परगना दौराला के ग्राम वालिदपुर से संबंधित समस्त राजस्व संबंधी कार्य तहसील में राजस्व विभाग द्वारा ही किया जा रहा है ।

मुख्य सेविकाओं के चयन हेतु आयोजित परीक्षा

49–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य सेविकाओं के चयन प्रक्रिया के सिलसिले में 4 मई, 1986 को आयोजित परीक्षा में कितनी अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, उसका क्या परिणाम रहा ? परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तथा आंगनवाड़ी कार्यकताओं की अलग-अलग संख्या क्या है तथा कितने पदों पर नियुक्ति की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

दिनांक 4 मई, 1986 को आयोजित लिखित परीक्षा में 3193 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है।

परीक्षा में ग्रेजुएट 2245, पोस्ट ग्रेजुएट 474 तथा आंगनवाड़ी कार्यकत्री 474 सम्मिलित हुई हैं। अभी नियुक्तियां नहीं की गयी है।

ग्राम हरपालपुर, विकास खण्ड काशी विद्यापीठ, बाराणसी में विद्युत कनेक्शन

50–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के विकास खण्ड काशी विद्यापीठ के ग्राम हरपालपुर के कुछ लोगों ने विद्युत कनेक्शन लेने के लिए सन् 84 में 25 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से अर्नेस्ट मनी जमा की है ? यदि हां, तो वे कितने हैं, कौन लोग हैं तथा अब तक विद्युत कनेक्शन न देने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है।

51-53–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

54-56–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

ग्राम बढ़नपुरा तहसील मुहम्मदाबाद-गाजीपुर में हरिजन आबादी पर अवैध कब्जा का अवैध पट्टा

57–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा बढ़नपुरा के मौजा बढ़नपुरा की आराजी नं0 244 व 246 जो कि सुरक्षित हरिजन आबादी है, पर क्षेत्रीय नायब तहसीलदार व अन्य कर्मचारियों ने स्वर्ण जाति के व्यक्ति को कब्जा करा दिया है ? क्या उक्त सुरक्षित हरिजन आबादी वाली भूमि पर कब्जा न कराने के विषय में अपर जिला अधिकारी, राजस्व ने दिनांक 24-2-87

व 27-2-87 को परगना अधिकारी मुहम्मदाबाद व थानाध्यक्ष भांवर कोल के लिये स्पष्ट आदेश दिया था ? क्या इसी विषय में जिला अधिकारी गाजीपुर ने भी दिनांक 23-3-87 व दिनांक 30-3-87 को परगना अधिकारी के लिए जांच का आदेश दिया था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम बढ़नपुरा की आराजी नं0 244 व 246 सुरक्षित हरिजन आबादी नहीं है । क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा अथवा अन्य कर्मचारियों द्वारा इस भूमि पर सवर्ण जाति के लोगों को कब्जा कराने का कोई प्रश्न नहीं है । उक्त भूमि पर कब्जा कराने के विषय पर अपर जिलाधिकारी, राजस्व ने दिनांक 24-2-87, 27-2-87 को जांच का आदेश परगनाधिकारी को दिया था । जिलाधिकारी ने भी जांच का आदेश दिनांक 23-3-87 व 30-3-87 को दिया था । मामले में जांच की गई । जांचोपरान्त यह पाया गया कि सी0 एच0 45 की टिप्पणी के स्तम्भ में हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित का इन्द्राज कर दिया गया है, जिसका कोई वैधानिक महत्व नहीं है, क्योंकि जोत च0 आ0 पत्र 21 में (सिद्धान्तों का विवरण) देखने पर पाया गया कि यह भूमि सिद्धान्तों के विवरण पत्र जोत च0 आ0 पत्र 21 में हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित नहीं है बल्कि खतौनी बढ़नपुरा में नवीन परती के रूप में दर्ज है । जांच में कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है । अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

58–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद की साम सभा बढ़नपुरा के मौजा तढ़नपुरा की आराजी नं0 249 जो सुरक्षित हरिजन आबादी है, का पट्टा बाबूलाल हरिजन के नाम से हुआ और परगना अधिकारी द्वारा स्वीकृत भी कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या उस आवंटी व्यक्ति को कब्जा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इस भूमि से नाजायद कब्जा हटा कर आवंटी व्यक्ति को कब्जा दिला दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद की ग्राम सभा बढ़नपुरा की आराजी नं0 249 जो सुरक्षित हरिजन आबादी थी, का पट्टा बाबूलाल हरिजन के नाम कृषि हेतु भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 25-1-76 और परगनाधिकारी के अनुमोदन दिनांक 25-2-76 द्वारा करके कब्जा दखल दे दिया गया था । अब दुबारा सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि आवंटी ने स्वेच्छा से वह भूमि श्री रामजी भाट के कब्जे में दी है । आवंटी द्वारा आवंटित भूमि को दूसरे के कब्जे में देना नियम विरुद्ध है इसलिए इस भूमि का आवंटन खारिज कराने की कार्यवाही की गयी है ।

59–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा बढ़नपुरा की आराजी नम्बर 244 व 246 जो सुरक्षित हरिजन आबादी के नाम से दर्ज है, पर ग्राम प्रबन्धक समिति द्वारा दिनांक 10-7-83 को प्रस्ताव

द्वारा आवंटित कर दी गई है, किन कारणों से यह प्रस्ताव परगना अधिकारी स्तर से अभी तक स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं किया गया ? इतनी अधिक अवधि तक उक्त प्रस्ताव को लम्बित रखने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा बढ़नपुरा के ग्राम बढ़नपुरा की आराजी नं0 244 व 246 हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित नहीं है बल्कि नवीन परती दर्ज है । आराजी नं0-244 का 2 विस्वा रकबा परगनाधिकारी द्वारा आबादी की श्रेणी में दर्ज करने के लिए आदेश दिनांक 31-1-87 को हुआ है, शेष क्षेत्रफल के आवंटन का समिति द्वारा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । अतः प्रस्ताव की स्वीकृति/अनुमोदन का मामला परगनाधिकारी के स्तर पर लम्बित रहने का कोई प्रश्न नहीं है ।

60–श्री शेर बहादुर सिंह–

[दिनांक 12-7-85 को अता0 प्र0 सं0 68 द्वारा उत्तरित]

61–श्री भगैती सिंह–

[4थें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 99 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

62–श्री मित्रसेन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

63–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

विद्युत परिषद् द्वारा किसान उपभोक्ताओं के साथ हुए अनुबन्ध की प्रति की मांग

64–श्री कल्यान सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विद्युत परिषद् किसान उपभोक्ताओं के साथ जो अनुबन्ध करती है तो उसकी प्रति किसानों को क्यों नहीं देती ? क्या सरकार किसानों को अनुबन्ध की प्रति दिलाने के लिए कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

विद्युत परिषद् किसान उपभोक्ताओं से कोई अनुबन्ध नहीं करती उनसे केवल छः रुपये के स्टाम्प पत्र पर घोषणा पत्र प्राप्त करती है । यदि किसान उभोक्ता चाहें तो अपने स्तर पर उस घोषणा पत्र की प्राप्ति अपने पास रख सकते हैं ।

खैरिया सिकनी गोहाना, के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

65–श्री श्याम बिहारी सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना की गांव सभा खैरिया सिकनी गोहाना के सुनहरी लाल व सूबेदार सिंह का 10 सूत्रीय मांग पत्र दिनांक 15-11-85 व 2 सूत्रीय मांग पत्र दिनांक 16-12-85 व दिनांक 17-1-86 व 25-1-86 गांव सभा की अनियमितताओं के संबंध में उन्हें व जिलाधिकारी मैनपुरी व आयुक्त आगरा मण्डल आगरा को प्राप्त हुये ? यदि हां, तो मांग पत्रों पर विवरण क्या था और उन पर अब तक किस अधिकारी ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

उक्त मांग पत्र मुख्यत: ग्राम खेरिया शिकमी गोहाना के प्रधान द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अनियमित कब्जा करने व उसके द्वारा प्रार्थी के परिवार की हत्या करने एवं रंजिश आदि से संबंधित थे । प्राप्त शिकायत पत्रों की जांच परगनाधिकारी, जसराना से कराई गई । जांचोपरान्त आरोप निराधार पाये गये ।

66–श्री श्याम बिहारी सिंह–

[दिनांक 6-3-87 को अता0 प्र0 सं0 25 द्वारा उत्तरित]

विकास खण्ड जहांगीराबाद, बुलन्दशहर के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण

67–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड जहांगीराबाद, स्याना तथा ऊंचा गांव के कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है और कितनों का नहीं ? शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक हो जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री–

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड जहांगीराबाद, स्याना तथा ऊंचा गांव सभी ग्रामों का विद्युतीकरण, सी0 ई0 ए0 के परिभाषा के अनुसार हो चुका है । लेकिन एल0 टी0 मेन्स द्वारा क्रमश: 28, 26 व 33 ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ है और क्रमश: 47, 6 व 31 ग्रामों का विद्युतीकरण शेष है । इन शेष ग्रामों का विद्युतीकरण एल0 टी0 मेन्स द्वारा आने वाले वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

श्रीमती सुभद्रा रघुबंशी बाल विकास परियोजना अधिकारी बदायूं के विरुद्ध शिकायतों की जांच तथा निलम्बन

68–इन्जीनियर मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुभद्रा रघुबंशी बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद बदायूं के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के बारे में अनेक शिकायतें जनपद के लोगों एवं माननीय विधायकों ने की है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इसकी जांच किससे कराई एवं जांच के आधार पर इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि अभी हाल में ही जिलाधिकारी बदायूं ने जांच के आधार पर उनको

दोषी मानते हुए शासन को लिखा है कि इनके विरुद्ध तुरन्त निलम्बित करने हेतु कार्यवाही की जाय ? यदि हां, तो जिलाधिकारी का अनुरोध अभी तक क्यों नहीं माना गया है ? क्या सरकार इस मामले की पूर्ण जानकारी सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । जिलाधिकारी बदायूं तथा उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण बरेली मण्डल बरेली से जांच रिपोर्ट मांगी गयी है ।

जी हां । जिलाधिकारी बदायूं की संस्तुति के आधार पर श्रीमती सुभद्रा रघुवंशी को निलम्बित कर दिया गया है ।

ग्राम पूठरी, ब्लाक जानीखुर्द, मेरठ को विद्युत कनेक्शन

69—श्री शारदा प्रताप—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पूठरी ब्लाक जानीखुर्द जिला मेरठ में अभी तक ग्रामवासियों को विद्युत की सुविधा प्रदान न किए जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त हरिजन बस्ती में बिजली सुविधा प्रदान करने हेतु आवश्यक आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जनपद मेरठ के विकास खण्ड जानीखुर्द के अन्तर्गत ग्राम पूठरी का विद्युतीकरण वर्ष 1986-87 तक राज्य सामान्य योजना के अन्तर्गत किया जाना था, जिसमें निर्धारित नीति के अनुसार विद्युतीकरण कार्य पर आने वाले अनुमानित व्यय पर ग्रामवासियों के कनेक्शन लेने हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर 15% वार्षिक प्रति लाभ आवश्यक था । चूंकि पर्याप्त प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं हुए अतः विद्युत की सुविधा प्रदान न की जा सकी ।

अब उक्त क्षेत्र की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना स्वीकृत हो गयी है । जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा उक्त ग्राम का चयन होने पर ही ग्राम एवं उसकी हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण सम्भव हो सकेगा ।

70—श्री महरम सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ग्राम चिउटहा, विकास खण्ड भटहट, गोरखपुर में ग्राम समाज की भूमि पर सामूहिक आवास निर्माण कराने की मांग

71—श्री सैयद खालेद अली सब्जपोश—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर विकास खण्ड भटहट के ग्राम चिउटहा में ग्राम समाज की नई परती भूमि जिस पर हरिजन लोगों ने अपना गोहरा एवं झोपड़ी बना ली है और जिसका आवंटन भी उनको हो चुका है ? क्या सरकार उस भूमि पर सामूहिक आवास निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुहम्मदाबाद, गाजीपुर में धारा–52 का प्रकाशन

72–श्री अफजाल अंसारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के किन-किन ग्राम सभाओं में धारा 52 का प्रकाशन हो जाने के बावजूद मार्च, 87 तक किन कारणों से जमीनों के कागजात तहसील में नहीं भेजे गए ? क्या यह सही है इसकी वजह से आवंटन की कार्यवाही इन ग्राम सभाओं में नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो उक्त लापरवाही किस स्तर से हुई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद में ग्राम कनुवान के अतिरिक्त कोई ऐसा ग्राम नहीं है जिसका अभिलेख धारा–52 में हो जाने के बावजूद तहसील में मार्च 87 के पूर्व न भेजा गया हो ग्राम कनुवान के धारा–52 का प्रकाशन दिनांक 1-5-82 को हुआ था । इस तहसील का मात्र यही एक ऐसा ग्राम है जिसके अभिलेख धारा–52 हो जाने के बावजूद भी मार्च, 1987 तक नहीं भेजे जा सके थे क्योंकि तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी स्वर्गीय श्री एम0 पी0 त्रिपाठी के समक्ष इस ग्राम के अभिलेखों में कुछ ऐसी अशुद्धियां बताई गई थीं जिनका निराकरण आवश्यक था । अतः निराकरण हेतु उनके आदेशानुसार जिल्द तहसील से रोक दी गयी थी, इसके पश्चात् अब इस ग्राम के अभिलेख दिनांक 27-6-87 को भेज दिए गए हैं । शेष का प्रश्न नहीं है ।

73–श्री राज किशोर सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त]

हरिजन व निर्बल वर्ग आवास निगम लि0 में रिक्त पदों हेतु विज्ञप्ति

74–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरिजन व निर्बल वर्ग आवास निगम लि0 में विभिन्न रिक्त पदों को भरने हेतु कोई विज्ञप्ति सितम्बर, अक्टूबर, 1986 में रोजगार डाइजेस्ट में दी गयी थी ? यदि हां, तो इसी विज्ञप्ति के अन्तर्गत क्रम संख्या 16 पर कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/विद्युत) हेतु कुल कितने छात्रों ने आवेदन किया तथा इससे कुल कितना धन विभाग को प्राप्त हुआ ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

75–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि इस विज्ञापन द्वारा कहीं पर यह नहीं दर्शाया गया था कि रिक्त पदों की संख्या कितनी-कितनी है, इसके अतिरिक्त क्रम संख्या 16 पर कनिष्ठ अभियन्ता हेतु यह भी कहीं अंकित नहीं था कि इच्छुक अभ्यार्थियों के डिप्लोमा में कम से कम 70 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है ? यदि हां, तो लिखित परीक्षा में केवल 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को ही किसके आदेश से बुलाया गया ? क्या सरकार द्वारा परीक्षा में 70 प्रतिशत नम्बर न होने के कारण अयोग्य घोषित छात्रों की धनराशि लौटा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

76—श्री विष्णु देव—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

ग्रांव सभा दिहुली, तहसील जसराना, मैनपुरी में अवैध भूमि आवंटन में दोषी लेखपालों का निलम्बन

77—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना की गांव सभा दिहुली में श्री डी0 एन0 सिंह तहसीलदार ने भूमि आवंटन की जांच करके सन् 1975, 76 व 77 में परगनाधिकारी से स्वीकृत करायी ? क्या यह सही है कि पुनः जांचोपरान्त 1985-86 में अवैध आवंटन पाकर उस समय के लेखपालों को निलंबित करके दण्डित किया गया है ? यदि हां, तो पूर्व जांचकर्ता डी0 एन0 सिंह तहसीलदार जसराना वर्तमान परगनाधिकारी के विरुद्ध अब तक किस अधिकारी ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो अल्प वेतनभोगी लेखपालों को दण्डित करने का क्या औचित्य है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

जी हां ।

श्री डी0 एन0 सिंह, तत्कालीन तहसीलदार, जसराना को दोषी न पाए जाने के कारण इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ?

लेखपालों को दोषी पाए जाने के कारण ही इनको दण्डित किया गया ।

वर्ष 1986 में बाढ़ एवं सूखे से क्षति तथा केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध धनराशि का जिलेवार बंटवारा

78—श्री राम नरेश यादव—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाढ़ एवं सूखे से वर्ष 1986 में प्रदेश को कितने रुपए की क्षति हुई है ? केन्द्रीय सरकार से इस स्थिति से निपटने के लिए कितने रुपए की मांग की गयी थी एवं कितना रुपया अब तक मिला है ? सरकार ने सूखाग्रस्त जिलों में जिलेवार मार्च, 87 तक कितना रुपया भेजा है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

बाढ़ और सूखे से वर्ष 1986 में प्रदेश की क्रमशः 428.74 करोड़ रु0 तथा 1537 करोड़ रु0 की अनुमानित क्षति हुई थी । केन्द्रीय सरकार से बाढ़ के संबंध में 434.17 करोड़ रुपए तथा सूखे के सम्बन्ध में 474.82 करोड़ रुपए की मांग की गयी थी । जिसके विपरीत बाढ़ के संबंध में 30.57 करोड़ रुपए तथा सूखे के संबंध में 10.88 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की व्यय सीमा की स्वीकृति प्राप्त हुई । यह सहायता जिलेवार न होकर विभागवार है, संलग्नक "क" के अनुसार । राजस्व विभाग द्वारा जिलों को वर्ष 1986-87 में किए गए आवंटन की सूची संलग्नक "ख" में है, जिसका प्रयोग सभी प्रकार की दैवी आपदाओं में वर्ष 1986-87 में किया गया ।

(देखिए अत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 175 पर)

79–श्री अचल सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

श्री ए0 एन0 गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता राज्य विद्युत परिषद् के विरुद्ध शिकायत

80–श्री विजय सिंह राणा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1 986 के द्वितीय सत्र के पहले शुक्रवार को पूछे गए प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 64 के संदर्भ में श्री ए0 एन0 गुप्ता अधिशासी अभियन्ता अनियमितताओं के सन्दर्भ में प्रथम दृश्या दोषी पाये गये यदि हां, तो इसके संदर्भ में श्री गुप्ता का स्पष्टीकरण क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री—

वर्ष 1985 (न कि 1986 जैसा कि प्रश्न में उल्लिखित है) के द्वितीय सत्र के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 64 के सन्दर्भ में यह सूचनीय है कि श्री ए0 एन0 गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता को कतिपय अनियमितताओं के सन्दर्भ में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया था तथा उनके स्पष्टीकरण पर समुचित विचारोपरान्त राज्य विद्युत परिषद् द्वारा उन्हें निन्दा प्रविष्टि दे दी गयी ।

ग्राम अमरौली कटरा, आगरा में विद्युत देयों का बकाया

81–श्री विजय सिंह राणा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के ग्राम अमरौली कटरा में विद्युत देय की कितनी धनराशि किस-किस व्यक्ति पर बकाया है ? क्या यह सत्य है कि जिन लोगों पर विद्युत देयों का भुगतान बकाया है उनके कनेक्शन विभाग ने काट दिए हैं परन्तु अनधिकृत रूप से सभी अपने ट्यूबवेल और आटा चक्की चला रहे हैं? यदि हां, तो क्या इस संबंध में विभाग ने कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

आगरा जनपद के ग्राम बमरौली कटरा में 13 उपभोक्ताओं पर विद्युत उपभोग का रु0 51,683.00 बकाया है । संलग्न तालिका में उपभोक्तावार बकाया का विवरण दर्शाया गया है ।

जी हां । जैसा कि संलग्न विवरणों से विदित होता है कि जिन उपभोक्ताओं पर विद्युत देय बकाया है उनके कनेक्शन काट दिए गए हैं । केवल एक श्री पी0 के0 राना का ही कनेक्शन विद्युत बकाये के बाद अनधिकृत रूप से दिनांक 24-5-85 को चलता पाया गया था जिसे काट दिया गया था । इसके अतिरिक्त अनधिकृत रूप से कटे ट्यूबवेल व चक्की चलने का विभागीय अधिकारियों की जानकारी में कोई तथ्य नहीं आया है । श्री हरेन्द्र पाल सिंह राणा का कनेक्शन ही जो संलग्न विवरणी के क्रमांक 13 पर है, पुलिस बल की सहायता से काटा गया है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 178 पर)

82–श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

83–इंजीनियर मोहम्मद अबरार अहमद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

84–श्री विजय सिंह—

[6वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 103 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आगरा जनपद के यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 द्वारा कतिपय ग्रामों के अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

85–श्री विजय सिंह राणा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के ग्राम अरतौनी लखनपुर मोहम्मदपुर, बाईपुर, सिकन्दरा और स्वामी की कितनी जमीन यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 द्वारा अधिग्रहीत की गयी है और किसानों को जमीन के बदले में कोई मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या ? क्या इस जमीन के प्रतिरोध में किसानों ने आगरा कचेहरी पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो ज्ञापन में क्या मांगे प्रस्तुत की गयी थी ? मांगों के संदर्भ में अभी तक कोई कार्यवाही सम्भव हो सकी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, कानपुर के सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु ग्राम-मोहम्मदपुर, अरतौनी, लखनपुर, सिकन्दरा, बाईपुर, मुस्त0 एवं स्वामी मुस्तिकल में 182·04 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया है । उक्त ग्रामों के किसानों की कुल अर्जित भूमि 182·04-एकड़ के बदले 39,80,823·08 रुपये का अभिनिर्णय घोषित किया जा चुका है और इसके विपरीत 36,48,117·59 रुपये के प्रतिकर की धनराशि का वितरण किया जा चुका है । शेष 3,32,705·49 रुपए के प्रतिकर का वितरण किया जा रहा है । इस अर्जन के विरुद्ध दिनांक 2-4-1984 को किसानों द्वारा कलेक्ट्रेट आगरा पर प्रदर्शन किया गया था । तथा जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया था । इस ज्ञापन में मुख्यत: यह मांग की गयी थी कि सम्बन्धित जमीन पर की जा रही अर्जन की कार्यवाही तत्काल समाप्त कर दी जाय एवं उस पर कब्जा न लिया जाय । यह भी मांग की गयी थी कि औद्योगिक या व्यापारिक संस्थान यदि अपने उपयोगार्थ जमीन खरीदना चाहते हैं तो वे किसानों से सीधे क्रय-विक्रय करके अथवा आपसी सहमति से प्राप्त करने की प्रणाली अपनायें । इस सम्बन्ध में दिनांक 12-6-84 को अर्जन निकाय तथा प्रभावित ग्रामों के प्रधानों के साथ विचार-विमर्श किया गया । चूंकि उक्त ग्रामों में स्थित भूमि के अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम की धारा-4/6/17 की विज्ञप्तियों का प्रकाशन क्रमश: 30-6-79 एवं 5-4-1982 को हो चुका था तथा भूमि पर कब्जा भी दिसम्बर, 1982 में अध्याप्ति निकाय को दिया जा चुका था । अत: ऐसी स्थिति में ज्ञापन में उल्लिखित मांगों पर नियमान्तर्गत कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है । क्योंकि अर्जन के पश्चात भूमि सब भारों से मुक्त होकर शासन में स्वत: निहित हो जाती है ।

विद्युत वितरण खण्ड अकबरपुर-फैजाबाद में कार्यरत एस0 एस0 ए0 के स्थानान्तरण की मांग

86–श्री सन्तोष चतुर्वेदी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अतिरिक्त विद्युत वितरण खण्ड 3311 के0 बी0 अकबरपुर जनपद फैजाबाद में ऐसे कितने एस0 एस0 ए0 हैं जो कि विगत 10 वर्षों या अधिक समय से अपने ही गृह जनपद फैजाबाद में कार्यरत है ? क्या सरकार ऐसे सभी कर्मचारियों का स्थानान्तरण उनके गृह जनपद फैजाबाद से बाहर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

33/11 के0 वी0 अकबरपुर जनपद फैजाबाद में 10 एस0 एस0 ओ0 (एस0 एस0 ए0) 10 वर्ष से अधिक समय से अपने गृह जनपद में कार्यरत हैं ।

वर्तमान नीति के अन्तर्गत परिचालकीय संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण सामान्यतः गृह जनपद में ही किया जाता है परन्तु प्रशासकीय आधार पर उन्हें गृह जनपद से बाहर भी स्थानान्तरित किया जा सकता है । सम्प्रति उनके स्थानान्तरण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

87–88–श्री मित्रसेन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों व औद्योगिक इकाइयों में विद्युत कटौती के कारण

89–श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत आपूर्ति में प्रदेश के शहरी क्षेत्र में फरवरी, सन् 1987 से कितने घण्टा की कटौती की जा रही है, और इस कटौती के कारण क्या हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के औद्योगिक इकाइयों में कटौती लागू हैं ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री—

15 फरवरी 87 से 31/3/87 तक प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निम्न निर्धारित कटौती के आदेश शासन द्वारा पारित किये गये थे:—

1–लखनऊ	एक घंटा प्रतिदिन
2–महानगर एवं विशेष श्रेणी के नगर	दो घंटा प्रतिदिन
3–जिला मुख्यालय एवं प्रथम श्रेणी के नगर	तीन घंटा प्रतिदिन
4–बुन्देलखण्ड	दो घंटा प्रतिदिन

100 वी0 एच0 पी0/75 के0 डब्लू या इससे अधिक लोड वाले अधिकतर उद्योगों पर 35% का पावरकट लागू किया गया ।

उक्त पावरकट के लागू करने का मुख्य कारण शीतकालीन वर्षा का समय से न होना, विद्युत उपलब्धता के सापेक्ष विद्युत मांग का बढ़ जाना एवं तापीय उत्पादन का कम होना था जिसमें सुधार आने पर पावरकट हटा दिए गए ।

पावरकट हट जाने के उपरान्त प्रदेश के शहरों एवं औद्योगिक इकाइयों पर कोई निर्धारित कटौती लागू नहीं थी ।

माह जून एवं जुलाई, 87 में वर्षा न होने के कारण एवं सूखे की स्थिति से निपटने के लिए दिनांक 5-7-87 से 15-7-87 तक कुछ उद्योगों पर शत-प्रतिशत कटौती लागू कर दी गयी है ।

जनपद बस्ती के ग्राम डंडवार शुल्क के विद्युतीकरण की मांग

90–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विकास खण्ड मिठवल के ग्राम डंडवार शुल्क का अब तक विद्युतीकरण न करने का कारण क्या है जबकि विगत कई वर्षों से उस गांव में विद्युत के लिए खम्भे गड़े हैं और उनमें तार लगे हैं तथा ट्रान्सफार्मर भी लग गया है ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बस्ती के ब्लाक खेसरहा अन्तर्गत कतिपय ग्रामों के हरिजनों को आवंटित भूमि पर कब्जा

91—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या सरकार को जानकारी है कि बस्ती जिले के विकास खण्ड खेसरहा के ग्राम बेलवालगुनही और साहू खिरिया के 25 हरिजनों को सन् 75 में प्रति व्यक्ति एक एकड़ भूमि पट्टे के रूप में आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो अभी तक संबंधित व्यक्तियों को कब्जा क्यों नहीं मिला ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं । ग्राम सभा बेलवा लगुनही के भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 16-10-75 द्वारा केवल 24 व्यक्तियों को कृषि कार्य हेतु भूमि का आवंटन किया गया था । इसमें अनुसूचित जाति के 12 व्यक्तियों को एक एकड़ और 9 व्यक्तियों को एक एकड़ से कम तथा एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति को एक एकड़ एवं 2 अन्य जाति के व्यक्तियों में से एक को एक एकड़ तथा दूसरे को एक एकड़ से कम भूमि आवंटित की गयी थी । बाद में प्रस्ताव में अंकित 24 व्यक्तियों के स्थान पर अवैधानिक ढंग से 38 अन्य व्यक्तियों के शामिल हो जाने से इन अवैधानिक पट्टों का विवाद पैदा होने पर जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-198(4) के अंतर्गत वाद विचाराधीन होने के कारण कब्जा नहीं दिलाया जा सकता है ।

जनपद बस्ती के ग्राम बनकटा का विद्युतीकरण

92—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बनकटा, विकास खण्ड मिठवल जिला बस्ती का विद्युतीकरण न करने का क्या कारण है, जबकि बिगत दस वर्षों से गांव में विद्युत के खम्भे गाड़ कर तार खींचे जा चुके हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

ग्राम बनकटा का विद्युतीकरण दिनांक 30-3-1978 को किया जा चुका है । उक्त ग्राम में किसी भी व्यक्ति द्वारा विद्युत कनेक्शन न लिये जाने तथा ग्रामवासियों द्वारा बारम्बार अनधिकृत रूप से विद्युत शक्ति का प्रयोग किये जाने की स्थिति में ग्राम बनकटा की विद्युत लाइन को निर्जीव कर दिया गया है ।

श्री सतीश चन्द्र गुप्ता, तत्कालीन सहायक चकबन्दी अधिकारी, बरेली द्वारा ली गयी रिश्वत

93—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि बरेली जनपद में चकबन्दी अधिकारियों में से एक को इस वर्ष भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली ने रंगे हाथों पकड़ा है ? यदि हां, तो बरेली के चकबन्दी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, रिश्वत खोरी रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

श्री सतीश चन्द्र गुप्ता, सहायक चकबन्दी अधिकारी जनपद शाहजहांपुर जो उस समय जनपद बरेली में प्रतिनियुक्त थे, को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, बरेली द्वारा दिनांक 10-4-87 को रु0 300/- रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था।

श्री सतीश चन्द्र गुप्ता के विरुद्ध दिनांक 10-4-87 को थाना कोतवाली बरेली में भा0 द0 वि0 एवं पी0 सी0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग सं0 203/87 पंजीकृत कराया गया है। जिसकी विवेचना भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की जा रही है।

94—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु योजना

95—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के समस्त रोजगार कार्यालयों में वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 में कुल कितने लोगों ने नौकरी के लिये अपना पंजीकरण कराया और कितने लोगों को इस अवधि में नौकरी दी गयी ? क्या माननीय मंत्री जी अब तक कुल पंजीकृत बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिये कोई ऐसी योजना बनायेंगे जिससे उन्हें शीघ्र सेवा का अवसर मिल सके ? यदि हां, तो उस योजना का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

प्रदेश के समस्त सेवायोजन कार्यालयों में वर्ष 1985-86 में कुल 841969 तथा वर्ष 1986-87 में कुल 741843 बेरोजगार व्यक्तियों ने अपना पंजीकरण कराया। उक्त अवधि में क्रमशः 34595 तथा 29477 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया। सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में संवैतनिक रोजगार की रिक्तियों के विपरीत सम्प्रेषण करने के फलस्वरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। रोजगार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों को स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अपने उद्योग-धन्धे स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

96 से 98—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

99—श्री मित्रसेन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

ग्राम फिरोजपुर, तहसील मुहम्मदाबाद, गाजीपुर में अवैध कब्जा किए गये चकरोड

100—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम फिरोजपुर हरिजन बस्ती व अकबरपुर हरिजन बस्ती की समस्त चकरोड काश्तकारों द्वारा अवैध रूप से जोत ली गई है ? क्या अक्तूबर, 1986 में जिलाधिकारी गाजीपुर ने उक्त गांव का दौरा करने के बाद परगनाधिकारी मुहम्मदाबाद को यह निर्देश दिया था कि एक सप्ताह के अन्दर चकरोडों की नाप कराकर अवैध कब्जा हटा दिया जाय ? यदि हां, तो किन कारणों से अभी तक चकरोडों पर से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया है ? इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

जी हां । तद्नुसार इन बस्तियों के चकरोडों का मौके पर सीमांकन कर दिया गया है कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

101—श्री राज किशोर सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

102-103—श्री राज किशोर सिंह—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

104—श्री राम सजीवन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

बदायूं जनपद की कतिपय तहसीलों में भूमि का अवैध पट्टा

105—इन्जीनियर मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं की पांच तहसीलों में तहसील बदायूं (सदर) में कृषि एवं आबादी के लिये जमीन ग्राम सभाओं में होते हुए भी सबसे कम पट्टे पात्र लोगों को दिए गए हैं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और सरकार की नीति को लागू न करने पर सम्बंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार जनहित में तहसील सदर बदायूं में वर्ष 1987 तक पात्र लोगों में ग्राम सभाओं की पड़ी जमीन का आवंटन कराने का कष्ट करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं।

दिनांक 31-3-87 तक उपलब्ध कृषि योग्य भूमि 2968 हेक्टेयर में से 2307.02 हेक्टेयर भूमि 8216 पात्र व्यक्तियों को आवंटित की गयी जिसमें 5076 अनुसूचित जाति, 1685 पिछड़ी जाति तथा 1435 अन्य जाति के हैं। शेष 138.60 हेक्टेयर भूमि एवं पुनः उपलब्ध 122.00 हेक्टेयर भूमि अर्थात 160.60 हेक्टेयर भूमि का आवंटन नियमित प्रक्रिया के अनुसार चल रही है।

आवास स्थल आवंटन हेतु दिनांक 31-3-87 तक उपलब्ध 78.50 हेक्टेयर भूमि में से 77.82 हेक्टेयर भूमि 9276 व्यक्तियों में आवंटित की जा चुकी है जिसमें 5808 अनुसूचित जाति, 1125 पिछड़ी जाति तथा 2343 अन्य जाति के हैं। 0.68 के गत अवशेष को मिला कर अब 1,850 हेक्टेयर भूमि आवास स्थल आवंटन हेतु उपलब्ध है जिसमें से 0.32 हेक्टेयर का आवंटन 68 पात्र परिवारों को किया जा चुका है। शेष के नियमित आवंटन की प्रक्रिया चल रही है ।

आवंटन प्रक्रियाओं में अनियमितता बरतने के दोषी 2 प्रधानों व 2 लेखपालों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी है।

चीनी मिल गोला गोकरण नाथ, खीरी में एक दीवार गिरने से मृतकों के आश्रितों को सहायता

106–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 20-11-86 को चीनी मिल गोला गोकरण नाथ जिला-खीरी लखीमपुर परिसर के भीतर मिल के गोदाम की निर्माणाधीन एक दीवार के ढह जाने से अनेक मजदूरों की तत्काल मृत्यु हो गई थी तथा अनेक गम्भीर रूप से घायल हुए थे ? यदि हां, तो कितने मजदूर कार्य कर रहे थे ? कितने मरे तथा कितने घायल हुए ? मृतकों के आश्रितों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी गई तथा दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सैयद सईदुल हसन–

प्रश्नगत दुर्घटना दिनांक 20-11-86 को नहीं बल्कि 20-1-87 को घटित हुई थी । दुर्घटना के फलस्वरूप 5 श्रमिकों की तत्काल मृत्यु हो गई थी तथा 16 श्रमिक घायल हुए थे । दुर्घटना के दिन लगभग 40 श्रमिक निर्माण कार्य पर थे । मृतकों के आश्रितों को 5-5 हजार रुपये अनुग्रह एवं तात्कालिक सहायता के रूप में कारखाना प्रबन्धकों द्वारा दिया गया है । इसके अतिरिक्त वर्कमैन कम्पनसेशन कमिश्नर, लखीमपुर खीरी के समक्ष क्षतिपूर्ति की धनराशि के बैंक ड्राफ्ट दाखिल किये गये हैं । पुलिस द्वारा इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है ।

सिकन्द्राराऊ के अमसौली ग्राम का विद्युतीकरण

107–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के सिकन्द्राराऊ क्षेत्र में अमसौली मंदिर स्थान पर स्थित कंजड़ परिगणित जनजाति बस्ती का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री–

जनपद अलीगढ़ के सिकन्द्राराऊ क्षेत्र में अमसौली ग्राम एवं उसकी हरिजन बस्ती पहले से ही विद्युतीकृत है । अमसौली मंदिर स्थान एक उपबस्ती है, जिसकी निकटतम विद्युत लाइन से दूरी लगभग आधा कि0 मी0 है । वर्तमान नीति के अनुसार इस बस्ती का विद्युतीकरण अभी सम्भव नहीं है ।

ग्राम रजखड़, तहसील दुद्धी, मिर्जापुर के काश्तकारों के प्रार्थना पर कृत कार्यवाही

108–श्री विजय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के ग्राम रजखड़ के काश्तकारों का प्रार्थना पत्र दिनांक 18-8-86 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम प्रधान रजखड़ तहसील बुढ़धी, मिर्जापुर द्वारा अपनी पत्नी के नाम अवैध पट्टा

109–श्री विजय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि जनपद मिर्जापुर के बुढ़धी तहसील के ग्राम रजखड़ के ग्राम प्रधान से बिना सक्षम अधिकारी की परमीशन के अपनी दूसरी पत्नि के नाम पट्टे किये हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी विस्तृत जांच कराकर ग्राम प्रधान एवं लेखपाल के अलावा दोषी पाये गये कर्मचारी व अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम दहेरी, मुरादाबाद के हरिजनों के आवास हेतु आवंटित भूमि का कब्जा

110–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के ग्राम दहेरी के हरिजनों को आवास हेतु मिली आवंटित भूमि पर कब्जा क्यों नहीं दिलाया जा रहा है ? क्या पट्टेदारों को कब्जा दिला देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

वर्ष 1975 में खसरा नं0 259/2-00 व 49/1-00 की भूमि आवास हेतु आवंटित की गयी थी । भूमि पर काबिज व्यक्ति सकटू लाल की आपत्ति पर सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है ।

वर्ष 1987 में भूमि प्रबन्धक समिति ने 15 व्यक्तियों को आवास आवंटन हेतु प्रस्ताव पास किया था परन्तु श्री बदलू जो अनुसूचित जाति के हैं, ने दिनांक 30-6-85 के पूर्व कब्जे के आधार पर अपना नाम भूमि अभिलेखों में अंकित कराने हेतु वाद दायर किया है, जो विचाराधीन है । हालांकि उपरोक्त 15 व्यक्तियों में से 10 व्यक्तियों ने स्वतः स्थल पर कब्जा कर लिया है ।

अतः कब्जा दिलाये जाने का अभी प्रश्न नहीं उठता है ।

111–112–श्री मित्रसेन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

तहसील गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद में विचाराधीन मुकदमें

113–श्री कनक सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तह0 गढ़मुक्तेश्वर जिला गाजियाबाद में तहसील स्तर पर 122 बी दाखिल खारिज, वसीयत, डोलबन्दी तथा पट्टे आदि के कितने मुकदमें 2 वर्ष से चार वर्ष की अवधि के विचाराधीन हैं ? उक्त मुकदमें निपटाने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद गाजियाबाद की तह0 गढ़मुक्तेश्वर में दाखिल खारिज वसीयत तथा पट्टे आदि का कोई मुकदमा दो वर्ष से चार वर्ष की अवधि का विचाराधीन नहीं है । धारा-122बी तथा डोलबन्दी के क्रमशः 5 एवं 10 मुकदमें दो वर्ष से चार वर्ष की अवधि के विचाराधीन हैं जिनके शीघ्र निस्तारण के लिए कलेक्टर गाजियाबाद को निर्देशित कर दिया गया है।

114–श्री महेन्द्र भाटी–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

115–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

116–श्री अफजाल अंसारी–

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

117–श्री राम सजीवन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

118–श्री राम चन्द्र बक्श सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

119–श्री अफजाल अंसारी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

तहसील मुहम्मदाबाद, गाजीपुर में हरिजन बस्तियों के चकरोडों पर अवैध कब्जा

120–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहांमदाबाद में ग्राम फिरोजपुर, सुल्तानपुर, गठऊत, सिलाइच, रायपुर, मीरापुर, की हरिजन बस्तियों के सभी चकरोड जोत कर उन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब तक उन चकरोडों को नाप कर खाली करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां । जनपद गाजीपुर की तहसील मु0बाद के ग्राम फिरोजपुर, सुल्तानपुर, कठउत, सिलाइच, रायपुर तथा मिरानपुर के हरिजन बस्तियों के सभी चकरोड मौके पर सीमांकन करके खाली करा दिए गए हैं । इन चकरोडों पर किए गए अतिक्रमण हटा दिए गए हैं और सभी चकरोड आवागमन के लिए खाली हैं ।

121–डाक्टर दिनेश जौहरी–

[5वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

122 से 125–श्री अकबर हुसैन बाबर–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

126–श्री विष्णु देव–

[दिनांक 3-7-87 को अता0 प्र0 सं0 126 द्वारा उत्तरित]

127–श्री रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवाओं को पेंशन

128–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में गत वर्ष 1985-86 और 1986-87 में कितनी विधवाओं को पेंशन स्वीकृत हुयी ? क्या यह भी सच है कि पेंशन स्वीकृत विधवाओं को प्रदेश भर में गत एक वर्ष से पेंशन नहीं मिली है जिससे उनका जीवन कष्ट में है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी –

निराश्रित विधवाओं को पेंशन नहीं अपितु भरण पोषण अनुदान वर्षानुवर्ष दिया जाता है । वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 प्रदेश में अनुदान प्राप्त करने वाली विधवाओं की संख्या-1,23,182 रही ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

129–श्री राम जनम–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

श्री साहिद हुसैन वारसी, यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग्स मिल बाराबंकी के सेवा मुक्ति विषयक श्री राम पियारे सुमन सांसद तथा प्रियदर्शी जेतली के पत्र पर कृत कार्यवाही

130–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम पियारे सुमन सांसद व श्री प्रियदर्शी जेतली पूर्व विधायक का पत्र जो श्री साहिद हुसैन वारसी यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग्स बाराबंकी को धोखाधड़ी से एक उच्च अधिकारी द्वारा सेवा मुक्ति की कार्यवाही को लेबर कोर्ट में रिफरेन्स हेतु भेजने के संबंध में था माह दिसम्बर, 1986 में प्राप्त हुआ था और क्या उक्त पत्रों को सचिव श्रम को 30-1-87 को भी भेजा गया है ? यदि हां, तो उक्त संबंध में क्या आदेश किये गये हैं ?

श्री सैयद सईदुल हसन–

जी हां ।

संबंधित श्रमिक श्री साहिद हुसैन वारसी को अपना वाद निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत संराधन तंत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जा चुका है ।

जिला प्रशासन बुलन्दशहर के कतिपय ग्रामों के हरिजनों को भूमि का पट्टा तथा उसका कब्जा

131–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में जिला प्रशासन बुलन्दशहर द्वारा तह0 बुलन्दशहर में कितने ग्रामों में कितने हरिजनों को पट्टों का आवंटन करने के उपरान्त कब्जा दिलाया गया ? क्या ग्राम बरहना एवं भैंसोड़ा में हरिजनों को पट्टों पर कब्जा दिलाया गया ? यदि हां, तो कितने को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बस्ती की तहसील नगर में बर्डपुर नम्बर-1 टोला पिपरहवा के क्षेत्रों पर शाक्यवंशज और केन्द्रीय सरकार के नाम वर्ष भूमि

132–श्री धनराज यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि बस्ती जिले के नगर तहसील में बर्डपुर नं0 1 पिपराहवा में खतौनी 1373 से लगायत 1375 में कोट शक्य वंशज केन्द्रीय सरकार के नाम से नं0 1985 पांच बीघा चौदह बिस्वा पांच धुर दर्ज था और इसी तरह से इसी खतौनी में

कुल मिलाकर 35 बीघा 5 विस्वा 18 धुर कैसरे हिन्द केन्द्रीय सरकार के नाम दर्ज था, जिसे कुछ लोगों ने चकबन्दी के दौरान अपने नाम दर्ज करा लिया है ? यदि हां, तो इस ऐतिहासिक धरोहर भूमि को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए प्रश्नगत नं0 और क्षेत्रों पर शाक्यवंशज और केन्द्रीय सरकार का नाम दर्ज करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद बस्ती की तहसील नौगढ़ में बर्डपुर नम्बर-1 टोला पिपरहवा में वर्ष 1373 लगायत 1375 फ0 की खतौनी खाता संख्या-348 में भूखण्ड संख्या 1895 क्षेत्रफल 5-14-5 कोट शाक्य वंशज और केन्द्रीय सरकार के नाम अंकित था और वर्तमान समय में भी यहीं इन्द्राज बदस्तूर अंकित है ।

इसी ग्राम में मिल्कियत सरकार कैसरे हिन्द के नाम 35-5-16 (पैंतिस बीघा पांच विस्वा सोलह धुर) क्षेत्रफल अंकित है । चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत उक्त नम्बरों के स्वत्व में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

133–श्री शारदा नन्द अंचल–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

134–श्री जयदीप सिंह बरार–

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

135–श्री काशी सिंह ऐरी–

[दिनांक 7-7-87 को अता0 प्र0 सं0 153 द्वारा उत्तरित]

136–श्रीराम चन्द्र बख्श सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

137–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

138–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

139–श्री शारदा नन्द अंचल–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

मेसर्स प्रशान्त ग्लास वर्क्स प्रा0 लि0 महुआडीह वाराणसी के मजदूरों की मांग

140–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेसर्स प्रशान्त ग्लास वर्क्स प्रा0 लि0 महुआडीह, वाराणसी के मजदूरों ने 17 जून, 1986 से हड़ताल की थी ? यदि हां, तो उनकी मांगे क्या थीं तथा उन पर क्या कार्यवाही गयी ?

श्री सैयद सईदुल हसन–

जी हां ।

प्रतिष्ठान के श्रमिकों की मुख्य मांगें न्यूनतम वेतन देना, विगत में निष्कासित कर्मचारियों को पूर्ववत् काम पर लेना, 20 प्रतिशत बोनस दिया जाना, फर्नेस भट्टी आदि की सुविधा उपलब्ध कराना, तथा कर्मचारियों को छुट्टी संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित थी । उप श्रमायुक्त, वाराणसी द्वारा संराधन कार्यवाही की गयी और पक्षों के मध्य समझौता वार्तायें कराई गई जिसके फलस्वरूप उभय पक्षों के बीच दिनांक 25-10-86 को एक समझौता सम्पन्न हो गया ।

141—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

तहसील बुलन्दशहर के ग्रामों के अनधिकृत चकरोड

142—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बुलन्दशहर जनपद बुलन्दशहर में राजस्व परिषद् के आदेशों द्वारा कितने ग्रामों के चकरोडों से वर्ष 1986 में अनाधिकृत कब्जों को हटाया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की योजना

143—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न जनपदों के जिला रोजगार कार्यालयों में कितने शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं ? उनको रोजगार दिलाने की क्या-क्या योजनायें हैं ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों की संख्या संलग्न परिशिष्ठ में दी गई है ।

बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार दिलाने के लिये शासन द्वारा निम्नलिखित योजनायें कार्यान्वित की जाती हैं:—

1—सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सेवायोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के लिये बेरोजगार अभ्यर्थियों का सम्प्रेषण सेवायोजन कार्यालयों द्वारा करने के उपरान्त सेवानियोजित कराया जाता है ।

2—संवेतन रोज़गार की सीमित सम्भावनाओं को देखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को स्वत: रोजगार के लिये प्रेरित किया जा रहा है तथा उन्हें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण दिलाकर उन्हें अपने उद्योग-धन्धे स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है ।

3—शिक्षित प्रशिक्षण योजना, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना तथा कोचिंग-कम-गाइडेन्स सेन्टर (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग हेतु) के अधीन बेरोजगार व्यक्तियों के कौशल में वृद्धि करने के पश्चात उनकी सेवायोजकता में वृद्धि की जाती है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 182 पर)

ग्राम डिहिया, परगना अंगुली, तहसील शाहगंज जौनपुर में हरिजन बस्तियों हेतु मार्ग की मांग

144—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम डिहिया (डिहई) परगना अंगुली तहसील शाहगंज जनपद जौनपुर चकबन्दी प्रक्रिया के अंतर्गत है ? यदि हां, तो क्या सरकार डिहिया ग्राम के हरिजन बस्तियों तक जाने के मार्ग हेतु भूमि देने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

ग्राम डिहिया परगना अंगुली तहसील शाहगंज जिला जौनपुर में हरिजन बस्तियों तक जाने हेतु मार्ग की व्यवस्था चकबन्दी प्रक्रिया के अंतर्गत कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम बरनवार विकास खण्ड खेसरहा, बस्ती का विद्युतीकरण

145—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरनवार विकास खण्ड खेसरहा जिला बस्ती का विद्युतीकरण न करने का क्या कारण है जबकि विगत पांच वर्षों से उस ग्राम में तथा उसके पुरवा सोरवा में तीन दर्जन से अधिक विद्युत के खम्भे गिर पड़े है ?

श्री सुनील शास्त्री—

ग्राम बरनवार का विद्युतीकरण एल0 टी0 मेंस बिछाकर राजकीय सामान्य योजना के अंतर्गत किया जाना है जिसके लिये निर्धारित शर्त यह है कि ग्राम में विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु इतने प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जावें कि विद्युतीकरण पर आने वाली कुल लागत पर 15 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ सुनिश्चत हो जाये । अभी तक किसी भी ग्रामवासी ने रु0 25/- अर्नेस्ट मनी की धनराशि के साथ विद्युत कनेक्शन लेने हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया है । अतः ग्राम बरनवार का विद्युतीकरण किया जाना अभी संभव नहीं है ।

जहां तक ग्राम में विद्युत खम्भे पड़े होने का प्रश्न है, ग्रामवासी स्वयं बलपूर्वक खम्भे उठा ले गये है जिन्हें वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है ।

तहसील बांसी, बस्ती के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण

146—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड मिठवल तहसील बांसी जनपद बस्ती के बनगवां तथा बर्गदवा ग्रामों में ग्रामीण विद्युतकरण योजना के अंतर्गत बिजली के खम्भे तथा तार और ट्रासफार्मर कब-कब लगाये गये और इन ग्रामों में विद्युत की लाइन कब से दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

विकास खण्ड मिठवल तहसील-बांसी जनपद-बस्ती के बनगवां तथा बरगदवा ग्रामों का ऊर्जीकरण ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 1984-85 में किया गया था तथा तभी से विद्युत लाइन दी जा रही थी, परन्तु आज तक किसी भी उपभोक्ता ने विद्युत कनेक्शन के लिए उपरोक्त ग्रामों में आवेदन नहीं किया है । कुछ ग्राम वासियों द्वारा अनधिकृत रूप से बिजली का उपयोग करने के कारण तथा ऐसा करते समय सम्भावित दुर्घटना से बचाव हेतु विद्युत लाइन अनुर्जित कर दी गई है ।

147–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड मिठवल जनपद बस्ती के ग्राम सिसई कला में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण कब किया गया और अभी तक इस ग्राम के हरिजन टोला में विद्युतीकरण न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री–

जनपद बस्ती के विकास खण्ड मिठवल के अंतर्गत ग्राम सिसई कला एवं उसके हरिजन टोला का विद्युतीकरण अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है ।

ग्राम पचारी खुर्द विकास खण्ड रुधौली, बस्ती के विद्युतीकरण हेतु खम्भों का प्राक्कलन

148–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड रूधौली जनपद बस्ती के ग्राम पचारी खुर्द में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण किये जाने हेतु कुल कितने खम्भों की लाइन का प्राक्कलन तैयार किया गया इनमें से कितने-कितने खम्भे गांव तक लाइन पहुंचाने में और कितने-कितने खम्भे गांव के अंदर लगाना प्रस्तावित किया गया और कितने-कितने खम्भे लगाये गये ?

श्री सुनील शास्त्री–

विकास खण्ड रूधौली जनपद बस्ती के ग्राम पचारी खुर्द में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कुल 21 खम्भों की लाइन का प्राक्कलन तैयार किया गया । गांव तक लाइन पहुंचाने में कोई खम्भा प्रस्तावित नहीं किया गया क्योंकि गांव के पास डबल पोल व ट्रान्सफारमर मौजूद था । गांव के अन्दर 21 खम्भों प्रस्तावित किये गये और मात्र 17 खम्भे लगाए गये । शेष 4 खम्भे ग्राम-वासियों के दो गुटों में झगड़े से विद्युतकरण कार्य में अवरोध उत्पन्न होने के कारण अभी नहीं लगाए जा सके हैं ।

149–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

150–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

151 से 153–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने कारण हटाये गये]

श्री गब्बू सिंह, ग्राम पिपरा मुगलान थाना पिपराइच गोरखपुर के विद्युत से जल जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

154—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में विकास खण्ड पिपराईच के अंतर्गत ग्राम पिपरामुगलान थाना पिपराइच की श्रीमती इन्द्रावती पुत्र श्री गब्बू सिंह को विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण विद्युत के टूटे तार से दिनांक 12-3-85 को बुरी तरह जल जाने की घटना के बारे में प्रश्नकर्ता विधायक पिपराइच का पत्र दिनांक 26-6-85 शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उसकी जांच का आदेश देकर रोगी को मुआवजा दिलाया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्रामिण क्षेत्रों में हरिजनों को जाति प्रमाण-पत्र

155—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजनों को जाति-प्रमाण पत्र बनवाने में तहसील तक कई बार आने जाने में अनावश्यक व्यय करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या हरिजनों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्रमाण-पत्र उनके ग्रामों में लेखपाल द्वारा उनको उपलब्ध करा दिये जाने की योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

लेखपाल द्वारा जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र तहसीलदार स्तर से नीचे किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जारी करना नियमानुकूल नहीं है ।

156—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

बांसी तहसील, बस्ती में अग्निकाण्ड की क्षति पूर्ति

157—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की बांसी तहसील में अप्रैल सन् 86 से लेकर जून सन् 87 तक अग्नि काण्ड की कुल कितनी घटनाएं हुई तथा कुल क्षति का क्या अनुमान है ? क्षति पूर्ति के रूप में सरकार ने किनको कितनी-कितनी धनराशि दी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद बस्ती की बांसी तहसील में प्रश्नगत अवधि में अग्निकांड की कुल 375 घटनायें हुई जिनमें कुल क्षति रु0 34,59,126 अनुमानित है । क्षतिपूर्ति का कोई प्राविधान नहीं है । पीड़ित परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से शासन

द्वारा पात्र पीड़ित परिवारों को दिनांक 30 जून, 1987 तक 2,38,750 रुपये की धनराशि निम्नलिखित मदों में वितरित की जा चुकी है:-

1—अहैतुक सहायता	1,57,650/-रुपया
2—गृह अनुदान	31,400/-रुपया
3—अनुग्रह अनुदान	49,700/-रुपया

राहत वितरण सूची लम्बी है और सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराना संभव नहीं है परन्तु प्रश्नकर्ता उक्त सूची को राजस्व राज्य मंत्री के कार्यालय में देख व प्राप्त कर सकते हैं ।

158—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[दिनांक 30-6-87 को अता0 प्र0 सं0 140 द्वारा उत्तरित]

159—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

प्रदेश के ब्लाकों में श्रम संगठनों की नियुक्ति एवं संख्या

160—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ग्राम्य विकास तथा पंचायती राज्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्पर्ण प्रदेश में इस समय कितने ब्लाकों में श्रम संगठन नियुक्त हैं और इनमें से सीतापुर जिले में कितने हैं ? क्या यह सही है कि सीतापुर में नियुक्त श्रम संगठनों को कई माह का वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो वेतन कब तक दे दिया जायगा ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

161—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

ग्राम गहोरा तप्पा राजधानी तहसील सदर, गोरखपुर में स्कूल हेतु सुरक्षित ग्राम सभा के भूमि का अवैध पट्टा तथा स्कूल के सामने पड़ी भूमि को स्कूल के पक्ष में करने की मांग

162—श्रीमती शारदा देवी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गहोरा तप्पा राजधानी, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर में आराजी नं0 58/0-24 डि0 भूमि स्कूल व आराजी नं0 59/1-58 डि0 भूमि खेल के मैदान हेतु चकबन्दी द्वारा ग्राम सभा में स्कूल हेतु सुरक्षित की गई थी ? यदि हां, तो क्या स्कूल व स्कूल के खेल के मैदान की भूमि श्रेणी-3 में पट्टे पर किसी सरकारी कर्मचारी के नाम से या उसके परिवार के व्यक्ति के नाम खसरा व खतौनी में दर्ज की गई है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । आराजी नं0 58/0·20 स्कूल के लिए सुरक्षित है और इसका कोई आवंटन नहीं किया गया है आराजी सं0 59/1-54 खेल के मैदान के लिए सुरक्षित की गई थी जिसे दिनांक 27-5-71 के परगनाधिकारी के आदेश के अनुसार 59/1/

0.84 श्री हरजू पुत्र पाल एवं 59/2/0.70 श्री मरजू पुत्र गरीब (दोनों हरिजन आबंटी) को बतौर आसामी श्रेणी-3 साल-ब-साल आबंटित कर दी थी । इनमें से श्री हरजू सा0 नि0 विभाग में गैंग मेट पर कार्यरत है । इस आवंटित भूमि के 51×21 फुट स्थल पर राजकीय कन्या बेसिक स्कूल भी चल रहा है । चूंकि यह सुरक्षित भूमि थी अतः पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । दोषी कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर दण्डित करने की कार्यवाही जिलाधिकारी स्तर से की जा रही है ।

163–श्रीमती शारदा देवी–

क्या राजस्व मंत्री को यह भी मालूम है कि सन् 1978 से आराजी नं0 59 में 51×21 फुट का कमरा बनाकर राजकीय कन्या बेसिक जू0 हाई0 स्कूल चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आराजी को स्कूल व स्कूल के मैदान की भूमि स्कूल के पक्ष में करने हेतु उचित आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां । प्रश्नगत भूमि खेल के मैदान के लिए आरक्षित है । स्कूल द्वारा आवंटन हेतु आवेदन करने पर यथोचित कार्यवाही कर दी जाएगी ।

164–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

तहसील डीडीहाट में (थल) नामक स्थान पर बने शिवमन्दिर की भूमि पर अवैध कब्जा

165–श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या राजस्व मंत्री द्वितीय सत्र 1986 के प्रथम शुक्रवार के निर्धारित अता0 प्र0 सं0 53 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत भूमि व भवन पर श्री गौरी दत्त भट्ट पुत्र श्री धर्मानन्द का कब्जा कब से चल रहा है ? इस अवैध कब्जे को सार्वजनिक/सांस्कृतिक महत्व होने के कारण तुरन्त खाली न कराये जाने का क्या कारण है? इस अवैध कब्जे को अतिशीघ्र पूरी तरह खाली कराने एवं इस अवधि में किये गये भूमि का व्यापारिक उपयोग के लिए अर्थ दंड देने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत भूमि व भवन पर श्री गौरी दत्त भट्ट पुत्र श्री धर्मानन्द का कब्जा दिनांक 19-4-77 से है। इस अवैध कब्जे के विरुद्ध समय से कार्यवाही न करने के कारण दोषी पाये गये कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। अनधिकृत कब्जे को शीघ्र विधिक प्रक्रिया के अनुसार खाली कराने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। प्रश्नगत भूमि का व्यापारिक प्रयोग नहीं पाया गया अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

चिनहट विद्युत उपकेन्द्र, लखनऊ द्वारा कोल्ड स्टोरेज को विद्युत की आपूर्ति

166–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिनहट विद्युत उपकेन्द्र, लखनऊ से कितने कोल्ड स्टोरेज को विद्युत आपूर्ति की जाती है एवं इन स्टोरेज की क्षमता कितनी-कितनी है? क्या मंत्री जी इन स्टोरेजों को पिछले दो वर्षों (1985 तथा 1986) में आपूर्ति की गई विद्युत एवं उनमें वसूल की गई धनराशि का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

चिनहट विद्युत उपकेन्द्र से सात शीतगृहों को विद्युत आपूर्ति की जाती है। इन शीतगृहों की क्षमता गत दो वर्षों 1985- व 1986 में की गयी विद्युत आपूर्ति व उनसे वसूली गयी धनराशि का विवरण संलग्न विवरण पत्र में दर्शाया जा रहा है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 184 पर)

सेवा निवृत्त लेखपाल, श्री लक्ष्मी नारायण लाल तहसील फरेंदा, गोरखपुर की पेंशन तथा ग्रेच्युटी

167–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लक्ष्मी नारायण लाल पुत्र श्री अक्षैबर लाल स्थायी लेखपाल तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर जो कि 14-3-76 को अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, उनको ग्रेच्युटी और पेंशन न मिलने का क्या करण है?

श्री सुनील शास्त्री—

श्री लक्ष्मी नारायण लाल, सेवा निवृत्त लेखपाल द्वारा वांछित पेन्शन प्रपत्र दाखिल न करने के कारण उनको पेन्शन तथा ग्रेच्युटी स्वीकृत करने की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

तत्कालीन प्रोग्राम अधिकारी (निलम्बित) वाराणसी (श्री राय) के निर्माणाधीन भवन में लग रहे धन का स्रोत

168–श्री मयंकर सिंह तथा श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन प्रोग्राम अधिकारी (निलम्बित) वाराणसी (श्री राय) का मोहल्ला महमूरगंज वाराणसी में कोई निजी (नव-निर्मित) मकान बना है? यदि हां, तो इस भवन की मौजूदा कीमत क्या होगी? क्या शासन इस बात की जांच करना चाहेगा कि उक्त कीमती भवन के निर्माण में लगे धन का क्या स्रोत है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

जिलाधिकारी, वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार तत्कालीन प्रोग्राम अधिकारी (निलम्बित) (श्री राय) वाराणसी के नाम महमूरगंज, वाराणसी में कोई निजी मकान नही बना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा फिरोजपुर तहसील मुहम्मदाबाद-गाजीपुर में हवाई पट्टी हेतु कुल भूमि तथा ग्राम समाज के भूमि पर अवैध कब्जा

169—श्री अफजाल अंसारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा फिरोजपुर में हवाई पट्टी के मद की कुल कितनी भूमि है और इस समय कितनी भूमि पर हवाई पट्टी है तथा कितनी भूमि जोती बोई जा रही है? क्या सरकार को ज्ञात है कि इस भूमि के अतिरिक्त भी 97 बीघा भूमि इस गांव सभा में गांव समाज की है जो अवैध रूप से कब्जा करके जोती बोई जा रही है? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय विशेष दल भेजकर इस पूरे प्रकरण की जांच करायेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम सुरतापुर खास, तहसील मुहम्मदाबाद, गाजीपुर के ग्राम समाज की भूमि को अवैध पट्टा

170—श्री अफजल अंसारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सुरतापुर खास में दिनांक 6-5-86 को भूमि प्रबन्धक समिति ने गांव सभा की भूमि के पट्टे का कोई प्रस्ताव किया था, जिसके अनुसार अपात्र व्यक्तियों में गांव सभा की भूमि वितरित की गई है? क्या इसके सम्बन्ध में गांव के भूमिहीनों ने व प्रश्नकर्ता ने परगनाधिकारी, मुहम्मदाबाद को इस प्रस्ताव की जांच करने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया था? यदि हां, तो क्या प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री गरजन, ग्राम रामनगर, बस्ती की करेन्ट लगने से मृत्यु विषयक पत्र पर मुआवजा देने की कार्यवाही

171—कर्नल केशरी सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के रामनगर गांव (ब्लाक रामनगर) में अप्रैल, 1985 में विद्युत के तार टूट जाने के कारण करेन्ट लगने से श्री गरजन की जो मृत्यु हो गयी थी उसके परिवार को प्रश्नकर्ता के बार-बार अनुरोध पर भी अभी तक किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो कब तक इस असहाय परिवार को उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में तृतीय श्रेणी के पद पर अवैध नियुक्ति विषयक शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

172—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवायोजन कार्यालय लखनऊ में वर्ष 1985 में बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा प्रेषित कितने शिकायती पत्र इस आशय के प्राप्त हुए हैं कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग, लखनऊ में तृतीय श्रेणी के पदों की अधिसूचना किए बगैर ही नियुक्तियां कर ली गयी हैं? इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सैयद सईदुल हसन–

तथाकथित अध्यक्ष, जिला समिति अभ्यर्थी संघ की ओर से प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधीन तृतीय श्रेणी के पदों को बिना अधिसूचना के भरे जाने के सम्बन्ध में 7 शिकायती पत्र जिला चयन समिति को प्राप्त हुये। शासनादेश सं0-27/2/1974-कार्मिक-2 दिनांक 15 फरवरी, 1982 के परिपेक्ष्य में प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पूछा गया कि प्रश्नगत रिक्तियों में 30-6-80 से पूर्व कितनी रिक्तियां हैं, उन्हें क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, लखनऊ को अधिसूचित किया जाय। प्रमुख अभियन्ता की ओर से प्राप्त पत्र दिनांक 28-3-85 में ऐसी रिक्तियों की संख्या 8 अधिसूचित की गयी जिनके समक्ष चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची में से 8 नाम भेजे गये जिनकी नियुक्ति हो गयी।

विकास खण्ड जरबोली, टिहरी गढ़वाल में स्पेशल कम्पोनेन्ट के अधीन उपलब्ध करायी गयी धनराशि

173–श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जरबोली विकास खण्ड में स्पेशल कम्पोनेन्ट के अधीन विगत पांच वर्षों में कितनी धनराशि वर्षवार दी गयी थी? इस धन से हुए कार्य के लिए प्रमुख क्षेत्र समिति, जरबोली जनपद टिहरी गढ़वाल ने क्या अपनी असहमति असन्तोष समय-समय पर क्षेत्र समिति की बैठक में उठायी थी? यदि हां, तो इस संदर्भ में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जरबोली विकास खण्ड में स्पेशल कम्पोनेन्ट के अधीन विगत पांच वर्षों में 11-20 लाख रु0 की धनराशि निम्नानुसार दी गई :–

वर्ष 1982-83	6–20 लाख रु0
वर्ष 1983-84	5–00 लाख रु0
वर्ष 1984-85	– –
वर्ष 1985-86	– –
वर्ष 1986-87	– –
योग	11–20 लाख रु0

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें (व्यवधान) किसको आप बुला रहे हैं।

(समय 12 बज कर 20 मिनट पर)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तारांकित प्रश्न संख्या 6 नत्थी (ग) यह प्रश्न 25-4-87 को मैंने यहां दिया था आज कितने दिन हो गये इसमें मैंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि गोरखपुर के उप विकास आयुक्त क्या 35 लाख रुपये की खिचड़ी आपूर्ति में भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो वह संदर्भित बिन्दु क्या-क्या हैं? इसका उत्तर मंत्री जी चार महीने बाद देती है कि सूचना एकत्रित की जा रही है । तो हमारे अधिकारों के संरक्षक आप हैं । आपने करण पढ़ कर सुनाया । तो यह तो उस समय होता जब कोई स्पष्ट सूचना इस प्रश्न में नहीं मांगी गई होती। तो मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि क्या मामले की उप विकास आयुक्त जांच कर रहे हैं। तो इसमें सूचना एकत्र करने की जरूरत कहां से आई है? श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के पी0 ए0 इस मामले में डायरेक्ट मिथिलेश पाण्डे ग्राम सेविका से संबंधित हैं, उनकी रिश्तेदार श्रीमती पाण्डे हैं । उनको ही यह 35 लाख रु0 एशो-आराम के लिए दिया गया है। इसलिए पर्दा डालने के लिए इस प्रश्न को दबाया जा रहा है और सूचना एकत्र करने का बहाना कर स्थगित करने के लिए कहा गया है और सूचना एकत्रित की जा रही है का नाटक किया गया है। इस तरह से प्रश्नों के उत्तर टाल कर सरकार भ्रष्टाचार को प्रश्रय दे रही है। इस प्रश्न की जांच के लिए स्पष्ट आदेश दें और इसके लिए सदन की एक कमेटी का गठन कर दें।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

इस प्रश्न से भिन्न पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है पहले आप इस पर निर्णय देना चाहे तो दे दें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसी प्रश्न से संबंधित मेरे दो शब्द सुन लें। मान्यवर, माननीय सदस्यों की उत्तेजना का कारण स्पष्ट है आप प्रश्न को देखने की कृपा करें। यह सही है कि आप उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं लेकिन उत्तर संगत होना चाहिए। यह प्रश्न एक सामान्य और छोटा सा है कि क्या इस मामले की जांच किसी अधिकारी से कराई जा रही है, तो यह जानकारी तो हाट लाइन से मालूम करके दे सकते हैं हां या ना में कह सकते हैं। लेकिन माननीया मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसमें कहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो इस उत्तर से माननीय सदस्यों के मन में द्वेष पैदा हो गया है कि क्या सरकार किसी के दबाव में आकर या किसी को लाभ पहुंचाने के लिए राग-द्वेष से उत्तर को दबाना चाहती है। हाट-लाइन से सूचना मांगी जा सकती है। यह सही है कि आप दबाव नहीं डाल सकते हैं लेकिन आपको पूरा अधिकार है निर्देश देने का। इसमें सदन की 4 सदस्यों की कमेटी बना दें और उसके सामने इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच का निर्देश दे सकते हैं वह कमेटी जांच करके रिपोर्ट दे देगी। यह गम्भीर मामला है और आरोप भी गम्भीर हैं उनके निजी सचिव का इसमें इनवालवमेंट है। इसलिए मंत्री जी की छवि साफ हो जाये, इसलिए सदन की कमेटी बना दें और उसको जांच सौंप दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, आपने करण का जो हवाला दिया मेरा केवल एक निवेदन है कि मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है, इस बारे में कहते कि गोरखपुर के जो उप विकास आयुक्त हैं वह जांच कर रहे हैं और इस पर पूछा जाता कि उसमें क्या हुआ? तब तो हम मान लेते कि जांच पूरी नहीं हुई इसलिए सूचना एकत्र की जा रही है। लेकिन इस बात के लिए कि गोरखपुर के उपविकास आयुक्त जांच कर रहे हैं कि नहीं, तो यह भी नहीं बता सकतीं, इसमें क्या सूचना एकत्र करने की जरूरत है।

मान्यवर, इसके अलावा खिचड़ी के लिए यह रुपया एलाट हुआ था कि नहीं, उस जिले में 35 लाख रुपया एलाट नहीं हुआ तो कितना हुआ था। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी पीठ से जहां करण के बारे में व्यवस्था दे देते हैं, नियमों का हवाला देते हैं, तो यह भी आप देखें कि शासक दल प्रश्नों के साथ न्याय कर रहा है कि नहीं। यदि नहीं कर रहा है तो आपकी पीठ से शासक दल को भी निर्देशित करने का पूरा अधिकार है। यदि वैसा नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि इस सचिवालय पर भी सरकार हावी हो गयी है जबकि आपकी कुर्सी से सचिवालय में किसी की ऊंची कुर्सी नहीं है और जिस पर आप बैठते हैं वह सम्मान का प्रतीक है। इसलिए इस प्रश्न के साथ न्याय न करें तो कम से कम उस कुर्सी के साथ तो न्याय करें, इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें।

*ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, इसमें माननीय सदस्यों की रुचि है जिससे स्पष्ट है कि आरोप भी गम्भीर है। लेकिन जांच के बाद यह स्थिति श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी उठाते तो ठीक होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उन्होंने जानबूझकर प्रश्न को नहीं पढ़ा, यदि पढ़ा होता तो ऐसा प्रश्न न उठाते, चूंकि प्रश्न है कि–35 लाख रुपये की खिचड़ी आपूर्ति में व्यापक अनियमितता की जांच उप-विकास आयुक्त, गोरखपुर द्वारा करायी जा रही है। मान्यवर, निश्चित रूप से इसका उत्तर आसान हो सकता है। लेकिन आगे प्रश्न है कि यदि हां, तो जांच बिन्दु क्या है? जांच बिन्दु हो सकते हैं। लेकिन अंतिम लाईन में प्रश्न है कि–अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस अंतिम प्रश्न के अनुसार जब तक मंत्री जी सूचना एकत्र नहीं कर लेंगी तब तक कैसे उत्तर देंगी। इसलिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय प्रमोद कुमार तिवारी जी की बात सही है कि पहले और दूसरे प्रश्न में स्वीकार करना चाहिए, इस प्रकार वह हमारी बात का समर्थन कर रहे हैं। तीसरे प्रश्न में सूचना की आवश्यकता हो सकती है। तो स्वीकार करें कि जांच हो रही है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, व्यवस्था के ऊपर श्री प्रमोद कुमार जी ने जोर दिया कि प्रश्न के अंतिम वाक्य खतरनाक हैं। मान्यवर, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है, यदि इसकी जांच चल रही है तो मंत्री जी कह सकती हैं कि जांच चल रही है। यदि जांच पूरी हो गयी है तो श्री रघुवर दयाल वर्मा जी ने जो कहा है उसकी पुष्टि होती है। मंत्री जी के स्टाफ का किसी व्यक्ति से सम्बन्ध है, इसलिए कार्यवाही नहीं करवा पा रहे हैं। इसलिए यह बहाना ले रहे हैं। इसलिए इसका जवाब कोई भी अधिकारी नहीं दे पायेगा, इसलिए सदन की कमेटी बने तभी इसका जवाब आ सकता है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह किसी भी मंत्री का नैतिक दायित्व है कि प्रश्न पूछा जाय और उसका जब तक पूरा उत्तर न आ जाये तब तक उत्तर नहीं देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जाइये, इस पर चर्चा खत्म की जाए।

(संसदीय कार्य मंत्री द्वारा श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी की सीट पर जाकर, उनके साथ बात करने पर।)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, देखिये यह सदन में क्या हो रहा है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

देखिए मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री आपकी ओर पीठ कर खड़े-खड़े मंत्री जी को समझा रहे हैं (व्यवधान) इन्होंने बहुतों को पढ़ाया है और आप इनको पढ़ा रहे हैं।

एक सदस्य–

वह बता रहे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचार के मामले में फंसने पर बचने के लिए क्या करना चाहिए।

*हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

मान्यवर, आपने आदेश दिया है कि यह 15 दिन के अन्दर सूचना एकत्र कर दी जाए, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आपने व्यवस्था दे दी। जहां तक प्रश्न के उत्तर का सम्बन्ध है, मेरे पास जिले से यह भी सूचना नहीं आई कि कौन जांच कर रहा है या क्या जांच का नतीजा निकला है। मैंने लिखकर भेजा है, कमिश्नर आफिस से कोई उत्तर नहीं आया है। मैं आपको यह विश्वास दिलाती हूं, सदन को यह आश्वासन देती हूं कि इसकी सूचना तुरन्त मंगवाई जाएगी और जो कमिश्नर की जांच रिपोर्ट है, उसके सम्बन्ध में तुरन्त कड़ी-से कड़ी कार्यवाही की जाएगी (घोर व्यवधान)

श्री रामनरेश यादव–

यह बहुत गम्भीर मामला है, 35 लाख रुपयों की खिचड़ी का। अभी रघुबर दयाल वर्मा ने कहा कि जांच इसलिए नहीं हो रही है कि मामले को छिपाया जा रहा है। मंत्री जी का सम्बन्ध उस अधिकारी से है, मैं इस बात को अच्छी तरह सदन में कहना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं । इस बात की पुष्टि इसलिए हो रही है कि मंत्री जी सदन में बैठी हैं, किन्तु जो आरोप सदन में लगाए गये हैं, उनका जवाब देने की उनकी हिम्मत नहीं है । इसका मतलब है कि इसमें सत्यता है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जो भी आरोप हैं, आयुक्त की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, आपके पास हो तो दे दें । हमारे पास आयुक्त से कोई रिपोर्ट नहीं आई है । मैंने यह कहा है कि जांच हो रही है .....

(व्यवधान)

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है .....

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का आपसे प्रश्न है . . .

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मेरा प्रश्न यह है कि जैसा उन्होंने कहा जवाब मंगवाया गया, आदमी भेजा गया, पत्र भेजा गया, लेकिन उत्तर नहीं प्राप्त हुआ । सदन के किसी प्रश्न या कार्यवाही से सम्बन्धित कोई सूचना मांगी जाती है तो कोई अधिकारी उसका पालन नहीं करता है तो यह उसके खिलाफ सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है या नहीं ?

श्री सत्यपाल सिंह–

खिचड़ी के प्रश्न पर काफी खिचड़ियां हो चुकी हैं और मैं समझता हूं कि मंत्री जी जानकर तथ्यों को छिपा रही हैं । इन्होंने पहले कहा पता नहीं कौन जांच कर रहा है, फिर कहा डेवलपमेन्ट कमिश्नर से जांच रिपोर्ट मांगी है फिर भी मान्यवर जैसा नियमों का हवाला दिया गया है कि 15 दिन में जवाब आ जाना चाहिए । मान्यवर, आप सरकार को निर्देशित करें कि 15 दिन की मियाद तो बहुत बड़ी है और यह बहुत छोटा सा प्रश्न है इसका तो एक दिन में जवाब आ सकता है । मान्यवर, आप माननीय मंत्री जी से कहें कि यह चार दिन में इसका जवाब दिलवायें ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक मिनट मैं निवेदन करूंगा प्रश्न के बारे में प्रक्रिया यह है कि आपको सूचित करते हैं और आप शासन को निर्देशित करते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर आना चाहिए और सब काम छोड़कर उसका उत्तर आता है । 20 दिन पहले हमको सूचना देनी होती है, तो मान्यवर, आप माननीय मंत्री जी का उत्तर देख लें वहां के अधिकारियों ने इसकी सूचना मंत्री जी को नहीं दिया, लेकिन मैं अधिकारियों को नहीं कहता यह तो मंत्री जी को देखना चाहिए था, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अध्यक्ष पीठ के निर्देशों का पालन करने में शिथिलता बरती है, मान्यवर आपको उत्तर नहीं मिला तो आप अपने आदेशों को प्रभावी रूप से पालन कराने में क्या व्यवस्था करेंगे ?

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, यह प्रश्न आपके समक्ष है इस बारे में काफी लोगों ने कहा, नेता विरोधी दल ने भी एक सुझाव दिया कि चार दिन में इसकी सूचना माननीय सदन के समक्ष रखी जाए इसमें बहुत सी चीजें हैं जिससे विलम्ब हुआ है। मान्यवर, इस प्रश्न में हमारी भी दिलचस्पी है क्योंकि बहुत से आरोप इसमें लगाए गये हैं वह निराधार हैं हम चाहते हैं कि जो आरोप निराधार हैं।

(घोर व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अम्मार रिजवी–

मेरी बात तो सुन लीजिए।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आप मेरी बात सुन लें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब बैठें। बिना बात सुने कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो कहा उसका यह विरोध कर रहे हैं यह आरोप निराधार बता रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जब तक जांच न हो जाए तब तक आरोप निराधार ही हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि जो आरोप लगाए गये हैं वह निराधार हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि सदन में जो आरोप लगाए गये हैं उनको यह निराधार बता रहे हैं या प्रश्न में जो कहा गया है उसको निराधार बता रहे हैं यदि यह विपक्ष के आरोपों को निराधार बता रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि आप मंत्री जी को निर्देशित करें कि इसके तथ्यों को यह दे दें और आरोपों को निराधार साबित करें, मान्यवर, हम साबित कर देंगे कि मिसेज पाण्डेय इनके स्टाफ से संबंधित हैं और जिनकी वजह से गड़बड़ी हो रही है।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैंने जो बात कही वह ऐसी तो नहीं थी मान्यवर, यह कहें कि मैं झूठा हूं और मैं कह दूं कि मैं झूठा नहीं हूं तो इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई।

मान्यवर, जहां तक मंत्री जी के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं, मैंने तो पहले भी कहा था कि जितना आप इसके लिये चिंतित हैं कि जांच की रिपोर्ट आपके समक्ष आ जाय और सारे तथ्य सामने आ जायं उतनी चिन्ता हमारी भी है । आपने 4 दिन के समय की बात कही है मैं मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा कि आज ही के दिन, एक हफ्ते के अन्दर इसका जवाब आपके सामने आ जायेगा और सारे तथ्य आपके सामने आ जायेंगे । हम कोई तथ्य छिपाना नहीं चाहते हैं। सारे तथ्य सामने आ जायेंगे सदन फैसला कर ले और आप फैसला कर दें ।

एक सदस्य–

एक अधिकारी को संरक्षण देने का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष–

जिस वक्त इस पर चर्चा होगी उस समय देख लिया जायगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि जवाब मंगाने का प्रयास किया और चिठ्ठी लिखी गयी, आदमी भेजे गये लेकिन अधिकारियों से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ । तो मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि जब सदन की कार्यवाही से संबंधित किसी मामले में यदि किसी अधिकारी से कोई जवाब मांगा जाय और वह जवाब न दे तो क्या यह सदन की अवमानना का प्रश्न है या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लिखकर भेज दीजिये । इस पर विचार होगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि 3 जुलाई को मा0 किरनपाल सिंह ने एक सवाल पूछा था कि क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के कस्बा औरंगाबाद की सरकारी भूमि को कुछ लोगों द्वारा अनियमित ढंग से कब्जा करने संबंधी शिकायती-पत्र 14-5-85 प्रश्नकर्ता द्वारा उन्हें दिया गया था । क्या यह सही है कि उक्त जमीन संबंधी घोटाले में 50 लाख की सरकारी भूमि पर अनियमित कब्जा सिद्ध हुआ है । यदि हां, तो भूमि को मुक्त कराये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मान्यवर, जैसा कि नियमों में लिखा है कि जो प्रश्न किये जायेंगे उनके जवाब दिये जायेंगे । जनपद बुलन्दशहर के कस्बे औरंगाबाद में 50 लाख के घोटाले के संबंध में प्रश्न किया गया था ।

*जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

मैं औरंगाबाद में रहता हूं, मैंने कोई जमीन नहीं खरीदी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आपका काम तो और लोगों के दिमाग को ठीक रखने का है । मैं बुलन्दशहर के बारे में पूछ रहा हूं और आप बनारस के बारे में सोच रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, यह सवाल माननीय किरनपाल सिंह जी ने किया था और इसके जवाब को स्थगित कराने का प्रयास किया जा रहा है । हमारे नियमों में है कि जब कोई सवाल किया जाता है तो निष्पक्ष होकर उसका जवाब देना चाहिये । मेरी निश्चित जानकारी है कि यह सवाल बुलन्दशहर के एक कैबिनेट मंत्री सईदुल हसन साहब से संबंधित है और उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 50 लाख रुपये का घपला किया है । चूंकि यह कैबिनेट स्तर के मंत्री से संबंधित सवाल है इसलिये दबाव डाला जा रहा है और बार-बार इसके जवाब को टाला जा रहा है । मा0 किरनपाल सिंह पर दबाव टाला जा रहा है कि वह इस सवाल को वापस ले लें । चूंकि इस विभाग के मंत्री राज्य मंत्री हैं और यह प्रश्न एक कैबिनेट मंत्री श्री सईदुल हसन साहब से संबंधित है और यह साफ तौर पर सिद्ध हो गया है कि उन्होंने घपला किया है इसलिये इस सवाल को बार-बार टाला जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस सवाल को बार-बार टाला न जाय और कोई तिथि निश्चित कर दें जिस दिन मंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिये । जो शिकायतें हैं उनके बारे में मा0 किरनपाल सिंह बता सकते हैं । इसके जवाब को बराबर टाला जा रहा है जो संसदीय परम्पराओं के प्रतिकूल है ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, यह 3 तारीख को 7वां प्रश्न था । जब मैंने देखा कि 7वें गुरूवार को 20वां प्रश्न स्थानान्तरित कर दिया गया है तो इसके बारे में बड़ी शंका हुई । क्योंकि लगातार 5 सालों से प्रयास करने के बाद जब मैं जिला स्तर पर थक गया तो मैंने विधान सभा की शरण ली क्योंकि यह पूरा क्षेत्र माननीय मंत्री जी का है । मैं भी वहीं से यहां पर चुनकर आया हूं । जनता के हितों की जिम्मेदारी मेरी है । इसके लिए मान्यवर, मैंने यहां पर एक प्रश्न उठाया लेकिन लगातार इस प्रश्न को टाला जा रहा है । जिले के अधिकारियों ने मुझ से कहा ; कई अफसर इसमें शामिल है ।

मान्यवर, मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकारी भूमि, प्राइवेट भूमि की बात नहीं करता हूं । जिन गरीब लोगों को उजाड़ रखा है उनकी बात नहीं करता हूं । लेकिन सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है, जो गरीब लोग बसे हुए थे, जो छोटे-छोटे व्यापार करके, अपना काम चलाते थे इन्होंने उन सब को उजाड़ दिया और जो किरायेदार थे सरकारी भूमि के, उनको बिना कानून के बिना किसी नियम के सबको उजाड़ दिया । उसके बाद यहां पर मैंने सवाल किया । मान्यवर, 40-50 लाख की भूमि जो शहर के बीचोबीच में है उस पर नाजायज कब्जा किये हुए हैं । (व्यवधान) मान्यवर, मंत्री जी ने सरकारी स्तर से सचिव स्तर से, सचिव से एप्रूवल दिलवा दिया (व्यवधान) मान्यवर, रात-दिन काम करके अनेकों मजदूरों को . . . .

(घोर व्यवधान)

माननीय मंत्री जी ने वहां बाजार बनवा दी है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है और जब मैं विधान सभा में कहता हूं . . . . .

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें, जब सवाल आयेगा तो कहियेगा । इस वक्त चर्चा थोड़े ही हो रही है । अभी सवाल उत्तरित नहीं हुआ है इतनी बात हो रही है, जब सवाल आये तो बोल लीजियेगा ।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मेरी बात बिल्कुल सही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी बात सही है या गलत, इसकी कोई बात नहीं है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री किरन पाल सिंह–

मेरी बात गलत हो तो मेरा इस्तीफा ले लिया जाय।

(व्यवधान)

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के हितों की रक्षा किस तरह से करूंगा।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

पहले सवाल उत्तरित हो जाय ।

(घोर व्यवधान)

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मुझे सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

सुन तो मैं सबकी लूं कोई दिक्कत नहीं आ रही है लेकिन . . .

(घोर व्यवधान)

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, यह एक गम्भीर मामला है, गम्भीर मामला इसलिए है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर के सम्बन्ध में विशेषकर कहा गया है और कैबिनेट मिनिस्टर ने वहां पर जमीन हड़पी है। इसका सबूत है और इसके सम्बन्ध में आपने 7वें गुरुवार को लगा दिया है। आप देख रहे हैं कि इस सदन के अन्दर इससे पहले इसी बुलन्दशहर में इन्हीं किरन पाल जी ने जब प्रवीण कुमार शर्मा मिनिस्टर थे उनके सम्बन्ध में उठाया था। इसके तथ्य सही पाये गये। गम्भीर आरोप हैं जान-बूझकर अनेकों बार टाला गया। 24-5-85 को मा0 विधायक ने जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उस क्षेत्र को रिप्रजेन्ट करते हुए आरोप-पत्र दिया। इतना बड़ा जमीन का घोटाला किया गया है, आज भी इसकी जांच नहीं हो पाई है। जब विधान सभा का सहारा लिया गया, एक बार नहीं दो-दो बार स्थगन किया गया । इसके बाद 7वें गुरुवार को लिया गया। 7वां गुरुवार आयेगा नहीं। ऐसी स्थिति में मान्यवर, रघुबर दयाल वर्मा जी के विचार सुन लें इसके बाद अन्य विधायकों सुन लें। बाद में संसदीय राज्य मंत्री को बुलायें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्मार रिजवी–

सारी बातें तब सुनी जाएं जब प्रश्न हो रहा हो।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, यह प्रश्न का जवाब ही नहीं देंगे।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

7वें गुरुवार को लिया है। अगले गुरुवार को लें ले।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी किरन पाल सिंह तथा दूसरे सदस्यों ने अभी यह कहा कि उत्तरित होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

दबाव डाला जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने कहा है उत्तरित होना चाहिए। इस पर चर्चा की बात नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

दबाव डाला जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं दबाव कहां मान रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

कोई न कोई नई बात है जिससे टाल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

इसी सत्र में जवाब दिलवा देंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जब प्रश्न स्थगित हो जाता है तब उसकी इम्पार्टेन्स बढ़ जाती है।

श्री उपाध्यक्ष–

इसी सत्र में 23 तारीख को जवाब मिल जायेगा। उसके बाद सुन लेंगे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। 23 तारीख को उत्तर दिला देंगे। आपका आदेश शिरोधार्य है। मेरा निवेदन है कि आप संरक्षण दें। संसदीय कार्य मंत्री का यही रवैया रहेगा जवाब देने में और उस हालत में उम्मीद करेंगे हमसे नार्मस का पालन करें, श्रीमन् गुस्सा भी न आये, संसदीय प्रक्रिया का पालन करें। आप नार्मस को देखते जायें हम मर्यादित रहें। मैं आपके माध्यम से सभी बातें कह देना चाहता हूं। यदि मा0 संसदीय कार्य मंत्री यह चाहते हैं कि बहुमत के बूते पर सभी मर्यादाओं को रौंदते हुए चलेंगे तो हम जैसे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो इस सदन में हुआ, 52 लोगों को निलम्बित किया गया। मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं कि सत्ता

दल का यह कुकर्म, असंसदीय व्यवहार, जिसके कारण यह हुआ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप यह परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं। आप इनको निर्देश दें, उन्हें यह कहें कि यह अनुचित है। आप उस शासन में बैठ कर इतना भी नहीं कहेंगे। इस प्रश्न में आप 23 को उत्तर दिला रहे हैं। भविष्य में ऐसा न हो संसदीय कार्य मंत्री जी को जरूर निर्देश दें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

23 नहीं अगले गुरुवार को लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, विषम स्थिति आपके सामने विद्यमान हुई है। तिवारी जी ने जो कहा उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। साफ-साफ देखने में आ रहा है हम जिस सवाल द्वारा भ्रष्टाचार के मामले उजागर करना चाहते हैं, जिनमें सत्तारूढ़ दल के प्रमुख व्यक्तियों का हाथ है। उन सवालों के उत्तरों को दबाने का जानबूझकर प्रयास किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक प्रश्न आया मंत्रिमंडल के एक माननीय सदस्य का साफ-साफ इन्वाल्वमेंट है तो ऐसी विशेष परिस्थिति में यदि माननीय सदस्यगण के मन में कोई रोष पैदा हो रहा हो और वे आपका संरक्षण चाहते हों तो इसमें कोई विशेष बात पैदा नहीं होगी। यदि आप सरकार के कुकर्मों की भर्त्सना नहीं करेंगे तो यह जो हमारा आदरणीय विधान मण्डल है इसकी अवमानना हो रही है और इसका महत्व क्षीण हो रहा है इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सरकार के कुकर्मों के लिए सरकार की भर्त्सना करें और उचित निर्देश देने की कृपा करें।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, यह सरकार के एक मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है। स्पष्ट प्रमाण भी हैं और जांच से सारे मामले, सबूत भी आ गये इसलिए मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि जब सत्ता पक्ष के मंत्रि-परिषद् के एक सदस्य के ऊपर लगाये गये आरोप, जिसकी जांच भी हो गई है और उस आरोप को छिपाने के लिए अगर सरकार जानबूझकर प्रश्न को छोड़ती जाती हो, टालती जाती हो और साथ ही साथ प्रश्नकर्ता पर इस बात का प्रभाव डालने का प्रयास हो कि प्रश्न न किया जाय तो ऐसी स्थिति में उत्तेजना आती है इसलिए आप संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दें कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके लिए आपको सरकार को निर्देश देना चाहिए कि इसकी जांच सदन की समिति से करायें।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न अभी उत्तरित नहीं हुआ है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप आखिर चाहते क्या हैं?

(श्री राम आसरे वर्मा, श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा अन्य कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने व्यवस्था दे दी कि 23 तारीख को जवाब दे दें। अब मैं इस पर चर्चा नहीं करवा सकता। नियम विरुद्ध मैं कुछ नहीं सुनूंगा। जब चर्चा होगी तब पूरी बात सुनूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

[x x x]

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जो राम आसरे वर्मा जी ने बातें कहीं हैं उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

वर्मा जी ने जो शब्द बोले हैं वे कार्यवाही से निकाल दिये जायं।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, यह बड़े गड़बड़ घोटाले का मसला है और आप जिले से ही संबंधित हैं और आपके जिले में ही पहले भी इस प्रकार की घटना घटी है और जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, यहां पर बैठकर केवल इन्साफ की बात होनी चाहिए और आपको मान्यवर हम लोगों को संरक्षण देना चाहिए और जब आरोप मंत्री जी पर लग गये और जिसको आप 23 तारीख में रखना चाहते हैं, बजाए 23 तारीख के जो अगला मंगलवार आ रहा है, उसमें लगा दीजिए वरना यह सत्ता पक्ष वाले तो हर मसले को दबाना चाहते हैं, मान्यवर, ऐसे मामले आज कल बहुत सामने आ रहे हैं कहीं तो किसी मामले में मंत्री जी इन्वाल्व हैं और कहीं पर इनका स्टाफ। अगर लम्बा समय आप इस मामले में दे देंगे तो इसको यह अवश्य दबाने का प्रयास करेंगे इसलिए आप इनको मजबूर करें कि आज अगर नहीं तो आने वाले मंगलवार को स्पष्ट रूप से जवाब आ जाए ताकि सरकार बे-नकाब हो सके और मान्यवर, इनके काले कारनामे जनता के सामने आवें और तब इस पर निर्णय हो कि क्या कार्यवाही की जानी चाहिए।

(शोर)

श्री राम आसरे वर्मा–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

वर्मा जी जो बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

[x x x]

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, मा0 वर्मा जी को बुलवा दीजिए। थोड़ा सा समय इन्हें दे दीजिए।

श्री राम आसरे वर्मा–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

वर्मा जी आप बैठिए, मैं आपको बुलवा लूंगा।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मैंने भी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, और मैं भी इस सदन का एक सदस्य हूं, मेरी भी बात सुनी जानी चाहिए।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, आप सत्ता-पक्ष के दो-दो लोगों को समय दे देते हैं, इधर के जो भी सदस्य खड़े होते हैं, उनको आप नहीं बुलवाते हैं। जाहिदी साहब जब भी खड़े हो जाते हैं, उनको आप समय बराबर देते रहते हैं। आप सत्ता पक्ष पर ज्यादा विश्वास करते हैं तो यदि इस प्रकार से आप सदन चलायेंगे तो फिर हम लोग भी किसी की बात नहीं सुनेंगे अगर आप शासन के इशारों पर सदन चलायेंगे, यह मान्यवर अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

मतलब यह है कि जब नेता विरोधी दल बोल चुके हैं अब उसके आगे . . .

श्री मैनेजर सिंह–

वर्मा जी को भी मौका दे दीजिए, इनको भी सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, वर्मा जी को सुन लेंगे और आपको भी । अगर 1-1 आदमी बोले तो सुनने में भी मजा आवे, लेकिन एक साथ कई लोगों को तो बुलवाया नहीं जा सकता है और क्या यह उचित होगा कि जब नेता विरोधी दल बोल चुके हैं, उसके बाद भी लोग उसी मसले पर खड़े हों। फिर मैंने इस पर तिवारी जी को भी सुना, गुप्ता जी को भी सुना। अगर आप लोग कहते हैं तो एक सदस्य को हम और बुलवा देंगे।

श्री राम आसरे वर्मा–

[x x x]

(शोर)

*श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर इन अपमानजनक शब्दों को निकलवा दीजिए, तब तक यह हाउस नहीं चलेगा और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह जो आप कह रहे हैं, यह संसदीय प्रणाली नहीं है। मैं आपका आदर करता हूं। सदन आपके अकेले की प्रापर्टी नहीं है। सदन आपकी प्रापर्टी हो तो मैं चला जाऊं।

(अनेक मा0 सदस्य "अपने शब्दों को वापस लें" की आवाजें लगाने लगे)

श्री उपाध्यक्ष–

कोई आपत्तिजनक बात इन्होंने कही है तो निकाल दी जायगी।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके यह पूरे सदन की अवमानना है।

श्री राम आसरे वर्मा–

अपनी पार्टी का मेम्बर बना लीजिये, बहुत बड़े शुभचिन्तक और हमदर्द हैं तो।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

जब तक उन शब्दों को निकाला नहीं जायगा, यह सदन नहीं चलेगा।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि मा0 वर्मा जी ने जो गुस्सा किया है, वह सरकार के खिलाफ है।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मा0 नेता विरोधी दल मेरी बात सुन लें। नियम यह है कि ऐसी बात अगर कोई आदमी उपाध्यक्ष के बारे में कहता है तो उसे रिसाल्यूशन लाना चाहिए और 13 दिन का समय दिया जाना चाहिए।

(घोर व्यवधान)

श्री सत्य पाल सिंह–

वर्मा जी का गुस्सा तो सरकार के खिलाफ है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, यह सदन की अवमानना का मामला है। मैं विशेषाधिकार की सूचना दे रहा हूं। आप यह व्यवस्था दे दें कि इसको अभी उठाना है या बाद में। आप इस पर पहले व्यवस्था दे दें कि मैंने जो सूचना दी है इसको आज ही सुना जायगा या बाद में सुना जायगा। उसके बाद मा0 नेता विरोधी दल को मौका दे दें, मैं बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर अवमानना हुई है तो लिखकर दें दें।

(घोर व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी है, इसी विषय पर बुला दें।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

ऐसी व्यवस्था को बार-बार उठाएंगे तो सदन कैसे चलेगा?

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, मैंने जो मामला उठाया है, आपने व्यवस्था नहीं दी है अभी तक।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं 15 मिनट के लिए सदन स्थगित करता हूं।

इस समय 1 बजकर 9 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।

1 बजकर 24 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 35 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

1 बजकर 35 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 45 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

तदुपरान्त 1 बजकर 47 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

(गणपूर्ति के अभाव में सदन का कार्य 2 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुआ ।)

श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रश्नों के विषय में व्यवस्था का प्रश्न पूछते समय जो सदन में व्यवधान हुआ, उस समय पर मा0 राम आसरे वर्मा जी भी उस सन्दर्भ में अपनी बात कहना चाहते थे, कई बार वे खड़े भी हुए, जिस समय वे खड़े हुए उस समय कदाचित मैं भी खड़ा हो गया जिसके कारण उनको बैठना पड़ा, इस कारण से उनके दिमाग में कुछ गुस्सा हो गया और उसी के तहत आपके विषय में वे अपशब्द कह गये। संसदीय परम्परा में यह नहीं किया जाना चाहिये था, मुझे इसका खेद है।

इसके साथ ही हमारा विपक्ष के साथियों से अनुरोध है कि हमारा यदि कोई संघर्ष है तो वह सरकार से है। मैं समझता हूं कि सदन को विधिवत् रूप से चलना आवश्यक है। मैं आपकी चेयर के लिये पूरा सम्मान प्रदान करता हूं। इस चेयर पर चाहे अध्यक्ष महोदय हों, आप विद्यमान हों या अधिष्ठाता महोदय हों, सभी का आदर करना उचित है । मैं स्वयं विरोध पक्ष की ओर से खेद व्यक्त करता हूं कि और साथ ही श्री राम आसरे वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि वे भी खेद व्यक्त करें।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन में जो कुछ हुआ वह खेदजनक रहा है। श्रीमन् आप उस आसन पर विराजमान हैं जिस आसन पर राजर्षि टण्डन जी विराजमान हुए थे उन्होंने एक बार कहा था जब मुस्लिम लीग के किसी सदस्य ने कोई आपत्ति की थी कि यदि एक सदस्य भी हम पर अविश्वास करेगा तो हम इस कुर्सी से हट जायेंगे।

यह एक ऐसा उच्च आसन है, आपको भी सदस्यों की भावना का ख्याल करना चाहिये वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। यहां सत्ता पक्ष का या विपक्ष का संघर्ष नहीं है, जो संसदीय व्यवस्था में कार्य हमको करना है, उसे हम कोई कुश्ती की लड़ाई से नहीं कर सकते हैं और न ही गाली गलौज से कर सकते हैं। ऐसा क्षण आ जाता है, जब संतुलन आदमी खो देता है और जो नहीं कहना चाहिये, कह देता है। मैं 68 साल का हूं और काफी समय से सदन में हूं। मैं भी कभी-कभी उत्तेजित हो जाता हूं । क्या कह जाता हूं उसका ख्याल नहीं रहता है । लेकिन बाद में दुख होता है । महसूस करता हूं कि आज जो कुछ हुआ वह उचित नहीं हुआ । हमारे साथी वर्मा जी बड़े ही शिष्ट सदस्य हैं, आपने देखा होगा कि वह बड़ी शालीनता से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। वह आज बार-बार खड़े हुये और आपने ध्यान नहीं दिया और आवेश में कुछ ऐसा कह गये जो नहीं कहना चाहिये था। आप जानते हैं कि वर्मा जी अभी बीमार थे और अस्पताल में रहे हैं काफी दिनों के बाद सदन में आये हैं, मैं समझता हूं कि यह सब आवेशवश हो गया है। आप उसका ख्याल नहीं करेंगे। हमारे साथी वर्मा जी अनुभव करेंगे कि जो कुछ हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है। इसलिये मैं स्वयं खेद प्रकट करता हूं कि इस तरह की चीज यहां पर नहीं होनी चाहिए और सदन को सभी माननीय सदस्यों को मिलकर चलाना चाहिये।

श्री कल्याण सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस आसन पर आप विराजमान हैं, उसके ऊपर और आपके प्रति हम सभी के मन में पूरा सम्मान है और आपके ऊपर हम सभी का पूरा विश्वास है हम चाहते हैं कि सदन की गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे और मैं समझता हूं कि सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिये विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ओर के माननीय सदस्यों का दायित्व है। वहां पर उस आसन पर कोई भी क्यों न बैठा हो, हमारा दायित्व है कि उसकी गरिमा बनी रहे। हम जो विपक्ष में बैठने वाले हैं, यहां पर जनहित के प्रश्न उठाते हैं और आपका संरक्षण चाहते हैं। ऐसे अनेक अवसर आते हैं, जब सरकार पक्ष की ओर से स्पष्ट उत्तर नहीं आते हैं तो हम आपका संरक्षण चाहते हैं कभी-कभी जाने और अनजाने में यह अनुभूति स्थान ले लेती है कि वहां से हम लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है और इसलिए माननीय सदस्य उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होकर ऐसे शब्द का प्रयोग हो जाता है जो नहीं होना चाहिये और जब बाद में ठन्डे दिल से सोचते हैं, तो दुःख होता है कि यह शब्द नहीं कहा जाता तो ठीक रहता मैं कहना चाहता हूं कि जिस आसन पर आप विद्यमान हैं, वहां पर इस सदन की गरिमा को बढ़ाने के लिये हम सब का कम दायित्व नहीं है और कोई भी उस आसन पर क्यों न बैठा हो, अगर 21 नजर विपक्ष की ओर रही तो सरकार को विवश होकर सही प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा और ऐसा कोई अवसर नहीं जायेगा कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना पड़े। आज ऐसी बात हुई कि वर्मा जी उठे और बैठे, उठे और बैठे, उनको अवसर नहीं मिला और उनको लगा कि उनको अवसर नहीं दिया जा रहा है। उनके मुख से कुछ शब्द निकले, अच्छा रहता कि वह न निकलते और मैं समझता हूं कि इस अनुभूति का सभी को एहसास हो रहा होगा। इन सब चीजों को लेकर आपका यह समझना कि आपके प्रति असम्मान हो रहा है, उचित नहीं होगा। मैं फिर दुहराना चाहता हूं कि हमारा आपके प्रति, उस आसन के प्रति पूरा विश्वास है, पूरा सम्मान है और इसी विश्वास के साथ ही हम यह अपेक्षा और आशा करते हैं कि सभी माननीय सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण आपके द्वारा हो। मैं माननीय राम आसरे वर्मा से इस अवसर पर अनुरोध करूंगा कि वे स्वयं जिन शब्दों से आपको कोई ठेस लगी हो उनके बारे में आप भी शालीनता दिखाते हुए खेद प्रकट करें और इस सदन की कार्यवाही सुचारूरूप से संचालित करने में हम सब का योगदान करें।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल ने, माननीय मैनेजर सिंह तथा माननीय कल्यान सिंह जी ने सदन को चलाने के सम्बन्ध में एक अच्छा स्वच्छ वातावरण कायम करने में जो बातें कहीं हैं, मैं उनसे अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, इसमें कोई शुबहा नहीं है कि हमें हर सूरत से यह जानना चाहिए कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, जो व्यक्ति उस कुर्सी पर तशरीफ रखता है, उसकी मान और मर्यादा का हम ध्यान रखें। हमें इस बात को भी सोचना चाहिए कि जिन कुर्सियों पर हम बैठे हैं उन पर कभी पं0 गोविन्द बल्लभ पंत बैठा करते थे, गुप्ता जी बैठा करते थे और उन्हीं कुर्सियों पर कभी त्रिलोकी सिंह जी और कभी चौधरी चरण सिंह जी बैठा करते थे।

मैं कोई तफरीक नहीं कर रहा हूं, मैं यह उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन कुर्सियों पर हम बैठते हैं वहां पर कभी

बड़े-बड़े पार्लियामेंटरियन भी बैठा करते थे जिनकी धाक भारतवर्ष में रही है। इस तरह से हमें दोनों तरफ देखना होगा। हमें अपने कर्तव्य और अपनी कुर्सी की तरफ भी देखना होगा। जब हम यह आशा करते हैं कि इस तरफ से कोई चीज सही हो, वही उस तरफ से भी हो। सकता है कि कभी जोश में आकर कोई बात जबान से निकल जाती है और बाद में कहने वाले को खुद पछतावा होता है। मैं समझता हूं कि हमारे तजुर्बेकार दोस्त वर्मा जी ने वक्ती जोश में आकर कोई बात कही होगी । मेरा ख्याल है कि उस कुर्सी का ख्याल करते हुये जिस पर आप विराजमान हैं वे अपने शब्दों को वापस लेंगे और यहां पर एक माहौल बनाने के लिये खेद प्रकट करेंगे । मान्यवर, मैं दस मर्तबे उस कुर्सी के सामने जहां पर आप बैठे हुये हैं, अपना सिर झुका सकता हूं और हाथ जोड़कर माफी मांग सकता हूं । आप जो भी सजा हमें दें हमें वह शिरोधार्य है । मान्यवर, हम कुर्सी को नहीं बल्कि प्रजातंत्र और जम्हरियत के लिये अपना सिर झुकाते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं फिर अनुरोध करूंगा माननीय सदस्यों से, कि वे यहां पर ऐसी परम्परा बनायें, ऐसी परम्परा कायम करें जिससे आने वाली नस्लें याद रखें और जब कोई चीज यहां पर रखी जाय सदन के बारे में हमारे और आपके बारे में, जिससे आने वाली नस्लें यह न कहें कि जिन लोगों को देश और प्रदेश चलाना है, जिनके ऊपर देश और प्रदेश के कैरेक्टर को ठीक करने की जिम्मेदारी है, उन्हीं में कुछ खराबी थी । ऐसा वातावरण हमें पैदा करना चाहिए । मुझे खुशी है कि इस पर सभी लोग एक आवाज से आपसे बातें कह रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक अपने पुराने दोस्त माननीय वर्मा जी से कहना चाहूंगा कि जो परम्परा हम बना रहे हैं उसमें वे हमें सहयोग प्रदान करें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जहां तक कुर्सी का सवाल है मैं 10 साल से इस सदन का सदस्य हूं और उस कुर्सी के सामने मेरा सिर हमेशा झुका रहा, आज भी झुका है और जब तक इस कुर्सी पर बैठा रहूंगा तब तक झुका रहेगा । किन्ही परिस्थितियों में मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले जिनसे आपकी भावनाओं को और माननीय सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंची । इसके लिये मैं खेद व्यक्त करता हूं । लेकिन मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं का सम्मान उस पीठ से करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब इस मामले को समाप्त किया जाता है ।

बुलन्दशहर के कस्बा औरंगाबाद में सरकारी भूमि पर अनियमित कब्जा करने के संबंध में श्रम मंत्री द्वारा किया गया वैयक्तिक स्पष्टीकरण

*श्रम मंत्री (श्री सैयद सइदुल हसन)–

मान्यवर, इस माननीय सदन में किसी माननीय सदस्य ने मेरे और मेरे परिवार के बारे में कुछ कहा कि कोई ऐसी जमीन जिस पर हमने जबरदस्ती कब्जा कर लिया

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

है । तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उसका जवाब आयेगा इनक्वायरी करा लीजिये । मेरे घर के मेरे परिवार के किसी सदस्य के पास कोई ऐसी जमीन नहीं है जिस पर हमने नाजायज कब्जा कर रखा हो ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मेरा चैलेंज है

(व्यवधान)

श्री सैयद सइदुल हसन–

यह रिकार्ड की बात है, जुबानी कोई बात नहीं होती ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

उनको पहले बोल लेने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री सैयद सइदुल हसन–

यह रिकार्ड की बात है जुबानी कहने की बात नहीं है इसका जबाब आयेगा (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिए, रिकार्ड देख लें यह जुबानी कहने की बात नहीं है ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मैं चैलेंज देता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे तीन प्रश्नों का जवाब दिला दें । पहला यह कि क्या जिला परिषद् का चबूतरा जो औरंगाबाद थाने के बराबर है क्या वह जमीन मंत्री जी के लड़के के नाम नाजायज तरीके से नहीं दिखाई गयी है, दूसरी बात कि उस जमीन में छोटे-छोटे किरायेदार जो अपना रोजगार चलाते थे उनको जिला परिषद् 20 साल से रसीद देती थी उनको जबरदस्ती बेदखल नहीं कराया गया, रसीदें उनके पास हैं, क्या उसकी नीलामी का एप्रूवल माननीय मंत्री जी ने अपने पद का दुरूपयोग करके सचिव से नहीं दिलाया है । चौथा, क्या जब सिविल कोर्ट्स और दीवानी कोर्ट्स बन्द थी तो रातों-रात वहां पर दुकानें खड़ी कर उस जमीन को अपने बेटे के नाम नहीं कराया गया ।

मेरी चुनौती है मेरा इस्तीफा इसी वक्त लिखवा दीजिए और मंत्री जी से भी इस्तीफा लिखवा लीजिये । जो कहा कल को जवाब आ जायेगा तो वह तो आते रहते हैं कृषि मंत्री जी से एक सवाल पूछा गया था कि फसल की लागत कितनी आती है उसका वह जबाब नहीं दे सके तो इसका भी जबाब वह टाल देंगे । मैं चुनौती देता हूं इसी वक्त आप कहें मैं इस्तीफा दे सकता हूं, और मैं खुद भी सदन में आना बन्द कर सकता हूं लेकिन आप कहें मंत्री जी इस्तीफा दें । इस सदन की एक समिति से इसकी जांच कराई जाय । (व्यवधान) इसी के आधार पर चुनाव करा दीजिये जनता इसका फैसला दे देगी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

उन्हें भी कह लेने दीजिए ।

श्री सैयद् सइदुल हसन–

जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं वह रिकार्ड आपके सामने आयेगा । (व्यवधान) अदालत के फैसले से कोई बड़ा फैसला नहीं होता उस जमीन का रिकार्ड आपके सामने होगा तो आप फैसला कर दें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

*श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । (व्यवधान) आप इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाते ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह सवाल अभी 23 ता0 को लगा है उस वक्त पूरी चर्चा हो जायेगी ।

श्री फजलुल बारी–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है

(व्यवधान)

मान्यवर, सदन का समय जो बहुत कीमती है, वह इन मामलातों में बेकार में खर्च हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए । यह तो छोटा मामला है, 50 करोड़ के 10 प्रतिशत का भी तो नहीं है, इसलिये इसमें व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, श्री किरनपाल सिंह ने श्रम मंत्री जी के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप लगाये हैं । श्रम मंत्री जी की ओर से भी स्पष्टीकरण में कुछ कहा गया है । यह प्रश्न वैसे जिस दिन आता तो अनुपूरक प्रश्न होते लेकिन चूंकि यह प्रश्न सदन में इसी समय आ गया है, प्रश्न और उत्तर भी हो गये हैं । आरोप भी लग गये और सफाई भी आ गयी है । इस सीमा तक बात आ गयी कि श्री किरन पाल सिंह ने कह दिया कि मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं यदि लगाये गये आरोप असिद्ध हो जाय । उसके बाद मंत्री जी चांच की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन की स्वच्छता के लिये आवश्यक है और श्रम मंत्री की इज्जत के लिये भी आवश्यक है कि आज ही इस सदन में जांच कराये जाने की घोषणा की जायें और वह जांच इस सदन की समिति करें और सदन की समिति को पूरे अधिकार हो कि जिस जमीन के घोटाले का आरोप लगाया गया है 40-50 लाख रुपये की सार्वजनिक संपति बताई जाती है उसकी छानबीन कर सके । मंत्री जी आपनी सफाई में कुछ कह रहे हैं, इसलिए आवश्यक है कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जायें, इससे सार्वजनिक जीवन की स्वच्छता में चार चांद लग जायेंगे, आरोप सिद्ध नहीं हुए तो उनकी राजनीतिक और सार्वजनिक चरित्र में चार चांद लग जायेंगें, इसमें श्रम मंत्री जी को एतराज नहीं होना चाहिए । संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हैं मैं उनसे कहूंगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि मात्र केवल एक श्रम मंत्री की छवि का प्रश्न नहीं है, यह पूरे शासन की छवि का प्रश्न है, यदि वह निर्दोष साबित होते हैं और आरोप असत्य होते हैं तो मुझे खुशी होगी और इससे उनके पूरे शासन की छवि धूमिल होने से बच जायेगी, इसलिये मैं आपसे और शासन से अनुरोध करता हूं कि सदन की एक कमेटी बनायी जाये जिसको अधिकार दिये जायं कि, जो-जो अभिलेख इस जांच में आवश्यक हों उनकी जांच और परीक्षण समिति कर सके । मान्यवर, सदन की समिति के माननीय सदस्यों की घोषणा आज ही हो जायेगी तो प्रदेश की जनता जान सकेगी कि यदि किसी पर आरोप लगते हैं तो तत्काल कार्यवाही होती है । इसलिए सब के लिए, श्रम मंत्री जी के लिये और पूरे शासन के लिये आवश्यक हो गया है कि इसमें जांच की जाये, यह हमारी मांग है ।

श्री खबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदन के अंदर श्रम मंत्री जी के विरुद्ध माननीय किरनपाल सिंह ने ऐसे गंभीर आरोप लगाये हैं जिससे राजनीतिक जीवन में काम करने वाले लोगों की छवि धूमिल होती है । मान्यवर, फेयरफेक्स और बोफोर्स काण्डों को लेकर अभी तक राजनीतिक नेताओं पर जबरदस्त आरोप लगे हैं उससे राजनीतिज्ञों की छवि पर प्रश्न चिन्ह लगा है । इसलिए सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन की शुद्धता और पवित्रता को साबित करने के लिये यह परम आवश्यक है कि जिस तरह के आरोप लगाए गये हैं, उसकी निष्पक्ष जांच हो और मंत्री जी इस अपने पद का दुरुपयोग न कर सकें इसलिए मैं मांग करता हूं कि मंत्री जी पहले मंत्रिपद से त्याग-पत्र दें । फिर अपने पक्ष की जांच कराने के लिए, अपनी छवि को साफ करने के लिये यह निष्पक्ष कार्यवाही करें । दूसरा निवेदन, दूसरी मांग मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह करना चाहता हूं कि ऐसे गम्भीर मामलों पर पीठ को भी ध्यान देना चाहिए और आप भी उस जिले से संबंधित हैं और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मामला स्पष्ट है और जिन मामलों की पीठ पर बैठकर स्थिति स्पष्ट भी न दिखाई देती रही हो, किन्तु आपके मन में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, आपके ज्ञान में यह साफ आ रहा हो कि इस तरह के मामले मंत्री जी के खिलाफ हैं, और उसमें अधिकारियों ने जांच की है और उसमें यह सिद्ध हो चुका है कि मंत्री जी अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करके उस स्थिति को डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको इस मामले में अपना स्पष्ट निर्देश उन्हें देना चाहिए कि पहले आप मंत्री जी को त्याग-पत्र की कहें और सदन को एक समिति बनाकर इस मामले की जांच कराने की कृपा करें । ताकि इनकी छवि शुद्ध हो ।

श्री गोपाल दास यादव–

माननीय सदस्य किरनपाल सिंह ने जो सवाल उठाया, बुलन्दशहर में जो एक सरकारी जमीन थी, उसको कुछ लोगों ने हड़प लिया है । बराबर यह अपना प्रश्न लगा रहे थे, जिसमें यद्यपि मंत्री जी का नाम एक्सपोज नहीं हुआ था, लेकिन मंत्री जी ने दबाव डालकर उस प्रश्न को सदन में नहीं आने दिया । इसका किरनपाल जी को तब पता चला, जब उनका प्रश्न नहीं आया तो उन्होंने मंत्री जी के ऊपर खुले रूप में आरोप लगाया कि उन्होंने वहां की जमीन को हड़प लिया है । [xxx]

(व्यवधान)

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(उपरोक्त वाक्य पूरे होने के पूर्व ही व्यवधान शुरू हो गया ।)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

प्रश्न क्या था पूछा क्या जा रहा है । श्रीमन्, यहां अनर्गल बातें कहीं जा रही हैं ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इसे कार्यवाही से निकाला जाए ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह कार्यवाही से निकाला जाएगा ।

श्री गोपाल दास यादव–

उस पर चर्चा नहीं हो रही है । इसलिए मान्यवर, आप अपनी ओर से निर्देश दें कि जबतक मंत्री जी पर आरोप हैं तबतक उन्हें अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है । जब तक जांच न हो जाए यह पद छोड़ दें, यह उनका नैतिक कर्तव्य है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

कल्याण सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और उस बारे में केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की एक परम्परा रही है कि इस माननीय सदन का कोई सदस्य वह चाहे जिस पक्ष का हो, जब कोई बात कहता है तो उसको सदन सत्य मानकर कोई कार्यवाही करता है । एक माननीय सदस्य इसमें इस तरफ है और एक उस तरफ है और दोनों की बात में विरोधाभाष है । किसी भी सदस्य पर कोई गलत आरोप लगता है तो वह सदन का अवमान है और सदन की प्रतिष्ठा उससे गिरती है । और कोई सदस्य ही यदि गलत आरोप लगाता है तो वह गुरूतर अपराध हो जाता है और उससे सदन की गरिमा गिरती है । ऐसी हालत में बेहतर होगा कि दोनों सदस्यों के आरोपों की जांच के लिए आप सदन की एक समिति बिठावें और वह आपकी ही अध्यक्षता में बन जाए तो ज्यादा अच्छा हो ।

(व्यवधान)

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

शतरुद्र जी, अब इस पर बात बहुत हो गई है । अब इस समय नहीं । इस पर समय आएगा । जब आएगा तो आप बोल लीजिएगा ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर चर्चा होगी तो कैसे काम चलेगा आपका ही समय जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, किरनपाल जी ने आपके सामने इस्तीफा दे दिया, मेरा आपसे निवेदन है कि जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था उस पर व्यवस्था तो आई नहीं है, उस पर आप व्यवस्था दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

व्यवस्था तो आ गई है ।

23 तारीख जबाब के लिए रखी जा चुकी है ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जब किरनपाल सिंह जी ने कह दिया कि आप इस्तीफा ले लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस्तीफा लेने वाला आपका और उनका कौन होता हूं ? आप जनता के चुने हुए नुमाइन्दे हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आप एक सदन की कमेटी बना दें जो इस मामले की जांच करे । मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि मेरा या मेरे परिवार के किसी सदस्य का हाथ हो तो आप जांच करा लें, तो मान्यवर, माननीय मंत्री जी भी जांच कराने के इच्छुक हैं और हम लोग भी, मान्यवर, माननीय मंत्री जी की जांच एक अफसर करे यह हम नहीं चाहेंगे एक मेम्बर की जांच एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी या पी0 सी0 एस0 अधिकारी करे यह सही नहीं है अगर जांच करानी है तो सदन की कमेटी बना दी जाय यही सदन की गरिमा है ।

(व्यवधान)

(श्री मनोहर लाल के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मनोहर लाल जी आप बैठें ऐसे कैसे काम चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री सैयद सईदुल हसन–

मैं आपके सामने 23 तारीख को न्यायालय का फैसला पेश करूंगा और न्यायालय के फैसले के बाद कोई बात ऐसी नहीं रहती है कि उस पर बहस हो ।

(व्यवधान)

(संसदीय कार्य मंत्री के पुकारे जाने पर)

*श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री से पहले मेरी बात सुन लें । मान्यवर, मैं बिल्कुल नयी बात बताऊंगा जो आरोप लगाये गये हैं उनसे मेरा मतलब नहीं है । राजनीतिक जीवन का प्रश्न है । मान्यवर, माननीय श्रम मंत्री जी बैठे हैं मैं अपना इस्तीफा जैसे माननीय किरनपाल सिंह जी से कहा मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं, जो इन आरोपों से संबंधित नहीं है मान्यवर, [xxx]

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:– [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल–

[x x x]

(व्यवधान)

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, चार प्रश्नों के जबाब किरनपाल सिंह जी ने चाहे हैं और उसके पहले एडवांस रूप में उन्होंने इस्तीफा दे दिया ।

(व्यवधान)

(समय 2 बजकर 20 मिनट पर)

और विपक्ष भी यह चाहेगा कि शतरुद्र जी ने जो कहा है कि एक मंत्री के विषय में जांच एक अफसर करे यह शर्म की बात है और इससे इंसाफ भी नहीं होगा । मैं समझता हूं कि ईश्वर करे मंत्री जी को जो कह रहे हैं आपने न बेईमानी करी हो, तो मंत्री जी का चेहरा तभी उजागर होता है जब इसकी जांच के लिए संसदीय कमेटी बनायी जाय ।

मान्यवर, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं । एक तो संसदीय कार्य मंत्री जब खड़े हों तो सहर्ष इस बात की घोषणा करें कि हम विधान सभा में सदन की कमेटी बनाने जा रहे हैं । अगर आप साफ दिल से कह रहे हैं तो जरूर इसकी घोषणा करें और अगर आपके मन में बेईमानी होगी तो आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे कि संसदीय कमेटी बनायी जाय और बेईमानी नहीं होगी तो आप सहर्ष स्वीकार करेंगे ।

दूसरा मान्यवर, जो प्रश्न है, वह है कि जांच की बात कही गयी तो अगर इनके अधिकारियों से जांच होने की कोई वजह होती तो मैं समझता हूं कि 14-5-85 की दरख्वास्त की अब तक जांच हो गयी होती । यह जो प्रश्न लगाया गया है इस संबंध में माननीय उपाध्यक्ष जी मुझे आपसे कहना है कि इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए इसे जो नं0 20 पर डाला गया है, इसे आप अल्पसूचित तारांकित के रूप में परिवर्तित कर दें । क्योंकि मैं समझता हूं कि यह काफी गम्भीर प्रश्न है । आपने जो 23 तारीख को जवाब देने के लिए कहा है उसे आप एक सप्ताह बाद अगले गुरुवार के लिए रख दें ।

मान्यवर, तीसरा मेरा कहना यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री और शासन यह समझता है, और आप सामूहिक जिम्मेदारी की बात करते हैं तो सामूहिक जिम्मेदारी के तहत आज पूरा मंत्रिमंडल दोषारोपित हो रहा है, पूरे मंत्रिमंडल की साख दाव पर लगी है । तो मैं समझता हूं कि इन्हें अगर अपनी छवि उजागर करनी है और उत्तर प्रदेश की जनता को, समाज को दिखाना है कि आपका दामन साफ है, तो मैं भरोसा करता हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री की नीयत और स्वभाव को देखकर भरोसा करता हूं कि यह स्वयं इस बात को कहेंगे कि सदन की कमेटी बना दी जाय और इसमें मान्य-

---

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वर, आपको निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । अगर यह अपनी तरफ से इंसाफ नहीं करते हैं तो मान्यवर, सदन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सरकार की छवि को ध्यान में रखते हुए, जो आलोचनाएं और आरोप लग रहे हैं, इसको देखते हुए आप संसदीय कमेटी बनायें ताकि सारी चीजें सामने आयें । मान्यवर, जब सदन की कमेटी होगी तभी सारी चीजें सामने आयेंगी ।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र सिंह (अलीगढ़)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो प्रश्न अभी इस सदन के सामने उपस्थित हुआ, वह निश्चित तौर से एक गम्भीर प्रश्न है । गम्भीर इसलिए भी बन गया कि इस प्रश्न का सीधा संबंध हमारे सभी के राजनीतिक जीवन से जुड़ गया है । जो माननीय मंत्री जी ने अभी एक बात कही कि मैं कोर्ट के कुछ कागजात पेश करूंगा । उसमें और माननीय किरन पाल सिंह ने जो एलीगेशन लगाये उसमें एक विरोधाभाष आ रहा है । हो सकता है कि वह जमीन जिसका प्रश्न उठाया गया, वह कागजात में माननीय मंत्री जी की हो । इसमें जो एलीगेशन आ रहे हैं जो किरन पाल सिंह जी ने उठाये कि तमाम छोटे लोग उस जमीन पर रहते थे जिनकी झोपड़ी मकान आदि बने हुए थे जिनके पास किराये की रसीद भी मौजूद है तो कोई भी व्यक्ति होगा जो किराया लेता रहा होगा । माननीय मंत्री जी सहारा ले रहे हैं कोर्ट का, कोर्ट की व्यवस्था स्वामित्व के संबंध में हो सकती है, पजेशन के संबंध में वह न्यायालय का निर्णय नहीं होगा । इसलिए यह प्रश्न और गम्भीर है । स्वामित हो सकता है कि किसी का हो लेकिन जिन लोगों का पजेशन था जिनकी झोपड़ी या मकान बने हुए थे, अगर उनको अपने अधिकार का दुरूपयोग करके, सत्ता का मंत्रित्व पद का दुरुपयोग करके अधिकारियों के द्वारा हटाया गया यह प्रश्न हमारे राजनीतिक जीवन से जुड़ जाता है इसलिए मेरा निवेदन है कि कि इसमें कोई प्रतिष्ठा का सवाल न बनाया जाय और न हम बनाना चाहते हैं । न यह समझें कि कोई सदन की कमेटी बन जायेगी तो बड़ी गजब की बात हो जायेगी क्यों आप डरते हैं सदन की कमेटी से । क्या हमारा कोई ईमान नहीं है कि हम जो बात कहेंगे सही बात कहेंगे जब कि यह आशा की जाती है कि माननीय सदस्य जो बात कहेंगे, वह सही कहेंगे फिर यह आशा क्यों नहीं की जाती कि इन्हीं सदस्यों में से कमेटी के सदस्य होंगे तो वे बेइमानी नहीं करेंगे । क्यों आप हाईकोर्ट के जज या कमिश्नर से जांच करवाना चाहते हैं, क्या ईमानदारी केवल उन के सिर पर लिख दी गई है मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बात पर विचार करें कि शासन की एक कमेटी बने और वह इस पर विचार करे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने 2-3 बातें कहीं और सबसे पहली बात कही कि सदन की कमेटी बनाई जाय, दूसरी बात कही कि 23 के बजाय अगले गुरुवार को इसको ले लें, तीसरी बात कही कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न बना दिया जाय ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, आप पहले मेरी बात सुन लीजिये ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह आपकी बात का जबाब नहीं दे रहे हैं, नेता विरोधी दल ने जो कहा है, वे उनकी बात का जबाब दे रहे हैं ।

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय मंत्री जी कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं । गरीब लोग हैं, जिला परिषद् की 20-20 साल की किरायेदारी की रसीद लेकर घूम रहे हैं । किसी भी कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं हुआ है । हो सकता है कि इस बीच इनको कोई छोटी-मोटी चीज मिल गई हो । मान्यवर, जब मैं बहुत परेशान हो गया तब उन गरीब लोगों के न्याय के लिए मैंने सदन की शरण ली है । मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो बात रखी है, माननीय नेता विरोधी दल ने सवाल की बात कही, मैं उनका आदर करता हूं, मेरी सवाल की मांग नहीं है, मान्यवर, आप भी मंत्रि-परिषद् के सदस्यों को सवाल का जबाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ऐसी व्यवस्था आपने स्वयं कई बार दी है । मैंने जो आरोप लगाये हैं उनको मैं फिर दोहरा सकता हूं, आप अभी जबाब दिलवा दीजिये । मान्यवर, यह मामूली बात नहीं है । शहर के अंदर सरकारी जमीन हड़पी गई । क्या यह सही नहीं है कि औरंगाबाद में जिला परिषद् का चबूतरा माननीय मंत्री जी के लड़के के नाम हुआ है सगे लड़के के, कोई लड़का गोद लिया नहीं है ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्मार रिजबी–

यह बात पहले कह चुके हैं । जो बात कह चुके हैं इसी को दुबारा दोहरा रहे हैं ।

श्री किरन पाल सिंह–

सुन लीजिए दोहरा नहीं रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

जो बात कह चुके हैं उसको दोहराने से क्या फायदा ।

जो किरन पाल जी बोल रहे हैं कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा ।

श्री किरनपाल सिंह–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

किरन पाल सिंह जी, आप दोहरायें नहीं ।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री अम्मार रिजबी–

तीन बातें कही गयीं थी । नेता विरोधी दल ने कुछ तथ्य उठाये, कुछ प्रश्न किरन पाल सिंह जी ने बार-बार दोहराये । मेरा आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से सदन से निवेदन है । एक प्रश्न औचित्य का आपके सामने आया था । आपने उस पर निर्णय कर दिया । सारा प्रकरण समाप्त हो जाना चाहिए । कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाये गये । बिना नियमों का पालन किये . . .

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आपकी अनुमति से बोले हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अनुमति से बोले हैं । नियमों की बात कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

उस वक्त कहां थे जब स्व बातें कही जा रहीं थीं ।

जहां तक प्रश्न का सवाल है । प्रश्न अगले गुरुवार को लिया गया । जो जांच है सारे सदन के सामने रख दी जायेगी । किसी को चाहे मंत्री हो चाहे कोई हो किसी बात को छिपाने का सवाल नहीं पैदा होता है । कोई आरोप साबित हो जाय तो जो कड़ी से कड़ी सजा हो मंत्री जी को और लोगों को देने के लिए तैयार हैं । किसी के ऊपर आक्षेप नहीं आना चाहिए ।

(व्यवधान)

...यह बात आज आपको सुननी पड़ेगी । सदन की कमेटी बना दें ? क्या सदन इन्क्वाइरी कमेटी की तरह काम करेगा, सारा सदन स्पिरिट होता रहेगा ।

(व्यवधान)

सुनते रहिये । अल्पसूचित प्रश्न स्वीकार कर लें । गुरुवार को कर लें । मंत्री जी मौजूद होंगे । उस वक्त किरन पाल सिंह जी को जो कहना हो कहें । इस तरह से आरोप लगाना किसी प्रकार से उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मेरी बात सुन लें । मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं । जो व्यवस्था है देना चाहता हूं । उससे आप सब संतुष्ट होंगे ।

जहां तक श्रम मंत्री का बोलने का सवाल था उन्को 291(क) में अधिकार था । वह स्पष्टीकरण देगें । जहां तक समिति के गठन का सवाल है सदन में प्रस्ताव आये समिति गठित हो जायेगी । यह सदन का काम है ।

(व्यवधान)

सुन लीजिए जहां तक नेता विरोधी दल ने सुझाव रखा उनको संसदीय कार्य मंत्री ने अगले गुरुवार के लिए कह दिया है ।

एक सदस्य–

आप संरक्षण दें । आपसे कहा था । आपके आदेश पर कमेटी बनाई जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कमेटी तो प्रस्ताव से बनती है । सदन में प्रस्ताव आता है । यही प्रक्रिया है, प्रस्ताव से गठन होता है ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डे–

जब माननीय मंत्री जी ने श्री किरनपाल सिंह द्वारा लगाये गए आरोपों का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और बराबर फैसले की बात करते रहे तो यह सारे आरोप अपने-आप सिद्ध हो गये कि इसमें कोई बड़ा घोटाला है अगर स्पष्ट रूप से यह उन आरोपों का उत्तर दे देते तो हम लोग भी मान लेते कि वाकई मामलों में कोई दम नहीं है, लेकिन बार-बार मा0 मंत्री जी एक ही बात को कह रहे हैं फैसला-फैसला तो मान्यवर, इससे हम लोगों के राजनीतिक जीवन पर असर पड़ता है और जब हम लोग यहां से बाहर निकलेंगे तो अखबारों में निकला रहेगा तो इससे माननीय मंत्री जी की ही नहीं बल्कि हम लोगों की भी छवि धूमिल होती है, इसलिए मैं कहता हूं कि मामला साफ हो जाय, एक सदन की कमेटी आप नियुक्त कर दें और उसके अनुसार मामले की जांच हो जाय । (शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शांत हो जाएं, अब हम दूसरे मद को लेते हैं, दफा 300 के अंतर्गत ।

[शोर व्यवधान के साथ लोकदल (अ) के सर्वश्री किरनपाल सिंह, विजय सिंह राणा, गोपाल दास यादव तथा और भी बहुत से सदस्य 'फ्लोर' पर आ गये और नारे लगाने लगे कि **"भ्रष्ट व्यवस्था की सरकार नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे"**)

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं 3.30 बजे तक के लिए ।

(इस समय सदन 2 बजकर 35 मिनट पर भोजनावकाश के लिए स्थगित हुआ ।

भोजनावकाश के उपरान्त 3 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री सत्यपाल सिंह–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, सदन के अन्दर भूमि घपलों को लेकर. . .

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपके नेता खड़े हुए हैं, व्यवस्था और क्या हो सकती है ?

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, श्रम मंत्री जी के ऊपर जो आरोप लगाये गये, मैं समझता हूं कि चुनौती के साथ मा0 किरन पाल सिंह ने जो तर्क रखे और उसकी जांच चाही, मान्यवर, मैं तो समझता हूं कि श्रम मंत्री जी सिवा यह कहने के कि एक जजमेंट है हमारे पास, पता नहीं क्या जजमेंट है, और पता नहीं कि वह जजमेंट क्या जिला परिषद् के संबंध में है जो दूसरी पार्टी है, उन्होंने पावर का इस्तेमाल करके जजमेंट मनमाना करवा लिया हो, इस बात पर मा0 सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफा मा0 मंत्री जी को भी दे देना चाहिए था, लेकिन इस्तीफा न भी देते, लेकिन हमारी जो इन्साफ की बात थी, राजनीति में रहने वालों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का चेहरा साफ करने की बात थी, इसके लिए जरूरी था कि संसदीय कमेटी द्वारा जांच कराने को तैयार होते, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री अपने मंत्रियों की छवि स्वच्छ न रखकर षडयंत्र कर रहे हैं और यह किसी जांच के लिए तैयार नहीं हैं । इसकी विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग कर रहा हैं ।

(श्री सत्यपाल सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री मैनेजर सिंह–

मा0 अधिष्ठाता जी, ऐसे अवसर आते हैं, जब सारा विपक्ष एक राय से मांग करता है कि एक संसदीय समिति बनाई जाय । मैं नहीं समझता कि इसमें सत्ता पक्ष को क्या आपत्ति हो सकती है । संसदीय समिति से बबराना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। हमारे प्रदेश की विधान सभा का एक गौरवपूर्ण इतिहास है । हमारे पड़ोस में बिहार विधान सभा में एक नहीं अनेकों घटनाओं में बिहार विधान सभा की समितियां बनती हैं । जो समिति बनती है उसमें निश्चित रूप से सत्ता पक्ष का बहुमत होता है, उस समिति में सत्ता पक्ष का ही बहुमत होता है । इसलिए ऐसी जायज मांग को अस्वीकार किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ 5 मिनट के लिए सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मैनेजर सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

संसदीय समिति का अगर गठन होता, तो माननीय मंत्री जी को भी उसमें अपने चरित्र के स्वच्छ दिखाने में आसानी होती, जो आरोप उन पर लगे हैं । मान्यवर, यह संसदीय परम्पराओं का अनादर हुआ है । यह सरकार की नीयत ठीक इस प्रकार की है कि किसी भी जांच का सामना न किया जाय, जिससे कि सब चीजों पर पर्दा पड़ा रहे । शासन की इस नीति के खिलाफ, मैं और मेरा दल, थोड़ी देर के लिए, सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त भी अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

*श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यह जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामला यहां पर उठा, मंत्री जी पर कुछ आरोप लगे । उस संबंध में संसदीय समिति के गठन की मांग हुई । मान्यवर, लोकसभा में भी ऐसे ही मामले में एक समिति गठित हुई, जो उसकी जांच कर रही है । मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य मैनेजर सिंह जी ने अभी कहा कि अन्य विधान सभाओं में इस तरह की समिति बनी, बिहार का उन्होंने उदाहरण भी दिया और कहा कि किसी ऐसे मामले पर सदन में बात आ जाती है, तो माननीय सदन समिति गठित करके प्रश्नगत मामले की जांच कराता है । मान्यवर, इस महत्वपूर्ण मामले पर भी विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों की भावना थी कि समिति जांच के लिए गठित की जाय । समिति गठित करने की मांग मा0 मंत्री जी ने अपने दल को बहुमत के आधार पर ठुकरा दी । इसके विरोध में थोड़ी देर के लिए मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री काशी सिंह ऐरी सदन त्याग कर चले गये)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हाई स्कूल परीक्षा, 1977 के अनुक्रमांक 312421 से संबंधित परीक्षार्थी की जन्मतिथि में गड़बड़ी होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 301 के अन्तर्गत 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, मैंने नियम 300 में एक महत्वपूर्ण सूचना दी थी, उसे पहले ले लें ।

श्री अधिष्ठाता –

नियम 300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें अस्वीकार हो गयी हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश –

मान्यवर, सूचना विभाग के पञ्चांग में माननीय चौधरी चरण सिंह जी का नाम गलत छापने के संबंध में एक सूचना दी गयी थी जिसमें भोपाल सिंह जी के भी दस्तखत हैं ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, विशेषाधिकार का एक प्रतिवेदन है, उसके संबंध में मेरी सूचना है । वह काफी अहम मसला है । आप सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

पहले मैं 301 ले लेता हूं फिर देख लूंगा। आज नियम 301 के अन्तर्गत 13 सूचनाएं प्राप्त हुई थी । इसमें श्री दीप नारायण, श्रीमती कमना साहनी, श्री मयंकर सिंह, श्री सरदार सिंह, श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री श्याम बिहारी सिंह, श्री शिवदर्शन की सूचनायें स्वीकार हुई हैं । शेष-कुंवर मानवेन्द्र सिंह, श्री गोपाल दास यादव, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री मो0 रिजवानुल हक, श्री किरनपाल सिंह की सूचनायें अस्वीकार हुई ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ –

मान्यवर, नियम 301 की स्वीकृत सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

सदन की भावना को देखते हुए, 301 की स्वीकृत 7 सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी ।

श्री दीप नारायण–

[मैं आपकी आज्ञा से अति लोक महत्व के प्रश्न को मा0 सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

राधिका देवी पुत्री श्री सिधारी राम ग्रा0 व पो0 चरहद जिला आजमगढ़ में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक श्री गांधी स्मारक इन्टर कालेज चरहद, आजमगढ़ की संस्थागत छात्रा थी, जिनकी जन्म तिथि प्राइमरी पाठशाला चरहद के अनुसार 1-1-62 यहां पर लिखी गयी थी । जिसका प्रमाण श्री गांधी स्मारक इण्टर कालेज चरहद, आजमगढ़ छात्र पत्रावली तथा

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र संख्या-3641 के अनुसार प्रकट है परन्तु माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0 प्र0 हाईस्कूल परीक्षा, 1977 के अनुक्रमांक 312421 एवं क्रम संख्या 162744 के अनुसार 17/1/58 छपी है जिससे उक्त छात्रा राधिका देवी को लगभग चार साल की उम्र में बढ़ोत्तरी हो जाने से क्षति हो रही है । मा0 शिक्षा परिषद् इलाहाबाद के सचिव से निवेदन करने पर उम्र ठीक करने में आनाकानी की जा रही है ।

अत: हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि मा0 शिक्षा परिषद् द्वारा हाईस्कूल 1977 के प्रमाण-पत्र में लिखित राधिका देवी की उम्र दिनांक 17-1-1958 के स्थान पर 1-1-62 अंकित की जाये जैसा कि प्राइमरी स्कूल के सर्टीफिकेट में है । जिससे छात्रा का कल्याण हो सके ।]

मछली निकालने हेतु जलाशयों के ठेकों में पेशेवर मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को वरीयता दिलाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्रीमती कमला साहनी–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लोक महत्व के इस प्रकरण को लाना चाहती हूं । प्रदेश में मछुआ समुदाय की स्थिति अत्यन्त दयनीय है । अशिक्षा एवं आर्थिक विपन्नता के कारण उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है । उस वर्ग को भी गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु 30 मई, 81 को एक शासनादेश हुआ जिसके अन्तर्गत यह नीति निर्धारित की गयी कि पुस्तैनी पेशेवर मछुआ समुदाय के व्यक्ति को अथवा मछुआ सहकारी समिति को प्राथमिकता के आधार पर मछली निकालने हेतु तालाबों, पोखरों आदि के ठेके दिए जायें । लेकिन यह खेद का विषय है कि मत्स्य विकास निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक ने उक्त आदेश का उल्लंघन कर 6 जून, 87 को जलाशयों से मछली निकालने हेतु खुली निविदा आमंत्रित की और आननफानन में नीलामी भी करा दी ।

अत: मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासनादेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की मांग साथ-साथ शासनादेश के अनुसार कार्यवाही करने की मांग करती हूं ।]

न्याय पंचायत दहोरा कैसरगंज बहराइच के ग्रामों की बाढ़ से सुरक्षा तथा सम्पर्क मार्गों की व्यवस्था की मांग होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मयंकर सिंह–

[मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आपके माध्यम से इस सदन व सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बहराइच जनपद में तहसील कैसरगंज के न्याय पंचायत दहौरा जिसमें पांच ग्राम सभायें हैं, दहौरा, बसौना, सिंगरो, अबौलिया तथा होलपारा यह पांचों ग्राम सभा चारों तरफ पानी से घिरे हुये हैं। इन सभी ग्रामों की आबादी तीस हजार है। यहां की कई हजार एकड़ कृषि योग्य भूमि तथा अपार पशुधन सदैव असुरक्षित रहते हैं। सरयू की भयानक बाढ़ में किसी भी समय यह पूरी न्याय पंचायत डूब सकती है । तीस हजार की आबादी जन, धन पशु व फसल काल के गाल में जा सकते हैं । अत: सुझाव है।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

1–इस पांच गांवों की सुरक्षा हेतु सरयू नदी पर होलपारा गांव सभा में एक छोटा-सा पक्का बांध बंधाने की तत्काल आवश्यकता है जो पहले था, परन्तु कटकर बह गया है।

2–दहौरा से एक पक्की सड़क का निर्माण कराकर (6 पुलिया एक छोटे पुल सहित) फखरपुर से भिलौना बांसू मार्ग में मिला दिया जाय जिससे किसी खतरे के समय लोग वहां से निकल सकें।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना दे रहा हूं। कार्यवाही की जाय।]

निर्वाचन क्षेत्र गोकुल, मथुरा में नाले-नालियों की जर्जर दशा से जल भराव होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सरदार सिंह–

[मान्यवर, मेरा निर्वाचन क्षेत्र गोकुल गत कई वर्षों से अतिवृष्टि के कारण जल प्लावित होता चला आ रहा है। इस कारण क्षेत्र के निवासियों को भारी कष्ट उठाने पड़ते हैं। फसल नष्ट होने के साथ-साथ ही लोग अनेक बीमारियों के शिकार होते हैं। इसका कारण क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा जल निकास की समुचित व्यवस्था न करना तथा जो नाले निर्मित हो गये हैं, उनकी सफाई समुचित रूप से सुनिश्चित न करना है। ज्योंहि बिजाहरी नाला सरकार ने कुछ समय पूर्व ही निकलवाया है, लेकिन इस समय इसकी दशा असंतोषजनक है और यदि वर्षा हुयी तो पानी बहा नहीं सकता है। पटरियां ध्वस्त हैं और स्थान-स्थान पर नाले में अवरोधक बने हुये हैं। इसी प्रकार जगदीशपुर ड्रेन, सिहोरा महाबन ड्रेन, पन्नापुर ड्रेन, इटौली ड्रेन, बन्दीकट पचावर ड्रेन, साँख ड्रेन नगला लालकट, आदि की स्थिति बिना सिल्ट सफाई के असंतोषजनक है। समय से पैसा न मिलने के कारण सिल्ट सफाई नहीं हो पा रही है। अतिवृष्टि होने पर स्थिति गम्भीर हो जायेगी।

आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करता हूं कि अविलम्ब इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर समुचित कार्यवाही की जाय और आवश्यक गांवों में नये नालों का निर्माण कराया जाय।]

जनपद बस्ती में फर्जी नसबंदी की जांच होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुखपाल पाण्डे–

[महोदय, आज मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सम्मानित सदन एवं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।

बस्ती जनपद में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्जी नसबन्दी कुदरहा मेहराव, हैसर बाजार, हरैया, विक्रमजोत, नगेढ़, कप्तानगंज आदि विकास क्षेत्रों में डाक्टरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज है। पूरे जिले में लगभग 20800 व्यक्तियों की नसबन्दी दिखाई गयी है, जिसमें 15000 फर्जी और 5800 सही नसबन्दी में बुड्ढे, स्त्री विहीन पुरुष, पुरुष विहीन औरतों की नसबन्दी की गयी है। बस्ती जिले के 32 विकास क्षेत्रों में

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।
नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फर्जी नसबन्दी कराकर सरकारी धन आदि की खुली लूट की गयी । यही नहीं जब तथ्य प्रकाश में आया तो पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, उप-मुख्य चिकित्साधिकारी की सांठ-गांठ करके फर्जी नसबन्दी के प्रकाश में आए मामलों को दबाने के तथा लाखों रुपए के गबन को छिपाने के लिए सभी अधिकारी और आतंक जिले में पैदा किए हैं । लिखित सूचना जिलाधिकारी को होने के बावजूद फर्जी नसबन्दी कराने वाले डाक्टर जो लाखों रुपए सरकारी धन का गबन किया है उन्हें पुरस्कृत किया । सरकार को धोखा देकर नसबन्दी की लक्ष्य पूर्ति को नहीं किया गया । धन का गबन तथा दवा की लूट की गयी है ।

अत: आपसे मांग करता हूं कि इसकी उच्चस्तरीय जांच करायी जाय और दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाय ।]

थानाध्यक्ष, थाना फरीदपुर, बरेली के विरुद्ध शिकायत होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम बिहारी सिंह–

[महोदय, पुलिस जुल्म की हृदय विदारक घटना की ओर शासन एवं सदन का ध्यान आकृष्ट कर दोषी पुलिस कर्मी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।

दिनांक 23 जून, 1987 को बरेली जिले के थाना फरीदपुर के एक दरोगा, महेश सिंह चौहान ने ग्राम खनपुरा थाना फरीदपुर निवासी 70 वर्षीय वृद्ध पूरन लाल को अकारण बुरी तरह पीटा तथा उनका हाथ तोड़ दिया । इस पर जनता ने एस0 पी0 ग्रामीण बरेली से शिकायत की उनके आदेशों पर मेडिकल कराया गया एक्सरे से हाथ का टूटना पाया गया । एस0 पी0 ग्रामीण के आदेशों के बावजूद थाने में पूरन लाल की प्रथम सूचना अभी तक नहीं लिखी गयी है । श्री पूरन लाल की दशा चिन्ताजनक है । दोषी पुलिस कर्मी के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही न किए जाने से जनता में बड़ी उत्तेजना है ।]

निर्वाचन क्षेत्र बछरावां में तहसील महराजगंज व ब्लाक शिवगढ़ के सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिवदर्शन—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अति महत्वपूर्ण मार्ग की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करता हुआ यह निवेदन करना चाहता हूं कि तहसील महराजगंज से ब्लाक शिवगढ़ को जोड़ने हेतु कई वर्ष पहले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत यह सड़क बनायी गयी थी जो अब मरम्मत के एवं उपेक्षा के कारण समाप्तप्राय है । श्रीमन् यह सड़क ग्राम अलारगंज, जिह्वा, पोथी टूक, पोखरनी, हसनपुर, पारा कलां, पारा खुर्द, नेवलगंज, पूरे छत्ता, ओसाह, रामपुर टिकरा, भवनियापुर, अकबरगंज, अड़ारु गंज, नटई, जगदीशपुर, कोटवा, सीतापुर, नेरुआ एवं पार्वती खेड़ा आदि 21 हरिजन बाहुल्य गांवों को मिलाती हुई शिवगढ़ जैसे महत्वपूर्ण कस्बे को महराजगंज तहसील से जोड़ती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः मेरा पुनः निवेदन है कि इस अति लोक महत्व की सड़क को वरीयता सूची में लेकर अति शीघ्र पुनर्निर्माण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाय । क्योंकि इसके आसपास के लोगों को वर्षा के पूरे 4 महीने घरों से निकलने एवं ब्लाक शिवगढ़ तथा तहसील महराजगंज के दैनिक कार्यों को पूरा करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

*श्री शतरुद प्रकाश—

मान्यवर, जो नियम 300 के अन्तर्गत सूचना दी है, उसमें भोपाल सिंह जी का भी दस्तखत है । वह महत्वपूर्ण सूचना है ।

*श्री भोपाल सिंह—

मान्यवर, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा एक पञ्चांग छपवाया गया है, जिसमें सम्वत् 2044 अंकित है । यह सभी को वितरित किया गया है । इसमें माननीय श्री चौधरी चरण सिंह का नाम चौधरी करन सिंह छपा है । मान्यवर, चौधरी साहब सन् 1952 से विधान सभा के सदस्य रहे । दो बार यहां के मुख्य मंत्री रहे । प्रधान मंत्री भी रहे । चौधरी साहब गरीबों और किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते रहे । सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा छपवाये गये इस पञ्चांग में चौधरी चरण सिंह का नाम चौधरी करन सिंह के रूप में अंकित है । इसमें यह जो गल्ती हुई है, यह जिस अधिकारी की लापरवाही से या जानबूझकर की गयी गल्ती से हुआ है, उसे दण्डित किया जाय । मान्यवर, यह सरकार की साजिश थी जिस कारण उनका नाम गलत छपवाया गया । उनका नाम मिटाने के लिए ऐसा किया गया प्रतीत होता है । प्रूफ भी पहले देखा गया होगा । इसको दोबारा छपवाया जाय । जिस अधिकारी ने यह गल्ती की है, उसे दण्डित किया जाना चाहिए ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर बात है । इस पञ्चांग में जितने भी माननीय सांसदों का नाम छपा है, सबका नाम सही छपा है । केवल चौधरी साहब का नाम ही गलत छपा है । सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0 प्र0 द्वारा यह छपवाया गया है और हम सब माननीय सदस्यों को वितरित हुआ है । उ0 प्र0 से जितने माननीय संसद सदस्य हैं, उनके नाम इसमें छपे हैं । उसमें चौधरी चरण सिंह की जगह चौधरी करण सिंह छपा है । इससे माननीय सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंची है । जो लोग उन्हें मानते थे, उनकी भी भावनाओं को ठेस पहुंची है ।

यह बहुत बड़ी गल्ती है, प्रूफ स्टेज पर भी इसे देखा जा सकता था । जिस अधिकारी की लापरवाही से यह गलत छपा है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय और इसे ठीक कराया जाय ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है शतरुद्र जी ने जो बात कही है, सही है और हम लोगों को अत्यन्त खेद है कि यह गलत छपा । इसकी जांच भी कर रहे हैं और यह देख रहे हैं कि किस अधिकारी या किस व्यक्ति की गलती या लापरवाही से ऐसा हुआ है, उसके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे । हमें खेद है कि ऐसी त्रुटि हुई है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री भोपाल सिंह—

मान्यवर, मेरी मांग है कि पञ्चांग दुबारा छपवाया जाय और नाम ठीक किया जाय तथा जिस अधिकारी की गलती से ऐसा हुआ है, उसे निलम्बित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

इसका उत्तर आ तो गया है । शेष नियम 300 की सूचनाएं अस्वीकार हुईं ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

आप सुन लें, मेरा विशेषाधिकार का गम्भीर मसला है ।

श्री अधिष्ठाता—

वह कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए अभी चर्चा का औचित्य नहीं बनता ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, दो-दो बार सत्र बैठा और आप कहते हैं कि अभी विचाराधीन है पहली बार किसी व्यक्ति को बुलाकर इस सदन में सजा दी जायगी । विशेषाधिकार समिति ने अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी है, अभी तक कुछ नहीं हुआ ?

श्री अधिष्ठाता—

आपकी भावना को देखते हुए, मैं समिति से कह रहा हूं कि जल्द से जल्द इसका निर्धारण करें ।

श्री भोपाल सिंह—

इन्होंने कहा कि जांच की जायगी । यह आश्वासन दें कि दुबारा छपवायेंगे ।

श्री अम्मार रिजवी—

दूसरा एडीशन जो छपेगा, उसमें यह त्रुटि नहीं होगी ।

श्री भोपाल सिंह—

दूसरा एडीशन छपता ही नहीं है, वे आश्वासन दें कि दूसरा छपवाया जायगा ।

श्री अधिष्ठाता—

आपने जो बात कही थी, उसका पूरा उत्तर मिल गया है ।

श्री भोपाल सिंह—

मान्यवर, इन्होंने यह उत्तर दिया है कि जांच की जायगी । यह सब सरकार की साजिश है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, हो सकता है कि मैं अपनी बात समझा न पाया हूं । माननीय भोपाल सिंह जी तो बहुत समझदार हैं, मेरी ही अक्ल की कमी रही होगी । मैंने बात स्पष्ट कही कि दूसरे एडीशन में त्रुटि नहीं होगी। इन्होंने कहा कि दूसरा छपवाया जाय इसके अन्दर जो त्रुटि रही है, खेद प्रगट कर दिया है, जो और प्रतियां छपेंगी, वह ठीक छपेंगी । जो प्रतियां बंट चुकी हैं, वह कैसे वापस आयेंगी ।

(श्री भोपाल सिंह तथा श्री बदन सिंह के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने दुबारा भी अपनी बात कह दी. . .

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

उन्होंने बहुत ही अदब के साथ कह दिया कि दुबारा छपेगी तो त्रुटि का परिमार्जन कर दिया जायगा, हम लोग जानना चाहते हैं कि दूसरी प्रतियां कब तक छपवाई जायेंगी? आखिर जब गलती हुई है उसका परिमार्जन करा कर दूसरी प्रतियां जो छापी जायेंगी, जिसमें यह गलती न रहे तो दूसरी प्रतियां कब तक छापी जायेंगी ?

श्री भोपाल सिंह—

मंत्री जी ने कहा कि दूसरी प्रति जो छापी जायेगी उसमें संशोधन कर दिया जायेगा। मेरा कहना यह है कि जहां-जहां वह प्रतियां भेजी गयी हैं क्या वहां-वहां दूसरी प्रतियां छपवा कर भेजी जायेंगी ?

श्री अधिष्ठाता–

जो प्रतियां बची हैं पहले उनमें संशोधन करा दिया जाय और यदि दुबारा छप रही हों उसमें ऐसी गलती न होने पाए इस संबंध में जो अधिकारी दोषी पाया जाय, जांच कर उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री भोपाल सिंह—

चौधरी चरण सिंह का नाम बदलने की साजिश यह सरकार कर रही है, हिन्दुस्तान का यह सरकार इतिहास बदलना चाहती है।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी पूरी बात कह चुके हैं, जब आप बिराजें।

श्री भोपाल सिंह—

सब प्रतियां तो छप चुकी हैं, संशोधन काहे में होगा ?

श्री हरदेव—

हमें जो प्रति मिली है हमने उसमें संशोधन कर लिया है। मेरी सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि वे भी अपनी-अपनी प्रतियों में संशोधन करके चौधरी चरण सिंह का नाम ठीक कर लें।

(हंसी)

श्री भोपाल सिंह—

इसमें संशोधन होगा कि नहीं ?

श्री अधिष्ठाता–

क्या मंत्री जी का बयान आपने नहीं सुना ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय सदस्य को उसकी सही प्रति करेक्ट कराकर भेज दी जायेगी और जब वह छपेगी तो सही छपवा दी जायेगी।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मा0 भोपाल सिंह ने जो प्रश्न उठाया उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा कि सही करके भेज दी जायेगी । क्या एक प्रति में ''क'' की जगह ''च'' लिख कर भेज दिया जायेगा या सारी प्रतियां संशोधित की जायेंगी, यह आप स्पष्ट करा दें ?

श्री हरिशंकर तिवारी—

मान्यवर, मैंने नियम 300 में सूचना दी थी उस पर हम व्यवस्था चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने बतला तो दिया कि शेष सूचनाएं अस्वीकार कर दी गयी हैं ।

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के नगरीय क्षेत्रों में 90 साला स्वीकृत भवन लीज पट्टों की नजूल भूमि पर बने भवनों के आवासीय तथा अनावासीय प्रयोजनों हेतु मिश्रित प्रयोग की प्रारम्भ से चली आ रही व्यवस्था बरकरार रखने विषयक याचिका

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के नगरीय क्षेत्रों मे, 90 साला स्वीकृत भवन लीज पट्टों की नजूल भूमि पर बने भवनों के आवासीय तथा अनावासीय प्रयोजनों हेतु, मिश्रित प्रयोग की प्रारम्भ से चली आ रही व्यवस्था बरकरार रखने विषयक श्री देवराज बिष्ट, निवासी पुरानी बाजार, पोस्ट आफिस व जिला पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता—

नियम 56 में 13 सूचनाएं आयी हैं, समय को देखते हुए सबको अस्वीकार किया जाता है ।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने जो सूचना दी है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अस्थाई और तदर्थ रूप से नियुक्त लगभग 5 लाख कर्मचारी हैं जिनका जून मास का वेतन नहीं मिला है। इन 5 लाख में से 40 हजार कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के ही हैं ..

श्री अधिष्ठाता—

मैंने आपको पेश करने के लिए नहीं कहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्षमा करें, सुन तो लें। यह परिपाटी आपको अस्वीकार करने का अधिकार तो चैम्बर में भी है। आप अध्यक्ष पीठ पर विराजमान हैं, आप एक-एक को सुन लें। ऐसी कोई परम्परा नहीं रही है कि आप सभी को एक साथ अस्वीकार कर दें।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा0 दिनेश जौहरी–

आपको सुनना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कह दिया है कि सभी को अस्वीकार किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं इसी व्यवस्था पर बोल रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आप निर्णय के बाद क्या उस पर व्यवस्था चाहेंगे?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, किसी भी निर्णय को देने के उपरान्त अध्यक्ष पीठ ने पुनर्विचार किया है, इस व्यवस्था के तहत इन 5 लाख कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। मई के महीने में पुनस्वींकृति ले ली जाती थी। 80 प्रतिशत कर्मचारी सिंचाई विभाग के हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। इसलिए आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करें।

श्री अधिष्ठाता–

सोमवार को जिन लोगों ने दिया है, उन्हें दे दें। उसी तरह दे दिया जायेगा।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

राजधानी की नाक के नीचे काण्ड हो रहे हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं किसी को अनइम्पारटेंट कह नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैंने यह निर्णय दे दिया है। इनमें कुछ ऐसी हैं, जिन्हें सुना जाना चाहिए।

डा0 दिनेश जौहरी–

कौन-कौन है?

श्री अधिष्ठाता–

यह निर्णय नहीं दिया जा सकता है। सोमवार को आप दे दें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है आपने कोई क्रम नहीं बताया है।

डा0 दिनेश जौहरी–

लाठी चार्ज हुआ है और कार्यकर्ताओं को चोटें आयी हैं। आपको सुनना पड़ेगा . . . (व्यवधान)।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि जो व्यवस्था आपने दी है, वह शिरोधार्य है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि आपने कृपा करके कहा है कि जो सूचनायें आयी हैं, उनमें आवश्यक होगी, उनको परसों ले लेंगे। जब सदन इस तरह का हो रहा है और जितना समय सुनने में लग जायेगा उतने समय में आप कम कर दें उनको और आप पुनर्विचार करें कि जिन सूचनाओं को उचित समझें उनको सुन लें और प्रति-बन्ध लगा दें कि एक मिनट से ज्यादा नहीं कहेंगे और एक सूचना पर एक व्यक्ति से ज्यादा नहीं बोलेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

तिवारी जी ने जो बात कही है। श्री कल्यान सिंह जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, वैसे तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । आपकी व्यवस्था के प्रतिकूल टिप्पणी करना ठीक नहीं है। परन्तु मुझे दुख अवश्य हुआ कि आपने प्रश्नों की ग्राह्यता पर सुने बगैर एक साथ सारी सूचनायें अस्वीकृत कर दी हैं। मान्यवर, यह आपका अधिकार है और आप अपने चैम्बर में भी इनको स्वीकार, अस्वीकार कर सकते हैं। परम्परा यह रही है कि यहां पर जो माननीय सदस्य नोटिस देते हैं उनको कुछ न कुछ सुनने का अवसर दिया जाता है । इस समय भी जो यह कहने में हम लोगों का समय जा रहा है वह भी ठीक नहीं है अगर आप माननीय सदस्यों को थोड़ा समय दे देते तो समय कम लगता। मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें हैं उन पर उन्हें दो-दो मिनट का समय दे देंगे तो उनके प्रस्ताव के सम्बन्ध में भावनायें भी आ जायेंगी और उसके साथ ही साथ जो समय अब लग रहा है वह भी बच जायेगा । आप इन सूचनाओं को अस्वीकृत करके समय बचाने की कोशिश कर रहे हैं । इसलिये मान्यवर, आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार कर लें और ऐसा होता रहा है । दो-दो मिनट का समय आप माननीय सदस्यों को दे दें तो काम चल जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय कल्यान सिंह जी और माननीय तिवारी जी को सुनने के बाद जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनको ले लिया जायेगा । मैं आज इनको पढ़कर सुनाना चाहता हूं और यह भी कह देता हूं कि यह सब की सब सूचनायें सोमवार को ले ली जायेंगी । ये सूचनायें इस प्रकार हैं–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री सत्य प्रकाश विकल ने पांच लाख राजकीय कर्मचारियों को जून 1987 का वेतन न दिया जाना, दूसरी श्री सरदार सिंह, श्री मोहम्मद मसूद खां, श्री शफीकुर्रहमान बर्क ने लखनऊ में साम्प्रदायिक तनाव, तीसरी श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने फैजाबाद की अकबरपुर तहसील में फर्जी बैनामें, चौथी श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री गोपाल दास यादव ने शहरों में सीलिंग से बची भूमि पर वरिष्ठ अधिकारियों एवं सर्कस लोगों द्वारा नाजायज कब्जा, पांचवीं श्री हरिशचन्द्र हरीश जी तथा श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह ने कृषि विभाग में स्थानान्तरण अनियमितता एवं धांधली, छठी श्री यदुनाथ सिंह ने मिर्जापुर की सीमेंट फैक्टरियों द्वारा प्रदूषण, सातवीं श्री दिनेश जौहरी, किशन लाल तथा श्री श्याम बिहारी सिंह ने पीलीभीत में पुलिस द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जुलूस पर लाठीचार्ज, आठवीं श्री मयंकर सिंह ने प्रदेश के कर्मचारियों के तबादलों में भारी धांधली, नवीं श्री रघुबर दयाल वर्मा ने कांच एवं चूड़ी उद्योग में बाल श्रमिकों का शोषण, दसवीं श्री सूर्य प्रताप शाही ने पैराफीन बैग्स बनाने वाली इकाइयों के बन्द होने से हजारों मजदूर बेकार, ग्यारहवीं श्री मनोहर लाल ने आतंकवादी संगठन खालिस्तान कमान्डो फोर्स द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को उड़ाने की धमकी, बारहवीं श्री किरन पाल सिंह, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने तथा तेरहवीं श्री राम नरेश यादव ने इसी सम्बन्ध में सूचनायें दी हैं ।

उद्योग विभाग से संबंधित अनुदानों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । . . . . (व्यवधान) अभी तक यह परम्परा रही है . . . . (व्यवधान)

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं . . . . (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न सुन लें . . . .

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी, बैठ जायं । उनका व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री विजय सिंह राणा–

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी तक यह परम्परा रही है कि यहां पर बजट जो है वह कैबिनेट स्तर का मंत्री रखेगा हमारे जो प्रश्न हैं उनका वह उत्तर नहीं दे सकते हैं । माननीय राम औतार दीक्षित जो इस बजट को रख रहे हैं वह उस विभाग के मंत्री क्या उस विभाग के बाहर कुर्सी पर बैठने वाले भी नहीं हैं, उनका उस विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है, वह उस डिपार्टमेंट के एक प्रश्न का जबाब नहीं दे सकते हैं । मान्यवर, उस तरह कुछ लोगों का काम लाशों को ढोने का हो रहा है, कुछ आदमी रख लिये हैं जो लाशें ढो रहे हैं । वह डिपार्टमेंट के मंत्री हैं नहीं तो कैसे हमारे सवालों का जबाब देंगे, नीति संबंधी निर्णयों पर वह क्या निर्णय देंगे ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय दीक्षित जी इस कैबिनेट के बहुत से मंत्रियों से ज्यादा योग्य हैं यह सही है लेकिन जब राज्य मंत्री यहां पर मौजूद हैं तो उनसे आपको कहना चाहिये । माननीय दीक्षित जी आप पर्वतीय विकास विभाग के मंत्री हैं तो जब वह आयेगा उसका बजट आप प्रस्तुत करियेगा ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है उसमें बहुत दम है । अगर मंत्रि-परिषद् का सामूहिक दायित्व समझते हैं तो राज्य मंत्री उद्योग प्रस्तुत कर सकते हैं । वह अनुपस्थित हैं नहीं

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

वह जा रहे हैं, उनको रोकिये

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अमर चन्द–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, रोज मान्यवर, इस प्रकार व्यवस्था के प्रश्न उठाये जाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

पहले राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को सुन लूं । यह सही है कि एक के बाद मुझे जबाव दे देना चाहिए था लेकिन माननीय गुप्ता जी को बुला लिया है इसलिये अब उनको सुन लूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, उनको हड़का दिया है वह जा रहे हैं । (व्यवधान) उद्योग राज्य मंत्री भाग रहे हैं, उनको अपनी जगह पर बैठाइये ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं किसी को आने जाने से रोक नहीं सकता हूं

(व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

मंत्री जी मैदान छोड़ गये ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं कह रहा था ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय गुप्ता जी, आप सूक्ष्म में कहिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं सूक्ष्म में अणु के रूप में कहूंगा । माननीय मंत्री जी हों या न हों उससे कोई अंतर नहीं आता है । नियमों में यह है कि अगर मंत्री नहीं आते हैं तो लिखित सूचना पर अपरिहार्य कारणों से कि अमुक-अमुक कारण से मैं आने में असमर्थ हूं लिख कर भेजेंगे और मेरे स्थान पर कहेंगे कि पर्वतीय विकास मंत्री बजट पेश करेंगे हमें कोई आपत्ति उसमें नहीं होगी । क्या आपकी पीठ पर माननीय राज्य उद्योग मंत्री जी की तरफ से इस तरह का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह दर्शाया गया है कि अमुक-अमुक कारणों से मैं सदन में नहीं आऊंगा । अगर आया है तो क्या आपने अनुमति दे दी है, अगर नहीं आया है, अगर उनकी प्रार्थना नहीं आई है और आपने अनुमति नहीं दी है तो क्या पर्वतीय विकास राज्य मंत्री यह बजट प्रस्तुत कर सकते हैं?

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, गुप्ता जी ने एक बात कही, क्या मंत्री जी अभी आपके सामने यहां से उठकर लाबी में गये हैं और वहां से लिखकर भेज दिया है कि मैं अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हूं, क्या लाबी में उद्योग राज्य मंत्री का उपस्थित रहना अनुपस्थित माना जायेगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अधिष्ठाता महोदय, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं अन्य माननीय सदस्यों ने कुछ आपत्ति उठाई कि माननीय पर्वतीय विकास राज्य मंत्री कैसे उद्योग विभाग का बजट पेश कर रहे हैं। आप स्वयं जानते हैं और साथ ही साथ श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कुछ मुश्किल भी आसान कर दी चूंकि उनको हम लोगों का ख्याल रहता है, आप जानते हैं कि उद्योग विभाग का कैबिनेट पोर्टफोलियो माननीय मुख्य मंत्री जी के पास है, उनको अधिकार है कि वह किसी भी उप मंत्री राज्य मंत्री या मंत्री द्वारा यह बजट प्रस्तुत करवा सकते हैं और किया जा सकता है। मान्यवर, यह अधिकार मुख्य मंत्री जी को है यह मैं जोर देकर कह रहा हूं। मान्यवर, यदि आप कागज, एथारिटी पत्र, देखें तो आपको अधिकार दिया होगा और पर्वतीय विकास राज्य मंत्री को एथराइज किया होगा कि वह पेश कर सकते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मान्यवर, इस पीठ से अनेक बार, आज भी, जो विरोध में होता है यह आपत्ति सदैव उठाई जाती रही है और श्री विजय सिंह राणा जी इस आपत्ति को उठाने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन इसका फैसला भी होता रहा है, इसलिये इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि राज्य उद्योग मंत्री आज कुछ अस्वस्थ हैं, इसलिए दूसरे पर्वतीय विकास राज्य मंत्री इसको आज पेश कर रहे हैं।

*डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

श्रीमन् मा0 उद्योग राज्य मंत्री जी आज वास्तव में बीमार हैं और मैं प्रमाणित करता हूं कि इतना ही नहीं आज सबेरे उनकी परीक्षा करके दवाई भी लिखी है। यदि ज्यादा माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं तो बीमारी भी मैं बता सकता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने पक्ष और विपक्ष के श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री विजय सिंह राणा और श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी को सुना। निर्णय के तौर पर यह सही है कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने जैसा कहा है उसके अनुसार बजट पेश करने के लिये किसी मंत्री को कहा जा सकता है। यह भी सही है कि यदि वह उपस्थित नहीं होते हैं, तो बीमारी की दरख्वास्त देनी चाहिए थी, यह भी सही है कि सदन में रहते हुए वह यदि बीमार हैं और अन्य मंत्री उसको पेश करना चाहें तो पेश कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

*श्री शारदा प्रताप—

व्यवस्था का प्रश्न है, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के पास यह विभाग है, उनका पत्र आपके पास आया है कि अमुक मंत्री बजट पेश करेंगे, तो क्या पत्र में पर्वतीय विकास राज्य मंत्री को एथराइज किया है कि वह बजट प्रस्तुत करें।

श्री अधिष्ठाता—

आप विराजें। मैंने मंत्री जी को आज्ञा दे दिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 4-उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या-5-उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या 6-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग), अनुदान संख्या 7—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 8—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) तथा अनुदान संख्या 9—उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित) —

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,62,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,37,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,74,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 37,45,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,44,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9—उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,67,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 87-88 के उद्योग विभाग के बजट को रखते हुए मैं सदन के सामने सर्वप्रथम यह कह देना अपना परम कर्तव्य समझता हूं कि आज की परिस्थितियों में जबकि आज हमारे देश में और विशेष कर हमारे प्रदेश में, जिस विभाग का मैं, उद्योग विभाग का बजट रखने जा रहा हूं, हमारे सामने उद्योग विभाग की अपनी एक अहम् भूमिका है और उसके अन्तर्गत ही हम देखते हैं कि रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए और व्यक्ति की आय को बढ़ाने के लिए हमारा परम् कर्तव्य है कि हम इस पर पूरा गौर करें और ऐसा योगदान करें कि जिससे हमारे प्रदेश में रोजगार की समस्या का समाधान हो सके और व्यक्ति की आय बढ़ाने में भी हम कामयाब हो सकें। मान्यवर, हमने इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश शासन द्वारा भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अनुरूप संतुलित औद्योगिक विकास नीति अपनायी है। जहां एक ओर बड़े उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं वहीं छोटे उद्योगों को विशेष रूप से छोटे आकार की रोजगार मूलक लघु एवं ग्रामीण उद्योगों इकाइयों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है। मान्यवर तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कार्यकारी दलों की स्थापना की है। इसी के साथ-साथ मान्यवर, उद्योग बन्धुओं की स्थापना की गई है जिसके अन्तर्गत पर्यावरण, बिजली, सेल्स टैक्स, श्रम विभाग इत्यादि हैं। इस प्रकार उद्योग बन्धुओं की मार्फत से उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण शीघ्रता से हो सकेगा।

एक सदस्य—

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग शान्त रहें वह भाषण देने में सहायता ले सकते हैं।

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, इसी तरह से प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधायें और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। मान्यवर, इसी के साथ-साथ कहना चाहूंगा कि औद्योगिक प्रगति हेतु देश-विदेश के उद्यमी प्रदेश में पूंजी विनियोजन हेतु आकर्षित हो रहे हैं। प्रदेश में प्राप्त आशय-पत्रों के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से कार्यवाही की गई है। विभिन्न आशय-पत्र धारकों से सम्पर्क करके उन्हें क्रियान्वित करने के पूर्ण प्रयास किए गये हैं। साथ ही साथ मान्यवर भारत सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि अधिकाधिक आशय-पत्र पिछड़े हुए क्षेत्रों में दें। प्रदेश में गैस पर आधारित 4 बड़े कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं, जो हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर गैस पाइप-लाइन पर आधारित होंगे तथा जिनमें लगभग 3,000 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन अनुमानित है।

मान्यवर, वृहद एवं मध्यम उद्योगों के बारे में कहना चाहूंगा, इस वर्ष वृहद एवं मध्यम उद्योगों के लिए लगभग 2,170 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन किया गया है। इन उद्योगों में पूंजी विनियोजन का स्तर 7,500 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा वर्ष 1985-86 में 2458 औद्योगिक इकाइयों को लगभग 78 करोड़ रुपये की

वित्तीय सहायता प्रदान की गयी तथा इस वर्ष 1986-87 में 1,826 इकाइयों को लगभग 98 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। निगम द्वारा इस वर्ष में 115 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मान्यवर, इसी प्रकार पिकअप द्वारा वर्ष 1985-86 में लगभग 33.00 करोड़ रुपये का ऋण 143 औद्योगिक इकाईयों में वितरित किया गया। मान्यवर, वर्ष 1986-87 में पिकअप द्वारा वितरित ऋण की धनराशि बढ़कर 52.00 करोड़ रुपये के लगभग हो गयी, जो 150 औद्योगिक इकाईयों के मध्य वितरित की गई। इस वर्ष मान्यवर पिकअप द्वारा 60.00 करोड़ रुपये का सावधि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार मान्यवर वित्तीय निगम तथा पिकअप दोनों संस्थाओं द्वारा औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता की धनराशि में बराबर वृद्धि हो रही है। इसी तरह से मान्यवर पिकअप द्वारा 35 औद्योगिक परियोजनाओं हेतु आशय-पत्र प्राप्त किये जा चुके हैं जिनमें लगभग 2700 करोड़ रुपये का पूंजी-विनियोजन अनुमानित है। इन आशय-पत्रों को कार्य रूप देने के लिए पिकअप प्रयत्नशील है। इसी के साथ मान्यवर, हम अन्य योजनाओं को विकसित करने में ध्यान दे रहे हैं। (समय 4 बजकर 20 मिनट पर) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम भी संयुक्त/सहायतित क्षेत्र की 14 परियोजनाओं में भागीदार बना हुआ है तथा कई परियोजनाओं हेतु उसने आशय-पत्र भी प्राप्त किये हैं। निगम गैस क्रेकर काम्पलेक्स, लीनियर एल्काइल बैन्जीन जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भी आशय-पत्र प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। पिकअप के द्वारा हम उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा अंशपूंजी में भागीदारी के माध्यम से भी प्रदेश में बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना इस प्रदेश में करने जा रहे हैं।

मान्यवर, औद्योगीकरण की गति को तेज करने के लिए हमने प्रदेश में 11 उद्योग शून्य जनपदों में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्र सरकार तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की योजना को लाये हैं। मैदानी क्षेत्र की 7 परियोजनायें तथा पर्वतीय क्षेत्र की दो परियोजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं। उद्योग शून्य जनपदों जैसे कानपुर (देहात), फतेहपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, बांदा, जालौन एवं हमीरपुर में विकास केन्द्रों की स्थापना हेतु भूमि अध्याप्ति का कार्य प्रगति पर है। पर्वतीय क्षेत्र के उद्योग शून्य जनपद टिहरी-गढ़वाल, पौड़ी-गढ़वाल, उत्तरकाशी तथा चमोली में भी भूमि के चयन एवं प्राप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा लगभग 22 हजार एकड़ भूमि अध्याप्त कर इसमें से 14415 एकड़ भूमि को विकसित किया है। लगभग 12 हजार एकड़ भूमि को उद्यमियों को आवंटित किया जा चुका है इसी संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां पर हम उद्यमियों के लिए औद्योगिक आस्थान बना रहे हैं वहां पर डाकघर, तारघर, बैंक, पुलिस चौकी आदि की व्यवस्था करने जा रहे हैं। प्रदेश में बड़े पैमाने पर हम कुछ उद्योगों को लगाने जा रहे हैं जिनमें लखनऊ में टैलको द्वारा वाणिज्यिक कारखाना, कानपुर में लोहिया स्कूटर का कारखाना, रायबरेली में बैस्पा स्कूटर का कारखाना, नैनीताल में पोलिस्टर

फिल्म्स तथा चिप्स की परियोजना तथा हमीरपुर में हिन्दुस्तान लीवर की डिटरजेंट परियोजना, इलाहाबाद में हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड की आप्टीकल फाइबर परियोजना, बांदा में फ्लोट ग्लास परियोजना इत्यादि परियोजनायें प्रदेश में लगायी जा रही हैं। इसी तरह से मैं उस सदन को यह बताना अपना परम कर्तव्य समझता हूं कि बड़े उद्योगों के साथ-साथ हमारी सरकार बराबर प्रयत्नशील है कि लघु उद्योगों का विकास हो। इसके लिए प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम एक मिनी औद्योगिक आस्थान स्थापित करने का हमारा लक्ष्य है। मिनी औद्योगिक आस्थान स्थापित करने का कार्यक्रम वर्ष 1985-86 से प्रारम्भ किया गया था और वर्ष 1986-87 हेतु स्वीकृत 175 आस्थानों के विरुद्ध 124 विकास खण्डों में भूमि का चयन किया जा चुका है। वर्ष 1987-88 में 200 मिनी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ कुछ विशिष्ट उद्योगों के लिए समूह में शेड/प्लाट विकसित करके उद्यमियों को आवंटित करने की योजना भी हमारी सरकार की है। मुरादाबाद में पीतल कारीगरों के लिए पीतल बस्ती का निर्माण उत्तर प्रदेश ब्रास वेयर कारपोरेशन द्वारा करवाया जा रहा है। उ0 प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन द्वारा एनकी (कानपुर), नोयडा, साहिबाबाद, रायबरेली तथा लखनऊ में इलेक्ट्रानिक्स आस्थान स्थापित हो रहा है। निगम की एक सहायक कम्पनी अपहिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की स्थापना की गयी है। इसके अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में देहरादून, कोटद्वार, पिथौरागढ़ आदि जगहों पर औद्योगिक आस्थान स्थापित किये जा रहे हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना में 2400 कार्यशाला युक्त आवास बनाने तथा 5600 कार्यशालायें वर्तमान आवासों के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ-साथ मैं यह भी बताना अपना कर्तव्य समझता हूं कि छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लघु-स्तरीय औद्योगिक इकाईयों की संख्या 1·11 लाख थी जिनसे 9 लाख लोगों को रोजगार सुलभ हो रहे थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में 35 हजार से अधिक लघुस्तरीय इकाईयां स्थापित हो चुकी हैं और वर्ष 1987-88 में 20 हजार इकाईयां स्थापित करने का हमारा लक्ष्य है।

मान्यवर, औद्योगिक विकास की गति को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए हमने उद्यमियों के प्रशिक्षण पर बल दिया है। लखनऊ में इसके लिए उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की जा चुकी है तथा प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में इस संस्थान का एक-एक केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रत्येक मंडल में एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है। उद्योग विभाग के नियंत्रण में ग्रामोद्योग प्रचार एवं प्रसार केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण ट्राइसेम योजना की अवस्थापना मद के अन्तर्गत किया जा रहा है। जहां तक हमारे खादी और ग्रामोद्योग का प्रश्न है महात्मा गांधी ने इस देश की आजादी के पहले यह कल्पना की थी कि हमारे ग्रामीण अंचल में ऐसी इकाईयां स्थापित हों जिससे ग्रामीण अंचल के लोगों को भी उद्यमी बना सकें और ग्रामीण अंचलों में रोजगार मिल सके जिससे वह आत्मनिर्भर हो सकें।

इस सम्बन्ध में हमने लखनऊ में सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नालाजी (सिपिट) का एक केन्द्र खोला है जिसमें प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ हो गया है। लखनऊ में ही टूल रूम प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उद्यमियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। प्रदेश में खाद्यान्नों एवं फलों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि पर्वतीय अंचल जो फलों के बहुत बड़े केन्द्र हैं, वहां फलों के माध्यम से लोगों को फलों पर आधारित उद्योगों का लाभ मिल सके। इसके लिए लखनऊ में केन्द्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान के क्षेत्रीय केन्द्र की भी स्थापना की जा रही है।

मान्यवर, हमने रेशम के बारे में काम शुरू कर दिया है। इसके लिए बहराइच में एक अनुसंधान विस्तार केन्द्र की स्थापना की गयी है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा देहरादून स्थित अनुसंधान उपकेन्द्र को कुछ उच्चस्तर का बनाने जा रहे हैं। बहराइच तथा पीलीभीत में रेशम धागाकरण का इकाईयां स्थापित की गयी हैं ताकि बनारस का जो रेशम उद्योग है और जो रेशम पर आधारित है वहां के कारीगरों को अधिक से अधिक रेशम हम प्रोवाइड कर सकें।

मान्यवर, यहां पर मैं उत्तर प्रदेश चर्म विकास निगम के बारे में कहना चाहता हूं। हमने चर्म विकास के बारे में कार्य प्रारम्भ किया है और आगरा में एक चर्म नगर बनाने जा रहे हैं। इसकी रिपोर्ट आ गयी है और इसकी अनुमानित लागत लगभग 12 करोड़ रुपये की है। इसका भी पुनरीक्षण कराया जा रहा है। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि हम भविष्य में चर्म नगर की स्थापना करने में समर्थ होंगे।

मान्यवर, इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने अपने उद्यमियों को प्रशिक्षित किये जाने की योजना बनायी है और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए तथा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कमेटियां बनायी हैं। मान्यवर, हमारा यह लक्ष्य है कि हम प्रदेश को आत्म-निर्भर बना सकें और जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार प्रोवाइड कर सकें। इस स्दर्भ में इस उद्योग के ऊपर बड़ा बल दे रहा हूं और विशेष तौर से जो हमारी स्कीम विकास खण्डों तक उद्योगों को पहुंचाने की है और उसे हमें विकास खण्ड तक पहुंचाना है। खादी ग्रामोद्योग द्वारा जो वस्तुएं बनती हैं हम चाहते हैं कि उसके माध्यम से कुछ ऐसा कार्य किया जाय ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें। मान्यवर, तकनीकी के बारे में हमने काफी बल दिया है। मेरठ में खेलकूद के सामान बनाने के उद्योग के लिए, अलीगढ़ में ताला उद्योग के लिए तथा आगरा में फाउण्डरी उद्योग के लिए उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तकनीकी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

मान्यवर, प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हथकरघा निर्मित ऊनी वस्त्रों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए तथा उनके बाजार सर्वेक्षण हेतु कामन वेल्थ सेक्रेटेरियट की सहायता लिये जाने का प्रस्ताव है। हमें कामन वेल्थ से जो मिलने की आशा है उससे हम अपने पर्वतीय अंचलों में जो ऊन का काम होता है मान्यवर, ऊन की कालीन बनायी

जाती है, थुल्मा वगैरा बनाया जाता है। मान्यवर, इससे उत्तर प्रदेश के कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा और वह छोटे-छोटे काम करके अपने को आत्मनिर्भर बना सकेंगे। मान्यवर, इसी संदर्भ में यह भी बताना चाहता हूं कि हस्त निर्मित कागज की गुणवत्ता सुधारने पर भी बल दिया गया है। अभी तक हमारी सिर्फ एक प्रयोगशाला में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से मोटा कागज बनाया जाता है। हम चाहते हैं कि इसकी गुणवत्ता में सुधार हो और साथ ही साथ हम इसकी प्रगति के बारे में शीघ्र ही कुछ ऐसे कदम उठाने जा रहे हैं। हमने इस बात का भी आदेश दिया है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से निर्मित कागज हमारे तमाम सरकारी कार्यालयों में इस्तेमाल हों। ताकि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को प्रोत्साहन मिले।

मान्यवर, बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करने के लिए तथा शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के लिए स्वत: रोजगार योजना वर्ष 1987-88 और सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में भी चलाने का निर्णय लिया गया है इस योजना से प्रतिवर्ष लगभग 30,000 व्यक्तियों को सीधे रोजगार मिलेगा। लघु उद्योगों की स्थापना हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष एक बड़ी धनराशि मार्जिन मनी के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 1986-87 में प्रदेश सरकार द्वारा 364.92 लाख रुपये की मार्जिन मनी स्वीकृत की गयी और साथ ही साथ इस वर्ष में हमारे प्रदेश में 403.18 लाख रुपये की मार्जिन मनी लघु उद्योगों की स्थापना हेतु उपलब्ध कराने की स्वीकृति की गयी है।

मान्यवर, इसी सन्दर्भ में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा हमने वर्ष 1986-87 में बोर्ड द्वारा 9 करोड़ से अधिक धनराशि ग्रामोद्योगों की स्थापना हेतु वितरित की थी और इस वर्ष हमारे खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के मार्फत 15 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य है तथा 5 करोड़ रुपया बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। मान्यवर, इस तरह से छोटी-छोटी इकाइयां स्थापित हो सकती हैं और उससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है।

मान्यवर, हमने एकीकृत ग्राम्य विकास प्रोग्राम के अन्तर्गत आई0 एस0 वी0 सेक्टर में वर्ष 1986-87 के अन्त तक 2,89,645 इकाईयां स्थापित की थीं। अब वर्ष 87-88 में 2,53,200 इकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य है। मान्यवर, हथकरघा उद्योग प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण बड़ा उद्योग है और कृषि के बाद हथकरघा उदयोग को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इस उद्योग में लगभग 15 लाख लोग रोजगार पा रहे हैं। वर्ष 1984-85 में प्रदेश में हथकरया वस्त्रों के उत्पादन 615.45 मिलियन लीटर का जो वर्ष 1986-87 में बढ़कर 625.43 मिलियन मीटर हो गया। मान्यवर, वर्ष 1987-88 में हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन का लक्ष्य 640 मिलियन मीटर रखा गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हथकरघा वस्त्रों का उत्पादन बढ़कर 700 मिलियन मीटर हो जाने की आशा है। मान्यवर, इसी संदर्भ में जनता वस्त्र के उत्पादन में प्रदेश, देश में सबसे आगे है। वर्ष 1986-87 में लगभग 120 मिलियन मीटर जनता वस्त्र का उत्पादन हमारे प्रदेश में हुआ जो अपनी जगह पर एक कीर्तिमान था तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य

के बराबर था। जनता वस्त्र के वितरण की व्यवस्था भी हमने बहुत अधिक सुदृढ़ की है और साथ ही साथ हम प्रयत्नशील हैं कि जनता वस्त्रों को अधिक से अधिक बढ़ावा दें ताकि हमारे ग्रामीण अंचलों के लोगों को तथा गरीब लोगों को जनता वस्त्रों से अधिक से अधिक लाभ हो सके। मान्यवर, हथकरघा बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगभग 14000 बुनकरों को जीवन बीमा योजना का सदस्य बनाया गया है इसके अतिरिक्त सातवीं पंचवर्षीय योजना में 67,200 बुनकरों को केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित थ्रिफ्ट फण्ड योजना का सदस्य बनाकर लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

अब मान्यवर, कताई मिलों के बारे में बताना चाहता हूं। जो कताई मिलें हमारी सूत बनाती हैं और उस सूत को जो हमारे बुनकर भाई हैं उनको प्रोवाइड करती हैं। हमारी कताई मिलों में 7 कताई मिलों के प्रथम चरण में पुनरीक्षित करने का लक्ष्य है, उनकी जो मशीनरी पुरानी पड़ गयी हैं उनके सुधार के लिए लक्ष्य रखा है उसमें प्रथम चरण में रायबरेली, बाराबंकी, मेरठ तथा रुण्डोरा का आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इटावा और बुलन्दशहर की कताई मिलों का आधुनिकीकरण करने का हमारा लक्ष्य है। जो शीघ्र ही पूरा किया जायेगा।

मान्यवर, इसी संदर्भ में रेशम उद्योग के बारे में, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में चर्चा की, प्रदेश में 7वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में कच्चे रेशम के उत्पादन का स्तर 20,000 किलोग्राम था। जो वर्ष 1986-87 में बढ़कर 25,000 किलोग्राम हो गया। बहराइच तथा पीलीभीत में रेशम के धागाकरण की इकाईयां भी स्थापित की गयीं। वन विभाग के सहयोग से शहतूत एवं अर्जुन वृक्षारोपण का कार्य सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। जिससे रेशम उद्योग में सहयोग मिल सकेगा। हमारे प्रदेश में रेशम को बढ़ावा देने के पक्ष में अलग निदेशालय बनाये जाने का निर्णय लिया गया।

अल्प-संख्यकों के लिए कार्यक्रम बनाये गये हैं। प्रदेश में अल्प-संख्यक वित्तीय एवं विकास निगम की स्थापना सितम्बर, 1984 में की गयी थी। जिसमें अल्प-संख्यक समुदाय के व्यक्तियों को विकास योजनाओं व बैंकों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी है। अल्प-संख्यक क्षेत्रों में 26 गोष्ठियां आयोजित की गयीं। इसके अंतर्गत गतवर्ष 576 इकाईयों को 105 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी। अल्प-संख्यक समुदाय के लिए विभिन्न सेवाओं में भर्ती हेतु प्रशिक्षण तथा मेधावी एवं जरूरतमंद छात्रों को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए ब्याज रहित कर्ज की व्यवस्था भी करता है।

खनिज हमारे प्रदेश की संपदा है जिसके माध्यम से हमने काफी कार्य किया है। 1986-87 में प्रदेश सरकार को खनिजों से रिकार्ड आय प्राप्त हुयी। खनिजों से वर्ष 1984-85 में लगभग 6 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1985-86 में 8.3 करोड़ रुपये की आय हुयी जो वर्ष 1986-87 में बढ़कर 10.42 करोड़ रुपये हो गयी। प्रदेश में नये-नये खनिजों की खोज का कार्य भी प्रगति पर है। 1986-87 में 5.6 करोड़ रुपये का उत्पादन कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इसी संदर्भ में आपके माध्यम

से बताना चाहूंगा कि राज्य खनिज विकास निगम की लम्बी लागू खनिज परियोजना के अन्तर्गत उच्चकोटि के लाइम स्टोन के उत्पादन की क्षमता को और भी विकसित किया जा रहा है। 81 हजार टन प्रतिवर्ष कैल्शियम कार्बाइड के उत्पादन की क्षमता वाली निगम की सहायता कैल्शियम कार्बाइड परियोजना पूरी हो चुकी है। 198 करोड़ रुपये की लागत से 250 लाख वर्गमीटर की उत्पादन लागत क्षमता वाली क्लोट ग्लास परियोजना की स्थापना की गयी है।

सीमेंट भी हमारे प्रदेश का प्रमुख उद्योग है। इस उद्योग के सम्बन्ध में मैं इतना कहना आवश्यक समझता हूं कि आज प्रदेश के अन्दर हम सीमेंट के मामले में आत्म-निर्भर हैं। 1986-87 में 10.10 लाख टन सीमेंट का उत्पादन हुआ। 1987-88 में 16.17 लाख टन सीमेंट उत्पादन की योजना है। हम सीमेंट के मामले में जैसा कि पहले कहा है आत्म निर्भर है। प्रदेश में सीमेंट की कोई कमी नहीं है। आटोट्रैक्टर्स लि0 द्वारा वर्ष 1986-87 में 294 ट्रैक्ट्रों तथा 736 डीजल इंजनों का उत्पादन किया गया। वर्ष 1987-88 में 450 ट्रैक्टरों एवं 1250 डीजल इंजनों के उत्पादन तथा बिक्री का लक्ष्य है।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी बजट प्रस्तुत करते हुए कितना पढ़ चुके हैं कितना पढ़ना है।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी जारी रखें।

श्री राम औतार दीक्षित—

सरदार सिंह जी 10 साल से मेम्बर हैं। उद्योग इतना बड़ा डिपार्टमेंट है आसानी से इसका बजट नहीं प्रस्तुत हो सकता। उद्योग में बहुत से काम रहते हैं मैं सो शार्ट में कह रहा हूं। मान्यवर, हमारे प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग को विकास की ओर अग्रसर करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस दिशा में उ0 प्र0 इलेक्ट्रानिक्स निगम निरन्तर प्रयत्नशील है और अपना उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। सातवीं योजना के अन्त तक पूरे देश में इलेक्ट्रानिक उद्योगों द्वारा 10,000 करोड़ रुपये के वार्षिक उत्पादन के लक्ष्य के समय 1700 करोड़ रुपये उत्पादन केवल उत्तर प्रदेश में करने का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रानिक्स निगम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में 6 कम्पनियों, अपट्रान इण्डिया लि0, अपट्रान कैपेसिटर्स लि0, अपट्रान डिजिटल सिस्टम्स लि0, अपट्रान कम्युनिकेशन एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि0, अपट्रान कलर पिक्चर ट्यूब लि0 तथा उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 की स्थापना की गई है। इसके साथ ही टेहरी नगर में एक टी0 वी0 कारखाना स्थापित करने पर विचार हो रहा है। लखनऊ में एक एफ0 डी0 एम0/टी0 डी0 एम0 उपकरण परियोजना स्थापित की जा रही है।

मान्यवर, इसी सन्दर्भ में पिछले वर्ष हमने गोरखपुर, झांसी आगरा तथा नैनीताल में चार नये राजकीय मुद्रणालय लगाने का निर्णय लिया है। और साथ ही साथ हमारे राजकीय मुद्रणालय में जो मशीनें पुरानी हैं उनके सुधार के बारे में भी हम कृत संकल्प

है। मानव्यर, इसी सन्दर्भ में हमने वृहत् एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में जो भौतिक उपलब्धि की है उसकी संख्या 85-86 में 174 थी जिसको बढ़ाकर 190 करने का लक्ष्य है। निर्गमित अनुज्ञा-पत्र 85-86 में 75 तथा 86-87 में 62 प्राप्त हो चुके हैं। इसी तरह से लघु उद्योग क्षेत्र में स्थापित इकाइयों की संख्या 85-86 में 16584 थी तथा 86-87 में 18893 हो गई । इसमें लगभग 94465 लोगों को रोजगार मिल रहा है और जिसमें 7011 लाख रुपये की लागत थी। मान्यवर, इसी सन्दर्भ में मैं यह भी कहना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूं कि आज इतना कुछ करने के बाद भी हमको सन्तोष नहीं है और हम अपने प्रदेश को और आगे ले जाना चाहते हैं और विकास की उन नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए हम कृत संकल्प हैं और हमारा इरादा है कि हम निकट भविष्य में अधिक से अधिक उद्योग लगायें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं बड़े ध्यान से माननीय राजस्व मंत्री जी के बजट भाषण को सुन रहा था और भाषण को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे गांधी जी कभी इस देश में पैदा नहीं हुए और जैसे किसी दूसरे देश में, यूरोपीय देश में बैठकर यह बजट भाषण पढ़ा जा रहा है, यदि गांधी जी के देश का बजट भाषण होता तो इसमें उनके द्वारा

सजोए सपने इसमें परिलक्षित होते और जिसमें 12 करोड़ जनता के 24 करोड़ हाथों को काम देने की इच्छा झलकती उनकी समस्याओं का कोई समाधान होता । मान्यवर, अगर गांधी के स्वपनों को साकार करने वाला उद्योग मंत्री का बजट भाषण होता तो हमें लगता कि वास्तव में इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास का कोई सपना संजोया है। केवल गांधी के नाम को लेकर उनके सिद्धान्तों के नाम को लेकर चलने वाली यह सरकार अगर उनके किसी भी सपने को आगे बढ़ाने की कोई कोशिश मात्र भी की होती यह अपने को गांधी वंशज कहने वाली सरकार अगर जरा भी उनके विचारों को, उनकी नीतियों को और उनकी आर्थिक नीति को और उनके लघु उद्योग व कुटीर उद्योग की जाल बिछाने के सपने को जरा भी बढ़ावा देने का प्रयत्न किये होती, तो वास्तव में यह उनके वंशज कहलाने के अधिकारी होते । साथ ही मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जब मैंने गांधी जी का नाम लिया है और जब भी कहीं पर गांधी जी का नाम आता है तो सत्य और अहिंसा की बात अपने आप आ जाती है लेकिन यह गांधी जी के स्वपनों को आगे बढ़ाने का दम भरने वाली सरकार अगर उनके सिद्धान्तों को और 2-3 कदम आगे गति देने वाला बजट भी पेश करती तो सन्तोष होता जो माननीय उद्योग मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है । मान्यवर, मेरे हाथ में गवरमेन्ट आफ उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल पालिसी नामक एक पुस्तक है, जो इस सरकार ने निकाली है, इसके पहले ही पैराग्राफ को मैं पढ़ना चाहूंगा:—

> द गवरमेन्ट आफ उत्तर प्रदेश, कानसिअस आफ इट्स रिसपांसिबिल्टीज इन प्रमोटिंग पेडिएटर एकनामिक डेवलपमेन्ट बेलेन्सड रीजनल ग्रोथ एक्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आफ द एवेलेबल गुड्स एण्ड सर्विसेज, लार्जर इम्प्लायमेन्ट एण्ड हायर पर केपिटा इन्कम, हैव डिसाइडेड टू लें बिफोर द प्यूपल ए पोलिसी फ्रेम फार इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट आफ यू0 पी0 विदिन विच ए प्रोग्राम आफ एक्शन कैन बी अण्डर टेकन,

मान्यवर, मैं इसका अनुवाद हिन्दी में किये देता हूं लेकिन इससे पहले इस संबंध में दो शब्द और कहूंगा कि वह यह कि यह सरकार गांधी जी के स्वपनों को पूर्ण-रूप से साकार करने वाली सरकार नहीं है और गांधी जी की राष्ट्रीय भाषा को अनदेखा करते हुए जो पालिसी स्टेटमेंट्स हैं इस विभाग के, उनको अंग्रेजी में यह सरकार छापती है, इसीलिए मैं स्पष्टतया कहता हूं कि यह सरकार गांधी के सपनों को साकार करने वाली सरकार नहीं है । मान्यवर, अनुवाद इस प्रकार है, "उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से जागरूक है और तेजी से आर्थिक विकास के लिए, संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए जो भी अवेलेबिल गुड्स होंगे सामान होंगे, उनको ईमानदारी से बांटने के लिए हर क्षेत्र में लार्जर इम्प्लायमेंट लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये हायर पर कैपिटा इन्कम, प्रति व्यक्ति जो आमदनी होती है उसको बढ़ाने के लिये तय किया है एक ऐसी नीति औद्योगिक विकास की बनाना, जिसके अन्दर उत्तर प्रदेश के अन्दर एक एक्शन प्रोग्राम, जो किया जाता है, वह लाया जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके । यह इनकी नीति है । मान्यवर, उस नीति को ये किस तरह से लागू कर रहे हैं, इसमें मान्यवर, मैं आपसे निवेदन

करना चाहूंगा कि कुटीर उद्योगों के बारे में जैसा मैंने कहा, हमारे यहां के कटीर उद्योग केवल उत्तर प्रदेश की ख्याति के ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं । जैसे बनारस का साड़ी उद्योग, फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग, मिर्जापुर का पीतल उद्योग, लखनऊ का चिकन, कानपुर आगरा का चर्म उद्योग, वहां के बारे में श्रमिक बस्ती बनाने की माननीय मंत्री जी ने कही, लेकिन उस उद्योग के सामने क्या दिक्कत है, उसको दूर करने के लिये यह क्या कर रहे हैं । बस्तियां बनाने से ये समस्याएं हल नहीं कर सकते । इसी तरह से फैजाबाद में टांडा की डोरिया और जामदानी, अलीगढ़ का ताला उद्योग, मुरादाबाद का उद्योग, इन उद्योगों को बढ़ाने और विकसित करने की योजना होती और इस तरह से पूरे प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना की योजना बनाई गयी हो तो . . .

श्री राम अौतार दीक्षित–

मान्यवर, अभी आपने कहा कि अंग्रेजी में छपी है, तो यह हिन्दी में भी छपी है

(अनेक माननीय सदस्यों के "हिन्दी में भी छपी है" वाक्य अनेक बार कहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आपका कहना है कि हिन्दी में भी छपी है, जबकि कहना चाहिये कि हिन्दी में छपी है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

दूसरे मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इनकी नीतियां कागज पर होती हैं, व्यवहारिक नहीं हो पाती हैं । उदाहरण के लिये मान्यवर, सरकार ने, हम लोगों को एक पुस्तक दी है "उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकास प्रगति समीक्षा 1986-87 मान्यवर इसके अध्याय-1 के पहले पृष्ठ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि उद्योग शून्य जिलों में विकास की गति तीव्र करने के लिये उन जिलों में उद्योगों के लिये मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाने की योजना को उच्च वरीयता दी जा रही है । राज्य में स्थापित ऐसे सभी उद्योगों को जो दिनांक 1 अक्टूबर, 1982 से 31 मार्च, 1990 के मध्य लग जाएंगे तथा उत्पादन में आ जायेंगे । शून्य उद्योग जिलों में 7 वर्ष, पिछड़े जिलों में 6 वर्ष तथा साधारण जिलों में 5 वर्ष के लिये उन्हें अपने उत्पादन के बिक्रीकर से मुक्त की सुविधा प्रदान की गयी है । सरकार की इस उदार नीति का प्रदेश में उद्योगों में पूंजी विनियोजन की दशा में रचनात्मक प्रभाव पड़ा है और इस आकर्षण में बाहर से उद्यमी उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए सम्पर्क कर रहे हैं। भारत सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े 42 जिलों के लिये केन्द्रीय पूंजी उत्पादन योजना घोषित की है, इन 42 जिलों को तीन श्रेणी "ए" "बी" तथा "सी" में विभाजित किया गया है । पूंजी उत्पादन "ए" श्रेणी के जिलों में 25 प्रतिशत तथा "बी" श्रेणी के जिलों में 15 प्रतिशत तथा "सी" श्रेणी के जिलों में 10 प्रतिशत की दर से उद्योग स्थापनार्थ होने वाले अचल पूंजी विनियोजन पर दिया जाता है। इस उपादान की अधिकतम धनराशि सीमा क्रमशः 25 लाख, 15 लाख व 10 लाख रुपये निर्धारित की गयी है ।

प्रदेश के वृहत् क्षेत्र में पूंजी विनियोजन को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं । आलोच्य वर्ष में राज्य के बाहर से उद्यमियों को आकर्षित

करने के उद्देश्य से दिल्ली, बम्बई तथा कलकत्ता जैसे महानगरों में उद्यमियों के साथ बैठकें की गयीं तथा उन्हें प्रदेश में पूंजी विनियोजन करने के लिये प्रोत्साहित किया गया । इसी वर्ष जनवरी माह में बम्बई में एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें बम्बई के उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया गया तथा आशानुकूल उत्साह को देखते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बम्बई में एक लाइजेन कार्यालय खोला जाय तो वहां के उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में दी जाने वाली सुविधाओं एवं प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकें । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र के बड़े उद्योगों को भी प्रदेश में आकर्षित करने में भी अच्छी सफलता मिली है । जहां पांचवीं योजना काल में निजी उद्योग में प्रदेश में 500 करोड़ रुपये की पूंजी विनियोजन था, वहीं छठी योजनाकाल में 2170 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन हो चुका है । सातवीं योजनाकाल में वृहत उद्योग के क्षेत्र के 7500 करोड़ रुपये पूंजी विनियोजन की संभावना है । वर्ष 1986-87 में 31 मार्च तक 118 आशय-पत्र प्राप्त हुए जिनका कुल पूंजी विनियोजन रु0 775.39 करोड़ तथा रोजगार 25,097 व्यक्ति होगा, जबकि वर्ष 1985-86 में मार्च माह तक 174 आशय-पत्र प्राप्त हुए थे जिनका पूंजी विनियोजन रु0 1825.89 करोड़ तथा रोजगार 47758 व्यक्ति था । मार्च, 1987 तक 62 अनुज्ञा-पत्र निर्गत हुए जिनका पूंजी विनियोजन रु0 946.71 करोड़ तथा रोजगार 1688 व्यक्ति है । तथा वर्ष 1985-86 में मार्च माह तक 75 अनुज्ञा पत्र निर्गत हुए थे जिनका पूंजी विनियोजन 1547.93 करोड़ रु0 तथा रोजगार 26871 व्यक्ति था ।

मान्यवर, कुल मिलाकर एक बात कही है कि बम्बई, दिल्ली कलकत्ता में तमाम बैठकें की । इन बैठकों के जरिये आपके तमाम आई0 ए0 एस0 अफसरों ने वहां जाकर मौज की होगी । आपके प्रयास से क्या नतीजा निकला ? आप हमको यह बता दें कि इन बैठकों के परिणामस्वरूप फलां उद्योगपति, फलां उद्योग लगाने के लिये रजामंद हुए और फलां उद्योग लगाया गया और उसमें इतने लोगों को रोजगार मिल गया । तो, बात कुछ समझ में भी आती । आप तो वह जादूगरी कर रहे हैं कि बात सारी कागजों में है और विकास ही विकास दिखा रहे हैं । गांधी जी से आपका कोई वास्ता नहीं है । आप असत्य भाषण करने में माहिर हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं । आपके उद्योग इस प्रदेश का विकास करने के बदले भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर खिलवा कर रहे हैं । असल बात तो यह है कि तमाम उद्योगपति निराश होकर उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहे हैं क्योंकि जो नेसेसरी ढांचा होता है, चीजें होती हैं, वह उन्हें उपलब्ध आप करा नहीं पा रहे हैं । बिजली दे नहीं पाते, रा-मटिरियल्स दे नहीं पाते । इस कारण हो यह रहा है कि बाहर के उद्योगपति आपके प्रदेश को छोड़कर जा रहे हैं। उल्टे आप कहते हैं कि तमाम आपके प्रयासों के फलस्वरूप तमाम दूसरे प्रदेशों के उद्योगपति आपके यहां उद्योग लगाने आ रहे हैं ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, सातवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक पुस्तक के कुछ अंश यहां उद्धरित करना चाहता हूं । यह भी इनकी अंग्रेजी में है । इसका चेप्टर 16-पेज 391 का केवल पहला पेराग्राफ पढ़ना चाहता हूं ।

"ड्राफ्ट सेवन्थ फाइव इयर प्लान एण्ड एनुअल प्लान नाइनटीन एटी फाइव-एटी सिक्स वोल्यूम वन चेप्टर सिक्सटीन"

इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट इन द स्टेट हैड सफर्ड इन द पास्ट डयू टू लेक आफ इनफ्रेसट्रोक्चर, स्पेशिली पावर, एण्ड इनएडिकेट इनवेस्टमेन्ट्स बाई सेन्ट्रल एण्ड स्टेट गवर्नमेन्ट्स, बिजनेस हाउसेस एण्ड एमटरप्रेनर्स, कनसर्टेड एफर्ट्स वर मेड डयूरिंग द सिक्सथ प्लान एण्ड स्पेशली ड्यूरिंग द लास्ट इयर नाइनटी एटी फोर-एटी फाइव टू इम्प्रूव द इन्फ्रास्ट्रक्चर एनटरप्रेनर्स अवेयर आफ इनसेन्टिक्स एण्ड अदर फैसिलीटीज बींग प्रोवाइडेड थ्रू द टाइम बाउन्ड प्रोग्राम टू एनश्योर इम्प्लीमेन्टेशनस आफ द प्रोजेक्ट्स इन द शार्टेस्ट पासिबिल टाइम.

पैसा मांगने में प्रदेश सरकार गिड़गिड़ाती है । सेन्ट्रल गवर्नमेंट और प्रदेश गवर्नमेंट पैसा दे नहीं पाई, बिजनेस हाउसेस के लिए, इसलिए वह अट्रेक्ट नहीं हो पाये । अब कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहां आओ उद्योग लगाने के लिए । इसी पुस्तक के पेज-378 को देखिए । 11 जिलों को इन्होंने जीरो इन्डस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है, कुछ को बैक्वर्ड और कुछ में स्टेट ज्वाइन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट्स लगाने जा रहे हैं। इस तरह से इन्होंने कई प्रोग्राम्स बनाये हैं, लेकिन किस तरह से सौतेला व्यवहार किया गया है, इसे मैं आपको बताना चाहता हूं । गवर्नमेंट आफ उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रियल पालिसी की जो इनकी पुस्तक है, उसके अंतिम पेज के एनेक्सर-1 पर आप देखें । डिस्ट्रिक्ट्स की तीन कैटेगरिया की गई हैं-(1) कैटेगीज में 25 परसेन्ट सब्सिडी, सबजेक्ट टू दि मैक्सिमम रूपीज 25 लैक्स, इसमें 15 जिले दिये गये हैं। नैनीताल व सुल्तानपुर जिले को भी इसमें रखा गया है और इन्हें जीरो इन्डस्ट्रियल डिसिट्रक्ट बताया गया है । ऐसा करके भगवान जाने आप कैसे गांधी के सपनों को साकार कर पायेंगे । (बी) कैटेगरी में कहा गया है 15 परसेन्ट कैपिटल सब्सिडी टू दि मैक्सिमम रुपीज 15 लैक्स । इसमें बस्ती, फैजाबाद, झांसी, ललितपुर व रायबरेली को रखा गया है । (सी) में 21 जिले रखे गये हैं और कुछ पार्ट गाजियाबाद का भी रखा गया है । इसमें 10 परसेंट सब्सिडी मिलेगी और 10 लाख रुपए तक लोन दिया जायेगा । इस तरह का भेदभाव उद्योग के मामले में इस प्रदेश में किया जा रहा है । ऐसा करके आप क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा दे रहे हैं । मैं जानता हूं कि आप मजबूर हैं, जो मुख्य मंत्री जी ने कह दिया, उसमे आगे आप नहीं जा सकते हैं, इसलिए मेरा कहना है कि आप मुख्य मंत्री जी को जरा इतना कह दीजिए कि आज आप इस कुर्सी पर हैं, इतना गिरा आचरण न करें विकास के मामलों में जब कल आप इस कुर्सी से हट जायेंगे तो प्रदेश की जनता कहेगी कि आया था एक निकम्मा मुख्य मंत्री, जो अपने दायित्वों की रक्षा नहीं कर पाया और विकास के मामले में प्रदेश में भेद-भाव बरता और प्रदेश की विषमता को दूर करने में उस आदमी ने कोई काम नहीं किया ।

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेत राम गंगवार)–

मान्यवर, एक व्यक्ति के लिए निकम्मा शब्द का प्रयोग किया है, क्या यह संसदीय शब्द है ।

श्री अधिष्ठाता–

निकम्मा तो संसदीय शब्द है । निकम्मे का अर्थ जो काम नहीं करता है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, , मैंने मुख्य मंत्री के रूप में निकम्मा कहा है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं । अगर आप मेरे सही कहने पर प्रशंसा नहीं करोगे तो कब करोगे और फिर मुझे श्री गंगवार जी के बारे में सोचना पड़ेगा ।

थोड़ा बहुत डिफरेन्स तो होता है, लेकिन इतना बड़ा अन्तर नहीं करना चाहिए । नैनीताल और सुल्तानपुर में सबसे ज्यादा उद्योग लगे हैं, लेकिन उन्हें शून्य घोषित कर दिया । मैं निवेदन कर रहा था कि विकास के प्रोग्राम में इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिये और कोशिश यह होनी चाहिये कि रीजनल विषमतायें दूर हों, थोड़ा-बहुत फर्क हो तो वह क्षम्य है । सरकार की नीति यही होनी चाहिये । अगर आप समझते हैं कि नीति में कहीं कोई खामी है तो उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिये । इसलिये मेरा सुझाव है कि जो रीजनल इम्बैलेंसेज हैं, उनको दूर करने का प्रयास कीजिये । उद्योगों की स्थापना में थोड़ा सा व्यावहारिक भी होइए, कहीं पर रां-मैटेरियल उपलब्ध होगा आसानी से कहीं पर बिजली सुगमता से मिल सकेगी, जहां पर रां-मैटेरियल कम हो, वहां पर दूसरे किस्म के उद्योग दीजिये । आपको अपनी नीतियों में बेसिक आधार-भूत परिवर्तन करना होगा ।

वित्तीय उपक्रमों जैसे पिकअप है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है, औद्योगिक विकास निगम है, यह सही है कि यह तीन संस्थायें हैं जो कि लोगों के उद्योगों के लिये वित्त पोषण करती हैं, लेकिन क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम नहीं है कि उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है, जिसमें सर्वाधिक ''सिक'' यूनिट्स हैं । कारण यह है कि जो लोन स्वीकृत करते हैं, उस समय जो परियोजनायें वित्त पोषण से पूर्व ''अप्राइजल'' के लिये जाती हैं, उसका ईमानदारी से परीक्षण नहीं होता है । उसमें कमीशन चलता है, अगर 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तक विभाग का जितना कमीशन है, वह मिल गया तो ''फीजिबिलिटी'' को देखे बिना लोन सैंक्शन हो जाता है । उसी का नतीजा है कि उद्योग लग नहीं पाते हैं, 85 प्रतिशत उद्योग या तो लगते ही नहीं हैं या लग जाते हैं चल नहीं पाते हैं । आप तो दे देते हैं फैक्ट्री लगाने के लिये लोन, जो वर्किंग कैपीटल है वह बैंक देती है, कभी-कभी ऐसा होता है कि इण्डस्ट्री खड़ी हो गयी लेकिन वर्किंग कैपीटल नहीं मिलती है, इसका नतीजा यह होता है कि लोन पर सूद बढ़ता जाता है और उद्योग फेल हो जाता है । इस तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा ।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग नियम के बारे में कहना चाहूंगा कि इसके अधीन ''हाफ मिलियन जाब प्रोग्राम'' के तहत सहायक/संयुक्त क्षेत्र की 11-12 इकाइयां स्थापित की गयीं जिसमें इस निगम के साथ उत्तर प्रदेश वित्त निगम तथा बैंकों का भी पैसा लगा था, बिना खाते बनवाये दिनांक 13 जुलाई, 1986 को प्रधान सचिव उद्योग की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कर परिसमापन का निर्णय ले लिया गया और अब परिसमापन की कार्यवाही बड़ी तेजी से प्रारम्भ कर दी गई है ताकि इन समस्त इकाइयों में हुए भ्रष्टाचार एवं गमन को अमली जामा पहना दिया जाय तथा भविष्य में कोई सबूत ही न रहे । जो भ्रष्टाचार हुआ, वह उजागर हो सके, उससे पहले ही इकाईयां समाप्त कर दी गयीं ।

श्री अधिष्ठाता–

एक बात कहना चाहता हूं कि यह अहम् बजट है, बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे, कृपया शीघ्र समाप्त कर दें ताकि अन्य सदस्यों को भी मौका मिल सके ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

जब आप कहेंगे तभी समाप्त कर दूंगा, मान्यवर । तो मैं यह कह रहा था कि कमीशन का रोग उद्योगों को खाये जा रहा है । यह बात दूसरी है कि इस देश में कमीशन को समाप्त करना आसान नहीं है, सत्ता के ऊंचे प्रतिष्ठान पर बैठे लोगों पर भी उंगली उठ रही है, जनप्रतिनिधियों का चरित्र संदिग्ध हो रहा है, आप अफसरशाही को कैसे रोक पायेंगे । जब हमारा और आपका चरित्र ही संदिग्ध हो रहा है और बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठे लोगों के बारे में यह हो जाता है, मैं फिर कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं, लेकिन उनके बारे में आगे कहूंगा अगर आप इजाजत देंगे तो, इस तरह के मेरे पास निश्चित आरोप हैं कि उन्होंने जानबूझकर, कमीशन खाने वालों और गबन करने वालों को हर तरह का संरक्षण देने का प्रयास किया है । जब सरकार के मुखिया का इस तरह का कार्य होगा तो आप कैसे अच्छी सरकार की कल्पना कर सकते हैं ? इस तरीके से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है । पिकअप, सीमेन्ट कारपोरेशन, हैण्डलूम कारपोरेशन, यू0 पी0 एफ0 सी0, यू0 पी0 हैण्डलूम कारपोरेशन सब भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं । आप भी परेशान हैं और हम भी परेशान हैं, मंत्री होने की हैसियत से आप चाहे जो जवाब दो लेकिन सच्चाई से आप भी परिचित हैं ।

प्रदेश के 60 मुख्य निगमों में से सितम्बर, 1986 तक कुल शासकीय विनियोग 6089, 99 करोड़ रु0 हैं जिसमें से 5 फर्म 10 करोड़ रु0 पूंजी के हैं और 5510·89 करोड़ रु0 शासकीय ऋण है । सितम्बर, 86 तक सारे निगमों का संचित घाटा 2499·87 करोड़ रु0 का है यानी सारी पूंजी डूब गयी और कुल विनियोग का 42 प्रतिशत घाटे में बदल चुका है । सितम्बर, 1986 तक 6089·99 करोड़ रु0 शासकीय विनियोग में से केवल 3500 करोड़ रु0 का शासकीय विनियोग बचा है बाकी सब घाटे में समाप्त हो गया । आप प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं मंत्री जी ?

अब आप उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम को देखिए कि इस निगम के अन्तर्गत चुर्क, डाला तथा चुनार तीन फैक्ट्रियां उत्पादनरत हैं । इस निगम को अप्रैल, 1972 में राज्य सरकार द्वारा हस्तान्तरित किया गया था । इन तीन फैक्ट्रियों की उत्पादन-क्षमता प्रति वर्ष के हिसाब से रही चुर्क की 4·80 लाख टन, डाला की 4·00 लाख टन, चुनार की 11·44 लाख टन । इसके विपरीत 1981-82 में उत्पादन 1986-87 में उत्पादन

चुर्क की	2·87	0·51
डाला की	1·20	0·34
चुनार की	2·69	5·98
टोटल	6·76	6·83

तो क्या मंत्री जी आप प्रदेश को इसी तरह से अपने प्रधान मंत्री की इच्छानुसार 21 वीं शताब्दी की ओर ले जायेंगे ? इस तरह से आप देखेंगे कि जहां पर 20 लाख टन से ज्यादा का उत्पादन होना चाहिए था वहीं पर केवल 6·83 लाख टन का उत्पादन हुआ है । आपके शब्दों में बड़ी सफलता से इण्डस्ट्रीज चल रही हैं।

इसी तरह से निगम की अधिकृत अंश पूंजी 60 करोड़ रुपये थी जो कि 2 जुलाई, 1986 से 80 करोड़ हो गयी। सीमेन्ट निगम में जो उत्पादन का लक्ष्य था उसका आधा आप आज कर पा रहे हैं।

इसी प्रकार से आटो टैक्टर्स लिमिटेड प्रतापगढ़ को आप देखें कि इस संस्थान को प्रति वर्ष 12 हजार टैक्टर्स, दो हजार इंजन बनाने का लाइसेंस प्राप्त है लेकिन इसने अक्टूबर, , 1981 जो उत्पादन शुरू किया है उसका विवरण इस प्रकार है कि:—

वर्ष	ट्रैक्टर	इंजन
1981–82	151	×
1982–83	381	1
1983–84	721	11
1984–85	450	410
1985–86	400	600

वर्ष 1985–86 में 400 ट्रैक्टर्स का उत्पादन हुआ जिसमें से विक्रय हुए 351 जिसके कारण आपरेटिंग हानि 638 लाख रु0 की हुई और नकद हानि 530 लाख रु0 की हुई । जबकि प्रतिवर्ष उत्पादन लागत एक ट्रैक्टर पर 5 लाख 84 हजार रु0 आती है और यह बिकता है मात्र 66 हजार रु0 में । प्रति ट्रैक्टर 5 लाख 18 हजार रु0 की शुद्ध हानि आती है । लेकिन ट्रैक्टर का कारखाना, ऐसा न समझें कि जनता के लिए चलाया जा रहा है, इसकी एजेन्सी आपकी पार्टी के एक बड़े आदमी के नाम है, तो इस तरह का धन्धा उद्योग के नाम पर बन्द करें । यही हाल हैण्डलूम कारपोरेशन, बुनकर सहकारी समितियों और यूपिका का है। मैं सिद्धान्त रूप से सहमत हूं कि इनको होना चाहिए, लेकिन आपकी सरकार के भ्रष्टाचार ने इन्हें खोखला करके रख दिया है । मैं एक उदाहरण केवल कानपुर का देना चाहूंगा, जहां अकेले इन समितियों के नाम पर लगभग 20 करोड़ रुपये का गबन है । इसमें शेयर लोन (हिस्सा पूंजी ऋण) करघों के आधुनिकीकरण हेतु ऋण "प्रदर्शनी लगाने के लिए ऋण" एवं अनुदान व उत्पादित वस्तुओं पर छूट अन्य व्यावसायिक बैंकों से लिया गया ऋण सब इसमें शामिल है, लेकिन फर्जी सोसाइटियां बनाकर आपके लोग गरीब बुनकरों का हक हड़प रहे हैं ।

मान्यवर, कानपुर की 304 समितियों में से 65 पर एफ0 आई0 आर0 हो गयी है, गबन, धोखाधड़ी, अभिलेखों में हेरा-फेरी की । मैं दो मामलों का स्पेसिफिक दृष्टान्त देना चाहता हूं । क्राइम नं0 102/86 थाना बाबू पुरवा जिसमें 22 वारन्ट जारी हुए हैं, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, अनवरगंज के न्यायालय से जिसमें आपके सांसद श्री जगदीश अवस्थी भी हैं, क्योंकि वह बैंक के डाइरेक्टर हैं । दूसरा मान्यवर, क्राइम सं0 106/86

है, थाना रेलवे बाजार में, 26 वारन्ट जारी हुए हैं, लेकिन आपके मुख्य मंत्री जी ने 31-5-86 को हथकरघा निदेशक रवि माथुर, संयुक्त निदेशक के0 के0 रोहतगी, उप-निबन्धक हथकरघा श्री एम0 सहीबुद्दीन, लघु उद्योग सचिव सैयद अली ताहिर रिजवी, सहकारिता विभाग से विशेष सचिव सहकारिता, निबन्धक सहकारी समितियां श्री डी0के0 सित्तल, बुनकरों की तरफ से श्री मुबीबुररहमान नुमानी, डी0आई0जी0 (सी0आई0डी0) डा0गिरीश बिहारी, एस0पी0(कोआपरेटिव सेल) श्री राम राखा, एस0पी0ओ0 श्री राय, डिप्टी0 एस0पी0 रवि शंकर त्रिपाठी, मय विवेचना अधिकारी श्री राम सिंह को बुलवाया और सभी को मामले को समाप्त करने का मौखिक निर्देश दिया । इन सारे लोगों के उस दिन में 2 बजे से 4 बजे के बीच एनेक्सी के बी0 आई0 पी0 लिफ्ट से जाने के पास बने हैं । श्री राम सिंह निरीक्षक पुलिस, विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता उत्तर प्रदेश (कानपुर परिक्षेत्र) ने 3-6-1986 को एक परम गोपनीय रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजा था जिस पर डी0आई0जी0/एस0 पी0 की टिप्पणी है, लेकिन 4-8-86 को एस0 पी0 एस0 आई0 बी0 कोआपरेटिव सेल श्री राम राखा ने निर्देश भेजा, आर0 ओ0, एस0 आई0 बी0 कोआपरेटिव सेल कानपुर को माननीय मंत्री जी के पास उसकी कापी है, इसलिए उसको नहीं पढ़ता हूं । राम सिंह की रिपोर्ट है और एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने के लिए परमीशन मांगी थी. सरकार से ।

श्री अधिष्ठाता–

आप और कितना समय लेंगे?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, हमारी ओर से इन्हीं को बोलने दीजिए ।हमारा समय कम कर दीजिएगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मेरा ख्याल है, दो भाषण हो जायें, एक तिवारी जी का और दूसरा माननीय मंत्री जी का ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

आई हैव प्रिपेयर्ड दिस रिपोर्ट आन द बेसिस आफ रिकार्ड्स एवेलेबल विद आई0 ओ0 श्री राम सिंह आई डू रिकमेन्ड द एक्शन अगेंस्ट श्री रवि माथुर आई0 ए0 एस0 बिकाज आई फाइण्ड सफिशिएन्ट एविडेन्स अगेंस्ट हिम टू बी

मैंने इस रिपोर्ट को अभिलेखों के आधार पर बनाया है, जो श्री राम सिंह के पास उपलब्ध थे और आगे है—

प्रूव्ड इन कोर्ट फार प्रोसीक्यूशन नेसेस्री एविडेन्स इन दिस रिगार्ड रिक्वायर्ड टू प्रोसीड फार फर्दर एक्शन.

मैं इसका हिन्दी अनुवाद किये देता हूं । मैं संस्तुति करता हूं कि रवि माथुर के खिलाफ प्रोसीक्यूशन की इजाजत दी जाय क्योंकि मैं अभिलेखों में मौजूद साक्ष्यों से पूरी तरह से सहमत हूं। इसमें काफी साक्ष्य है जिनके आधार पर रवि माथुर आई0 ए0 एस0 का प्रोसीक्यूशन किया जा सकता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेसेसरी इंस्ट्रक्शन्स इन दिस रिगार्ड्स रिक्वायर्ड टू प्रोसीड फार फरदर एक्शन । इस मामले में आपके निर्देशों की आगे की कार्यवाही के लिए विशेष आवश्यकता है । मान्यवर, यह डी0 आई0 जी0 का नोट है और यह सारे कागजात सरकार के पास हैं और तब आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार समाप्त कर रहे हैं ।

इतना ही नहीं जब इस तरह का आदेश आया तो यहां से एक एस0पी0एस0आई0 पी0 कोआपरेटिव, लखनऊ से एक मैसेज गया—प्लीज कम इम्मिडिएटली विद युअर पी0 ओ0 स्टेहयेर फार ए बीक, ब्रिंग आल द सी0डी0एस0एन्ड कनेक्टेड पेपर्स एन्ड वारन्ट्स एटसेट्रा. कनेक्टेड विद केस क्राइम नं0 102/86 पी0 एस0 बाबूपुरवा. नो वारन्ट इन दिस केस बी एक्सक्यूटेड टिल फरदर आर्डर्स .

इसमें कहा गया है कि आप तुरन्त अपने पी0 ओ0 के साथ यहां पर आयें और एक हफ्ते रहने की व्यवस्था करें । आप अपने साथ इस केस से संबंधित सभी कागजात इत्यादि जो केस संख्या 102/86 थाना बाबूपुरवा से संबंधित हैं उनको लेकर आयें । इस बीच में इस केस का कोई भी वारेन्ट तामील न किया जाय ।

मान्यवर, इसके बाद से विवेचना में सहायक सभी लोगों को हटा दिया गया और जांच वहीं ठप पड़ी रही। मेरे पास सबूत है कि 4 जून, 1986 को अमेरिका से श्री जगदीश अवस्थी ने प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को पत्र लिखा और उसकी प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को भी भेजी थी और 5 जून, 1986 को वहीं से एक पत्र श्री अरुण कुमार सिंह सहकारिता मंत्री को भी भेजा गया था उसमें भी इसका जिक्र था। अगर पी0 एच0 राम सिंह की गोपनीय रिपोर्ट और इन पत्रों को सदन के पटल पर रखा जाय तो स्थिति साफ हो जायेगी ।

मान्यवर, भ्रष्टाचार की यही स्थिति गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, मऊ, आजमगढ़ तथा टाण्डा के बुनकर समितियों की है । फर्जी समितियां बनी हुई हैं । प्रदेश में लगभग 2000 चालाक लोगों ने फर्जी बुनकर समितियां बनायी हुई हैं । ये सरकारी पैसे को मगरमच्छ की तरह हड़प रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है । इन्हें हटाइये ।

मान्यवर, यूपिका इन्हीं समितियों की अपैक्स बाडी है जब ये सब फर्जी समितियां हैं तो यूपिका खरीददारी कहां से करेगी? यूपिका द्वारा क्रय करने में तीन संस्थायें कार्य करती हैं । प्रथम डिपो मैनेजर, यूपिका, द्वितीय केन्द्रीय कार्यालय यूपिका तथा ततीय फर्जी बुनकर समिति । यूपिका केन्द्रीय कार्यालय माल खरीदने का आदेश पारित करती है। डिपो मैनेजर केन्द्रीय कार्यालय के अनुमोदित कृपा-पात्र फर्जी बुनकर समितियों को माल क्रय करने का आदेश देते हैं और इस क्रय को करने की अनुमति केन्द्रीय कार्यालय प्रदान कर देता है । बुनकर समिति आदेश के अनुरूप मात्र बिल पर माल डिपो मैनेजर को प्राप्त कराता है तथा डिपो मैनेजर इस माल को 20 से 45 प्रतिशत की रिबेट पर बेंच देता है। इस विक्रय धनराशि को नकद फर्जी समिति, जिसने माल सप्लाई किया है जमा कर देती है और केन्द्रीय कार्यालय में अपनी फर्जी सप्लाई का पूरा धन प्राप्त कर लेते हैं । और रिबेट को आपस में बांट कर खा लेते हैं ।

मान्यवर, मेरे पास प्रमाण है कि इनके कारणेरेशन्स में किस तरह से काम होता है । मैं केवल यह रिबेट का स्टेटमेंट गंगोत्री हजरतगंज, लखनऊ का है बताना चाहता हूं यह मेरे पास 28-1-87 से 4-2-87 तक की फोटोस्टेट कापियां है जो मैं पटल पर भेज दूंगा आप इनको देख लें कि किस तरह से काम होता है । 1-2-87 को इन्होंने रिबेट दी हुई है बुक नम्बर 3 पर रसीद नं0 1 से 35 में रिबेट लिखा हुआ है और इसी बुक नं0 3 की रसीद नम्बर 28 और 29 पर 13 जुलाई की रसीदें काटी गयी है । होता क्या है कि इसमें तो दिखा देते है और रसीदें अपने पास रख लेते है जब चहेती आते है तो उसके नाम इस तरह की रसीदें काट देते है । यह मैं आपके पास भेज दूंगा और उद्योग मंत्री जी को दे दें । इस तरह से वहां बंगलिंग हो रही है इसको रोका जाय।

एक और काम होता है । लोग ऋण लेकर लाइसेंस लेकर यूनिट लगाते नहीं और पैसा हड़प जाते है और दूसरा यह कि कुछ बड़े उद्योगपति होते है जो अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए लाइसेंस तो ले लेते है लेकिन उद्योग नहीं लगाते है ताकि अभाव बना रहे और उनकी वस्तु बिकती रहे । तो मंत्री जी ने जो अभी पढ़ा कि इतनी यूनिट्स लगा रहे है, इतने लाइसेंस इश्यू हुए है, इतनी पूंजी लगा दी गयी है लेकिन यह नहीं देखा कि उस पूंजी का सही उपयोग हो रहा है या नहीं और जिसके नाम से ऋण जा रहा है उसके नाम पर इण्डस्ट्री है या नहीं और जिस काम के लिए अनुबंध है वह उद्योग लगा या नहीं । मैं अपने फैजाबाद जिले को जानता हूं वहां 40, 50 मुकदमे ऐसे दर्ज है जिनको वित्तीय निगम ने दर्ज कराया है उनमें न फैक्ट्री है और न वह कोई सामान तैयार करते है । केवल फर्जी नाम दिखा कर बैंक से कर्ज ले लिया उसमें वह पुलिस वालों को भी मिला लेते है और वित्त निगम भी कुछ नहीं करता है इस प्रकार करोड़ों रुपया फैजाबाद में डूब रहा है ।

इसी प्रकार रा-मैटीरियल उपलब्ध कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और अगर कोई उद्योग लगाता भी है तो उसके सामान की बिक्री के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । इसके लिए सरकार को सामान की बिक्री की व्यवस्था करनी पड़ेगी । मैं एक उदाहरण देता हूं कालीन उद्योग का । हमारे फैजाबाद में लोगों ने कालीन उद्योग लगाए, ऋण लेकर काम किया और उद्योग विभाग ने उस समय बड़े सब्जबाग दिखाए कहा कि सूत देंगे और कालीन बनाने के बाद सरकारी डिपो उसे खरीदेंगे लेकिन कहीं वह व्यवस्था नहीं हुई, नतीजा यह हुआ कि वह सारे के सारे लोग बनारस और मिर्जापुर अपना सामान ले जाते है लेकिन वहां जरा सा डिजाइन में फर्क आ गया या यार्न आ गयी तो सारा सामान रिजेक्ट हो जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

तो यह सारी यूनिटस बैठ गयी । जहां रा-मैटीरियल उपलब्ध कराने की बात है वहीं पर इस बात को भी देखना होगा कि उत्पादित माल के लिए बाजार उपलब्ध हो ।

मैं खासकर सूत के बारे में कहना चाहूंगा, इतना बड़ा हमारा प्रदेश है और इतनी बड़ी संख्या बुनकरों की यहां है, हथकरघा उद्योग हमारा बहुत बड़ा उद्योग है जहां लोग स्टेपुल का काम करते है वहां आप सूत देते है . . .

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी मेरा ख्याल है हर माननीय सदस्य चाहता है इस पर बोले क्योंकि उसके क्षेत्र में भी उद्योग हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैंने तो अपने क्षेत्र की बात कही ही नहीं । मैं तो सिर्फ पालिसी पर बोल रहा हूं । मैं अपनी बात खतम करता हूं, सार्वजनिक क्षेत्र में निरन्तर व्यय घटता जा रहा है, हमारा कहना है कि यह सरकार गांधी जी के सपनों की सरकार है नहीं क्योंकि कुटीर उद्योगों के द्वारा लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार का ध्यान है नहीं । लेकिन हमने सोचा कि हो सकता है कि यह सरकार समाजवादी सरकार हो, समाजवाद की ओर बढ़ रही है इण्डस्ट्री की ओर बढ़ रही है, तो फिर भी देखने पर पाया कि सार्वजनिक क्षेत्र का व्यय निरन्तर घट रहा है या बढ़ रहा है । तो इसमें देखते हैं कि तीसरी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में आपका व्यय 63.02 प्रतिशत, चौथी योजना में 60.03 प्रतिशत, पांचवीं योजना में 57.8 प्रतिशत, छठी योजना में 52.9 प्रतिशत और सातवीं योजना में 48 प्रतिशत आपने कहा। तो मान्यवर, आप न समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं जिससे कि सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी लगती जाए और न आप सार्वजनिक उपक्रमों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा पा रहे हैं। यही नहीं, कुटीर उद्योगों की ओर भी नहीं बढ़ रहे हैं । इसलिए निवेदन है कि आप कृपा करके औद्योगिक विकास के साथ प्रदेश को जोड़ने का काम करें। इसीलिये मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि गांधी की अर्थनीति इस देश और प्रदेश के लिये व्यावहारिक अर्थ नीति है। हमारे देश में चूंकि प्रमुख उद्योग कृषि है, वह सारे लोगों को नहीं खपा सकती है इसलिये बेरोजगारी को दूर करने के लिये लघु और कुटीर उद्योगों का प्रदेश के कोने-कोने में जाल विछाना होगा। इसलिये मंत्री जी, मैं समझता था कि आप कुछ घोषणा करेंगे कि आज जो यह भ्रष्टाचार है उसको घटाने का आप काम करेंगे । आपकी जो घोषित नीति रही है, उसमें कुछ आप परिवर्तन करेंगे, लेकिन आप पर्वतीय विकास राज्य मंत्री हैं, सही मंत्री हैं, इसलिये निवेदन है चूंकि यह सरकार न तो प्रदेश को आगे बढ़ाने का सपना संजोये है और न सरकार के पास कोई योजना है गांधी जी के सपनों को साकार करने की, भारत के निर्माण करने का, अर्थ नीति को लागू करने का और न यह सरकार समाजवादी आचरण ही कर रही है, इसलिये मैं मान्यवर, अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपको आभारी हूं कि आपने समय दिया और विशेष रूप से उस समय जबकि श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, जिनका मैं सम्मान करती हूं उनके कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमने बहुत कुछ सीखा और सुना । उन्होंने इस भारत देश को गांधी जी के देश के नाम से अपनी व्याख्या में, अपनी बातों को प्रारम्भ किया । मान्यवर, यह भी निसंदेह सच है कि भारत देश गांधी का देश और उन बलिदानियों का देश है जिनके बलिदान के कारण आज हम स्वतन्त्र देश में सांस ले रहे हैं और निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं । मान्यवर, परेशानी तब होती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है जब माननीय तिवारी जी को उन्हें अधिकार था, काफी समय दिया और हमें आप लाल बत्ती दिखा देंगे और चुप हो जाना पड़ेगा, लेकिन निवेदन है कि कुछ मुद्दों पर आपके माध्यम से श्री तिवारी जी एवं अन्य माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जब कोई महत्वपूर्ण बात मैं कह रही हूं तो आप कृपा कर दें और बोलने दें। मान्यवर, हमारे मंत्री जी ने पूर्व में ही एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम उद्योग की तरफ बढ़ रहे हैं, औद्योगिक क्रान्ति इस देश और प्रदेश में फैल रही है और यह भी उन्होंने कहा कि जो आज हमने योजनायें सदन के सामने रखी हैं उन योजनाओं से हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम काम पूरा कर रहे हैं, हमारा काम पूरा हो गया, हमने औद्योगिक क्रान्ति कर दी बल्कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि अभी हमें और बहुत कुछ आगे करना है और केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा। मान्यवर, तकलीफ जब हुई जिनका मैं बड़ा सम्मान और आदर करती हूं और यह मानकर चलती हूं कि वह बड़े ही रचनात्मक व्यक्ति हैं पढ़े-लिखे हैं श्री तिवारी जी, उन्होंने इसे निराशा का बजट बताया है। लेकिन उनकी निराशा हम कहां से देखें और किस प्रकार देखें? यह भारत देश जब आजाद हुआ था तो मुश्किल से 14/15 करोड़ की इसकी आबादी थी और मैं अपने विरोध पक्ष के साथियों से एक बात कहना चाहती हूं कि जब उस समय हम ने देश को अपने हाथ में लिया तो जितनी जनसंख्या थी, उसको भी अपने उत्पादन के भी व्यय से खिलाने में हम असमर्थ थे। उसको बाहर से मंगाकर खिलाना पड़ता था। लेकिन आज क्या वह ट्रैक्टर्स और ट्यूब वेल खेतों में उत्पादन का काम नहीं कर रहे हैं? और जिसको उन्होंने स्वयं कहा, 12 करोड़ की जनसंख्या बताई। निश्चित रूप से 12 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन इनके 24 करोड़ हाथ एक साथ काम नहीं करते हैं। कुछ काम करते हैं और कुछ घर में बैठे रहते हैं। तो उद्योग के माध्यम से लोगों को काम मिला है और उद्योग आगे बढ़े हैं।

मान्यवर, जिस देश में पहले सुई नहीं बनती थी, आज इस देश के बने हुए हथियारों से अमेरिका के बड़े-बड़े पैटन टैंक थे, वे भी ढह गये। फिर भी हम कहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़े हैं, रुके हुए हैं। इतना ही नहीं कुटीर उद्योग और महात्मा जी का नाम लेकर उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने दूसरा पन्ना पढ़ा, लेकिन मैं पहला पन्ना पढ़ना चाहती हूं। आप अनुक्रमणिका में बृहत एवं मध्यम उद्योग, बृहत, स्तरीय नियमों के कार्यक्रम देखें। जिसमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, पूरा बना हुआ है लघु एवं ग्रामीण उद्योग के विकास कार्यक्रम, के अन्तर्गत सब दिया हुआ है, लघु स्तरीय उद्योग नियोजन एवं अनुसंधान कार्यक्रम, नियंत्रित कच्चा माल का वितरण, परीक्षण यानी टेस्टिंग सुविधाएं, ग्लास एवं पाटरी उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रम, लघु उद्योगों की सुविधाएं एवं सहायतायें, पूरक उद्योगों का विकास, औद्योगिक सहकारिता। उसी प्रकार से फिर हम आगे देखें, हस्तशिल्प उद्योग .....

श्री अधिष्ठाता–

मैं वाकई में आपको समय नहीं दे पा रहा हूं .....

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

शिरोधार्य है। तो यह भी सही बात है कि भारत देश आगे जा रहा है, किन्तु यह केवल कुटीर उद्योग से आगे बढ़ जाएगा, यह सम्भव नहीं है। केवल कुटीर उद्योग से भारत देश या कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमें बड़े उद्योग भी

लगाने हैं और मध्यम भी लगाने हैं । एक विशेष रूप से नियमों की तरफ तिवारी जी ने ध्यान दिलाया और इत्तिफाक से मेरा उससे सम्बन्ध है । मैं विशेष रूप से तिवारी जी से अनुग्रह करूंगी कि जहां केवल आज मिलों के माध्यम से वस्त्रों को घर घर पहुंचाया है, वहीं हथकरघा निगम के माध्यम से भी अपना अधिपत्य जमाया है और वस्त्र बने हैं, हर जगह पहुंचे हैं । आपने एक यूनिका की बात कही और कहीं त्रिपाठी जी का नाम लिया, मेरा सीधा सम्बन्ध है उससे । 56 सोसाइटियों की जो बात तिवारी जी के माध्यम से पेश की गई है, उसके बारे में मैं ऐलानिया कहना चाहती हूं कि 56 सोसायटियों को यूनिका से जोड़ते हैं इनमें से 6 और मान्यवर 6 में से भी चार ठीक हैं दो काम नहीं कर रही हैं तो "खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, वो भी बेकार" ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री प्रेमवती तिवारी–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करती हूं कि बढ़ते हुए देश बढ़ते हुए प्रदेश और बढ़ते हुए गांव की तरफ भी विरोध पक्ष के सदस्यों को ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी भी हिम्मत बढ़े और आपकी भी हिम्मत बढ़े । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

***श्री गोपालदास यादव–**

मान्यवर, आपने उद्योग विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं और माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, माननीय तिवारी जी के कटौती के प्रस्ताव को रखने का मकसद था कि हमारा जो कृषि प्रधान देश है, हमारे यहां जो बेकारी है, उसको किस माध्यम से दूर करना है यह उद्योग विभाग का लक्ष्य होना चाहिए था । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़े-बड़े उद्योगों की बात कही। 21वीं शताब्दी की बात कही, इन्होंने यह नहीं सोचा कि जो हमारे किसान भाई हैं, उनको कैसे उद्योग दिए जाएं। मान्यवर, इलेक्ट्रानिक्स की बात कही गई पोलिस्टर की बात कही गई लेकिन यह नहीं कहा गया कि किस तरह से किसान भाइयों के लिए गांव में योजनायें बनायें इसको लिखा नहीं गया । समय कम है इसलिए अपनी बात कम शब्दों में कहना चाहूंगा । मान्यवर, जो खनिज पदार्थ भू-गर्भ में समाए हुए हैं उनके बारे में माननीय मंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि खनिज पदार्थ जो हमारे हैं उनसे 80 प्रतिशत उद्योग लगाए जा सकते हैं । मान्यवर, मिनरल माइन्स के संबंध में कहना चाहता हूं कि अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं । जैसे डोलोमाइट, सिलिका ग्रेनाइट, राकस्लफिटेट आदि। मान्यवर, हमारे प्रदेश में कोई ऐसी योजना नहीं बनती है कि इनका सदुपयोग हो सके। मान्यवर, अगर इनका सदुपयोग किया जाए, तो अनेक प्रकार के उद्योग स्थापित हो सकते हैं । इनका उत्पादन मान्यवर, मंत्री जी ने 3 लाख टन दिखाया है जो बहुत कम है अगर मेहनत किया जाए और थोड़ा पैसा खर्चा किया जाए तो हर साल पंच वर्षीय योजना में 15-16 लाख टन खनिज निकाला जा सकता है । मान्यवर, एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जो इन खनिज पदार्थों की खोज करते हैं, जो इसकी जांच करता

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

है मेग्नासाइट, एल्मोनियम, जिंक, लेड आदि कहां क्या है, उनको कोई नहीं जानता है, वह सहायक कैमिस्ट के पद पर है, उनको कोई प्रोन्नति नहीं दी जा रही है। मान्यवर, मैं सेरीकल्चर के बारे में कहना चाहता हूं कि बनारस में 90 प्रतिशत और हमारे हिन्दुस्तान में भी सेरीकल्चर दूसरी जगहों से मंगाया जाता है।

मान्यवर, यह सेरीकल्चर रेशम उद्योग जो है यह किसानों के लिये बहुत फायदेमंद है। आज बनारस के अन्दर दूसरे प्रांतों से 90 प्रतिशत रेशम मंगाया जाता है। जो अर्जुन के पौधे हैं और जो शहतूत के पौधे हैं, इन पर रेशम के कीड़ों को पाला जा सकता है। रेशम उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें एक रुपये में 60 पैसे किसान को अर्जुन के पौधे हैं और जो शहतूत के पौधे हैं, इन पर रेशम के कीड़ों को पाला जा सकता साल में तीन फसलें पायेंगे। मैं समझता हूं कि अगर सरकार सिल्क उद्योग को महत्व दे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं यहां की बेरोजगारी खत्म हो जाय और जो हमारे नौजवान गांवों में बेकार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिल सके। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी उत्तर प्रदेश में सिल्क उद्योग को बढ़ावा दें जिससे 90 परसेंट सिल्क जो बाहर से आता है वह न मंगाना पड़े और यहां का किसान आत्म निर्भर हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी के द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री महरम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का मैं समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का मैं जोरदार विरोध करता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उद्योगों के बारे में इतना बड़ा काम किया है कि उत्तर प्रदेश का औद्योगिक नक्शा ही बदल गया है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि उद्योगों के अलावा और कोई चारा नहीं है। कृषि पर आधारित इतनी बड़ी जनसंख्या को समाज में आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं बनाया जा सकता है। जैसा अभी हमारी बहिन जी कह रहीं थीं कि जिस देश में सुई नहीं बनती थी, वहां पर आज बड़ी-बड़ी चीजें तैयार हो रही हैं। अगर मेरे माननीय विपक्ष के सदस्य प्रत्येक जनपद में इस मामले में योगदान प्रदान करें तो बहुत सी चीजों में काफी सुधार हो सकता है। इनका दृष्टिकोण यह होता है कि चाहे अच्छी बात हो, चाहे जितना अच्छा सामान बनता हो कुछ न कुछ नुक्ता लगा देंगे और सरकार की आलोचना करेंगे। आलोचना की दृष्टि से अच्छी चीज को खराब बतायेंगे तो यह बात सिद्धांत रूप से अच्छी नहीं है। खेती में कोई अच्छी चीज हो रही है तो उसको अच्छा बताना चाहिये। अगर उद्योगों के क्षेत्र में प्रगति हो रही है तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिये। अगर उद्योगों के क्षेत्र में त्रुटियां हैं, कमजोरियां हैं, गड़बड़ियां हैं तो, सब चीजों को मिलकर अच्छी तरीके से हल करना चाहिये। उद्योगों का सर्वेक्षण होना चाहिये और उद्योगों में जन प्रतिनिधि की यदि योग्यतम सलाह है तो उसको लेना चाहिये। सरकार हर काम खराब करती है, यह चीज मैं मानता नहीं हूं, आपकी यह बात यही नहीं है। चाहे किसी दल की सरकार हो, किसी सरकार के नेतृत्व में काम करने वाले कर्मचारी दूध के धोये नहीं हो सकते और कहीं इन्द्र लोक से उतर कर आते तो आपत्ति नहीं होती। लेकिन इन्हीं से हमें काम चलाना है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वर्तमान हालत में उद्योग

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

विभाग द्वारा संचालित सभी उद्योगों के बारे में जो सरकार का प्रयास है, वह बहुत सराहनीय है। अब एक-दो मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, फर्रुखाबाद एक ऐसा जनपद है जिस समय यहां देश में सुई नहीं बनती थी, उस समय वहां इस उद्योग से, छपाई उद्योग से लाखों की तादाद में विदेशी मुद्रा फर्रुखाबाद अर्जित करता था लेकिन इधर 40 वर्षों से उसका कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय हो गया, आप समाप्त करें।

श्री मरहम सिंह—

मान्यवर, आलू के बारे में कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं एक मांग करता हूं कि एक ऐसा कमीशन होना चाहिए जो उद्योग का सर्वेक्षण करे कि उद्यमियों ने कितनी सफलता प्राप्त की है और वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं और कटौती का समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूंगा यदि आप मुझे 10 मिनट दे दें और कृपा करके लाल बत्ती न जलायें।

श्री अधिष्ठाता—

5 मिनट से ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में खासतौर से कृषि के बाद प्रदेश की उन्नति का उसके विकास का कोई सबसे बड़ा आधार है तो वह उसका औद्योगिक विकास है क्योंकि इसी से हमारे प्रदेश की खुशहाली बढ़ सकती है और इसी से हमारे प्रदेश की बेरोजगारी भी मिट सकती है। मान्यवर, 16-17 प्रतिशत की विशाल आबादी वाला हमारा प्रदेश दुर्भाग्य से उद्योग के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ है और इसलिए पूरे देश में एक औद्योगिक प्रदेश के रूप में न तो इसकी कोई गिनती है और न इसकी कोई पहचान है। आज हमारी यह सरकार दावा करती है कि औद्योगिक दृष्टि से प्रदेश ऊंचा उठ रहा है, आगे बढ़ रहा है, हकीकत यह है कि प्रदेश हमारे देश में ऐसे हैं जिनकी आबादी 2 से लेकर 7 या 8 प्रतिशत है जैसे पंजाब, हरियाना, राजस्थान, तामिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि है। वह हमसे उद्योगों के मामले में कई गुना आगे हैं जब कि हम 17 प्रतिशत आबादी होते हुए भी उद्योग के मामले में काफी पिछड़े हुए हैं। इसका एक नमूना हमें आज ही देखने को मिला जब कि उद्योग का बजट पेश करने के लिए कैबनेट मंत्री नहीं थे और जो उद्योग राज्य मंत्री थे, वह उठकर चले गये, या भाग गये और उद्योग के उस पहाड़ जैसे बजट का बोझ माननीय पर्वतीय विकास मंत्री को उठाना पड़ा है। इसी से मालूम होता है कि उद्योगों के विकास में सरकार की कितनी कम दिलचस्पी है और यह उसको कितना कम महत्व देते हैं। मान्यवर, अन्य प्रदेशों के लोगों को द्वारा यहां उद्योग लगाने की

बात कही गयी है और यह कहा गया कि बम्बई और दिल्ली के लोग यहां उद्योग लगाना चाहते हैं। मान्यवर, मेरा भी व्यापार और उद्योग के क्षेत्र से कुछ सम्बन्ध है अभी कुछ समय पहले मैं बम्बई गया था। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां गये थे वहां के उद्योगपतियों को यह दावत देने कि वह उत्तर प्रदेश में उद्योग लगवायें। मुझसे बात-चीत में वहां के लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उद्योग लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में क्या बरबाद होने के लिए जाना है जहां न कोई सुविधा है न आकर्षण है, न सहयोग है, न प्राथमिकता है और न कोई योजना है। आप पहले यह स्थिति बनायें कि महसूस हो कि यहां अच्छी संभावनाएं तथा वातावरण है। अब उल्टे हालत तो यह है कि हमारे प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर अपना उद्योग लगा रहे हैं। जैसे आगरा का फाउण्डरी उद्योग जो देश में नाम कमा रहा था, प्रदूषण के कारण अब मिट रहा है, मध्य प्रदेश व अन्य स्थानों की ओर जा रहा है।

मान्यवर, उद्योग विभाग के कई निगम हैं, कई विभाग हैं जो उद्योग लगाने वालों को ऋण देते हैं, उपादान देते हैं, कच्चा माल देते हैं और अनेक तरह की सुविधाएं देते हैं। लेकिन वहां क्या होता है? वहां के अधिकारी बजाय ऋण देने के शोषण करते हैं, बाधाएं पैदा करते हैं और लोगों को तरह-तरह से परेशान करते हैं। वहां जाकर जिस प्रकार अधिकारियों के आगे पीछे चक्कर काटना पड़ता है, उनकी सेवा पूजा करनी पड़ती है, हजारों लाखों रुपये देना पड़ते हैं तब जाकर कुछ काम हो पाता है। और ऋण उपादान, कच्चा माल आदि मिल जाता है। इसी लिए यह मुख्य कारण है कि उद्योग के मामले में उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ है यहां लोग उद्योग लगाने में कतराते हैं, सकुचाते हैं, मान्यवर, हमारे प्रदेश में बिजली की कमी है। कोयला मांग की तुलना में चौथाई भी नहीं मिल पाता है फिर बिना बिजली कोयले के उद्योग कैसे चलेंगी? मान्यवर, यह बताया गया है कि प्रदेश में लघु उद्योग के क्षेत्र में एक लाख उद्योग छठी योजना तक लगाये गये थे और सातवीं पंचवर्षीय योजना पूरी होने तक वह 2 लाख से ऊपर हो जायेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि जो उद्योग लगाये जा रहे हैं उनको न तो कच्चा माल मिलता है, न बिजली मिलती है और न कोयला मिलता है और न ही कोई और सुविधा है। क्या उन इकाईयों का कोई सर्वे होता है कि कितनी उनमें जिन्दा हैं और कितनी मर गयीं? यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। मान्यवर, मैंने उद्योग के बजट की पूरी पुस्तक पढ़ी अनेकों बड़े उद्योग प्रदेश के अनेक शहरों में दिये जा रहे हैं। क्या रायबरेली, सुल्तानपुर और गोरखपुर ही ऐसे जिले हैं जहां बड़े-बड़े उद्योग लगाये जायेंगे लेकिन आगरा जैसे जिले को, महानगर को एक भी उद्योग अभी तक नहीं दिया गया है। मान्यवर, आगरा की बुरी तरह उपेक्षा की जा रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं माननीय राज्यमंत्री जी को उन्होंने गत वर्ष वायदा किया था कि आगरा को पावरलूम इंडस्ट्री का केन्द्र बनाया जायेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ मान्यवर, राजस्थान में पाली और बलोतरा जैसे शहर आज पावरलूम इंडस्ट्री के बहुत बड़े केन्द्र बन गये हैं और अहमदाबाद जो कि कपड़े के मामले में हिन्दुस्तान का मैनचेस्टर कहलाता है उसको भी पीछे छोड़कर पापलीन और रूडिया इन दो चीजों में उसे मात दे रहे हैं अगर आगरे को जैसा कि राज्य मंत्री जी ने वायदा किया था पावर-लूम का केन्द्र घोषित कर दिया जाय तो आगरा भी पाली और बलोतरा से आगे निकल जाएगा और प्रदेश का नाम ऊंचा होगा और कुछ खुशहाली भी बढ़ेगी। मान्यवर, राज्यमंत्री जी बैठे हैं मैं उन्हें ध्यान दिलाना चाहता हूं कि विधान सभा की जो स्थाई

समितियां हैं उसमें उद्योग सम्बन्धी जो समिति बनी हुई है पिछले 20 महीने से उसकी एक भी बैठक नहीं हुई है इसका पता लग सकता है। इसी से उद्योग के मामले में हमारी सरकार कितनी गम्भीर है। मान्यवर, इन तौर तरीकों से उद्योग के बारे में यह कैसे उन्नति करेंगे यह इन्हें सोचना चाहिए इन शब्दों के साथ तिवारी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

चौधरी श्याम लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। किसी प्रदेश या राष्ट्र का विकास प्राकृतिक साधनों, अधिकतम उपयोग एवं हैण्डी-क्राफ्ट, एग्रोइंडस्ट्री तथा मिनरल्स की उपलब्धता पर निर्भर करता है.....

श्री अधिष्ठाता—

आप माइक पर बोलें।

चौधरी श्याम लाल—

कहां-कहां कौन-कौन से खनिज मिलते हैं? उनका शोध एवं उस हिसाब से उद्योग तकनीक का विकास होना चाहिये। एम0 ई0 सी0, खनिज दोहन निगम में, उद्योग टेक्नालाजी का विकास राष्ट्र की नीति है औद्योगीकरण की। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम पूंजी निवेश करने को तैयार हो गया है, 11 जिले उद्योग शून्य जिले घोषित किये गये हैं इसके अन्तर्गत।

श्री अधिष्ठाता—

आप माइक पर बोलें।

चौधरी श्याम लाल—

मेरा कहना है कि हमारे जिले में टाटा एवं बिरला लगा रहा है इण्डस्ट्री, जो वास्तव में तेजी से निर्मित हो रही है। आधा काम हो गया है। मेरा जिला उद्योग शून्य जिला है। मेरा सुझाव है कि अनुसूचित जाति के लोगों को एन्सीलरी यूनिट तथा मध्यम वर्ग को मध्यम यूनिट लगाने का प्रोत्साहन देना चाहिये। हमारे यहां काम की नीति के अन्तर्गत घोषणा की गयी है कि विकास खंडों में सिर्फ उद्योग लोगों का ग्रामों में हस्त शिल्प बड़ा लघु उद्योग रहा है। आज भी हमारे यहां निर्यात में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित हस्त शिल्प में हुई है। उत्तर प्रदेश में कारपेट, कालीन उद्योग, मिट्टी से लेकर मेटल तक जितने भी शिल्प हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिये। जहां निर्यात निगम है, उसके स्कूल के सेन्टर चल रहे हैं, उन्हें क्यों बन्द कर दिया गया। उनको चालू रखा जाये और जैसे शिल्पकारी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है वैसे ही प्रदेश में भी इनाम मिलना चाहिये। दूसरी बात हस्तशिल्प में आर्टीजन की साझेदारी होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त कीजिये।

चौधरी श्याम लाल—

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तिवारी जी ने उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं दो बातें रखना चाहता हूं। एक पायनियर, दूसरा ग्रामीण क्षेत्रीय योजना तीसरी प्रैस्टिज योजना 25 करोड़ रुपये के बाद आप कैपिटल सब्सिडी देंगे, एक करोड़ की स्थिति तक। उससे ऊपर तक कैपिटल सब्सिडी देंगे। सेल टैक्स में छूट देंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में जो दो लाख रु0 की सीमा है, उस सीमा पर आप क्या दे रहे हैं? आपके बजट में कहीं क्लीअर नहीं है कि वहां कितनी कैपिटल सब्सिडी और कितनी छूट देंगे। बड़े उद्योग ज्यादा छूट और छोटे उद्योग ज्यादा ब्याज और कम छूट ज्यादा उसमें दिक्कतें। मान्यवर, आगरा के 78 किलोमीटर एरिया को आपने प्रदूषण से ग्रसित घोषित कर दिया ताजमहल की वजह से। अब वहां कोई इन्डस्ट्री, जिससे धुआं निकलता हो, लग नहीं सकती। आपके विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुरेन्द्र सिंह ने इलेक्ट्रानिक टाइप इन्डस्ट्री लगाने की बात कही थी, मा0 नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा था कि स्कूटर इण्डिया खोलेंगे और 85 से अब तक आगरा ताजमहल के कारण उद्योग विहीन हो गया है। आपके एक-एक सचिव से जब मैंने जानकारी चाही तो किसी के पास कोई योजना नहीं थी, उनका मस्तिस्क शून्य था।

श्रीमन्, एक बात कहना चाहता हूं कि ताजमहल के पास इन्होंने एक शिल्प उद्योग भवन बना रखा है वहां पर जब कोई शिल्पी नहीं पहुंचा तो इन्होंने उसमें "अपना उत्सव" रखा। अब उसमें रंगारंग कार्यक्रम होंगे जिससे शिल्प उद्योग की तरक्की हो जायेगी। आपके बड़े-बड़े अधिकारी शिल्प उद्योग के कार्य को भूल गये जिससे गरीब शिल्पकारों को कुछ फायदा होता, वे नाच-गाने में रुचि ले रहे हैं लेकिन जिनके लिए यह योजना बनाई गई थी वह कहां गई, इस पर जरा भी आपके विभाग ने ध्यान नहीं दिया।

मान्यवर, अब मैं एक-दो बातें नीति सम्बन्धी कहना चाहूंगा। बम्बई में आप लोगों को भेजेंगे उन्होंने कितने उद्योग बम्बई से लगवाये। उनकी आप गणना नहीं बता सकते। आपके एक निदेशक लखनऊ में बैठते हैं दो दिन जब कि कानपुर उद्योग का सबसे बड़ा हेड कार्यालय है तो यह दो दिन यहां पर कौन सी सलाह देते हैं? सिवाय पैसा बर्बाद करने के और मंत्री जी के यहां हाजिरी देने के सिवाय। मान्यवर, फिरोजाबाद में कोयले के नाम पर उद्योग निदेशालय के संरक्षण में फर्जी संस्था चल रही है। वहां पर कड़ा बैंगल के नाम पर एक समिति है, मैं चुनौती देना चाहता हूं कि उसके पास एक भी बैंगिल पकाई भट्टी नहीं है। आपने 50 बताई हैं। वहां पर एक भी काम नहीं हुआ है। बेकोल कंज्यूमर की सब की सब सदस्य हैं और सारे फिरोजाबाद के कड़ा बैंगिल के श्रमिकों का मैं प्रेसीडेन्ट हूं। मान्यवर, अब यह बम्बई में प्लास्टिक की चूड़ी बनाने लगे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि फर्जी कड़ा बैंगिल की संस्था पिछले वर्ष एक बहुत बड़े आदमी के प्रभाव में कागज पर बनाई गई और उसको कोयला दिया गया और आपकी निगरानी में कोयला बिका। मैं चाहूंगा कि इसकी जांच करा लें। मैंने इस पर अतारांकित (जिस पर उन्होंने जांच के आदेश दिये हैं) प्रश्न भी किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखकर भी दिया था। मान्यवर, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि औरैया गैस थर्मल प्लान्ट को पाईप लाईन द्वारा तेल रिफाइनरी, मथुरा से जोड़ा जा रहा है, पाइप लाइन फिरोजाबाद होकर जायेगी। उस पाइप लाइन से फिरोजाबाद के उद्योग को गैस दें। ताकि कोयले की

जो दिक्कत आये दिन सामने रहती है, उसको दूर किया जा सके और इस प्रकार कोयले की चोर बाजारी भी खत्म हो सके और मान्यवर, फिरोजाबाद के चूड़ी और कांच उद्यमियों को गैस सप्लाई करके अच्छे किस्म की कांच और चूड़ियों को किसी अच्छे किस्म की टेक्नीक का प्रयोग करने में यह उद्योग विभाग के अधिकारीगण अपने दिमाग को खर्च करें, इसके संबंध में मैं पहले भी माननीय मंत्री जी को व इस विभाग के अधिकारियों को कई पत्र भेज चुका हूं, परन्तु माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

वर्मा जी, आप समाप्त करें, समय आपका समाप्त हो गया, कृपया बैठें मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, आज भी फिरोजाबाद में बहुत से फर्जी कारखाने खुले हुए हैं। एक बार इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने 68 ऐसे फर्जी कारखानों की घोषणा चलने की की, लेकिन दूसरे ही दिन उद्योग निदेशालय में कुछ खा पीकर यह कह दिया गया कि एक भी नहीं पकड़ा गया, मान्यवर, इन फर्जी कारखानों की जांच कराएं आज भी ऐसे कारखाने बहुत से चल रहे हैं। इसी के साथ माननीय तिवारी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती शशि शर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट भाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं मा0 मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन जोरदार शब्दों में करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं। मान्यवर, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और केन्द्रीय भूतपूर्व उद्योग मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी जी की कठोर मेहनत का परिणाम है कि आज हमारा प्रदेश इस ओर बहुत आगे बढ़ा है और सबसे ज्यादा आशय-पत्रों की बिक्री हमारे प्रदेश में हुयी है और जो हमारे बड़े उद्योग हैं जैसे रसायनिक गैस के चार कारखाने, फोटो फिल्म प्रोजेक्ट, एरोमैटिक काम्पलेक्स, जैलीफील्ड केबिल प्रोजेक्ट, लीनियर एल्काईल बैनजीन प्रोजेक्ट आदि कारखानों ने हमारे प्रदेश के नक्शे को ही बदल दिया है तथा मान्यवर, छोटे उद्योग हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए तथा पिछड़े भाइयों के लिए भी प्रदेश में बहुत आज चल रहे हैं, जिससे गावों में रहने वाले लोग भी फायदा उठा रहे हैं। यह हमारे माननीय मंत्री जी के अथक परिश्रम का ही परिणाम है चाहे ग्रामीण अंचल हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी को समान रूप से गति दी है और पूरी तरह से आत्म-निर्भर यह सरकार बना रही है और मान्यवर, यही नहीं अपट्रान कैपिसिटर सिस्टम और अपट्रान सिलाइट को जाकर देख लें, जिसे देखने से यह ज्ञात होगा कि हमारा प्रदेश इलेक्ट्रानिक क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा है और यही नहीं मान्यवर, अपने प्रदेश में बने हुए उपकरणों को यह प्रदेश विदेश भेज रहा है और इस ओर हमारा यह प्रदेश पूरी तरह से आत्म-निर्भर हो रहा है। साथ ही मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहूंगी इनकी सरकार ने खादी ग्राम्य उद्योग बोर्ड को उद्योग निदेशालय से अलग कर दिया है ताकि यह बोर्ड भी प्रगति

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

की ओर अग्रसर हो सकें। इस बोर्ड के अन्तर्गत 12 प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने थे, जिसमें से 5 प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा चुके हैं, खजनी, प्रतापपुर, कालपी, आजमगढ़ व कालाडूंगी में और मान्यवर, यही नहीं इनमें रेजीडेंसीयल फैसिलीटिज और टैक्निकल इनपुट्स भी दी जाती है और मान्यवर, फारवर्ड लिंकेज के आधार पर रा-मैटेरियल के मार्केटिंग आदि की व्यवस्था भी इनको दी जा रही हैं ताकि यह सारे उद्योग पूरी तरह से आत्म-निर्भर बन सकें। अन्त में मान्यवर यह कहना चाहूंगी कि वर्ष 1985-86 में 191 लाख रु0 के प्रमाण-पत्र दिए गये और इनकी संख्या जो वर्ष 1986-87 में बढ़कर 1014 हो गयी है इस वर्ष प्रमाण पत्रों की बिक्री एकदम से 1014 लाख हो गई है।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपने भाषण को सीमित करें।

श्रीमती शशि शर्मा–

वसूली में भी बहुत सुधार हुआ है। मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं आपकी तरफ से अनुरोध करूंगी कि मेरा क्षेत्र पैंडी ब्लाक है। वहां के किसानों के लिए उपकरणों की लोनिंग की जाए और साथ ही रेशम के उद्योगों की व्यवस्था की जाय। ग्रामीण महिलाओं के लिए चावल के पापड़ उद्योगों की व्यवस्था की जाय। इसके साथ ही मा0 तिवारी जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करती हूं और मा0 मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का जोरदार शब्दों में समर्थन करती हूं।

*श्री भगवान दीन कुशवाहा–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आप क्या उद्योग पर बोल रहे हैं?

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, उद्योग से सम्बन्धित है, इसलिए बोल रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपने भाषण के विषय पर बोलिये, जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उस पर बोलिये, कटौती के प्रस्ताव पर बोलिये।

(किन्हीं मा0 सदस्य द्वारा बैठे बैठे "इनकी बात को कार्यवाही से निकाला जाय" कहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

देख लिया जायगा और यदि कोई भी ऐसा शब्द पाया जायगा, जिसको नहीं होना चाहिए, तो नहीं आयेगा।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, यह बात उद्योग नीति को प्रभावित करती है, इसलिए कह रहा हूं, गोपनीयता प्रभावित होती है। मान्यवर, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि कुटीर उद्योग लगेंगे, तभी उत्तर प्रदेश का विकास होगा और इस सरकार को चौधरी चरण सिंह के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। अगर कुटीर उद्योग नहीं लगेंगे

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो बेरोजगार बढ़ेंगे यह निश्चित है। इसलिए हमारा सुझाव है कि चौधरी चरण सिंह ने एक किताब लिखी है, उसका यह लोग अध्ययन करें, पढ़ें, उसमें सारी चीजें लिखी हैं, तभी यह देश और प्रदेश आगे बढ़ सकता है। मान्यवर, जब तक चौधरी चरण सिंह के पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे, तब तक न प्रदेश बढ़ सकता है और न देश बढ़ सकता है। इसलिए कि इनके नेता के पास तो दिमाग है नहीं, न चीफ मिनिस्टर के दिमाग है और न राजीव गांधी के, इसलिए चौधरी चरण सिंह के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा, तभी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सकता है। मेरा खुला आरोप है कि यह सरकार बड़े-बड़े उद्योग एक सुल्तानपुर में, दूसरे रायबरेली में और अब मुख्य मंत्री जी गोरखपुर में बड़े-बड़े उद्योग ले जा रहे हैं। मान्यवर, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। हमारे कानपुर देहात में एक भी बड़ा उद्योग नहीं लगा है इस पर आपको विचार करना पड़ेगा और बड़े उद्योग कानपुर देहात में भी लगवाने पड़ेंगे। मान्यवर, हमारा कहना है कि जो काम इन हाथों से हो सकता है, वह बड़ी मशीनों से, जैसे दियासलाई, नहीं होना चाहिए। हमारे स्टाल रुड़की और हरिद्वार से बने बनाए आते हैं। बने बनाए स्टाल नहीं लगेंगे तो इससे मजदूर और मिस्त्री बेकार हो जायेंगे। जो काम हाथ से हो सकता है, बड़ी-बड़ी मशीनों से नहीं होना चाहिए। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर सरकार को आदेश दें कि कानपुर देहात में भी एक बड़ा उद्योग खोला जाय। क्या केवल प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री अपने क्षेत्र में बड़े उद्योग लगाएंगे, और जो विधायक चुनकर आए हैं, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। तभी प्रदेश का विकास सम्भव है।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना भाषण समाप्त कीजिये, समय समाप्त हो रहा है।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, आधा मिनट और लूंगा। मान्यवर, यूपिका में इतना भ्रष्टाचार है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। जो बड़े उद्योग कानपुर में लगाए गये हैं, कानपुर महानगर में, आप देखें कि उनसे इतनी वसूली की जाती है, और वहां इतना भ्रष्टाचार है, प्लान्ट आवंटन में भी बड़ा भ्रष्टाचार है।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें। आपका समय समाप्त।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

तो यह सारी चीजों को दिखवाया जाय। ज्यादा से ज्यादा लघु और कुटीर उद्योग लगाये जायं। एक बार फिर मैं कानपुर (देहात) की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि वहां के लिए कोई बड़ा उद्योग दिया जाय। इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए चन्द बातें कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, शान्ति बनाये रखें।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

मान्यवर, मैं उद्योग निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का क्रम जो उद्योग निदेशालय–उद्योग निदेशक के यहां से प्रारम्भ होता है, उसका कहां अंत होता है, उसका अंत कहां जाकर मिलता है, यह हम नहीं जानते लेकिन, मान्यवर उत्तर प्रदेश के जनमानस को हम कब तक बरगलाते रहेंगे? सदन में अपनी भूमिका को कब तक छिपाते रहेंगे? इस तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा। मान्यवर, उद्योग निदेशालय–निदेशक, वाराणसी में कोल डैम एलाट करते हैं। उ0 प्र0 में कोयले की सबसे बड़ी मण्डी चंदौसी (वाराणसी) में है। मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से यह सूचना दे रहा हूं कि एक फर्म है, जिसका माननीय मंत्री जी को नाम पता चल जायेगा, उसे वहां कुल कोयले का 70 प्रतिशत आवंटन किया गया है। जबकि आवंटन के दिन तक उसका सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं था।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य शान्ति बनाये रखें।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

मान्यवर, दूसरी तरफ मैं उद्योग सचिव श्री सुरेन्द्र सिंह जी को उनके कर्तव्य की याद दिलाना चाहता हूं। उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम की प्रबन्ध निदेशिका श्रीमती सुनन्दा प्रसाद हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम किस आधार पर कोटों का आवंटन करता है? उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम की प्रबन्ध निदेशिका वर्ष में किस लाभ निगम का दिखा रही हैं? उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम की प्रबन्ध निदेशिका के विदेशी दौरों का, भत्तों का बिल कितना है? मान्यवर, एक उ0 प्र0 निर्यात निगम है। जितना निर्यात हम नहीं करते हैं, जितना हमको लाभांश नहीं मिल पाता है, उससे अधिक नियम के प्रबन्ध निदेशक का विदेशी दौरों और भत्तों का बिल है। जिनका नाम श्री एस0 के0 अग्रवाल है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य किसी अधिकारी का नाम न लें, पदों का जिक्र करें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह तो उनकी कारगुजारियों को उजागर कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

मान्यवर, मैं नौजवान हूं, नौजवानों का प्रतिनिधित्व करता हूं और उस प्रतिनिधित्व में मैं कुछ समझता हूं। एक स्वतः रोजगार योजना चलायी जा रही है। वह योजना लाटरी पद्धति से चलायी जा रही है। इसका कैसे निर्धारण हो सकता है कि कोई अमीर बाप का बेटा है या गरीब बाप का बेटा है, लाटरी पद्धति में इसका निर्धारण कैसे हो सकता है? इसका कुछ निश्चित आधार होना चाहिए अगर मैं एक गरीब का बेटा हूं, मैं उद्योग लगाना चाहता हूं तो मैं उस लाटरी के झंझट में फंसकर जिला उद्योग प्रबन्धक के कार्यालय के दरवाजे तक एड़ी रगड़-रगड़ कर मर जाऊंगा। कोई बड़े बाप का बेटा है, कोई छोटे बाप का बेटा है, कोई पैसे वाले का बेटा है, यह लाटरी पद्धति में कहां सुनिश्चित हो पायेगा? इस तरह से यह योजना हमको कहां ले जायेगी ? माननीय प्रधानमंत्री ने नौजवानों को स्वतः रोजगार का अधिकार दिया, यह योजना कहां ले जा रही है? अफसरशाही कहर ढा रही है, नौजवानों की जवानियों पर। वह भटक रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य शान्ति बनाये रखें।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस ब्यूरेक्रेसी के निरंकुश हाथी पर, जितना अंकुश लगाया जा सके, लगाया जाय। मान्यवर, यह सत्ता पक्ष बैठा है, उधर विपक्ष के साथी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की अगुवाई में हम इस जन आन्दोलन को शहर से गांव-गांव तक ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकास प्रगति समीक्षा 1986-87 के पृष्ठ 37 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस पृष्ठ में बाराबंकी के आगे "बहादुरपुर" विकास खण्ड का जिक्र है जिसमें औद्योगिक आस्थान की स्थापना हो रही है। मान्यवर, मैं उस जिले का जन प्रतिनिधि हूं, वहां का निवासी हूं, मेरी जानकारी को निश्चित मानें, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे वहां 16 विकास खण्डों में कोई औद्योगिक आस्थान नहीं है। इसमें यह गलत दर्शाया गया है। मैं यह चीज आपके सम्मुख पेश कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी कृपया अवगत कराने का कष्ट करें कि इस तरह की चीज क्यों हुई, जबकि वास्तविकता भिन्न है। (समय 6 बजकर 20 मिनट पर) मान्यवर, तीसरी बात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में मिर्जापुर खनिजों की सम्पदा का प्रचुर भण्डारवाला इलाका है, वहां पर आज की तारीख में लघु उद्योग के रूप में जो यूनिटें चल रही हैं, वह मिर्जापुर से 200-200 व 300-300 किलोमीटर दूर हैं और इसका हेडक्वार्टर मिर्जापुर बना रखा है। और जो वहां के प्रबन्धक हैं, मेरी निश्चित जानकारी है कि पचासों लाख रुपए लेकर, गलत तरीके से लोगों की जमीनें हड़पकर क्रेशर मालिकों को राहत पहुंचाने का काम कर रहा है। मेरे पास इसके सक्षम प्रमाण हैं और मैं उन्हें दे भी सकता हूं। जो आपकी यू0 पी0 एफ0 सी0 सी0 व पिकअप हैं, बिना कमीशन के यहां से लोगों को वर्किंग कैपीटल नहीं मिलती है। जिस आदमी ने बड़ी मेहनत से इकाई लगाई थी, उसकी इकाई रुग्ण हो जाती है और कागजों में इकाई को नीलाम करने का प्रस्ताव कर दिया जाता है। आज इकाई मालिकों की हालत बहुत खराब है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि विकास एक निरन्तर प्रतिक्रिया है। यह सही है कि इस बजट में बहुत कुछ अच्छा भी हो लेकिन इसके साथ ही कुछ बुराइयां भी हैं, जिनकी तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया। जिस तरह से आप गंगा को पवित्र करने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार आप उद्योग निदेशालय को भी पवित्र करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय तिवारी जी से अनुरोध करता हूं कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री इकबाल अहमद–

मान्यवर, आपने मुझे उद्योग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं बहुत देर से माननीय मंत्री जी का बजट भाषण सुन रहा था। मैं हैण्डलूम के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी आंकड़ों के गोरखधन्धे में फंस गये हैं। आज जिस तरह से हैण्डलूम में गड़बड़ियां हैं और यूपिका में गड़बड़ियां हैं, अफसरशाही की वजह से बुनकरों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। 3–3 व 4–4 माह तक उनका पेमेण्ट नहीं हो पाता है। आदमी देखकर पेमेण्ट किया जाता

है। कुछ को तो एक साल से पेमेण्ट नहीं दिया गया और कुछ को अप-टु-डेट पेमेण्ट कर दिया गया है। हमारे इलाके में कोआपरेटिव सेक्टर की मिलें लगी हैं, उनसे यह आशा की जाती थी कि बुनकरों को सस्ता सूत मिलेगा। आज स्थिति यह है कि इन मिलों से सूत खरीदने में बुनकरों को महंगा पड़ता है और इसकी क्वालिटी भी खराब होती है, जिससे बुनकरों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोआपरेटिव मिलों में चुनाव होते थे, लेकिन आज तक वहां पर चुनाव नहीं हुए, जिस कारण उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त एक महीने के अन्तर्गत मोटे सूत का भाव 30 परसेन्ट से 35 परसेन्ट बढ़ गया है और बारीक सूत का भाव 50 से 60 परसेन्ट बढ़ गया है लेकिन जो माल खरीदा जाता है, पुराने रेट से खरीदा जाता है, जिससे बुनकर तबाह हो गये हैं। कन्ट्रोल क्लाथ की बात जहां तक है, सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट रेट तय करती है, लेकिन जो नान-कण्ट्रोल है, उसकी खरीददारी के लिये यहां के लोग उनके रेट फिक्स करते हैं। सूत, मजदूरी की लागत का कैलकुलेशन करते हैं और रेट तय करते हैं। मेरा कहना है कि नान-कण्ट्रोल का जो कपड़ा तैयार होता है, उसकी खरीदारी के लिए जिस हिसाब से सूत का रेट बढ़ गया है, उस हिसाब से उसकी कीमत तय होनी चाहिए। यूपिका पर जो 10 लाख रु0 बकाया है, उसे जल्द से जल्द दिलायें। जहां तक कण्ट्रोल क्लाथ का सवाल है, इस समय 40-50 रु0 में खरीदा जाता है, जब कि 44 रु0 45 रु0 उसकी लागत आती है। माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि रेट्स रिवाइज करने के लिए सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट से आग्रह करें ताकि बुनकरों को मजदूरी मिले। "यूपिका" में एक बोर्ड आफ डायरेक्टर्स बनाया गया है, उसकी चेयरमैन श्रीमती प्रेमवती तिवारी हैं, उनकी वजह से वहां इतनी ज्यादा धांधली है कि कोई काम नहीं हो पाता है। बोर्ड नुकसान में जा रहा है और तबाह हो रहा है। ऐसी हालत में अपील करूंगा कि इनको हटवाने की कृपा करें।

हमारा एक डेलीगेशन मुख्य मंत्री जी से 2 मार्च को मिला था, उनसे आग्रह किया था और 20 प्वाइंट का एक मैमोरेण्डम दिया था, उनसे यह आग्रह किया था कि इसको लागू करने की कोशिश करें, उन्होंने यकीन भी दिलाया था कि ऐसा करेंगे, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। माननीय मुख्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि इसको लागू करें।

श्री अजीत सिंह सेठी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं उद्योग मंत्री जी की ओर से पेश किये गये बजट का समर्थन करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि देश की तरक्की को नापने के लिए यह देखना होगा कि हमारे पैर किस स्थान पर हैं। इस समय आपके सामने जो 57 जिलों का प्रदेश है, 42 जिले पिछड़े जिले गिने गये और उनको पिछड़े जिले मानकर बाकी 15 जिले तरक्की वाले माने गये, 15 जिलों के माध्यम से आप उद्योग विकास की बात सोच रहे हैं, अगर उन पिछड़े जिलों का भी पिछड़ापन दूर हो जाता तो उद्योग विकसित हो सकता था। मैं तो प्रशंसा करना चाहता हूं उद्योग विभाग की कि जिन परिस्थितियों में और जितने धन के प्रभाव में इस प्रदेश को तरक्की की राह पर रखा है तथा सही दिशा में काम हुआ है। पालीटिकली जो पिछड़े जिले बनाये गये, सबसे बड़ी समस्या इस बात में प्रस्तुत की है, इसका समाधान होना

चाहिए। पिछड़े जिलों के आधार पर भण्डार का वितरण हो जाता है, हमारा धन बंट जाता है लेकिन उसकी उपलब्धि नहीं हो रही। प्रदेश के उन जिलों ने कितनी उपलब्धि दी यह देखना चाहिए। एक परिवार के चाहे जितने सदस्य हों लेकिन काम करने वाले सदस्यों की संख्या को जब शक्ति दी जायगी तभी वह परिवार सम्पन्न होगा। जितने विकासशील जिले थे उनको अगर भण्डारण वांछित हिसाब से वितरण देते तो प्रदेश आगे बढ़ सकता था। आपकी संतुलित नीति के आधार पर जिस हेतु से तरक्की नहीं हो पायी 'पालिसी' की इस कमी पर सोचना होगा। तो इसलिए मैं समझता हूं यह दोरुखी नीति आप बन्द कर दीजिये तभी प्रदेश तरक्की कर सकता है इस प्रदेश के लोग बहुत तेजी से चल सकते हैं, परिश्रमी हैं लेकिन बात यह है कि हमारी पालिसी, नीतियां जो हैं साफ नहीं हैं हम जो सब्सिडी देना चाहते हैं, सब्सिडी बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन केवल उन जिलों को इससे वंचित रखा जाता है कि जो जिले का कार्य कर सकते हैं वह नीति ठीक नहीं।

वैसे प्रदेश में तरक्कियां हुई हैं मैं प्रस्तुत करता हूं कि छठी योजना के अन्तर्गत 1 लाख 10 हजार 700 इकाई लघु उद्योग की लगायी गयी थीं और सातवीं पंचवर्षीय योजना में 2 लाख 11 हजार के लिए प्रस्ताव है। इसी तरह से मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए 7000 करोड़ रु0 का और लघु उद्योग के लिए एक हजार करोड़ रु0 का प्रस्ताव है।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सेठी जी, आप जरा आगे बढ़ कर स्पीकर के सामने होकर बोलें ताकि रिपोर्टर लोग आपकी बात ठीक से सुन सकें और रिपोर्टिंग कर सकें।

श्री अजीत सिंह सेठी–

175 मिनी काम्पलेक्स को विकसित किया जाना प्रस्तावित है तथा 209 लघु उद्योग स्थान बनाये जायेंगे, यह दिखलाता है कि हम एक रास्ता तो पकड़े हुए हैं। लघु उद्योग को स्वयं मुख्य मंत्री जी इसकी अध्यक्षता करके लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

फिर आप माईक से हट करके बोल रहे हैं। जरा आगे आकर बोलिये।

श्री अजीत सिंह सेठी–

मुख्य मंत्री जी जो उद्योग बन्धुओं की स्वयं अध्यक्षता कर रहे हैं, यह बड़े सन्तोष की बात है इसी के कारण काम तीव्रता से हो रहा है। उद्योग विभाग में जो निगमों का झुण्ड है उनमें से पिकअप और फाईनेन्स कारपोरेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है और ऋण वितरण कर रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपना भाषण सीमित करें।

श्री अजीत सिंह सेठी–

पश्चिम में विशेष कर मेरठ में आल इण्डिया बेसिस पर स्पोर्ट काम्पलेक्स है यह जालन्धर और मेरठ में है। मैं चाहता हूं कि यह उद्योग बढ़े इसलिए आप उसको और प्रोत्साहन देने की कृपा करें। वह अच्छी रकम कमा कर प्रदेश के खजाने को शक्तिशाली बना सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री तिवारी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। प्रदेश में उद्योग को जितना विकसित होना चाहिए था, उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जो वातावरण बनना चाहिये था, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की गलत नीतियों के कारण गलत प्राथमिकताओं के कारण उत्तर प्रदेश में उस ढंग से उद्योगों का विकास नहीं हो सका है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पिछड़े हुए इलाकों में उद्योग स्थापित करने के लिए कोई प्रयास अब तक नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी ने आशय-पत्र की चर्चा की है, तो मैं कहना चाहता हूं कि 1985-86 में 174 आशय-पत्र जारी किये गये लेकिन 1986-87 में इनकी संख्या घट गयी और वह 118 रह गयी। मान्यवर, इतने आशय-पत्र जारी तो हुए हैं, परन्तु इसमें कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं, इसकी सूचना माननीय मंत्री जी ने सदन को नहीं दी। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना है कि प्रदेश में उद्योग नहीं लग रहे हैं और पिछड़े इलाकों के नाम पर और जीरो डिस्ट्रिक्ट के नाम पर आशय-पत्र जारी किये जाते हैं और बड़े उद्योगपति अपने प्रभाव से अन्य स्थानों पर लगा लेते हैं। मान्यवर, मैं लोहिया मशीन्स की बात कहना चाहता हूं कि देवरिया में नाम पर एक लाख टू व्हीलर स्कूटर बनाने का लाइसेंस लिया और आशय-पत्र जारी किया गया। यह लाइसेंस उनको 1982 में जारी किया गया था और 1987 चल रहा है, लेकिन अभी तक वह कारखाना देवरिया में लगाया नहीं गया है। देवरिया के नाम पर प्राप्त आशय-पत्र पर कारखाना कानपुर में लगा लिया और इस निकम्मी सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

*श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय राज्य मंत्री उद्योग यहां पर बैठे हैं, क्या उनकी तबियत अब ठीक हो गयी है।

श्री अधिष्ठाता–

तबियत खराब होने पर भी वह सदन में बैठ सकते हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

तो मान्यवर, देवरिया, बलिया और आजमगढ़ घनघोर रूप से पिछड़े हुए हैं। यहां के लिए औद्योगिक विकास की कोई योजना नहीं बनायी गयी है। जो योजना लगाने की परिभाषा है, वह बहुत पुरानी है, लेकिन अभी तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मान्यवर मैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देवरिया में जो उद्योग लगे हैं वह आजादी के पहले लगे हैं, वह 1928-30 के हैं और उसी के आधार पर देवरिया जीरो इण्डस्ट्री डिस्ट्रिक में नहीं है। इसको पिछड़ा जिला माना जाता है। मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त करता हूं। मान्यवर, पेट्रोकेमिकल की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, उससे बनने वाली बहुत सी चीजें हैं। 1983 में भारत सरकार ने प्रदेश-सरकार को फ्री लाइसेंस दिया था और यहां पर 50 यूनिट लगायी गयी थी और आज स्थिति यह आ गयी है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण पैराफीन वैक्स की सप्लाई न होने के कारण 50 यूनिट्स बन्द होने की स्थिति में आ गयी हैं और इस कारण 10 हजार मजदूर जो इन यूनिटों में लगे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुये थे, वह बेकारी का शिकार हो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप इस नीति में परिवर्तन लावें और देवरिया जनपद में नया बड़ा उद्योग लगावें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शाही जी अब आप बैठें, आप दूसरों को भी मौका देने दें।

श्री सन्तन बड़थ्वाल–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, इस बजट को पर्वतीय विकास मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, तो पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों को अपने विचार रखने का अवसर दें।

श्री वीरेन्द्र सोन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और तिवारी जी ने कटौती का जो प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, देश की आजादी के बाद उद्योगों के मामले में प्रदेश ने किस प्रकार से तरक्की की है और किस प्रकार से उद्योग प्रदेश में लगाये गये हैं, उसका पूरा विवरण माननीय मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है। यह इस बात का प्रमाण है कि आज हमारे प्रदेश के गांव-गांव और डगर-डगर में उद्योग फैलाने के प्रयास किये जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उद्योगों की जो प्रगति उत्तर प्रदेश में हुई है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने बजट में जानकारी दी है। अब मैं मान्यवर, कुछ सुझाव देना चाहता हूं, आगरा में जो चर्मनगर के बारे में बताया गया है। मैं आगरा नगर की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव आगरा नगर का उसको भी पूरा करने की दक्षता उन्होंने दिखाई। इससे पहले भी जो लेम्को निगम की स्थापना की है। वहां पर कुटीर उद्योग हैं, चर्म उद्योग है उसमें भी उन्होंने अहम भूमिका अदा करके उसको आगे बढ़ाया है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर इस समय 4 उद्योग हैं–एक चर्म उद्योग, दूसरा संगमरमर का उद्योग, तीसरा कालीन उद्योग और चौथा फाउन्ड्री का उद्योग है। (व्यवधान)। मान्यवर, प्रदूषण की वजह से वहां पर कोई इण्डस्ट्री नहीं लग सकती है . . .

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। कृपया बैठें।

श्री वीरेन्द्र सोन–

मान्यवर, एक मिनट का मौका दीजिये। मान्यवर, अनुसूचित जाति के यहां पर बहुत से विधायक बैठे हुए हैं। हम लोगों को बहुत कम मौका दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि सर्विसेज में उद्योगों के क्षेत्र में जितना कोटा हम लोगों का निर्धारित है, वह पूरा नहीं किया जाता है। मैं चाहता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर उस कोटे को पूरा किया जाय। इससे जनता में काफी असन्तोष है। इसको रोका जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और तिवारी जी के कटौती का घोर विरोध करता हूं।

श्री लक्ष्मी नारायण–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उद्योग विभाग के बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं . . .

श्री अधिष्ठाता–

इसकी जरूरत नहीं है, आप सुझाव दीजिये।

श्री लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, सुझाव क्या दूं। यह सरकार तो गूंगी और बहरी है। इसे कुछ सुनाई नहीं देता है। हमारे उद्योग मंत्री गूंगे हैं हाथ तो चल रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए तो पर्वतीय विकास मंत्री ने उनका बजट रखा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वैसे उत्तर प्रदेश सरकार की नीति उद्योगों के द्वारा जनता को रोजगार देने की नहीं है बल्कि जनता को भुखमरी के कगार पर पहुंचाने की है। उदाहरण के तौर पर हमारे यहां कोसीकला को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है जहां एक-एक उद्योग पचास-पचास करोड़ रुपये से लगाया जा रहा है जिसमें मात्र लेबर के नाम पर ज्यादा से ज्यादा 50/60/70 आदमी रखे जाते हैं। यदि चौधरी चरण सिंह की नीति से लघु उद्योगों का विकास किया जाय तो 50 करोड़ रुपये में कम से कम ढाई-तीन सौ इकाईयां इन उद्योगों की लग सकती हैं और जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि यहां पर लघु उद्योगों को पनपाया जाय तो यहां पर इस प्रदेश का विकास हो सकता है। मान्यवर, हमारे यहां उद्योग के सम्बन्ध में सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े पैसे वालों से आई0 ए0 एस0 अफसर रिश्वत लेते हैं। (व्यवधान)। हमारे यहां की 60 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसलिए लघु उद्योगों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और बजट का विरोध करता हूं।

श्री श्रीनाथ सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने दो मिनट का समय दिया है। मैं एक मिनट में ही अपनी बात कहना चाहता हूं। तीन-चार साल से मैं उद्योग के बजट पर बोल रहा हूं। मैं अपने शहर के एक उद्योग पर ही बोलना चाहता हूं और वहां जगत प्रसिद्ध साड़ियां बनती हैं। सिल्क की दिक्कत आने पर चीन, अमेरिका और कर्नाटक से सिल्क आता है। जब माननीय मुख्य मंत्री जी उद्योग मंत्री थे उस समय उन्होंने वहां पर एक परियोजना की नींव डाली थी। वह योजना बनकर तैयार हुई है उसमें गधे, घोड़े और बैल बांधे जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारे यहां एक जज साहब की जमीन थी वह करोड़ों रुपये की है। मैंने ही वह जमीन जज साहब से दिलवाई थी एक लाख रुपये में। आज वह जमीन 40-50 लाख रुपये की है। वहां एक ट्विस्टिंग मशीन लगा रहे हैं लेकिन उद्योग विभाग के कोई सज्जन हैं जो उसे वहां नहीं लगने देना चाहते हैं वह कहते हैं कि इसकी यहां जरूरत नहीं है। हमारे उद्योग सचिव श्री सुरेन्द्र सिंह बनारस में कलक्टर रहे हैं जो निहायत कुशल, योग्य एवं शरीफ व्यक्ति हैं और उद्योग निदेशक को भी मैं जानता हूं मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है वह ऊर्जा वाले कर्मठ परिश्रमी और नेक आदमी हैं तो उनके रहते हुए भी यह सिल्क परियोजना वहां नहीं लग पा रही है। मैं उद्योग मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह उद्योग वहां कब लग जायेगा? चार साल हो गये वहां पर बिल्डिंग तैयार हो चुकी है।

दूसरा जगत प्रसिद्ध हमारे यहां कारपेट उद्योग है भदोही में लेकिन वहां पर भी एक भ्रष्ट अधिकारी को भदोही ऊलेन मिल में जनरल मैनेजर बना दिया है।

1982 में वाराणसी के 7 विधायकों ने यह प्रश्न उठाया था लेकिन पता नहीं उनको वहां से क्यों नहीं हटाया जाता है क्या उद्योग विभाग को उनसे ज्यादा अच्छा जनरल मैनेजर उपलब्ध ही नहीं होता है। इस बात की जांच कराई जाए कि कितनी गड़बड़ियां उन्होंने की हैं वहां के व्यापारी बता देंगे कि कितने भ्रष्ट आदमी वह हैं लेकिन फिर भी उनसे इतना लगाव क्यों है जो उनका स्थानान्तरण नहीं किया जाता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

(श्री मूल चन्द्र का नाम पुकारने पर) आप अपनी बात दो मिनट में कह दें।

*श्री मूलचन्द--

मान्यवर, मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभारी हूं। भदोही एसा क्षेत्र है जो विश्व के मानचित्र में कालीन उद्योग में मुख्य स्थान रखता है। 150 करोड़ रु0 तक की विदेशी मुद्रा हमारी सरकार को भदोही क्षेत्र अर्जित कराता है। वह एसा क्षेत्र है जहां विदेशी व्यापारी भी आया जाया करते हैं। कई लाख मजदूर कालीन व्यवसाय से रोजी-रोटी कमाते हैं जिसमें इस सरकार की किसी प्रकार की लागत नहीं लगी है। मान्यवर, इस वक्त वहां हालत यह है कि जो कालीन उद्योग हैं वह उद्योग ठीक नहीं चल रहा है जिससे सारे मजदूर परेशान हैं क्योंकि कालीन का जो धागा होता है, वह बहुत महंगा हो गया है उसके दाम दूने और तिगुने हो गये हैं और सरकार उसके लिए कोई सहयोग नहीं कर रही है। कालीन के भाव बढ़े नहीं और रा-मैटीरियल के दाम तिगुने हो गये। इसलिए सरकार का दायित्व है कि इस उद्योग की सहायता करें उसमें 6 लाख मजदूर लगे हुए हैं जो बेकार हो रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप अब बैठें, जो माननीय सदस्य दो मिनट से ज्यादा समय लेंगे उससे दूसरे लोगों का समय कम होता है। अगर इस समय ज्यादा समय लेंगे तो फिर बाद में बोलने नहीं दिया जायेगा।

श्री मूलचन्द--

इन शब्दों के साथ मैं कटौती पर बल देता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

चौधरी भगवती प्रसाद--

मान्यवर, मैं उद्योग विभाग के बजट का समर्थन करते हुए दो मिनट का जो आपने समय दिया है कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे जनपद मिर्जापुर में कुछ उद्योग पर्वतीय अंचल में लगाये गये हैं लेकिन उनसे वहां के शिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी समाप्ति नहीं हुई है बल्कि मिर्जापुर की धरती पर जनपद वासियों की छाती पर कोयला जलाकर जो बड़े बड़े उद्योग स्थापित किये गये हैं उससे वहां के लोगों को केवल उन चिमनियों से निकलने वाला धुवां ही मिल पाता है जो उनको तबाह कर रहा है। नौकरी तो दक्षिण भारती को मिलती है। भूमि अर्जित करते समय यह कहा जाता है कि जिनकी जमीन ली जायेगी उनको निश्चित रूप से नौकरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दी जायेगी लेकिन बाद में नौकरी के समय यह कह कर टाल दिया जाता है कि आप टेक्निकल लोग नहीं हैं। आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि वहां दो-दो आई0 टी0 आई0 कालेज चल रहे हैं एक पालिटेक्निक, एक एस0 टी0 एस0, कई इण्टर कालेज हैं, डिग्री कालेज हैं फिर भी कैसे टेक्निकल और शिक्षित नहीं मिलते हैं, वहां आज पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो उद्योग स्थापित किये गये हैं उनमें चपरासी के लिए भी बाहर से दक्षिण भारत से लोगों को बुलाया जाता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मिर्जापुर में बहुत पुराने जमाने से पीतल के बर्तनों का उद्योग चलता रहा है लेकिन अब वह समाप्त हो रहा है उस पर शासन का ध्यान होना चाहिए। मान्यवर, हमारे यहां सदर तहसील उद्योगों के मामले में उपेक्षित हो रही है मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं वहां पर एक भारी उद्योग दिया जाय क्योंकि आजादी के पहले और बाद में भी कोई उद्योग वहां के लिए नहीं दिया गया है। जिससे जनता में भारी असन्तोष है। भारी उद्योग की स्थापना हेतु विकास खण्ड लालगंज व हलिया अधिक उपयुक्त है। श्रीमन् इस आशय की मांग शासन से बराबर की जा रही है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री सरदार सिंह–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मथुरा में रिफाइनरी लगी और इसने आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी और भरतपुर को तबाह कर दिया। ताजमहल को बहुत नुकसान होगा इसलिए इसको बचाने के लिए ताजट्रेपिज्म घोषित कर दिया गया जिससे 78 किलोमीटर की दूरी में धुयें वाला कोई उद्योग नहीं लगा सकते हैं। इस संबंध में यहां सवाल किये गये और उनके जवाब में श्री गोपी नाथ दीक्षित जी ने जवाब दिया था कि इन जिलों मथुरा, अलीगढ़ आदि में ऐसे उद्योग लगाये जायेंगे जैसे इलेक्ट्रानिक्स, जो धुंआ रहित होंगे। लेकिन मान्यवर, आज उद्योग के बजट भाषण को सुनकर बड़ी निराशा हुई कि इस प्रकार के इलेक्ट्रानिक्स जैसे उद्योग वहां लगाने की कोई घोषणा नहीं की गयी। हमारे जिले में जनता में बड़ा असन्तोष है क्योंकि थोड़ा भी धुंआ औद्योगिक इकाइयों से निकलता है तो आपके इंस्पेक्टर जाकर उसे परेशान करते हैं। इसलिए मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स एवं धुयें रहित उद्योग लगायें। क्योंकि छोटे-छोटे साड़ी के उद्योग भी आज वहां मरणासन्न स्थिति में हैं, इसमें भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता रहा है, इसलिए अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दिया जाय।

श्री पुरुषोत्तम लाल–

मान्यवर, मंत्री जी द्वारा रखे बजट के समर्थन में आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने इलाहाबाद जनपद की ओर ले जाना चाहता हूं, इस जनपद, में विशेष रूप से, द्वाबा, सिराथू विधान सभा, क्षेत्र में आजादी के 40 वर्ष बाद भी उद्योग के क्षेत्र में बिल्कुल जीरो है। वहां के गांव में रहने वालों के लिए किसी उद्योग का बन्दोबस्त सरकार की ओर से नहीं किया गया है जबकि प्रदेश इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर

हो रहा है। मान्यवर, जब प्रदेश के अंदर सर्वांगीण उद्योग के क्षेत्र में विकास हो रहा है तो इलाहाबाद में द्वाबा क्षेत्र में राजकीय स्तर पर एक भी उद्योग न होने का मुख्य कारण समझ में नहीं आता जबकि यह कि सिराथू में कृषि प्रधान लोग हैं और मैं अपने द्वाबा, सिराथू विधान सभाई क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं कि 200 वर्ष पूर्व यह क्षेत्र उत्तर भारत की राजधानी रही, तो जो राजधानी रहा हो, इस बढ़ते उद्योग के समय में उसे उद्योग के क्षेत्र में जीरो रख दिया जाये तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए अनुरोध है कि द्वाबा-सिराथू को शून्य औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाये।

मान्यवर, समसाबाद में पीतल का काम होता है, पीतल की लुटिया एवं अन्य बर्तन बनाने वाले यहां कारीगर रहते हैं और घरों में छोटे स्तर पर बर्तन बनाकर मुरादाबाद भेजते हैं, तथा यहां का मुख्य व्यवसाय पीतल का बर्तन बनाना है इसलिये मंत्री जी से अनुरोध है कि इसे पीतल की नगरी बनायी जाये।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री पुरुषोत्तम लाल–

मान्यवर, मेरा यह भी अनुरोध है कि सिराथू क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए वहां एक औद्योगिक संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए।

मान्यवर, हमारे यहां आम, अमरूद तथा हरी सब्जी बहुत होते हैं और मलिहाबाद के बाद ये सिराथू में पड़ा दूसरा स्थान है। सब्जी भी हमारे यहां काफी होती है। इसलिए अनुरोध है कि आम से संबंधित हमारे यहां कोई उद्योग की स्थापना की जाये जिससे युवकों को, जो बेरोजगार हैं, रोजगार मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया है। आप लिखकर मंत्री जी को दे दें। आप बैठ जायं।

श्री पुरुषोत्तम लाल—

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिराथू विधान सभाई क्षेत्र ग्रामीण अंचल को जीरो-इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करें जिससे ग्रामीण क्षेत्र को समुचित उद्योग मिल सके।

श्री अधिष्ठाता—

बार-बार कहने पर भी आप बैठ नहीं रहे हैं?

श्री पुरुषोत्तम लाल—

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के बजट के समर्थन में अपना मत व्यक्त करता हूं और रवीन्द्र तिवारी जी के कटौती प्रस्ताव की निन्दा करता हूं।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र के बुनकरों की ओर ले जाना चाहता हूं। मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बुनकरों के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन वास्तविकता उससे परे है। मेरे जनपद बस्ती के मेरे क्षेत्र में ही 4 केन्द्र हैं। किन्तु वहां सम्बन्धित बुनकरों को 3-3 महीने तक, जो जनता धोतियां वहां सप्लाई की जाती हैं, उसका भुगतान उन्हें नहीं किया जाता है। साथ ही जिस समय बाजार में सूत का भाव कम होता है, यह अपने स्टाक से बुनकरों को बाजार से अपेक्षाकृत अधिक मूल्य पर सूत देते हैं। किन्तु जब उसके दाम बाजार में बढ़ जाते हैं और जिस समय उसका सूत मुहैया कराया जाना चाहिए उस समय हैण्डलूम कारपोरेशन वाले उसको सप्लाई नहीं करते हैं। बाजार में सूत सस्ता है और उनका बहुत मंहगा है। 3-3 महीने तक भुगतान नहीं करेंगे। भुगतान करेंगे तो मंहगा सूत सप्लाई करेंगे। अभी जीवन बीमा की बात कही गई है, लेकिन इसे अभी केवल सहकारी समितियों पर ही लागू किया गया है और 99 फीसदी सहकारी समितियां फर्जी बनी हुई हैं और फर्जी तौर पर वह अपना काम कर रही हैं। आपके इंस्पेक्टर जो जांच करने जाते हैं, पिछले वर्ष आपने जांच करवाई है वह मुझे मालूम है, जो फर्जी अध्यक्ष और फर्जी अधिकारी बने हुए हैं, वे रिश्वत देकर रिपोर्ट लगवा देते हैं कि सब सही है। लेकिन वास्तविकता उसके सर्वथा विपरीत है। आज यदि खुफिया जांच कराइये तो आपके सामने स्थिति स्पाष्ट हो जाएगी। वहां एक भी समिति सही रूप से काम नहीं कर रही है। बस्ती में कई रेशम के फार्म बने गये हैं, वहां पर रेशम के कीड़े पैदा हो रहे हैं, लेकिन वहां पर रेशम के, सिल्क के कीड़े निकालने का काम शुरू नहीं किया गया है। यह काम वहां पर शुरू किया जाए और इस काम को बुनकरों के माध्यम से कराया जाए तो बड़ा अच्छा यह काम हो सकता है।

श्री बद्री सिंह—

मान्यवर, मैं बजट का समर्थन और कटौती का विरोध करता हूं। यह जो कल्याणकारी बजट पेश किया गया है, यह वास्तव में कल्याणकारी है। क्योंकि वर्ष 85-86 में 16584 लघु स्तरीय इकाईयों की स्थापना की गई थी और 1986-87 में 18893 लघु स्तरीय इकाइयों का निर्माण किया गया और 1987-88 में उससे भी आगे बढ़कर 20 हजार इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य प्रस्तावित है। इससे हमारी सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। प्रशिक्षण के भी कई केन्द्र कायम किये जा रहे हैं। पूरब तथा पश्चिम क्षेत्र में एक-एक केन्द्र कायम हो रहे हैं। हथकरघा बुनकरों की सुविधा हेतु कार्यशाला युक्त आवास की योजना है। खादी बोर्ड द्वारा प्रदेश के सभी मंडलों में एक-एक प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। साथ ही निर्यात निगम, चर्म निगम और ब्रासवेयर निगमों द्वारा जनकल्याण की तमाम योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। अब मैं अपने क्षेत्र कालपी, जनपद जालौन के बारे में थोड़ा निवेदन कर देना चाहता हूं। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे क्षेत्र कालपी को इससे सम्बद्ध किया है। मेरे कालपी क्षेत्र में कागज उद्योग, हथकरघा उद्योग, कालीन उद्योग, तथा पावर और हैण्डलूम उद्योगों की अनेक छोटी-छोटी इकाईयां हैं, लेकिन उनकी सरकार की ओर से उन्हें कोई सरकारी प्रोत्साहन नहीं मिलता है। उनको कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आर्थिक सहायता भी नहीं मिली हुई है । मेरी मांग है कि इन छोटी-छोटी इकाईयां को सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाए और जो वहां के बुनकर कालीन विदेशों में बाहर भेजते हैं, उन्हें भी प्रोत्साहन दिया जाए। साथ ही हमारे क्षेत्र में कोई भारी उद्योग नहीं है, उसे भी वहां दिया जाए। जिसको और प्रोत्साहन दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जाएं आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री बद्री सिंह–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया मान्यवर, जिस प्रकार से आज देश में बेरोजगारों की लम्बी चौड़ी कतार खड़ी होती जा रही है, उसको देखते हुए सरकार ने तमाम कार्यक्रमों में रोजगार देने की घोषणा की है । मान्यवर, शिक्षित रोजगार योजना के तहत कई कार्यक्रम तैयार किए गये हैं जिसके तहत रोजगार देने के लिए लाटरी देने की भी योजना बनाई गई है यह भगवान के भरोसे है । इन्होंने तमाम जिलों में आदेश घोषित करवा दिए हैं कि जो बेरोजागार लोग शिक्षित हैं, उनके ऋण वितरण में लाटरी खोली जाएगी मान्यवर, जिला उद्योग केन्द्रों में नौजवानों का धन-दोहन और शोषण किया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना भाषण सीमित करें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

इसी के साथ-साथ बड़े उद्योग के बारे में चर्चा की गई है मान्यवर, हमारे यहां जो बड़े उद्योग लगाने की बात कही गई है उसके बारे में कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद में लगने वाली रेलवे कोच गोरखपुर बरेली होते हुए पंजाब चली गयी है । टैसको की प्रगति धीमी है ।गजराला में अभी भूमि तय नहीं की गयी । पिकअप के सहयोग से अलीगढ़ में बनने वाला एग्रोमैटिक्स काम्पलेक्स अभी केवल 2 साल से शासन के विचाराधीन है । शासन द्वारा पिकअप के बजट में इस संबंध में कोई प्रावधान इस बजट में भी नहीं है । अन्य की प्रगति भी धीमी है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका भाषण समाप्त हुआ ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए जो ऋण वितरण के लिए लाटरी योजना चालू की गई है उसको समाप्त किया जाना चाहिए आवश्यकता तथा योग्यता को देखते हुए ऋण वितरण किया जाना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मान-

नीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और माननीय पर्वतीय राज्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत उद्योग विभाग के बजट का विरोध करता हूं ।

*श्री अमिताभ अनिल दुबे–

मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय विपक्ष के सदस्य द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

मान्यवर, जो इस बजट की उपलब्धियां हैं जिस प्रकार नये उद्योग लगाये जा रहे हैं, इन उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता है मान्यवर, लगभग 200 औद्योगिक आस्थान लगाए गये हैं जिससे गांव-गांव में उद्योग लग सकेंगे मान्यवर, मैं दो तीन सुझाव रखना चाहता हूं मेरा पहला सुझाव तो यह है कि जिस जनपद में उद्योग लगें जहां कोई नया कारखाना लगे मैं चाहता हूं वहां पहले प्रशिक्षण की व्यवस्था हो । ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, जिससे वहां के नौजवान को बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलने में दिक्कत न हो, जब कोई कारखाना मान्यवर लगाया जाता है तो कारखाना लगने के बाद कहा जाता है कि ट्रेन्ड नहीं हैं तो ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए कोई भी उद्योग किसी जगह लगे वहां ट्रेनिंग की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए । आज प्रदेश में कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां चीनी मिल खोल दी गई और वहां गन्ना है ही नहीं, तो इन सब को देखने की आवश्यकता है ।--

श्री अधिष्ठाता–

भाषण सीमित करें ।

श्री अमिताभ अनिल दुबे–

मान्यवर, गाजीपुर जनपद में एशिया की अफीम की फैक्ट्री है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना भाषण बहुत सीमित करें ।

श्री अमिताभ अनिल दुबे–

उसका लाभांश उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मिल पा रहा है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री कुशलपाल सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय तिवारी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं मथुरा जनपद में इंडस्ट्रीज के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मथुरा जनपद में जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं उनमें से अधिकांश कागज पर चल रही हैं। ज्यादातर फर्जी हैं लोन जरूर दे दिये गये हैं। कमीशन लेकर, लेकिन अगर जांच की जाय तो 100 में से 10 इंडस्ट्रीज भी नहीं चल रही हैं जिससे बेरोजगारी फैल रही है। मेरे यहां मांट क्षेत्र में बाजना इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर है। लेकिन वह कागज पर है। वहां 1500-100 इंडस्ट्रीज केवल कागज पर शुरू हुयी हैं लेकिन मौके पर एक भी चलती हुयी नहीं मिलेगी । पिछले 2 साल हो गये हैं जिला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उद्योग कार्यालय में जो घपले हुये हैं उनकी शिकायत मैंने डिप्टी डायरेक्टर से की थी लेकिन जो लोग पकड़े गये उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है और डिप्टी डायरेक्टर आगरा में हैं और फर्जी उद्योगों को चलाने में अपना योगदान दे रहे हैं । मान्यवर, इसी तरह से खादी ग्रामोद्योग इंडस्ट्रीज जो चलायी जा रही हैं वह फर्जी है। कमीशन खाकर लोन दे दिये जाते हैं और केवल कागज पर इंडस्ट्रीज चलती हैं। जितने लोन खादी ग्रामोद्योग में दिये गये हैं अगर वह इंडस्ट्रीज चलती होती तो बहुत से बेरोजगारों को रोजगार मिल सकते थे। मथुरा में जो इंडस्ट्रीज लगायी गयी हैं उनमें भारी भ्रष्टाचार है और उनमें उत्पादन नहीं होता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

कुमारी अलमेलु अम्माल–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करती हूं और जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं विरोध करती हूं । मेरा बस्ती एक पिछड़ा हुआ जिला है वहां पर कोई कायदे का उद्योग नहीं हैं । मेरे बस्ती जिले में 5 चीनी मिले हैं जो बहुत पुरानी हैं । उनकी मशीनें और हर सामान बहुत पुराना है और सारा काम पुराने तरीके से चल रहा है । इन चीनी मिलों में सुधार किये जाने की आवश्यकता है । आप इनमें ज्यादा पैसा न लगायें और वहां पर शीरे से पावर अल्कोहल बनायें । गन्ने की जो खोइया है उससे पेपर और पालियस्टर धागा बनायें और सिनिबोर्ड बनायें । भद्रावती कर्नाटक में एक पेपर मिल लगाने की बात थी तो वहां पर तुरन्त एक शुगर मिल स्थापित कर दी गयी और उसकी खोइया से पेपर बनाया जाता है । मेरे यहां तो 5 चीनी मिलें लगी हुयी हैं मैं आपसे कहूंगी कि आप इनके शीरे का इस्तेमाल करके खोइया का इस्तेमाल करके पावर अल्कोहल और कागज बनाने के उद्योग लगायें । दोआबा में हमारे यहां जूट पैदा होता है जिससे सुतली बनायी जा सकती है तो वहां पर जूट मिल लगायी जाय । इसके अलावा मैं कहना चाहती हूं कि हमारे नौगढ़ में काला नमक चावल होता है तो वहां पर एक चावल कांप्लेक्स बनाने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

कुमारी अलमेलु अम्माल–

मैं मंत्री जी से अर्ज करूंगी की आप वहां पर एक शुगर कांपलेक्स बनायें और राइस कांप्लेक्स बनायें । मैं मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

श्री औसान सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय तिवारी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । आप देखें कि उत्तर प्रदेश की 12 करोड़ जनता में 85 फीसदी लोग गांवों में निवास करते हैं और उत्तर प्रदेश गांवों का प्रदेश है । लेकिन यह सरकार उल्टी गंगा बहा रही है । उद्योगों की योजना ग्रामोन्मुखी होनी चाहिये लेकिन

वह शहरोन्मुखी है । आप देखें कि टमाटर गांवों में पैदा होता है लेकिन उसकी चटनी बनाने के कारखाने बम्बई और कानपुर में हैं। ज्यादातर आम देहातों में पैदा होता है लेकिन मैंगो जूस दिल्ली और बंबई में बनाया जाता है । आलू फरुर्खाबाद में पैदा होता है लेकिन आलू से चिप्स बनाने के कारखाने बम्बई में लगे हैं । इस प्रकार नियोजन ही गलत है । यही कारण है कि गांवों के किसानों के नौजवान बेटे गांव से बाहर जा रहे हैं और गांवों में बेकारी बढ़ रही है । गांवों का विनाश हो रहा है । काश यह उद्योग गांवों में लगे होते तो गांवों के लोगों को रोजगार मिलता और गांवों में कोल्ड-स्टोरेज, बिजली, सड़क, अस्पताल, स्कूल होते । गलत नियोजन की गलत नीति के कारण इस प्रदेश का विनाश हो रहा है । मैं अपने जनपद इटावा के बारे में कहना चाहता हूं । मान्यवर आपकी जन्म भूमि इटावा ही है आप जानते हैं कि ...

श्री अधिष्ठाता–

अब नहीं कह पायेंगे, समय समाप्त हो गया है ।

श्री औसान सिंह–

मान्यवर, इटावा में हैण्डलूम की चादर, बेडशीट पूरे देश में प्रसिद्ध है । इसी तरह से इटावा की दरी भी पूरे देश में प्रसिद्ध है परन्तु वहां के बुनकरों की दशा बहुत शोचनीय है और वह शासन के नाम पर आंसू बहा रहे हैं । मान्यवर, इटावा जनपद में सहकारी सूत मिल होने के कारण उसे उद्योग शून्य नहीं घोषित किया जा रहा है इसलिए उसे कोई लाभ उद्योग से नहीं मिल पा रहा है । मेरी मांग है कि इटावा जनपद को उद्योग शून्य घोषित किया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं ।

*डाक्टर रजनी कान्त दत्त–

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, वाराणसी हस्तशिल्प उद्योग का केन्द्र है, जिसमें लाखों गरीब लोग, पिछड़े और हरिजन वर्ग के लोग लगे हुए हैं । हस्तशिल्प कला उद्योग के अंतर्गत यहां सिल्क वस्त्र उद्योग, कालीन उद्योग, ब्रासवेयर उद्योग, लकड़ी के खिलौनों का निर्माण, आर्टीफिशियल बीड्स (मोती) का निर्माण, बिजली के पंखों एवं छोटे घरेलू पानी के पम्पों का निर्माण, दरदोजी कढ़ाई का काम तथा हाथी दांत का काम होता है । मान्यवर, लाखों मेहनतकश मजदूर इसमें लगे हुए हैं और बिना किसी सरकारी इमदाद के यह अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं । मान्यवर, मैं चाहूंगा जिस तरह से आपकी आगरा को चमड़ा नगर, कानपुर को चमड़ा नगर और अलीगढ़ को ताला नगर घोषित करने की अभिलाषा है । उसी तरह से वाराणसी नगर को हस्तकला शिल्प नगर घोषित किया जाय । मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 अगस्त, 1973 को यू0 पी0 स्टेट हैण्डलूम, पावर फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन की स्थापना के अंतर्गत रेशम का सिल्क यार्न डिपो वाराणसी में खोला जिसमें करोड़ो रुपये के रेशम का भण्डारण किया गया । इस निगम तथा सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड ने राज्य सरकार के लिये संस्तुति की थी कि बुनकरों को किफायती दर पर रेशम उपलब्ध कराया जाये तथा रेशम की बिक्रीकर से मुक्त किया जाय । लेकिन फिर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया जिससे निगम को धीरे-धीरे रेशम का व्यापार बन्द कर देना पड़ा और निगम पावरलूम और सूती कपड़े का व्यापार करने लगा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

डाक्टर रजनी कान्त दत्त–

मान्यवर, सेल्स टैक्स की धारा 10 के अंतर्गत बुनकरों को यह सुविधा दी गयी है कि यदि वे राज्य के बाहर से रेशम का आयात करेंगे तो उनको बिक्रीकर नहीं देना पड़ेगा । इस अधिनियम का फायदा 10 प्रतिशत बड़े बुनकर उठा रहे हैं और 90 प्रतिशत गरीब बुनकर जो कम पूंजी के कारण . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठें मैंने देव कुमार जी को बुला लिया ।

डाक्टर रजनी कान्त दत्त–

मान्यवर, यह उन बुनकरों का सवाल है, उन गरीबों का सवाल है जिनके पैसे से हम एयरकंडीशन में बैठे हैं और जिनके पैसे से यहां 4,000 रुपये प्रति मिनट खर्च किया जा रहा है, उनके संबंध में कुछ तो कहने दें ।

मान्यवर, 90 प्रतिशत लोग जो रेशम नहीं आयात कर पा रहे हैं उन्हें खुदरा खरीद पर 2 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत सरचार्ज बिक्रीकर के रूप में देना पड़ रहा है उन्हें बधुवा मजदूर बनाने की साजिश है । इसलिए जितनी जल्दी हो सके उन पर बिक्रीकर हटा दिया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, मैं माननीय तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए चन्द बातें कहना चाहता हूं। मान्यवर, पहला तो यह है कि उद्योग के सम्बन्ध में सरकार को अपनी नीति तय करनी होगी और मेरा यह सुझाव है कि पब्लिक सेक्टर के उद्योगों को बढ़ावा देते हुए जो पब्लिक सेक्टर के उद्योग हैं और पब्लिक अंडरटेकिंग हैं वह लगातार घाटे में जा रहे हैं। मान्यवर, जिन अधिकारियों ने घाटा दिखाया है उनकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी अगर आप यह नहीं करते हैं तो लगातार यह घाटा देते रहेंगे । एक षडयन्त्र इस प्रदेश में है पब्लिक सेक्टर को फेल करने का । सामाजवादी अर्थ व्यवस्था को घाटा देना चाहते हैं । हमारा जनपद उद्योग-शून्य है । मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी बढ़ रही है । पूरे बुन्देलखंड में बेरोजगारी है । बुन्देलखण्ड बेरोजगारी से परेशान है । इसलिये बांदा का औद्योगीकरण होना चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं । जनपद मथुरा में इंडस्ट्रियल एरिया साइड-ए की हालत देखें जनता परेशान हो रही है, गरीब इन्टरपेन्योर मर रहा है । महोदय यह इण्डस्ट्रियल एरिया एक जीता जागता कब्रिस्तान हो चुका है । इस पर जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था ने कब्जा कर लिया है और उद्योग विभाग यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 के अधिकारी सो रहे हैं । बाबा जयगुरुदेव ने उद्यमियों के प्लाटों व उद्योगों पर कब्जा कर लिया है । इन्क्वायरी मुश्किल हो रही है । कोई इसको देखने वाला नहीं है । वाटर लागिंग हो गयी है । इन्डस्ट्रियल एरिया पानी में डूब गया है । वहां की सारी यूनिट शिक है । रिहैबिलेशन की स्कीम बनाई गयी लेकिन फेल हो गयी । कुछ नहीं पता वह स्कीम कहां गयी । पोल्यूशन जो है वह कहां से बना मथुरा में। धर्मराजन कमेटी की रिपोर्ट दिखाई जाये, उसे लागू किया जाये । बिना पोल्यूजन के इन्डस्ट्री लगाई जा सकती है । पोल्यूशन इक्वपमेंट लगाकर सारा उद्योगनगर लगाया जा सकता है । इसको लागू करने की आवश्यकता है । दो लाख कर्मचारियों को इसमें इम्प्लायमेंट दिया जा सकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें ।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, डिपार्टमेंट की हालत बहुत खराब हो चुकी है । इसको सुधारने की आवश्यकता है । इसके साथ ही आपको धन्यवाद देता हूं, बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माता प्रसाद जी, दो मिनट में अपनी बात कहें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

दो मिनट में नहीं, एक ही मिनट में कह दूंगा । यह मंत्री जी सक्षम तो हैं नहीं कि कुछ कर सकें । केवल इनके सामने सुझाव देना है, वह दे रहा हूं। बस्ती जनपद उद्योग के संबंध में पिछड़ा हुआ जिला है । वह उद्योग शून्य नहीं है । वहां चार शुगर फैक्ट्रियां हैं । पिछली बार विधान सभा में आन्दोलन किया गया, आन्दोलन चला। दो बन्द हो गयीं। दो बन्द होने की स्थिति में हैं। किसी तरह से चालू हैं । न ही रोजगार है, न ही पेराई हो सकती है । इन मिलों की खस्ता हालत को देखते हुये भी मेरे जनपद को उद्योग शून्य नहीं घोषित किया गया । उद्योग शून्य घोषित न करने से भले लोग प्रस्तावित नहीं होंगे । अगर कुछ कर सकते हैं तो बस्ती जिले को उद्योग शून्य घोषित कर दें । यही मुझे कहना है ।

श्री महमूदुल हसन अन्सारी–

मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

इसकी कोई आवश्यकता नहीं । आप फौरन सुझाव देना शुरू करिये ।

श्री महमूदुल हसन अंसारी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो कताई मिल बनीं हैं, जब बनीं थीं तो कहा गया था कि न नफा होगा और न नुकसान होगा । लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है । कताई मिलों में जो सूत बनाया जाता है उसमें 10-15 रुपये का फर्क होता है । हैण्डलूम प्रोजेक्ट पर बाजार रेट में 10-15 रुपये प्रति बण्डल का फर्क रहता है, बाजार रेट (मार्केट रेट) कम रहता है । मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जितनी कताई मिलें हैं, उनकी कमेटियां बनाई जायं ताकि रैयत के नुमाइन्दे दखल कर सकें।

(समय 7 बजकर 20 मिनट पर)

पिछले महीने 25 फीसदी सूत की मंहगाई बढ़ गई, उनको पुराने भाव पर सूत देना चाहिए ताकि बुनकरों को फायदा पहुंचे । इसी के साथ-साथ जहां बुनकर ट्रेनिंग सेन्टर खोले जा रहे हैं उसमें पढ़े लिखे बुनकरों को प्राथमिकता दी जाय। इसी तरह नगर-पालिका शेरकोट पर ब्रुश इन्डस्ट्री काम करती है उसमें लगभग 10-12 हजार लोग काम करते हैं, मैं चाहता हूं कि उनके लिये कच्चा मैटीरियल सरकारी कोटे पर अगर वहीं दुकान खोली जाय तो उन्हें फायदा होगा । जिस तरह से हैन्डीक्राफ्ट में सेल टैक्स माफ है उसी तरीके से ब्रुश इन्डस्ट्री में लकड़ी इस्तेमाल होती है, वह उन्हें उपलब्ध कराया जाय जिससे जनता को फायदा हो । ब्रुश इण्डस्ट्री पर भी सेल टैक्स माफ कराया जाय । मेरे क्षेत्र अफजलगढ़ में दो उद्योग लगाये जायं तथा नजीबाबाद क्षेत्र में शुगर फैक्टरी लगाई जाय। बिजनौर जिले को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाय ताकि दूसरे पड़ोसी जिलों की तरह वहां भी उद्योग लगाये जायं और अवाम को रोजगार मिल सके तथा जिला तरक्की करे। बुनकरों के तालीमयाफ्ता बच्चों को कताई मिलों में नौकरी दिलाई जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं भाषण देना नहीं चाहता । एक ही बात कहूंगा कि उद्योग का बहुत जोर-शोर से जिक्र किया । आपके सरकार के लोग, मंत्री और अधिकारी बम्बई और कलकत्ता जा रहे हैं उद्योगों को लाने के लिए । मान्यवर, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि 71-72 में लोक लेखा समिति दक्षिण भारत गई थी और उस समय स्वर्गीय मेहरबान सिंह चेयरमैन थे । हम लोग हैदराबाद गये तो वहां तक इन्डस्ट्रियल स्टेट का स्थान है और वहां पर हमारे एक परिचित उद्यमी हैं वह शीशे का पावडर बनाते थे । वहां पर उत्तर प्रदेश के सदस्यों की एक सभा हुई तो हमारे चैयरमैन ने कहा कि आप लोग इस जंगल में मंगल कर रहे हैं । आप अपने उत्तर-प्रदेश की क्यों नहीं सेवा करते हैं, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए क्यों नहीं प्रयास करते हैं । इस पर वहां के शीशा वाले उद्यमी साथी ने कहा कि माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में अन्तर है । यहां पर हमारे उद्योग विभाग के डाइरेक्टर आते हैं और पूछते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कच्चे माल की दिक्कत हो, विद्युत की दिक्कत हो, पैसे की दिक्कत हो या किसी और चीज की दिक्कत हो तो बतायें। हमारे उद्योग के सचिव आते हैं और पूछते हैं और कभी-कभी हमारे विभाग के मंत्री भी आते हैं और हमारी

कठिनाई पूछते हैं और सहायता करते हैं । हमारे यहां क्या होता है, अगर आज हम जायेंगे कानपुर के दफ्तर में तो घंटों चक्कर लगाना होगा, चपरासी को भेंट देना होगा तब डाइरेक्टर साहब से हमारी मुलाकात होगी फिर दर्खास्त देने में, ऋण लेने में, लाइसेंस लेने में जो दुर्गत होगी, वह कोई बर्दाशत नहीं करेगा । मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा । अगर आप अपने काम करने के तरीके को बदल देंगे तो उद्यमी स्वयं आयेंगे आपके पास और कहेंगे कि हम काम करना चाहते हैं इसके लिए आपको बम्बई और कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा । अगर आप अपने यहां की व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे तो कोई उद्यमी नहीं आयेगा । मान्यवर, मैं एक बात और बलिया के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां एक चीनी मिल है, सूती मिल है उसमें बाहर के लोग नौकर रख दिये गये, आप हरदेव जी से पूछ लीजियेगा, इनको 5 प्रतिशत भी कमीशन नहीं मिला । वहां के मैनेजर ने बाहर के लोगों को पैसा लेकर रख लिया है । इस प्रकार उद्योग विभाग में बहुत धांधली हो रही है । मेरे गांव में चूने की एक फैक्टरी लगी है, चूना तो कुछ बना नहीं, लेकिन सैकड़ों टन कोयला दे दिया गया । लाखों रुपया ब्लैक में चला गया है । इस प्रकार के धांधली के जो काम हो रहे हैं उसको कृपया मंत्री जी रुकवायें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित–

मान्यवर, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं । भारत सरकार ने 2 वर्ष पूर्व पिकअप को 900 करोड़ के एरोमाटिक प्लान्ट लगाने हेतु लाइसेंस दिया था, इसकी स्थापना सलेमपुर (अलीगढ़) में होनी थी । यह इकाई मान्यवर संयुक्त क्षेत्र में लगनी है । इस संबंध में प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि इस विषय में शीघ्र निर्णय ले लिया जाय कि प्रतिष्ठान के साथ संयुक्त क्षेत्र में यह इकाई लगेगी । मान्यवर इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा एवं लगभग 300 करोड़ रु0 की इकाई भी लग जायेंगी । इस प्लान्ट के लगने से दो करोड़ रु0 की प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा भी बचेगी दूसरा सुझाव मान्यवर मेरा यह है कि आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व भारत सरकार ने पशुपति पालीटेक्स को प्रदेश में एक्रीलेस फाईबर इकाई लगाने हेतु लाईसेंस दिया था परन्तु अभी तक उक्त प्रतिष्ठान में इस इकाई की स्थापना नहीं की है । मेरा आपसे इस ओर अनुरोध है कि इसके लाईसेंस को निरस्त कराकर सरकारी क्षेत्र में यह इकाई लगाने का लाईसेंस प्राप्त करें । मेरा तीसरा सुझाव है कि पिछले वर्ष भारत सरकार ने विभिन्न प्रदेशों को एकलिक फाईबर की इकाई लगाने हेतु सरकारी क्षेत्र में लाईसेंस दिए थे और हमारे प्रदेश का प्रतिष्ठान यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 में भी इस इकाई हेतु अभ्यर्थी था । मुझे इस संबंध में जानकारी मिली थी इस इकाई को लाईसेंस किसी उद्योगपति को दिया जा रहा था। मान्यवर, मैंने इस मामले में भाग दौड़ की और माननीय उद्योग मंत्री जी से व मा0 प्रधान मंत्री जी से मिलकर प्रार्थना की जिस प्रकार से देश के अन्य प्रदेशों को लाईसेंस सरकारी क्षेत्र में दिए गये हैं इसी प्रकार से मेरे भी प्रदेश को सरकारी क्षेत्र में लाईसेंस दिए जाएं, परन्तु मान्यवर अभी तक यह मामला भारत सरकार में अनिर्णीत वैसे ही पड़ा हुआ है, इसमें कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी है । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भारत सरकार के ऊपर दबाव डालकर इस लाइसेंस को सरकारी क्षेत्र हेतु दिलायें

अन्त में मान्यवर मेरा एक सुझाव यह है कि कानपुर से जो भारी उद्योग निदेशक के कार्यालय को लखनऊ लाया गया है, यह बड़े ही खेद का विषय है । इसलिए इस संबंध में मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कार्यालय को फिर वापस कानपुर कर दिया जाय, साथ ही मैं विपक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री राजित प्रसाद यादव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं मान्यवर वाराणसी जनपद का रहने वाला हूं और विधान सभा क्षेत्र सैदपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं और जनपद वाराणसी के मा0 डाक्टर रजनीकान्त दत्त साहब ने वाराणसी के उद्योगों के बारे में जो कुछ कहा है मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं और माननीया प्रेमवती तिवारी जी ने उद्योग बजट के पक्ष में जो कुछ कहा है मैं उसका विरोध करता हूं । मा0 तिवारी जी ने कहा कि देश में एक समय ऐसा था, जब सुई तक नहीं बनती थी और आज तो बड़े-बड़े उद्योग देश में लगे हैं । जहां तक उद्योग के क्षेत्र में हमारे देश या प्रदेश की स्थिति है, उसकी दूसरे प्रगतिशील देशों से तुलना नहीं की जा सकती । क्योंकि उद्योग क्षेत्र में हमारे देश में काम कम है और हाथ ज्यादा हैं तथा अन्य देशों में काम अधिक, हाथ कम हैं । फलस्वरूप हमारे देश में ऐसे उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए, जिससे बेरोजगारी दूर हो और ज्यादा से ज्यादा लोग काम में लग सकें । इसी संबंध में भूतपूर्व प्रधान मंत्री, स्व0 श्री चौधरी चरण सिंह जी ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए कहा था कि छोटे-छोटे उद्योगों को अधिक बढ़ावा दिया जाय और बड़े उद्योग उतने ही लगाये जायं जितनी इनकी आवश्यकता हो । साथ ही मान्यवर मैं आपके प्रति पुनः एक बार फिर आभार प्रकट करते हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उद्योग विभाग पर प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं ।

श्री हरदेव–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग का एक भवन लखनऊ में शीघ्र ही स्थापित करवाया जाए, जिससे इस विभाग के जन-प्रतिनिधियों व अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श करने या बात-चीत करने कि उद्योग विभाग के इस क्षेत्र में कैसे विकास हो तथा प्रस्ताव आदि रखने के लिए समय से उपयोग में सुविधा मिल सकेगी । दूसरे सुझाव मान्यवर पूर्वान्चल में औद्योगिक विकास की स्थापना करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाए, जिससे वहां की जनता को सस्ते दर पर धोती, अच्छी साड़ियां तथा गरीब जनता के लिए सस्ते दर पर कपड़ा आदि तैयार कराया जाय और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे यहां 70 फीसदी गरीब लोग हैं, उनका इससे कल्याण हो सके और मान्यवर हमारे क्षेत्र सुवसार बिलौझा में यहां टैरीकाट की तथा रसड़ा अक्षरी कालीन बुनकर के 200 कारीगर बेकार पड़े हुए हैं साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कालीन बुनकरों के हित में, जो बलिया, रसड़ा, मऊ, दरी चकरा कोटवारी-बिल्थरा रोड और घोसी आदि में काम करते हैं, यह बहुत बड़ी संख्या में हैं। उनको विशेष विकास की योजना चलाकर लाभ पहुंचाया जाय, ताकि वह आसानी से लोन ले सकें, उनको शहरों, कस्बों और टाउन

एरिया में जो इस तरह के गरीब बुनकर और हरिजन रहते हैं, उनको लोन की छूट नहीं होती है, उनके लिए छूट देने की व्यवस्था की जाय । मान्यवर, हमारे यहां एक गन्ना मिल है जहां खोई उससे तैयार होती है उससे पेपर मिल और दफ्ती के कारखाने जैसा छोटा उद्योग वहां लगाया जाय जिससे कि वहां का विकास हो सके । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में 305 एकड़ लघु इस्पात के कारखाने के लिए फ्री जमीन हलधरपुर से दी है, लेकिन अभी तक जमीन वैसे ही पड़ी है, वहां पर लघु इस्पात का कारखाना या फर्टिलाइजर का कारखाना बनाया जाय । मान्यवर, वीरभूमि बलिया तथा रसड़ा क्षेत्र के लोग आजादी की लड़ाई में बहुत आगे रहे थे, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यहां पर शीघ्र यह कारखाना खोला जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ आप बैठें ।

श्री हरदेव–

मान्यवर, हमारे रसड़ा में एक सूती मिल, (स्पिनिंग मिल नं0-2) लगायी गयी है। प्रदेश में ऐसी 6, 7 मिलें लगायी गयी हैं । जिसका संयुक्त प्रबन्ध निदेशक रामानुज मिश्रा और इस मिल के अन्य अधिकारियों ने भाई भतीजावाद, घूसवाद, पैसावाद, अधिकारीवाद और भ्रष्टाचार का नग्न नांच कर रखा है । इसलिए उन अधिकारी को तुरन्त वहां से हटाया जाय और उस मिल की विजिलेंस से जांच कराई जाय । इन शब्दों के साथ मैं तिवारी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और अपने मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

किरन पाल सिंह जी समय बहुत कम है ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं मा0 मंत्री जी से कि हमारे बुलन्दशहर में खुर्जा में एक बहुत बड़ा पाट्री उद्योग है । आज से 15-20 वर्ष पहले, जब यह उद्योग स्थापित हुआ तो उद्यमियों ने बड़े उत्साह से शुरू किया लेकिन आज स्थिति यह हो गयी है कि खुर्जा नगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से कोयले की तस्करी का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है । अब पाट्री उद्योग वाले सर्वाधिक कोयले की तस्करी करते हैं । एक तरह से पेरेलल इकानामी बुलन्दशहर में चल रही है । मेरा निवेदन है कि वहां के पाट्री उद्योग का पुनर्निरीक्षण करा लें और इस तरह से करावें, ऐसे लोगों को न भेजें जो 10-20 लाख लेकर लौट आए, ऐसी व्यवस्था करें कि पुनर्निरीक्षण हो जाय और कोयले की तस्करी बन्द हो जाय और पाट्री उद्योग फिर से फलने फूलने लगे । यही मेरा सुझाव है ।

*श्री राम सिंह–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं । हमारे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जालौन, झांसी आदि सभी जगहों पर उद्योगों का विकास हुआ है, लेकिन हमारे हमीरपुर जनपद में राठ क्षेत्र में कोई भी उद्योग नहीं लग सका है । वहां एक चीनी मिल सन् 74 में लगायी गयी थी जो दो साल चलने के बाद बन्द पड़ी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस मिल को चलाया जाय । दूसरी बात यह है कि हमारा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है । वहां पर गौरा आदि कई पहाड़ियां हैं । उनसे बरतन, खिलौने और सौंदर्य प्रसाधन जैसे टेल्कम पाउडर आदि बनाये जा सकते हैं । वहां पर ऐसे उद्योग लगाए जायं जिससे कि हमारे चरखारी और राठ में उद्योग फल-फूल सकें । हमारे यहां नये उद्योग इन गोरा पत्थरों के लगाए जांय, यह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और मा0 दीक्षित जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । धन्यवाद ।

श्रीमती पुष्पा सिंघल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग विभाग के प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए कुछ बातें कहना चाहती हूं ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूं कि 28 महीने के जनता शासन काल में, हमारे देश और प्रदेश को, उस निकम्मी सरकार ने, 10 साल, औद्योगिक विकास के मामले में, पीछे फेंक दिया । अगर उसको शासन में रहने का और मौका मिलता, तो वह मुगल काल के भिषती के दो दिन के राज्य की भांति चमड़े का सिक्का जरूर चला जाते । मान्यवर, कांग्रेस शासन काल में आज देश और प्रदेश में इसका औद्योगिक विकास हो गया है कि सात समुन्दर पार विदेशों में भी हड़कम्प मची हुई है । हमारे यह विपक्ष तो बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, समुन्दर की दूरी नहीं है, 10 गज मुश्किल से दूरी होगी, लेकिन यह हमारे विकास को अनदेखा करना चाहते हैं । मान्यवर, मुरादाबाद नगर पीतल की नगरी के नाम से विख्यात है । जहां के बर्तनों को देखकर, शायद ही विश्व में कोई आदमी होगा, जिसके मुंह में पानी न आता हो । लेकिन, उसका आज पतन हो रहा है । इसका कारण यह है कि उद्योग और सेल्सटैक्स का चोली-दामन का साथ है, सेल्सटैक्स के अधिक होने से बर्तन व्यापारी दबा जा रहा है । अगर सेल्सटैक्स सिंगल प्वाइंट कर दिया जाय, तो शायद मुरादाबाद का यह बर्तन उद्योग ऊपर उठ जाय । आज यह उद्योग जो करोड़ों रु0 की मुद्रा सरकार को देता है, अरबों रु0 में देने लगे । मान्यवर, इस उद्योग से जुड़े कारीगरों को रा-मटीरियल इतना महंगा मिल रहा है कि कारीगर सड़कों पर रिक्शा चला रहे हैं, उस उद्योग से हट रहे हैं। जिसे एक्सपोर्टर ने इस उद्योग से जुड़कर 2 साल भी एक्सपोर्ट किया, उसकी आज कोठियां बन गयी हैं । लेकिन, कारीगर बेहाल है । मंहगे रा-मेटीरियल की वजह से कारीगर उद्योग से हटकर रिक्शा चलाते हैं और मजदूरी करते हैं । आपने लाल बत्ती जला दी । मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करती हुई माननीय तिवारी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं । पुनः मांग करती हूं कि मुरादाबाद के इस बर्तन उद्योग की तरफ सरकार का पूरा ध्यान जाना चाहिए । धन्यवाद ।

*श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे प्रस्तुत उद्योग विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

अपने क्षेत्र के बारे में 2-3 ही सुझाव दें । समय कम है ।

श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

मान्यवर, छिबरामऊ तहसील, जनपद फर्रुखाबाद की ओर आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि इस तहसील को उद्योग शून्य घोषित किये जाने के लिए गत दो वर्षों से प्रयास किये जा रहे हैं, परन्तु यह संभव नहीं हो पा रहा है । माननीय मंत्रियों ने भी इस संबंध में आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ । मैं अनुरोध करता हूं कि तहसील छिबरामऊ, जनपद फर्रुखाबाद को उद्योग शून्य घोषित किये जाने की कार्यवाही अविलम्ब की जाय । दूसरा निवेदन यह है कि जो तहसील स्तर पर आपके उद्योग विभाग इंस्पेक्टर रहते हैं, तहसील छिबरामऊ में आज तक इंस्पेक्टर को मौके पर नहीं पाया । वे उनके कार्यालय में ताला लगाकर चाबी भी अपने पास ले आये थे, उसके बावजूद भी इंस्पेक्टर नहीं आये । मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इसे तुरन्त देखा जाय और समुचित व्यवस्था करायी जाय । तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि छिबरामऊ तहसील जनपद फर्रुखाबाद में आलू के संबंध में प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जानी जाती है । वहां पर आलू पर आधारित उद्योग लगाने के संबंध में गत दो वर्षों से प्रयास किये जा रहे हैं, माननीय मंत्री जी आश्वासन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ प्रतीत नहीं होता है । इस संदर्भ में मेरा अनुरोध है कि छिबरामऊ तहसील में आलू पर आधारित उद्योग भी सरकार शीघ्र स्थापित कराये ।

इसी के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत उद्योग विभाग के बजट का समर्थन करते हुए, विपक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सेंगर जी बैठें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कह रहे हैं ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी, माननीय राम अौतार दीक्षित जी और आप-तीन लोग सदन में रहे और बजट पर चर्चा करते रहे । हम लोगों को छुट्टी दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

समय काफी हो चुका है, यह बात सही है । लेकिन, डिसीजन कैसे होगा । 4 घंटे बजट पर चर्चा हुई । हर माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के बारे में दो शब्द कहना चाहते हैं । यहां लोगों की भावनाओं को देखते हुए मैं 2-2 मिनट का मौका दे रहा था । माननीय तिवारी जी ने जब कटौती का प्रस्ताव पेश किया था, तो उस वक्त वे एक घंटा पूरा बोले । मैं उस समय उनको सीमित करना चाहता था । आगे माननीय तिवारी जी ध्यान रखें ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण बजट है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं इस पर चर्चा जल्दी समाप्त करा दूंगा ।

श्री राम प्रकाश सिंह सैंगर–

मान्यवर, आपने बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अंचल में जिस प्रकार खेती के साथ उद्योग मुहैय्या कराने की नीति अपनायी थी, उसी के तहत मेरे क्षेत्र माधवगढ़, जिला जालौन जो कि विकराल जंगलों व कई नदियों के बीच बसा है, आज तक औद्योगिक शून्य जिला है। सरकार ने ब्लाक स्तर पर औद्योगिक अस्थान बनाने की योजना बना रखी है लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में 4 ब्लाक हैं, जहां पर आज तक कोई भी उद्योग लगाने की कार्यवाही नहीं की गयी है, इसलिए मंत्री जी इस पर विचार करें ।

दूसरा, यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई तहसील व शहर नहीं है । मात्र 3 टाउन एरियाज हैं । यह अच्छा रहता कि यदि औद्योगिक आस्थान ब्लाक स्तर से लेकर टाउन एरिया स्तर तक होता । इससे मेरे क्षेत्र का अवश्य विकास होता ।

ग्रामीण अंचलों में जो किसान खेती पर निर्भर हैं और जहां पर न रेल लाइन है और न सड़कें हैं, जहां पर पुराने जमाने से ही नदियों से आना-जाना पड़ता था, उन स्थानों को विशेषकर उद्योग नीति से जोड़ा जाय । इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं केवल 2 बातें कहना चाहता हूं । पहला यह कि सीतापुर दरी व गाड़ी का प्रमुख केन्द्र है । यहां पर बुनकर ज्यादा रहते हैं । बुनकरों की समस्या के बारे में तिवारी जी ने भी अपने कट मोशन में प्रकाश डाला । कई समय पहले से मांग की जाती रही है कि वहां कलैण्डरिंग व डाईंग की फैक्ट्री सरकार अपनी तरफ से खोल दे । सारे देश में वहां की दरियां व गाड़ी काफी मशहूर हैं । निजी श्रोत से कोई इसे लगा नहीं सकता । जनता पार्टी की सरकार ने यह फैसला लिया था, इसलिए अनुरोध है कि वहां पर कलैण्डरिंग व डाईंग की एक फैक्ट्री खोल दी जाय ।

दूसरा, यह कि केवल शिलान्यास करने से व पत्थर लगाने से औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने सीतापुर में दो फैक्ट्रियां लगाने का फैसला किया था । वहां पर इनका शिलान्यास भी कर दिया गया लेकिन आज उन शिलान्यास किये गये पत्थरों को भी उठा कर अलग कर दिया गया है । यह सब इसलिए हुआ कि इनके उद्योग निदेशालय की दुरलक्ष नीति के कारण जो दो उद्योगपति आकर्षित हुए थे, वे किसी अन्य जिले में चले गये । इसलिए मेरा अनुरोध है कि उन भागे हुए उद्योगपतियों को पुनः वहां पर लाया जाय ।

*श्री प्रेम पाल सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । जिस भी देश का आधार उद्योग होता है, उसकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है ।

मेरा सुझाव है कि सर्व प्रथम उद्योगों का विकेन्द्रीकरण किया जाय । जो कारखाना या उद्योग मेरे क्षेत्र में लगाया जाय उसमें स्थानीय जनता को प्राथमिकता दी जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी मैदान छोड़कर चले गये, और बैकग्राउण्ड से हमारी बातें सुनीं ।

हंसी

मान्यवर, सम्भल सरायमतरीन के अन्दर सींग का काम ज्यादा होता है, इस काम में हजारों मजदूर लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस और अधिकारी उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बेकार हुए जा रहे हैं । यह सरकार कहती है कि काम देंगे । मेरे यहां सम्भल में हजारों सींग का काम करने वालों को बेरोजगार बनाया जा रहा है । मेरी मांग है कि उनको बेरोजगार न बनाया जाय और उनके काम में सरकार मदद करे । इसके साथ ही कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री हनुमान प्रसाद कुरील–

मैं कहना चाहता हूं कि उद्योगों में पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि गरीब लोगों को भी बढ़ावा देना चाहिए । समाज में बराबरी लाने के लिए जितनी भी सहूलियतें दी जाती हैं सरकार की तरफ से उसमें अनुसूचित जाति के लोगों को कोई मदद नहीं मिलती है । मैंने जाना है और समझा है इस चीज को कि जितने प्रदेश में बड़े-बड़े उद्योग लगाने वाले लोग थे, बड़ी-बड़ी रकमें दी गयीं उनको लेकिन अनुसूचित जाति के लोग, जो घरेलू उद्योग में ऋण चाहते थे, उनको नहीं दिया गया । मैं अनुरोध करता हूं कि अनुसूचित जाति के लोगों को जहां पर ऋण देने की बात है, उनको प्राथमिकता दी जाय ।

*श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, मैं ऐसे जिले से आया हूं, जो उद्योग शून्य है । टेहरी में ऐसे उद्योग में प्राथमिकता नहीं दी गयी । मेरा अनुरोध है कि सरकार उद्यामियों को अपने साथ रखे लगाये जा रहे हैं, जिनमें 25 प्रतिशत की छूट मिलेगा, लेकिन स्थानीय लोगों को उद्योग और माल लगाने के बाद उद्यमी के नाम ऋण डाल दे, ब्याज डाल दे, तो निश्चित रूप से उद्योग के लिये वह अपने को सक्षम पायगा । हमारे यहां उन से सम्बन्धित उद्योग, फलों से सम्बन्धित उद्योग, पत्थर व रेते से सम्बन्धित उद्योग और नयी टैक्नालाजी के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स आदि से सम्बन्धित उद्योग लगाये जा सकते हैं । इसके अतिरिक्त पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाय । इसमें बड़े होटलों के अतिरिक्त छोटे-छोटे काटेज बनाकर पर्यटकों को सुविधा दी जा सकती है ।

वहां पर जो उद्योग आज तक लगाये वनों से संबंधित और पत्थरों से संबंधित, उन उद्योगों को बन्द कर दिया है और उनको कच्चा माल नहीं दिया जा रहा है पलस्वरूप जो कर्मचारी लगे थे, वे बेकार हो गये हैं । उद्यमी के लिए ऋण देना तो दूर रहा वह ब्याज की किश्त भी नहीं दे पा रहा है । ऐसी स्थिति में वह दीवालिया होने वाला है । मेरा आग्रह है कि यह प्रतिबन्ध खत्म किया जाय और उद्योगों को पहाड़ में पनपाया जाय।

*कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, बुन्देलखण्ड उद्योग के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है । वहां जो नये उद्योग के लगाने की बात थी और लघु उद्योग के लगाने की बात थी, वह सब बुन्देलखण्ड को अभी तक नहीं मिल पाया है । हमारे यहां गोठ में ग्रेनाईड का कारखाना नहीं लग पा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रहा है । बुन्देलखण्ड जंगली इलाका है । वहां जंगली फल भारी मात्रा में होते हैं उन जंगली फलों को प्रिजर्व करने के लिए और उनको टिन करने के लिए कोई कारखाना लगाया जाना चाहिए ।

*श्री अवधेश राय शास्त्री–

हमारे यहां गाजीपुर में कोई भी छोटा या बड़ा कारखाना या उद्योग नहीं है । एक सहकारी सूत कताई मिल बहादुरगंज में है इसमें बहुत भ्रष्टाचार है क्योंकि वहां का प्रबन्ध निदेशक आतंकवादी रूप में कार्य कर रहा है । मान्यवर, कल ही वहां के लेबर आफिसर से कानपुर में साढ़े पांच बजे रिवाल्वर के बल पर त्याग-पत्र लिखवाया गया है । मैं चाहता हूं कि इस बात की जानकारी की जाय कि भू0 पू0 मुख्य मंत्री श्री नरायणदत्त तिवारी जी ने दिलदार नगर में एक स्टील प्लान्ट दिया लेकिन वह स्टील प्लान्ट कहां गया पता नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

अब बाकी आप लिख कर भेज दीजिएगा।

*श्री मनहरन नाथ कौल–

मैं बहराइच का एम0 एल0 ए0 हूं, जबसे मैंने होश संभाला है वहां कोई उद्योग लगा नहीं है । पता नहीं बहराइच गोरखाई समझा जाता है इसलिए माननीय मंत्री जी उसे अनदेखा कर देते हैं क्या ? मैं चाहता हूं कि कोई न कोई उद्योग बहराइच में लगाया जाना चाहिए । अन्त में यह कहना चाहता हूं कि आपने लोगों को खूब मौका दिया, हम खूब बोले लेकिन अब कटौती के प्रस्ताव पर बुलवा कर इसको खत्म की जिए ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, इधर के और उधर के दोनों पक्षों के सदस्यों ने एक ही भावना को कहा है और सारे लोगों ने इस बात की मांग की है कि उद्योगों को लगाने में पक्षपात न हो, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिये तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये पूरी ईमानदारी से प्रयास किया जाना चाहिये । मान्यवर, भावनायें तो सबकी एक ही रही हैं । दोनों पक्षों के सदस्यों ने इस डिबेट में भाग लिया और उस पर चर्चा के समय दोनों पक्षों के सदस्यों ने सुझाव दियें हैं मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को जब अपना जवाब देने के लिये खड़े हों तो उन्हें उसे स्वीकार करना चाहिए क्योंकि जो सुझाव इस पक्ष से या या उस पक्ष से आये हैं उसको स्वीकार कर लेने में कोई उनकी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचेगी । मैं समझता हूं कि वे ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनायेंगे ।

(इस समय 7 बजकर 54 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

इसके अतिरिक्त जो भी स्वीकृत उद्योग है उनको निर्धारित अवधि के अन्दर पूरा करा देना चाहिये क्योंकि उससे दो लाभ होंगे । एक तो मान्यवर, उत्पादन देना वे शुरू करेंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे । दूसरे जो भी इकाई अपने निर्धारित समय में पूरी नहीं हो पाती उसकी कास्ट बढ़ जाती है और इससे मान्यवर हमारा एक सुझाव है जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि अलीगढ़ में सलेमपुर परियोजना है करीब 10 अरब के लगभग का काम्प्लेक्स है जो कि स्थापित किया जाना है । इसकी स्वीकृति भारत सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

द्वारा 26 फरवरी, 1986 को दिये जाने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । मेरा अनुरोध है कि यदि यह काम्प्लेक्स स्थापित हो जाय तो अन्य आधारित उद्योगों की सम्भावनायें बढ़ेंगी ।

इसी तरह से एक सुझाव जो आया है, शिक्षित बेरोजगारी का, उसके बारे में कहना चाहता हूं । मान्यवर, जो लाटरी सिस्टम से कर्ज देने की बात है, इसमें भ्रष्टाचार होता है और उसमें जो उद्देश्य है, इस योजना का, उस उद्देश्य की हत्या हो जाती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि आवश्यकता और योग्यता को देखकर पात्रता को आप निर्धारित करें और उसके अनुसार कर्ज आप दें। फर्जी इकाइयों को और भ्रष्टाचार के मामलों को किसी प्रकार का संरक्षण न दिया जाये । मान्यवर, मैंने कानपुर का उदाहरण दिया है, यह अपने किस्म की पहली घटना होगी, आपने वारेन्ट को एक्जीक्यूट नहीं किया, इस प्रकार से आपने जुडीशियरी को पंगु बना दिया है । इससे मान्यवर उद्योग भी प्रभावित होंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और जो जुडीशियरी है, उसकी गरिमा को धक्का लगेगा । मैं चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी उत्तर दें तो स्पष्ट घोषणा करें कि इस तरह का काम आगे नहीं किया जायेगा और जो दोषी अधिकारी हैं, जिन्होंने आदेश दिया कि इशूड वैलिड वारन्ट को एक्जीक्यूट न किया जाये, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और वह घोषणा करें तो भ्रष्टाचार को छिपाने की किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी ।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि आप उद्योग लगातें जा रहें हैं लेकिन आपका निर्यात नहीं बढ़ रहा है तो इसका क्या कारण है, इसलिए मान्यवर, हमारी स्पष्ट नीति होनी चाहिए और निर्यात किस तरह से बढ़े और निर्यात बढ़ाने में कौन सी चीजें बाधक हैं और अगर आप आवश्यकता समझें तो एक कमेटी बना दें और जो संस्तुतियां वह कमेटी दे उनको आप लागू करें और निर्यात को बढ़ाने में जो बाधाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करें । मान्यवर जिस तरह से जनता साड़ी और जनता धोती का उत्पादन होता है, उनकी क्वालिटी में शिकायत आती है, उसमें काफी घपला होता है, इसको दूर किया जाए, दूसरे आपके संज्ञान में बात है कि जनता साड़ी जो है, पहुंच जाती है कपड़ा होल सेलर्स के पास ब्लैक में और जो आपका उद्देश्य है, गरीबों को कपड़ा सस्ते दाम पर देने का वह समाप्त हो जाता है, तो आप इस पर प्रतिबन्ध लगाएं।

मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो दफ्तर हैं, उनको सुविधा के स्थान पर करें, अभी मिर्जापुर के एक साथी कह रहे थे कि उद्योग कहां पर है और दफ्तर कहां पर है । मैं कहना चाहता हूं कि कुछ दफ्तर यहां पर हैं और कुछ कानपुर में हैं और कुछ आगरा में हैं, इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप उद्यमी को सुविधा दें। मान्यवर, बस्ती में प्लास्टिक का काम्पलेक्स है, वह उद्योग एकदम बेकार हो गया है । इसी तरह से बस्ती में जितनी यूनिट दी गयी हैं मजारिटी में फंक्शन नहीं कर रही हैं, उनके नाम से कर्ज ले लेती हैं और दूसरा काम यह करती हैं और जो रा-मटेरियल मिलता है, उसको ब्लैक कर लिया जाता है इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और वह हमारे राष्ट्र की प्रगति में बाधा उपस्थित करता है और

देश को खोखला करने का काम करता है । तो मान्यवर, आपसे यही निवेदन है, यह हमारे सुझाव हैं, जैसा कि माननीय अधिष्ठाता महोदय ने कहा, उनकी कृपा से शुरू में अधिक समय मिला और मैं चाहता था कि कम समय में समाप्त करूं, लेकिन मजबूरी थी कि कल ही मालूम हुआ तो कुछ तैयारी की, इसलिए जितना समय लेना था, उससे अधिक ले लिया । लेकिन अन्त में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि मैं केवल फारमैलिटी के नाते कटौती के प्रस्ताव पर बल नहीं दे रहा हूं बल्कि मैं अन्तरात्मा से महसूस करता हूं कि उद्योग विभाग में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है जो हमारी नीति है अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया गया तो हमारा जो वांछित उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है उस तक हम पहुंच नहीं पायेंगे । इसलिए मैंने माननीय मंत्री जी से एक ही अनुरोध है कि आपने पक्ष के माननीय सदस्यों को भी सुना उन सबने इस विभाग की आलोचना करते हुए आपके द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन किया है । मैं कहना चाहता हूं कि याद कीजिए यदि आप इस अनुशासन के बूते पर भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगायेंगे तो भ्रष्टाचार जो आज इस विभाग में फैला हुआ है उससे आपकी अनुशासन की गाड़ी नहीं चल पाएगी । अन्त में एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा–

जो चुप रहेगी जुबाने खंजर,
लहू पुकारेगा आस्तीं का ।

यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना नहीं चाहोगे तो स्थिति यह है कि आपके हा लोग आपको ही उलट देंगे और हमें कटौती का प्रस्ताव पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।

श्री राम औतार दीक्षित–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम माननीय तिवारी जी ने जो बिन्दु उठाए हैं उनके बारे में कुछ कहना, मैं अपना कर्तव्य समझता हूं । सबसे पहला बिन्दु माननीय तिवारी जी ने उठाया कि कानपुर की हथकरघा समितियों में गड़बड़ियां हैं । मान्यवर, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कानपुर की हथकरघा समितियों की जांच सी0 आई0 डी0 के कांआपरेटिव सेल द्वारा जारी है, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान डालने का प्रश्न नहीं है । हथकरघा सहकारी समितियों की व्यापक जांच के आदेश प्रदेश शासन द्वारा दिए गए हैं जिसमें सहकारी समितियों के सदस्यों की जांच मतदाता सूची के माध्यम से की जा रही है । साथ ही सहकारी समितियों के पदाधिकारियों की फोटो भी जमा करवायी जा रही है । यह जांच का कार्य काफी प्रगति पर है ।

दूसरा प्रश्न जो माननीय तिवारी जी ने उठाया वह कुटीर उद्योगों के संबंध में था । मैं सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय की स्थापना होगी और सरकार का यह दृष्टिकोण है कि इस क्षेत्र में हम जितना भी सम्भव प्रयास होगा, करेंगे ताकि हम प्रदेश में कुटीर उद्योगों की स्थापना करके जनसाधारण की भावनाओं के अनुरूप रोजगार के अवसर उनके लिए पैदा कर सकें ।

तीसरी बात उन्होंने यह कही कि जो छोटे-छोटे उद्योग हैं जहां-जहां पीतल के बर्तन, ताले आदि बनाए जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश निर्यात निगम के माध्यम से चिकन, जरी, संगमरमर आदि के कामों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । इस सन्दर्भ में 1986-87 में 240.31 लाख रुपए की हस्त शिल्प वस्तुएं निर्यात करने का हमको अवसर मिला है । 1986-87 में 426 लाख रुपए मूल्य की वस्तुएं निर्यात करने का प्राविधान किया गया है । मैं आपके माध्यम से यह बताना अपना कर्तव्य समझता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से सहारनपुर में 135 लाख रुपए की लागत से एक वुड कारविंग काम्पलेक्स विकसित किए जाने का हमारा कार्यक्रम है। एक बात यह भी कही गयी कि उद्योग शून्य जिलों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मान्यवर, सभी सदस्य जानते हैं कि यह उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत नहीं आता है, यह केन्द्र सरकार का है और उसके माध्यम से ही हमको अनुमति दी जाती है । हमारे कितने पिछड़े जिले हैं इस संबंध में मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि उद्योग शून्य जिलों के बारे में पिछड़े क्षेत्रों के संबंध में उनके पुनरीक्षण के संबंध में भारत सरकार को लिख दिया गया है । साथ ही साथ जहां तक पिछड़े जिलों का संबंध है, 31-3-81 के आधार पर ही पिछड़े जिलों की घोषणा की गयी है। माननीय सदस्य फिरोजाबाद श्री रघुवर दयाल वर्मा जी ने एक प्रश्न उठाया कि 2 लाख रु0 से कम कीमतों पर भी क्या वही व्यवस्था लागू है जो बड़े उद्योगों के लिए लागू है तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि वही व्यवस्था दो लाख के उद्योगों पर भी लागू है ।

माननीय सदस्य ने बम्बई उद्योग घरानों की बात कही तो बम्बई जाने के बाद वहां के अनेक उद्योग संघों एवं उद्यमियों से सम्पर्क किया वहां जाने के बाद हमें कितने उद्योग मिले उससे मैं अवगत कराना चाहता हूं । इससे हमें दस इकाइयां मिली हैं जो इस प्रकार हैं--इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर, जगदीशपुर, टाटा फर्टिलाइजर, बदायूं, टैल्को, लखनऊ, इण्डिया पाली फाइबर, बाराबंकी, अप काम केवल रायबरेली, सोयाबीन काम्पलेक्स जालौन, हिन्दुस्तान लीवर जालौन, हमीरपुर, सिंथैटिकल एण्ड केमिकल्स बरेली, पालिस्टर फिलामेंट यार्न, इलाहाबाद और रिलायंस द्वारा कलर पिक्चर ट्यूब, सूरजपुर । जहां तक लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की बात है 1987 में 30 हजार दस्तकारी की इकाइयां लगाने का लक्ष्य है । खादी और ग्रामोद्योग की 20,000 इकाइयां लगाने का लक्ष्य है व आई0.आर0 डी0 डी0 योजना के अन्तर्गत एक लाख औद्योगिक इकाइयों को सहायता देने का लक्ष्य है ।

माननीय सदस्य ने जो हमारे नौजवान साथी हैं ने कोयले के संबंध में कहा कि वहां क्या व्यवस्था की गयी है वह भाषण देकर चले गए मैं सदन को अवगत कराना अपना कर्तव्य समझता हूं कि बनारस में आवश्यकतानुसार कोयले का आवंटन किया गया है ।

एक बात और कही बहादुरपुर बाराबंकी का उन्होंने नाम लिया तो इस नाम का ब्लाक बाराबंकी में नहीं है वह बस्ती में है ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह भी प्रदेश में ही है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

उन्होंने कहा 70 प्रतिशत कोयला गलत आदमी को आवंटित हुआ है ।

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, आवश्यकतानुसार कोयला आवंटित हुआ है ।

आशयपत्रों के संबंध में बात आयी तो बताना चाहता हूं कि सन् 1980 से सन्87 तक कुल 907 आशयपत्र प्राप्त हुए हैं उनमें से 143 उद्योग लग चुके हैं वह 372 उद्योग लग रहे हैं और 294 आशयपत्र अभी तक हमें नहीं मिल पाए हैं उनके बारे में हम प्रयत्नशील हैं । प्रदेश में आशयपत्रों की प्रगति एवं प्रतिशत अन्य प्रदेशों की तुलना में अच्छी है ।

कैपिटल सब्सिडी के बारे में वर्मा जी ने कहा था मैं पहले बता चुका हूं बिक्री कर की छूट की सुविधा सभी स्तर की इकाइयों को उपलब्ध है वह लघु इकाइयों को भी है ।

शिल्प ग्राम में 24 शैडों का आवंटन एवं 28 स्थलों का आवंटन 5 जुलाई, 87 की बैठक में हो चुका है जो शीघ्र चालू हो जायेंगे ।

वर्तमान में कोयले की प्रदेश में सामान्यत: कोई कमी नहीं है लेकिन हमारी मांग है कि कोयला रेल वैगनों से हमें मिले क्योंकि वह सस्ता पड़ता है लेकिन कोयले के लाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है उसको ट्रकों के जरिए से लाया जा सकता है लेकिन वह महंगा पड़ता है ।

रेशम उद्योग के बारे में बताना चाहता हूं कि इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निदेशालय बना दिया गया है । टसर रेशम का बहुत बड़ा केन्द्र है वहां इसको हम बढ़ायेंगे तथा दूसरे जनपदों में भी जहां काम होता है वहां भी इसको तेज गति देंगे । मान्यवर, बुनकर सहकारी समितियों के बारे में कहा गया, तो उसमें हमने सख्त से सख्त कार्यवाही किया है और 50 कर्मचारियों को दो वर्षों में खराब काम के आरोप में निकाल दिया है एवं पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है । माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे ऐसी सूचनाएं यदि मिलती हैं तो उन्हें तत्काल दें ताकि कार्यवाही करने का अवसर मिल सके ।

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छे-अच्छे सुझाव दिए और उद्योगों को बढ़ावा देने में जो सदन की भावना थी उसको देखकर मुझे खुशी है लेकिन साथ ही साथ एक और प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिन जगहों पर इस तरीके के उद्योग लगाने की बात है, माननीय सदस्य उसमें बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं उनको इसमें आगे आना चाहिए, इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है ।

मान्यवर, जहां तक श्री तिवारी जी ने महात्मा गांधी की चर्चा की मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलना है, इसीलिये ब्लाक स्तर पर औद्योगिक संस्थान खोलने की बात कही है। हमारा लक्ष्य ब्लाक स्तर पर है और इसको पूरा कर लेंगे तो आगे की जो हमारी कार्यप्रणाली है उसको निश्चय करेंगे। इन शब्दों के साथ जिन माननीय सदस्यों ने बजट चर्चा में भाग लिया उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी, आप कटौती का अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं कि नहीं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,62,75,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,37,96,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,74,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 37,45,45,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,44,33,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9—उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9—उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,67,91,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मैनेजर सिंह—

आप पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रघुवर दयाल वर्मा जी ने दीक्षित जी के माध्यम से मुख्य मंत्री जी को चूड़ियां पेश की थीं, वह पहुंच गयी हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह मेरे माध्यम से नहीं पहुंची हैं, इसलिए मुझे नहीं पता है ।

आज की कार्यसूची की मद संख्या 10, 11 तथा 12 को स्थगित किए जाने का अनुरोध

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

इस विधेयक में बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा भारी संशोधन है, कितने अधिकार शासन अपने हाथ में ले रहा है इस संशोधन विधेयक के द्वारा । तो समय देखते हुए कि 8, सवा 8 बज चुका है इस समय, इसलिए आज इसको स्थगित कर दिया जाए और किसी दूसरे दिन ले लिया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष—

कल भी आप रहेंगे और आज भी हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

ठीक है, इन्होंने जो कहा है । माता प्रसाद जी की बात को टाला नहीं जा सकता है । वह मुझे स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, मद संख्या 10, 11 व 12 को स्थगित किया जाता है ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज 7 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । उसमें से मैनेजर सिंह जी की सूचना को स्वीकार किया गया और बाकी को अस्वीकार किया गया है।

प्रादेशिक सिविल सेवा के अधिकारी श्री बृजेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव की रहस्यमय परिस्थिति में हुई मृत्यु के संबंध में वक्तव्य

श्री सरदार सिंह—

इसे भी स्थगित कर दिया जाए आज, राज्य मंत्री जी कह रहे हैं कि कल के लिए रखा जाए ।

श्री उपाध्यक्ष—

कहें तो इसको आज निपटा दिया जाए । इसको पढ़ा हुआ वक्तव्य मान लिया जाए और लोग सीधे प्रश्न कर लें ।

(वक्तव्य सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1-7-1987 को 15.30 बजे श्री पंकज पुत्र कमलेश चन्द्र गुप्ता मालिक न्यू इण्डिया होटल ने थाने में सूचना दी कि दिनांक 1-7-1987 को सुबह 6-30 बजे श्री बी0 पी0 श्रीवास्तव व श्री रामाधार सिंह उनके होटल के कमरा नं0 7 में आकर ठहरे थे । करीब 9-00 बजे श्री रामाधार सिंह होटल से चले गए । जब करीब 11-00 बजे दिन को उनके कमरे में होटल का बैरा गया तो देखा कि श्री बृजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव को दौरा सा पड़ रहा था । होटल के बैरा ने होटल मालिक श्री पंकज को बुलाया, जिन्होंने डाक्टर के यहां से दवा लाकर दी जिससे श्री श्रीवास्तव की तबीयत कुछ संभली और वे आराम करने लगे । इसके बाद जब अपरान्ह 2-00 बजे कमरे में जाकर देखा तो श्री श्रीवास्तव मरे पड़े थे ।

उक्त सूचना पर उप निरीक्षक का तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु घटना स्थल पर भेजा गया। जिन्होंने उच्चाधिकारियों को मृत्यु के संबंध में सूचना दी। उप-निरीक्षक द्वारा मृतक श्री श्रीवास्तव की लाश का पंचायतनामा करके लाश को पोस्ट मार्टम हेतु भेजा गया । पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं हो सका । विसरा सुरक्षित रखा गया जिसे रसायनिक परीक्षण हेतु भेजने की व्यवस्था की जा रही है ।

मृतक श्री श्रीवास्तव के पंचायतनामा की कार्यवाही के दौरान मृतक के अधीनस्थ कार्यरत रामाधार सिंह लेखा लिपिक भी आ गए थे जिन्होंने यह बताया कि मृतक को डाइबिटीज व ब्लड प्रेशर की बीमारी थी और उनका इलाज सरकारी अस्पताल गाजीपुर में चल रहा था और वह अपनी दवाइयां भी अपने साथ रखते थे । मृतक श्री बृजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव सरकारी कार्यवश लखनऊ आए थे । दिनांक 1-7-1987 को प्रातः करीब 9-00 बजे बुखार होने एवं तबियत खराब होने के कारण मृतक ने श्री रामाधार सिंह को सरकारी कार्य हेतु राजस्व परिषद्, लखनऊ भेजा था, जो करीब 4-00 बजे वापस आए । जांच जारी है ।]

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

इस वक्तव्य की सूचना के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि किस अधिकारी से जांच करायी जा रही है और क्या जांच हो रही है, जबकि आपने मृत्यु का कारण अज्ञात बताया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

जो सब इंसपेक्टर जांच करते हैं, वही जांच कर रहे हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

किन्तु किस चीज की जांच कर रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई, इस अधिकारी की किस हालत में मृत्यु हुई ?

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब श्री श्रीवास्तव की तबियत खराब हुई और बैरा ने होटल मालिक को इस बारे में बताया और पंकज अग्रवाल आए तो उन्होंने डाक्टर को क्यों नहीं बुलवाया होटल मालिक के द्वारा ? जब उनकी तबियत खराब थी तो होटल मालिक द्वारा उन्हें दवा क्यों नहीं खिलाई गई ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, उसने दवा तो लाकर दी ही थी, अब इसमें मान्यवर, जांच हो रही है जो भी तथ्य होंगे वह सामने आ जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है । अब हम उठते हैं । कल 11-00 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 8 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ
10 जुलाई, 1987

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0 17 का उत्तर पीछे 35 पर)

संलग्नक—क

कारखाने का नाम	सुरक्षा अधिकारी का नाम	योग्यताएं	
		शैक्षिक	प्राविधिक
1	2	3	4
1—मध्य रेलवे मैकेनिकल कैरिज एवं वैगन वर्कशाप एवं इलेक्ट्रिकल पावर हाउस ।	1—श्री मोहन लाल गिल	बी0एस—सी0	ए0एम0आई0ई0 (भारत)
	2—श्री आर0एस0 सविता	मैट्रिक	4 साल की रेलवे अप्रेंटिसशिप ।
	3—श्री आर0सी0 कश्यप	मैट्रिक	डीजल कोर्स की विशेष ट्रेनिंग ।
	4—श्री एस0सी0 गुप्ता	इण्टर साइंस	मैकेनिकल इंजी0 में डिप्लोमा ।
2—यू0पी0 एस0टी0सी0 लि0 (कताई मिल्स)	श्री एस0के0 मल्होत्रा	इण्टर साइंस	बी0ई0 (इलेक्ट्रिकल)
3—भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि0 ।	श्री बी0के0 विजय	इण्टर साइंस	(1) मैकेनिकल इंजी0 में डिप्लोमा, (2) केन्द्रीय श्रम संस्थान बम्बई से इंडस्ट्रियल सेफ्टी में डिप्लोमा ।

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 78 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48पर)

सूखा केन्द्रीय सहायता 1986-87

क्रम-सं0	विभाग	केन्द्रीय सहायता लाख रु0 में
1	2	3
1	पशुधन विभाग	72.50
2	चिकित्सा विभाग	25.00
3	आवास एवं नगर विकास विभाग	365.50
4	कृषि विभाग	266.00
5	सहकारिता विभाग	14.00
6	ग्राम विकास एवं क्षेत्रीय विकास विभाग	210.00
7	वन विभाग	135.00
		1088.00

बाढ़ केन्द्रीय सहायता 1986-87

क्रम-सं0	विभाग	धनराशि लाख रु0 में
1	2	3
1	राजस्व विभाग	431.52
2	पशुधन विभाग	30.00
3	चिकित्सा विभाग	50.00
4	कृषि विभाग	89.00
5	वन विभाग	5.00
6	शिक्षा विभाग	20.00
7	ऊर्जा विभाग	15.00
8	सार्वजनिक निर्माण विभाग	680.00
9	सिंचाई विभाग	1237.09
10	ग्राम विकास विभाग	25.00
11	पंचायत राज विभाग	50.00
12	सहकारिता विभाग	2.00
13	आवास एवं नगर विकास विभाग	412.50
14	उद्योग विभाग	10.00
	योग	3057.11

संलग्नक 'ख'

वित्तीय वर्ष 1986–87 में दैवी आपदा राहत कार्यों हेतु आवंटन (लाख रु0 में)
दिनांक 31-3-87 की स्थिति

क्रम-सं0	जिले का नाम	आवटित धनराशि (लाख रु0 में)
1	2	3
1	सहारनपुर	7.30
2	मुजफ्फरनगर	13.10
3	गाजियाबाद	9.60
4	मेरठ	9.60
5	बुलन्दशहर	13.10
6	अलीगढ़	24.10
7	मथुरा	8.57
8	आगरा	13.80
9	मैनपुरी	9.60
10	एटा	10.30
11	बरेली	13.00
12	बदायूं	17.60
13	पीलीभीत	13.10
14	शाहजहांपुर	14.80
15	मुरादाबाद	13.60
16	रामपुर	13.10
17	बिजनौर	15.60
18	फर्रुखाबाद	14.80
19	इटावा	9.60
20	कानपुर नगर	9.10
21	कानपुर देहात	11.00
22	फतेहपुर	15.60
23	इलाहाबाद	19.30
24	बांदा	7.30
25	झांसी	7.30
26	ललितपुर	8.89
27	हमीरपुर	13.30
28	जालौन	7.30
29	वाराणसी	11.65
30	मिर्जापुर	35.30
31	जौनपुर	16.30
32	गाजीपुर	10.90
33	बलिया	59.90

1	2	3
34	गोरखपुर	126.10
35	बस्ती	19.43
36	आजमगढ़	19.10
37	नैनीताल	11.20
38	देवरिया	57.60
39	पिथौरागढ़	28.20
40	अल्मोड़ा	11.20
41	चमोली	32.20
42	गढ़वाल	8.70
43	उत्तरकाशी	13.20
44	टेहरी गढ़वाल	13.20
45	देहरादून	8.85
46	लखनऊ	18.35
47	उन्नाव	15.10
48	रायबरेली	93.20
49	सीतापुर	31.10
50	हरदोई	13.10
51	खीरी	30.60
52	फैजाबाद	24.30
53	गोण्डा	17.10
54	बहराइच	24.10
55	सुल्तानपुर	25.35
56	प्रतापगढ़	45.92
57	बाराबंकी	29.18
	योग ..	1193.79

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0–81 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर)

विद्युत वितरण खण्ड, आगरा के अन्तर्गत कुन्डोल फीडर से विद्युत उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की वर्तमान स्थिति की सूची

क्रम सं0	सर्विस कनेक्शन संख्या	उपभोक्ता का नाम व पता	विधा	विद्युत देयों की स्थिति	विद्युत देयों की अवधि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
				रु0		
1	97 के0डी0एल0	श्री राम अवतार, कुन्डोल	पी0टी0डब्लू0 (ट्यूबवेल)	904.00	माह 3-87 तक	दिनांक 8-6-87 को विद्युत विच्छेदन दिया गया।
2	207 के0डी0एल0	श्री केशव सिंह, कुन्डोल	ट्यूबवेल	3452.33	माह 3-87 तक।	वर्तमान में कोई बकाया अवशेष नहीं है।
3	208 के0डी0एल0	श्री लक्ष्मी सिंह, कुन्डोल	ट्यूबवेल	7102.84	माह 1-84 तक।	बहुत लम्बी अवधि से विद्युत विच्छेदन चल रहा है। विशेष बकाया की वसूली हेतु जिलाधिकारी आगरा, को वसूली प्रपत्र भेज दिया गया है।
4	209 के0डी0एल0	श्री नेम सिंह, कुन्डोल	"	7251.27	माह 3-87 तक।	दिनांक 8-6-87 को विद्युत विच्छेदन कर दिया गया है।

5	210 के0डी0एल0	श्रीमती राजकुमार, कुन्डोल	,,	3358.67	माह 3-87 तक।	तदैव
6	221 के0डी0एल0	श्रीमती लक्ष्मी देवी, कुन्डोल	,,	400.10	माह 3-87 तक।	बकाया का भुगतान किया जा चुका है और वर्तमान में कोई देय अवशेष नहीं है।
7	270 के0डी0एल0	श्री जमुना प्रसाद, कुन्डोल	,,	1736.39	माह 3-87 तक।	दिनांक 8-6-87 को विद्युत विच्छेदन कर दिया गया है।
8	301 के0डी0एल0	श्री पदम सिंह, कुन्डोल	,,	8561.25	माह 3-87 तक।	तदैव
9	356 के0डी0एल0	श्री राजवीर सिंह, कुन्डोल	,,	5760.80	माह 3-87 तक।	तदैव
10	278 के0डी0एल0	श्री दुर्गा प्रसाद, कुन्डोल	,,	687.68	माह 3-87 तक।	नई दर से बिल संशोधन के बाद उपभोक्ता द्वारा पूरा भुगतान कर दिया गया।
11	220 के0डी0एल0	श्री रघुवर दयाल, कुन्डोल	,,	386.20	माह 3-87 तक।	दिनांक 14-5-87 को सर-चार्ज की धनराशि सहित भुगतान के बाद वर्तमान में अब कोई बकाया अवशेष नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
				रु0		
12	1001/00030	श्री हरेन्द्र पाल सिंह राना, कुन्डोल	औद्योगिक	2319.35	माह 3-87 तक।	यह उपभोक्ता एक अवांछनीय तत्व जिसकी वजह से दिनांक 8-6-87 को पुलिस बल के तार तथा केबिल हटाकर उसके कनेक्शन का विच्छेदन प्रभावी रूप से कर दिया गया है।
13	1001/117180	श्री बी0 के राना	औद्योगिक	9762.82	माह 4-87 तक।	दिनांक 8-6-87 को राज्य विद्युत परिषद प्रवर्तन दल के उपखण्ड अधिकारी तृतीय के साथ उपभोक्ता के परिसर की जांच किए जाने पर उपभोक्ता का परिसर बन्द पाया गया। साइट पर कोई केबिल नहीं है। माह 6-86 तक विद्युत देयों के बकायों की रु0 13490.45 की धनराशि के विरुद्ध रु0 7020.40 के भुगतान के बाद उपभोक्ता के कनेक्शन जोड़ने के आदेश दिनांक 5-8-86 को दिए गए तदु-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परान्त द्वितीय तथा तृतीय किस्तों (प्रत्येक मात्र 3372.501) के भुगतान न किए जाने पर उपभोक्ता का कनेक्शन दिनांक 6-2-87 को विच्छेदित कर दिया गया और धारा 3 का नोटिस वसूली हेतु भेजा जा चुका ह।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 143 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर)

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या

कानपुर क्षेत्र

1—कानपुर	123769
2—कानपुर यूईवी	1977
3—इटावा	29522
4—फतेहगढ़	35681
5—उन्नाव	17940

आगरा क्षेत्र

6—आगरा	60552
7—आगरा यूईवी	1554
8—अलीगढ़	27672
9—अलीगढ़ यूईवी	937
10—मथुरा	35293
11—एटा	17132
12—मैनपुरी	20385
13—हाथरस	9334
14—फिरोजाबाद	7046

इलाहाबाद

15—इलाहाबाद	106863
16—इलाहाबाद यूईवी	1702
17—फतेहपुर	24214
18—सुल्तानपुर	33499
19—प्रतापगढ़	16766
20—कुण्डा	4092
21—जगदीशपुर	2716

वाराणसी क्षेत्र

22—वाराणसी	57159
23—वाराणसी ईयूवी	1685
24—काशी विद्यापीठ	487
25—जौनपुर	35369
26—मिर्जापुर	17533
27—गाजीपुर	36755
28—बलिया	31077
29—मुगलसराय	11001
30—राबर्ट्सगंज	22972
31—दुद्धी	1065

अल्मोड़ा क्षेत्र

32—अल्मोड़ा	10314
33—नैनीताल	12210
34—नैनीताल यूईवी	604
35—पिथौरागढ़	7683
36—रानीखेत	5413
37—हल्द्वानी	13807
38—काशीपुर	6608

बरेली क्षेत्र

39—बरेली	41005
40—पीलीभीत	9896
41—शाहजहांपुर	17780
42—बदायूं	16406

मुरादाबाद क्षेत्र

43—मुरादाबाद	33817
44—बिजनौर	21462
45—रामपुर	11431

गोरखपुर क्षेत्र

46—गोरखपुर	83022
47—गोरखपुर यूईवी	2918
48—आजमगढ़	30850
49—बहराइच	12199
50—बस्ती	30187
51—देवरिया	26951
52—फैजाबाद	33679
53—फैजाबाद यूईवी	1025
54—गोण्डा	36070
55—पडरौना	10349
56—मऊनाथ भंजन	17192

झांसी क्षेत्र

57—झांसी	21716
58—बांदा	14279
59—हमीरपुर	9733
60—ललितपुर	6593
61—उरई	19913
62—कर्वी	4885
63—मऊरानीपुर	4747
64—महोबा	3441

लैन्सडाउन क्षेत्र

65—लैन्सडाउन	7560
66—चमोली	8191
67—पौड़ी	5379
68—श्रीनगर यूईवी	422

लखनऊ क्षेत्र

69—लखनऊ	147395
70—लखनऊ यूईवी	852
71—बाराबंकी	9871
72—हरदोई	27455
73—लखीमपुर	16983
74—रायबरेली	43398
75—सीतापुर	22542

मेरठ क्षेत्र

76—मेरठ	39382
77—मेरठ यूईवी	680
78—बुलन्दशहर	24505
79—मुजफ्फरनगर	21788
80—गाजियाबाद	31019
81—मोदीनगर	6634
82—हापुड़	3293
83—नरौरा	5951

देहरादून क्षेत्र

84—देहरादून	42793
85—सहारनपुर	21324
86—टिहरी	6828
87—उत्तरकाशी	4655
88—हरिद्वार	11046
89—गुरुकुल कांगड़ी यूईवी	266
90—रुड़की	7721
91—रूड़की यूईवी	571
92—पी एण्ड ई0ओ0]	2055
93—पी0एच0 कानपुर	1428
योग	1897921

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0प्र0सं0 166 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर)

चिनहट सब स्टेशन के सात कोल्ड स्टोरेजों की क्षमता, की गयी विद्युत आपूर्ति एवं भुगतान का विवरण

वर्ष 1985 में 1-85 से 12-85 तक का विवरण

क्रम-सं0	कोल्डस्टोरेज का नाम	स्वीकृत/जुड़ा हुवा भार	यूनिट उपभोग	विद्युत बिलों की धनराशि	उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गयी धनराशि	बकाया धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
				रु0	रु0	रु0
1	हरबिलास	350के वी0ए0	822600	608014.20	60814.20	..
2	चिनहट कोल्ड स्टोरेज	285के वी0ए0	635170	525393.49	525393.49	..
3	रामस्वरूप कोल्ड स्टोरेज	196के डब्लू0	620786	515378.64	480853.68	34524.66
4	मोहम्मद सिद्दीकी कोल्ड स्टोरेज	127के डब्लू0	322463	257003.47	240372.30	16631.17
5	हिमालयन कोल्ड स्टोरेज	252के वी0ए0	460611	366336.18	366336.18	..
6	शंकर कोल्ड कोल्ड स्टोरेज	189के डब्लू0	333440	382216.30	325004.74	57211.56
7	मीना कोल्ड स्टोरेज।	92के वी0ए0	..	..	..	..

वर्ष 1986 के 1-86 से 12-86 तक का विवरण

अन्य विवरण	यूनिट उपभोग	विद्युत बिलों का धनराशि	उपभोक्ता द्वारा भुगतान की धनराशि	बकाया धनराशि	अन्य विवरण
8	9	10	11	12	13
		रु0	रु0	रु0	
	.. 650749	730508.48	640308.54	90199.94	उच्च न्यायालय द्वारा वसूली स्थगन आदेश।
	.. 637306	733493.02	609857.59	123635.43	
न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश।	322852	421655.75	340931.26	115249.45	तदैव
तदैव	115116	204019.58	169986.27	50664.48	तदैव
	.. 206816	341728.28	267491.19	74237.09	तदैव
	.. 120	129082.94	..	186294.50	1-85 से 12-85 के विद्युत बिलों को धनराशि में 10-84 से 12-84 के बिल की धनराशि रु0 161.05 जुड़ी हैं।
	.. 4136	11541.75	11541.75	..	..

पी0एस0यू0पी0—एल0 194 विधान सभा (346)—1987—813।